खण्ड-423, अंक-3
गुरुवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1920
(26 मार्च, 1998 ई0)

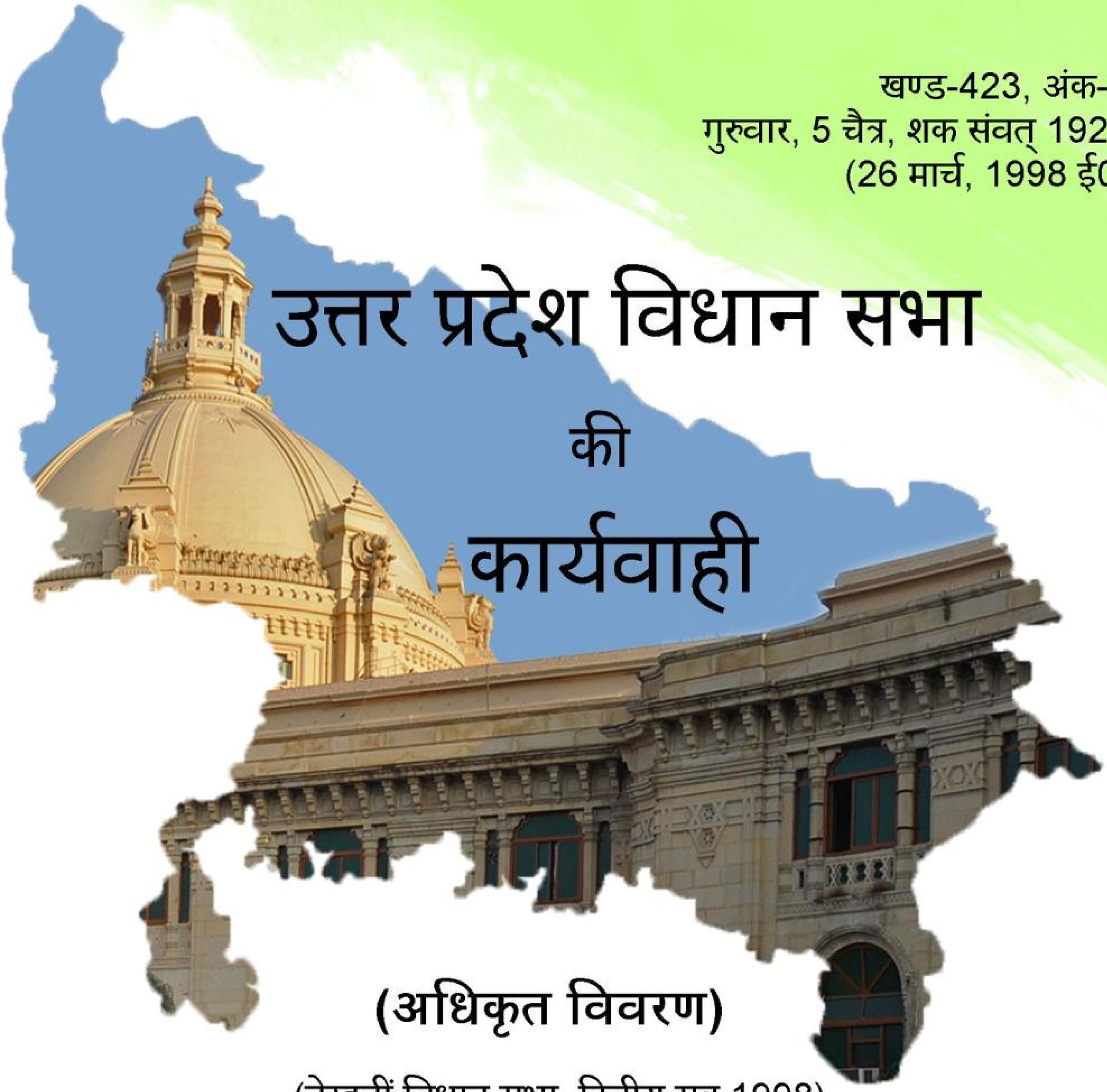

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1998)

खण्ड 423 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1–20
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह तथा वयोवृद्ध साम्यवादी नेता श्री ई० एम० एस० नंबुदिरिपाद के निधन पर शोकोद्गार ...	20–26
उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में आये हुये भयंकर चक्रवात और दैवी आपदा से मृत तथा पीड़ित परिवार जनों के प्रति शोकोद्गार	26–27
नियम 311 व नियम 56 की नियम 301 में परिवर्तित एवं नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	27–28
ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में धन तुलसी, डोगरपुर में गंगा नदी पर पीपा पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28
जनपद महामाया नगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ में भीषण ओलावृष्टि से हुई क्षति से प्रभावित किसानों को राहत देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28–29
विधान सभा क्षेत्र मनकापुर मसकनवा के विकास खण्ड छपिया में राजकीय कन्या हाईस्कूल को इण्टरमीडियेट की मान्यता दिलाने तथा विद्यालय में चहारदीवारी लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
श्री आर० एन० भाटिया ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा अनियमितता किये जाने की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
लखनऊ के फूलबाग हुसैनगंज में नया ट्रान्सफार्मर लगाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
वाराणसी के 242 दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नियमित कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद छत्रपति साहू जी महाराज नगर के ब्लाक मानिकपुर में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
प्रदेश में आरा मशीनों के प्रतिबन्ध से काष्ठ कला से संबधित दस्तकारों एवं शिल्पियों में भुखमरी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र विल्सी के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को पक्के मार्ग से न जोड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31–32
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में आये भीषण तूफान से हुई क्षति के कारण किसानों को सरकारी सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र घिरोर में आये भीषण तूफान से किसानों की हुई क्षति के कारण सरकारी सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32–33
बहराइच स्थित व्यापार कर कार्यालय को दूसरे भवन में स्थानान्तरित न किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में उच्चाधिकारियों द्वारा छोटे कर्मियों का जातिगत आधार पर उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33–34
आजमगढ़ स्थित कतिपय मुहल्लों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
प्रदेश में डी० आर० डी० ए० विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
नगर पालिका परिषद् जौनपुर में नलकूप लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
प्रदेश में गन्ना विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सांख्यिक परियोजना कर्मचारियों को वेतन भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36
जनपद मेरठ में सरकारी राशन की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में चावल आदि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद बुलन्दशहर के गांव चित्सौन में बालिकाओं की शिक्षा हेतु हाईस्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
जनपद कुशीनगर के ग्राम बुलहवा में स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर, नगरपालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत कतिपय नदियों के द्वारा किये जा रहे कटाव, क्षरण आदि की समस्या के निदान हेतु परियोजना स्वीकृत किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
लखनऊ कानपुर मार्ग में स्थित उन्नाव बाईपास स्थित टेनरीज फैक्टरियों द्वारा फैलाये गये प्रदूषण को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37-38
प्रदेश के उत्तरांचल में स्थित कतिपय जिलों में रेशम उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38
आगरा महानगर स्थित कतिपय मुहल्लों में बह रहे नालों की सफाई तथा जल निकासी की समस्या को दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38-39
जमादारी लेन दारुलशफा लखनऊ स्थित सर्वेन्ट क्वार्टर्स के अगल बगल अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों को हटाकर वहां पर अन्य सरकारी कमरे बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टऊवा गोपालपुर स्थित कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	39-40
नगर पालिका हरदोई में पेयजल व्यवस्था सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि से अधूरी पड़ी योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
जनपद बलरामपुर स्थित ग्राम कटैयाभारी के निवासी श्री विजय प्रकाश मिश्र की फसल को अराजकतत्वों द्वारा काट लिये जाने एवं प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद सीतापुर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों के बकाये का भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	41

विषय	पृष्ठ संख्या
नगर पालिका परिषद् कासगंज एटा में कार्यरत श्री विष्णु स्वरूप सक्सेना को लेखाकार पद का वेतन दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित कतिपय वनों में जंगली हाथियों द्वारा किसानों की फसल आदि की सुरक्षा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद एटा के थाना बागवाला में तैनात पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ग्राम बागवाला के निवासियों को उत्पीड़ित किये जाने के फलस्वरूप दण्डित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	42
लखनऊ में निराला नगर स्थित वेस्टन इलेक्ट्रानिक एवं वेस्टन कम्पोनेन्ट्स में कार्यरत कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद फैजाबाद के कस्बा कुमारगंज में निर्माणाधीन 132 के०वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद प्रतापगढ़ के सदर एवं मान्धाता ब्लाक में स्थित कतिपय गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	43
जनपद सीतापुर के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित संख्या में चिकित्सक/कर्मचारी तैनात करने एवं उपकरणों/दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद बलिया की टाउन एरिया विल्थरा रोड के वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा किये गये घोटालों की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाने एवं कतिपय अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद मथुरा के कतिपय स्थानों पर अत्यधिक वर्षा से हुई फसल के नुकसान से प्रभावित किसानों को पूर्ण माफी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
जनपद फतेहपुर स्थित ग्राम टेसाई खुर्द से नरोत्तमपुर सम्पर्क मार्ग को जनहित में अतिशीघ्र बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
शाहजहांपुर स्थित ओसवाल फैक्ट्री द्वारा प्रदूषित जल गिरई नाले में छोड़े जाने के फलस्वरूप फैल रहे प्रदूषण को रोकने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद आजमगढ़ में स्थित हरिश्चन्द्रपुर एवं जमुनवा ताल की सफाई कराये जाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के किसानों की वैध रूप से ले जा रही लकड़ी को नैपाल सीमा पर तैनात पुलिस द्वारा अनधिक रूप से रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद जौनपुर के निर्वाचन क्षेत्र बयालसी में स्थित मुर्तजाबाद सब स्टेशन को ठीक कराने एवं विद्युत व्यवस्था को सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद टिहरी गढ़वाल में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त योजनाओं को पूर्ण करने एवं किसानों की क्षति पूर्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पेयजल समस्या के समाधान हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
जनपद जालौन के थाना कदौरा की पुलिस द्वारा अल्ताफ उर्फ मुन्ना को अकारण लाठियों से पीटने वाले पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद खीरी में विकास विभाग योजनाओं में आवंटित सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
जनपद बांदा में पैलानी लसड़ा मार्ग पर सिन्थनकला के पास तुर्रा नाले पर शीघ्र पुल निर्माण की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद मैनपुरी में आपराधिक व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराध के मुकदमें संबंधित थानों में दर्ज करने तथा पुराने दर्ज मुकदमों के आधार पर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
प्रदेश की पालिकाओं में कार्यरत अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को राज्य कर्मियों के समान सुविधायें दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48-49
जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार आदि की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद लखीमपुर के थाना खीरी के ग्राम मुहम्मदाबाद के पास परिवहन निगम की बस को लूटने में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
लखनऊ स्थित गोमतीनगर के विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या 4/21 भूस्वामी को आवंटित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद लखीमपुर खीरी स्थित कस्बा गोला में पूर्व स्वीकृत अधूरे बने बाई पास को पूर्ण बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50-51
जनपद खीरी के कस्बा गोला को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर विकसित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
लालबाग आफीसर्स कालोनी लखनऊ स्थित इमारत की सभी लिफ्टों की मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद उन्नाव के थाना मौरावां की पुलिस द्वारा अकारण लाठीचार्ज किये जाने के दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद फैजाबाद में बदमाशों द्वारा सशस्त्र डकैतियां डाले जाने के कारण फैली अव्यवस्था को दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52-53
श्री रामवीर उपाध्याय स० वि० स० की सुरक्षा व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री रामेश्वर सिंह स० वि० स० के कार्यकर्ता श्री राकेश कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद छत्रपति साहूजी महाराज नगर बरगढ़ में कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री लि० की स्थापना हेतु विदेशों से मंगाई गई मशीनों को सरकार द्वारा मुम्बई बन्दरगाह से अवमुक्त कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद झांसी के ग्राम कोछाभांवर के निवासी श्री लाल सिंह को पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के ग्राम खरुआव में अम्बेडकर प्रतिमा के पास होलिका दहन के विवाद को लेकर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग एवं गिरफ्तारी की जांच हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद झांसी की विश्वविद्यालय चौकी पर कार्यरत पुलिसजनों द्वारा श्री लाल सिंह को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने के दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
जनपद लखनऊ के कस्बा काकोरी में होलिका दहन के दिन दो सगे भाइयों की अमीरुद्दीन व जियाउद्दीन की, की गई हत्या के दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	55-56
जनपद कानपुर नगर के ग्राम महिपालपुर,तहसील बिल्हौर में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाये जाने तथा दोषियों को गिरफ्तार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
प्रदेश में राजनैतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न एवं निर्दोष लोगों की हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
श्री राम अचल राजभर स० वि० स० को दी जा रही धमकियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सुरक्षा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
बरेली नगर में चल रहे अवैध शराब के धन्धे को जनहित में बन्द किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
प्रदेश में राजनैतिक विरोधियों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
प्रदेश में विरोधी दल के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किये जाने तथा हत्याओं आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद बरेली के गांव उदयपुर जशरथपुर में रोल खण्ड कैनाल की पटरी के किनारे लगे शीशम के मूल्यवान पेड़ों को अवैध रूप से काटने के दोषी पुलिस एवं प्रभावी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
जनपद आजमगढ़ में बढ़ रही लूट अपहरण, डकैती हत्या आदि जघन्य वारदातों की रोकथाम की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हसवा के ग्राम कोण्डार में भाजपाइयों द्वारा पुलिस की उपस्थिति में की गई लूट एवं मारपीट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद इलाहाबाद के ग्राम टकरई निवासी श्रीराम जतान कोल की हत्या के दोषी पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59-60
इण्डियन्स नर्सिंग काउन्सिल दिल्ली की वर्ष 1998 के लिये जारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों की सूची में मान्यता रहित घोषित संस्थानों को भी शामिल किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था एवं ब० स० पा० के समर्थक को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी	61
द्वितीय सत्र, 1997 में "नियम 301 की सूचनाओं के विवरण में से लगभग 100 सूचनाओं के बारे में सूचना अप्राप्त" अंकित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	61-62
गीडा किसानों पर की गयी फायरिंग के संबंध में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	62-63
पूर्वांचल विकास निधि का धन विधान सभा के सदस्यों की सहमति से स्वीकृत किये जाने विषयक शासन के आश्वासन के विरुद्ध कार्य किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	64
विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	64-65
विधान सभा में कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट होने के बाद श्री कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल द्वारा पुनः शपथ ग्रहण न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	65-76
प्रदेश में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत सड़कों का उद्घाटन भाजपा सांसद/विधायक और उनके नेताओं द्वारा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	76-79
दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 को सदन में हुई मारपीट की जांच सदन की किसी समिति से न कराकर अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	79-83
प्रथम सत्र, 1998 (दिनांक 27 जनवरी, 1998 से दिनांक 29 जनवरी, 1998 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	83
किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	83
उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	83
विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं को सुने जाने की मांग (जारी) ...	84
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	84
विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं को सुने जाने की मांग	85-89
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ...	89
प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि एवं चक्रवात से लाखों किसानों के फसलों की बर्बादी एवं तबाही होने विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	89-99

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	99-112
विधान सभा की वर्ष 1998-99 की विभिन्न समितियों में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	112-113
किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 (जारी)	113
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को सुने जाने की मांग	113-114
किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 (पारित)	114-116
जनपद कानपुर देहात के महिपालपुर में कई लोगों के घर उजाड़ने, तोड़फोड़ करने तथा इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को उखाड़ने संबंधी वर्तमान सरकार के एक मंत्री पर कथित आरोप की सी० बी० आई० से जांच कराने की मांग ...	117-121
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ...	121-129
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	129-132
आजमगढ़ जनपद में 132 के० वी० ए० के विद्युत उपकेन्द्रों फूलपुर एवं बूढ़नपुर में रुके निर्माणाधीन कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	132-133
सहारनपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में बुडकार्विंग उद्योग एवं वैण्डसा इकाइयों पर लोक प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना एवं केवल वक्तव्य	133-134
सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	135
राष्ट्रगान	135
नत्थी	136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

वृहस्पतिवार, दिनांक 26 मार्च, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—ज

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	शिव शंकर, श्री	बांदा
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
बाबू लाल, श्री	आगरा	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

विधान भवन के मुख्य भवन में भूतल पर अनधिकृत रूप से साइकिलें एवं स्कूटर खड़ा करने पर प्रतिबन्ध

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधान भवन के मुख्य भवन में भूतल पर अवैध रूप से साइकिलें एवं स्कूटर खड़ी की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके फलस्वरूप लिफ्ट के न चलने पर सीढ़ियों से आने जाने के रास्ते बन्द हो जाते हैं जो अभिसुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित है ? क्या सरकार स्कूटर एवं साइकिलों की पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

विधान भवन के मुख्य भवन में भूतल पर कतिपय कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कभी-कभी साइकिलें रखी जाती रहीं हैं, जबकि ऐसा किया जाना प्रतिबन्धित है । अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां सीढ़ियों से आने-जाने के दोनों ओर के मार्ग खुले रहें ।

सचिवालय परिसर में साइकिलें/स्कूटरों के खड़े होने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मुख्य भवन में भूतल पर अवैध रूप से साइकिलें और स्कूटर के खड़ी हो जाने के कारण माननीय सदस्यों को आने-जाने में कठिनाई होती है । कभी-कभी लिफ्ट बन्द हो जाती हैं जिससे सीढ़ियों से आना-जाना पड़ता है । क्या साइकिलें और स्कूटर वहां पर न खड़े किए जाएं इसके लिए कोई प्रभावी कदम उठाया जायेगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ? इस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

दूसरे मान्यवर, स्कूटर और साइकिल खड़ी करने के लिए पूर्व में जो व्यवस्था बनाई गई है हो सकता है कि अब स्थान की कमी पड़ गई हो तो क्या इसके विस्तारीकरण की कोई आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के संबंध में एक बैठक माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी सचिवालय प्रशासन के अधिकारियों के साथ अपने कक्ष में कर लें । इसके कारण माननीय सदस्यों और अधिकारियों को असुविधा होती है । इसका कोई हल निकलवा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है । इस संबंध में एक बैठक बुला लेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, साइकिल का मामला भिन्न है । साइकिल तो दिल्ली तक जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

हाथी भी तो दिल्ली तक जा सकता है ।

श्री हुकुम सिंह–

ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि साइकिल यहां नहीं खड़ी हो पाएगी ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनके वाहन वहां पर खड़े हो जाते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा उसकी समस्या का समाधान माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी करेंगे । लेकिन जो वाहन चोरी चले जाते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के सुझाव का भी ध्यान में रख लें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कतिपय जनपदों के विभिन्न अंचलों में चक्रवात एवं ओलावृष्टि से हुई धन, जन, पशु व फसल की क्षतिपूर्ति के संबंध में पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग

*1–श्री राम प्यारे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जनपदों के विभिन्न अंचलों में चक्रवात एवं ओलावृष्टि से हुई धन, जन, पशु, फसल क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-12-97 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ओलावृष्टि एवं चक्रवात पीड़ितों को समुचित मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां, जनपद आजमगढ़ के संबंध में मा० विधायक का उक्त दिनांकित पत्र प्राप्त हुआ है । समाहित बिन्दुओं के अनुसार जन, पशु, फसलों, वृक्षों तथा आवासों की क्षति का आंकलन कर लिया गया है तथा पात्रता के आधार पर कुल 89 व्यक्तियों को रु० 82500/– अहेतुक सहायता, 7661 व्यक्तियों को रु० 46,24,300/- गृह अनुदान, 61 मृत पशुओं के स्वामियों को नियमानुसार रुपया 62,500/– अनुग्रह अनुदान तथा दो घायल व्यक्तियों के आश्रितों को रु० 5,000/–चिकित्सा सहायता तथा 17 मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को रु० 5,75,000/–अनुग्रह अनुदान का वितरण किया गया है । इसके अतिरिक्त मा० मुख्य मंत्री सहायता कोष से मृतकों के आश्रितों को रु० 50,000/–की दर से रुपया 7,50,000/–की धनराशि तत्काल वितरित कर दी गई । प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है ।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बताया, मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में ही नहीं मऊ, बलिया और बनारस जनपद के सारे विधायक इस बात के गवाह हैं । मैं दो-तीन बातें मुख्य रूप से कहना चाहता हूं । जो माननीय मंत्री जी ने आर्थिक सहायता दी, उसका उन्होंने आधार व मापदण्ड क्या बनाया ? बैल–भैंस के लिए जो दो हजार रुपये की सहायता दी गयी तो आज के संबंध में बैल–भैंस जो किसान खरीदने जायें तो वह दो हजार रुपये में नहीं खरीद सकते हैं । गंभीर रूप से हजारों लोग घायल

थे, सरकार द्वारा उन्हें क्या दिया गया ? कुछ लोगों को मात्र 1 हजार दिया गया क्या उतने में सही रूप से उनका उपचार हो सकता है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, दैवी आपदा के अन्तर्गत धनराशि दिये जाने के जो नियम बनाये गये हैं वह भारत सरकार के द्वारा बनाये गये हैं और तद्नुसार ही धनराशि दी जाती है । यह जो दो हजार, ढाई हजार या पांच सौ रुपये दिये जाते हैं उसमें हम सहायता राशि देते हैं, यह नहीं है कि हम पूरी-पूरी धनराशि किसी चीज की दे रहे हों । भारत सरकार ने जो नियम बनाये हैं तथा उससे जो धनराशि मिलती है उसके अनुसार सहायता दे दी गयी है ।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, यदि यही व्यवस्था की गयी है तो मेरा आपकी पीठ से आग्रह है कि पशुओं के मुआवजे की धनराशि बढ़ायी जाये । तीसरे तमाम किसानों की फसलों की क्षति हुई क्या किसी भी किसान को कोई मुआवजा दिया गया । तमाम शिक्षण संस्थायें जिनका भारी नुकसान हुआ, उनके भवन गिर गये । मान्यवर, उस चक्रवात में गिरे किसी भी शिक्षण संस्थान को अनुदान के रूप में एक नया पैसा नहीं दिया गया ।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थायें होती है । उनको दैवी आपदा के अन्तर्गत कोई पैसा नहीं दिया जाता है, जो सरकारी भवन और स्कूल हैं, केवल उनको दिया जाता है । प्राइवेट स्कूलों को इस प्रकार की कोई सहायता अनुमन्य नहीं है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पूर्वांचल के महाराजगंज जनपद में इस वर्ष ओलावृष्टि एवं सूखे से फसलों का काफी नुकसान हुआ है । इस क्षेत्र के किसानों को अनुदान के रूप में एक नया पैसा सूखा या ओलावृष्टि के नाम पर नहीं दिया गया है । क्या सरकार इस संबंध में विचार कर रही है और आने वाले दिनों में मेरे जनपद को सूखाग्रस्त घोषित कर कोई राहत प्रदान करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय विनोदमणि जी, यह एक सामान्य सवाल था और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से संबंधित था, यदि आप किसी विशेष जिले के बारे में सूचना चाहते हों तो मंत्री जी को लिखित दे दें या अलग से प्रश्न कर दें ।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न आजमगढ़ जनपद के संबंध में है, उसके संबंध में पूर्ण उत्तर दे दिया गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रश्नकर्ता के द्वारा दिनांक 5-12-97 को पत्र लिखा गया जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न अंचलों में चक्रवात एवं ओलावृष्टि से हुई धन, जन, पशु, फसल की हानि और उसकी क्षतिपूर्ति के लिये मुआवजे के संबंध में लिखा गया था, इस समय पूरी सूची माननीय मंत्री जी के पास उपलब्ध है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां-जहां, जिन-जिन जनपदों में ओला व चक्रवात से नुकसान हुआ है, उसकी जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को आई है, क्या उसको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, 5-12-97 का जो पत्र है, वह आजमगढ़ जिले के संबंध में है, उसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बारे में नहीं पूछा गया है। यदि किसी जनपद के बारे में अलग से जानकारी चाहते हैं तो अलग से बात कर लें। सभी जिलाधिकारियों को पैसा उपलब्ध करा दिया गया है और निर्देशित भी कर दिया गया है कि वह तत्काल सहायता दे दें और जरूरत हो तो मांग लें।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। विभिन्न जनपदों के विभिन्न अंचलों में चक्रवात एवं ओलावृष्टि से हुई धन, जन, पशु, फसल क्षतिपूर्ति की बात है, इसमें केवल आजमगढ़ जनपद की बात नहीं है। दूसरी बात जानना चाहता हूं कि चक्रवात आने के बाद माननीय मंत्री जी मेरे जनपद में गये थे, मेरे क्षेत्र में गये थे, जब मैंने नुकसान के संबंध में अपनी बात कहने का निवेदन करना चाहा तो मुझे न बुलाकर, मेरे यहां के हारे भाजपा के कैन्डीडेट को बुलाने की अनुमति दी, इसका जवाब दे दें।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय विधायक जी का जो पत्र दिनांक 5-12-97 है, कृपया उसको पढ़ने का कष्ट करें। इसमें साफ लिखा है कि मेरे जनपद में 5 बजे आये चक्रवात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, यह आजमगढ़ के बारे में है। जहां तक उस मीटिंग की बात है, माननीय विधायक जी उस मंच पर मौजूद थे, जहां चक्रवात के संबंध में बात चल रही थी, जो-जो बातें इन्होंने कही थी मैंने तत्काल उसके सम्बन्ध में घोषणा कर दी थी। जहां तक सूचना की बात है, सभी विधायकों को सूचना दी जाती है, व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं बुलाया जाता है।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपापूर्वक इस प्रश्न को पढ़ने की कृपा करें। इसमें है क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जनपदों के विभिन्न अंचलों में चक्रवात एवं ओलावृष्टि से हुई धन, जन, पशु, फसल क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-12-97 पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? इसके पूर्व की स्थगन की तिथि 29-1-98 है। उस दिन यह प्रश्न इस विधान सभा में आया था और हम लोगों ने सम्पूर्ण प्रदेश की जानकारी माननीय मंत्री जी से चाही थी और उस समय आपने कृपापूर्वक निर्देश दिया था कि इस समय जानकारी नहीं उपलब्ध है माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश की जानकारी एकत्र कर लें। उसके बाद से अब यह पुनः आया है और अब माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए नहीं पूछा गया है तो यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

पुनः प्रश्न पढ़े :—

इसमें है कि विभिन्न जनपदों के विभिन्न अंचलों में चक्रवात एवं ओलावृष्टि से हुई धन, जन,पशु, फसल की क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-12-97 है तो यह विभिन्न जनपदों में तो हानि हुई, लेकिन यह पत्र एक जनपद से संबंधित है तो वह एक ही का उत्तर देंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने राजस्वमंत्री जी से जानना चाहा है कि कितनी क्षति हुई है और क्या कार्यवाही हुई है ? यदि मैं याद दिलाना चाह रहा था कि पिछली बार यह प्रश्न आया था तो आपने स्थगित किया था।

श्री अध्यक्ष–

यह मुझे देखना पड़ेगा कि यह प्रश्न स्थगित हुआ है या अनुरोध पर स्थगित किया गया है।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर आपके पास मान्यवर, कोई आधार नहीं है यह मानने का कि मेरी जानकारी गलत है तो इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी इसको देख लेता हूं, मेरे सचिवालय की सूचना के अनुसार सदन में इसका स्थगन नहीं हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र आजमगढ़ के बारे में पत्र लिखा था और माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय सदस्य को न बुलाना और उनकी बात को न सुनना कहां न्यायोचित है इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ?

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कितनी क्षति हुई है, राहत कितनी दी गयी है, यह सम्पूर्ण सदन की जानकारी में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में बकाये की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है क्या माननीय मंत्री जी उसको स्थगित करेंगे और कहीं पर माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार की नीति निर्देशों के अनुसार अनुदान देने की घोषणा की है लेकिन जिन क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई है वहां छात्रों का शुल्क माफ किया जायेगा और उत्पीड़न की कार्यवाही बन्द होगी और राहत कार्य कराकर उस क्षेत्र को राहत देने की कृपा करेंगे, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें आधी बात एकदम नई है।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, कोई भी माननीय सदस्य जहां की जानकारी चाहते हैं, जानकारी उपलब्ध करा देंगे। यह प्रश्न आजमगढ़ से सम्बन्धित है, उसकी जानकारी दे दी गई है अन्य जनपदों के बारे में जो बात कही जा रही है, 23-12-97 को निर्देश दे दिये गये हैं कि जहां भी दैवीय आपदा आती है, पशुओं की और जन-धन की हानि होती है, उसमें स्थायी आदेश हैं कि भू-राजस्व की जो वसूली है उसको तत्काल स्थगित कर दें जो क्षति होती है उसकी धनराशि वितरित कर दें ? इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिला अधिकारी को धन उपलब्ध करा दिया है। मान्यवर, हम क्षति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने 3 बिन्दु-छात्रों की फीस मांफी और राहत कार्य के सम्बन्ध में तथा उत्पीड़न के सम्बन्ध में है उठाये हैं इसमें स्पष्ट उत्तर आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न तो चक्रवात पीड़ितों को मुआवजे के सम्बन्ध में है फीस माफी राहत कार्य यह दूसरी बात है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, किसानों की छात्रों की सरकार ने कोई भी सहायता नहीं की है सरकार का रवैया किसानों के प्रति अन्याय पूर्ण है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, सरकार की किसानों के प्रति उपेक्षा पूर्ण नीति है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब सदन का बहिष्कार करें, तो अवधि भी बता दें कि कितनी देर के लिए कर रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणी"–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर चक्रवात आया जो राम प्यारे जी ने प्रश्न किया वह एक जगह के बारे में पूछा । माननीय राजस्व मंत्री जी के पास सूचना पूरे प्रदेश की है यह समस्या केवल एक जनपद से सम्बन्धित नहीं है पूरे प्रदेश के 30–35 जिले इससे प्रभावित हैं तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करेंगे कि चक्रवात से जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना को सदन के पटल पर रखेंगे कि कितनी क्षति हुई है और जिन जिलों में 50 फीसदी से ज्यादा की क्षति हुई है वहां पर राहत कार्य शुरू करने छात्रों की शुल्क माफ करने और भी जो वसूली जबरदस्ती हो रही है उसको रोकने की घोषणा करेंगे ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के अन्दर सभी जनपदों, जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है, चक्रवात आया है, दैवी आपदा से जो क्षति हुई उसमें पूरे प्रदेश में हमने तत्काल जिस जिले में जो भी क्षति हुई है उसको राहत धनराशि उपलब्ध करा दी गई है और सभी को वितरित कर दी गई है ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह मांग की थी कि चक्रवात के कारण जिन-जिन घरों की छतें टूट गई और विद्यालयों के खपरैल उड़ गये, उन सभी को सहायता दी जाय । इसके उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि जो सरकारी विद्यालय हैं, उनको सहायता दी जाती रही है और उन्हीं को सहायता दी गई है ।

मान्यवर, जहां तक इस संबंध में मेरी जानकारी है कि पीछे भी इस प्रकार के आदेश हैं कि जब भी कोई तूफान या दैवी आपदा से नुकसान हुआ है, उन सभी को पिछली सरकारों ने सहायता दी है । इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो यह उत्तर दिया है कि केवल सरकारी विद्यालयों को जिनको क्षति हुई है, उन्हीं को सहायता दी गई है, जनहित में यह उत्तर ठीक नहीं है । इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि एक-एक विद्यालय जिनको इस चक्रवात के कारण क्षति हुई है, उनको जिस प्रकार पूर्व में भी क्षतिपूर्ति होती रही है, उसी प्रकार से क्षतिपूर्ति दी जाय । दूसरा प्रदेश के 30-35 जनपदों में दैवी आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, उनको अविलम्ब सहायता प्रदान करने के लिए सरकार कार्यवाही करे ।

श्री अध्यक्ष–

पिछले वर्ष के बारे में ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं पिछले वर्ष के बारे में ही बता रहा हूं । श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने ओलावृष्टि, अति-वृष्टि और चक्रवात के द्वारा किसानों को जो क्षति हुई है, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है और सरकार भी उस क्षति के प्रति उतनी ही चिन्तित है जितना कि माननीय सदन के माननीय सदस्य, चाहे वह किसी भी पक्ष के हों, चिन्तित हैं । राज्य सरकार की ओर से जितनी सहायता व सहयोग दिया जा सकता था, वह दिया जा चुका है । मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा कि इस दैवी आपदा के कारण जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई केन्द्र सरकार दे । केन्द्र की ओर से एक सर्वेक्षण टीम यहां आई थी और उसने उन जनपदों का सर्वेक्षण भी किया । सर्वेक्षण के बाद क्षति का आकंलन करके हमने केन्द्र सरकार को लगभग 242 करोड़ रुपए की मांग की । एक बार मैं पुनः भारत सरकार से आग्रह करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजूंगा कि जो क्षति हुई है और जो सर्वेक्षण उनकी टीम ने किया है, उसके अनुसार वह आर्थिक सहायता दें । जैसे ही वह मिलता है, उसे हम जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनमें उसे वितरित कर देंगे । जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, उसका ब्यौरा प्रश्न के उत्तर में दिया ही है । राज्य सरकार के स्तर से जितनी सहायता दी जा सकती थी, वह सब यहां से किया जा चुका है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो सहायता राशि हो सकती थी, वह राज्य सरकार की तरफ से दी जा चुकी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस वर्ष चक्रवात व ओलावृष्टि के कारण किसानों की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई थी .....

श्री अध्यक्ष–

इस वर्ष के बारे में आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री लालजी वर्मा–

मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि जिस वर्ष चक्रवात व ओलावृष्टि के कारण किसानों की सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त हो गई क्या उस वर्ष की समस्त राजस्व वसूली को सरकार माफ करेगी ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सहायता राशि बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर विचार करेंगे क्योंकि जो सहायता दी जा रही है, जो क्षति हुई है, उसके अनुसार नाम मात्र को है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले स्वयं यह कह दिया था कि राज्य स्तर से जो सहायता या सहयोग दिया जा सकता था वह दिया जा चुका है । हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो मानक बने हुए हैं वह कम हैं और इसलिए हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हमको लगभग 242 करोड़ की आर्थिक सहायता मिल जाय । जैसे ही सहायता मिल जायेगी हम जो ओला वृष्टि से और चक्रवात से प्रभावित लोग हैं उनको धनराशि उपलब्ध करा देंगे और हम इस हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिलने की ।

(श्री राम नरेश यादव का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, राजस्व वसूली माफ कराने के सम्बन्ध में मेरा उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री राम नरेश यादव जी का नाम पुकार लिया है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हम केन्द्र सरकार से 242 करोड़ की आर्थिक सहायता मांग रहे हैं और जब यह सहायता मिल जायेगी तब हम कुछ कर सकते हैं । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो दिसम्बर को चक्रवात आया और ओलावृष्टि हुई, हमने 3-12-97 को पत्र भेजा जिसमें यह लिखा कि पांच अरब रुपये का नुकसान हुआ है और उसके बाद हम 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी से मिले और यह मांग की कि एक टीम केन्द्र की सर्वेक्षण हेतु भेजी जाय और वह टीम यहां पर आयी और उसने सर्वेक्षण भी किया । हमने उनसे पांच अरब रुपये की व्यवस्था के लिए कहा । केन्द्र सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी यह तो अपनी जगह पर है ? लेकिन हमें नहीं लगता है कि यह प्रदेश सरकार इन किसानों के प्रति चिन्तित है । वहां पर किसान पांच लाख, दस लाख रुपये की फसल करता था, आज वहां पर बाग के बाग साफ हो गये हैं । जब तक केन्द्र से सहायता नहीं आती है तब तक प्रदेश सरकार अपने स्तर से कोई व्यवस्था करेगी और जिन लोगों की क्षति हुई है तो क्या वह अपने खजाने से उसकी क्षतिपूर्ति करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैंने बड़े विस्तार से प्रश्न का उत्तर दे दिया है । लौट-लौट कर फिर वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं । हर प्रश्न का मेरा वही उत्तर समझा जाय ।

श्री राम जग–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने राहत कार्य के संबंध में अपनी बात रखी.... लगातार वर्षा हुई है और ओले गिरे हैं, चक्रवात से वर्षा हुई है, जिसके कारण किसानों की फसल नष्ट हो गयी है ....

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम जग जी, आप अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । पानी बरसने से किसान अपनी गेहूं की बुआई नहीं कर पाया, उसको उर्वरक नहीं मिल पायी, किसानों की फसल चौपट हो गयी और वह परेशान हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी पीड़ित किसानों के राजस्व की वसूली रोकने की कृपा करेंगे, छात्रों की फीस माफ करने की कृपा करेंगे कि और उनको सहायता देने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनको राहत के लिये जो कुछ करना था वह किया, 242 करोड़ रुपया केन्द्र से मांगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना धन निर्गत किया है, इसको माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया है । वह गोलमाल उत्तर दे रहे हैं, तो इस विषय पर अपने आप बताने का कष्ट करें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना धन दिया है, दूसरी चीज यह है कि जहां पर ओला वृष्टि या अन्य दैवी आपदाओं से नुकसान हुआ है वहां पर तत्काल राजस्व की वसूली

माफ की जाये और छोटे-छोटे किसानों का जो वसूली के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, वह बन्द किया जाये। इस पर रोक लगायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, केन्द्र की जो सहायता मिली है, उसको तो आपने बता दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुई है, इसको नहीं बताया है और वसूली स्थगित करने के बारे में क्या किया गया है, यह बता दें ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो क्षति हुई है, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें धनराशि बहुत कम होती है, भारत सरकार से नियम बना हुआ है, उसी के अनुसार सहायता दी जाती है, लेकिन बार-बार इस प्रश्न को दोहराया जा रहा है। मैं मानता हूं कि जो धनराशि दी जाती है वह कम है, लेकिन...

श्री अध्यक्ष–

आप केवल इतना बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गयी है ? अगर आपके पास आंकड़े हों, तो बता दें ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सरकार किसान विरोधी है और इस कारण हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रश्न के संदर्भ में व्यवस्था उठाने की कोई परम्परा नहीं रही है और मैं उस परम्परा को प्रारम्भ नहीं कर रहा हूं। प्रश्न जो है वह आपके सामने है। नत्थी (ख) में यह जो प्रश्न छपा है वह स्पष्ट है कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जनपदों के विभिन्न अंचलों में चक्रवात एवं ओलावृष्टि...तो मान्यवर, विभिन्न जनपदों के विभिन्न अंचलों के संबंध में प्रश्न है। उनके पत्र का जवाब उन्होंने क्या दिया वह अलग बात है। मेरा निवेदन है कि यहां पर जो प्रश्न किये जायं उनका उत्तर देने के बारे में सरकार और संबंधित मंत्री गम्भीरता से उत्तर दें। आज मंत्री जी के सामने जो प्रश्न उपस्थित हुये उनका उत्तर नहीं आ रहा है। प्रश्न प्रदेश के बारे में पूछा गया है न कि आजमगढ़ के बारे में। मेरा प्रश्न है कि जिन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है या क्षति हुई है वहां के छात्रों की फीस माफ करने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात वहां राजस्व वसूली स्थगित की जायेगी। तीसरी बात जो वहां पर राहत दी गयी है वह कितनी राहत दी गयी है ? इन सारे प्रश्नों को उत्तर दे दें।

(शोर)

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 25 करोड़ 73 लाख, 84 हजार, 656 रुपया ओलावृष्टि होने पर सहायता के रूप में वितरित किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

फीस माफी और राजस्व वसूली के बारे में बता दें ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मैंने कहा कि 23 दिसम्बर, 97 को मुख्य मंत्री जी की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि जो क्षेत्र प्रभावित हैं वहां पर वसूली अगली फसल तक स्थगित कर दी गयी है। भू-राजस्व, तकावी बीज भंडारों के देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है। फीस इसके अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम जानते हैं कि आप फीस माफ नहीं करेंगे लेकिन आप सदन में इसको स्वीकार कीजिये ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा है ।

श्री राम जग–

प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी लोगों को अनुमति दी जाय । मैंने राम प्यारे जी का नाम बुलाया है ।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, ओलावृष्टि और चक्रवात से जो क्षति हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति अभी तक किसानों को नहीं मिली है । आज की तारीख...

(कई सदस्यो के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न दो या तीन होते हैं । अब और ज्यादा नहीं । व्यवधान के कारण राम प्यारे जी की आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है । आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पीड़ितों को कुछ अनुदान दिया है ? क्या सही है क्या गलत है । कहते हैं कि दिया है लेकिन मान्यवर, आज की तारीख में आप वहां जाकर देखें पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिली है । मेरा आपसे निवेदन है कि एक कमेटी का गठन कर लिया जाय जिसमें सारे दलों के सदस्य हों । आप जांच करवा लें । जो अनुदान बांटा गया है वह सारे का सारा पक्षपातपूर्ण तरीके से बांटा गया है इसीलिये मेरा निवेदन है कि क्या माननीय मंत्री जी एक सर्वदलीय समिति का गठन करके जांच करवायेंगे ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी केवल इतनी सी बात का उत्तर दे दें कि क्या आप किसी सर्वदलीय समिति का गठन करेंगे ।

(कई सदस्यो के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं आया और आप खड़े हो गये ।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, यह जो बार-बार प्रश्न किया जा रहा है कि किसानों को राहत नहीं दी गई । मान्यवर, यह सरकार किसानों के प्रति बहुत सम्वेदनशील है और माननीय विधायक जी मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वह आजमगढ़ में मौजूद थे वहां पर बात हुई की आपके सामने जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये थे कि अनुदान राशि वितरित की जाय । इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है । किसान-किसान है । कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के प्रश्न]

अतारांकित प्रश्न

जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां की ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितताओं के संबंध में शिकायती पत्र पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

1–श्री भारत सिंह रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां की ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 26-4-97 को जिलाधिकारी, देहरादून को दिया गया है ? यदि हां, तो शिकायत पर बिन्दुवार कार्यवाही कब-कब करायी गयी और कौन-कौन दोषी पाये गये ? दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) पंचायती राज (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी हां ।

शिकायती पत्र में मुख्य रूप में उल्लिखित 4 शिकायतों के बारे में स्थिति निम्नवत् है :–

(1) भूमि प्रबन्ध समिति के अभिलेखों के चार्ज के हस्तान्तरण की अद्यतन स्थिति और तत्कालीन प्रधान श्री शिव नन्दन शर्मा व लेखपाल श्री बलदेव सिंह राणा के विरुद्ध दायर वाद और लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुई अद्यतन प्रगति की सूचना नहीं दी गयी है ।

ग्राम सभा अजबपुर कलां का सम्पत्ति रजिस्टर के अतिरिक्त अन्य कोई रजिस्टर चार्ज में नहीं दिया गया । वर्तमान समय में लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि इस भूमि प्रबन्धक समिति के रजिस्टर तैयार कर दिये गये हैं जो क्षेत्र लेखपाल के पास उपलब्ध हैं । श्री शिवनन्दन शर्मा व श्री बलदेव सिंह राणा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में कराई गई थी जिसमें श्री शर्मा द्वारा मा० सी०जे०एम०, देहरादून के न्यायालय से जमानत करा ली गई है तथा श्री राणा द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिये गये हैं । वाद न्यायालय में विचाराधीन है । वर्तमान समय में श्री शर्मा के पुत्र श्री उमेश शर्मा इलेक्शन पीटीशन से वाद जीतकर ग्राम सभा, अजबपुर कलां के प्रधान पद पर पदासीन हैं ।

(2) वर्ष 1993-94 की पत्रावली तलाश कर पट्टों की वैधता के सम्बन्ध में की गई जांच की अद्यतन प्रगति से अवगत नहीं कराया गया है ।

वर्ष 1993-94 की आबादी आवंटन सम्बन्धी 447 पट्टादारों की पत्रावली खोजबीन के उपरान्त उपलब्ध नहीं हुई । इस सम्बन्ध में जांच कराई गयी व न्यायालय में पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी परन्तु मूल पत्रावली उपलब्ध न होने पर इनको पट्टेदार नहीं माना गया और इनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही के आदेश निर्गत किये गये जिसके फलस्वरूप धारा 122 बी०, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश नियम 115 सी० के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई गई ।

(3) अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए की गयी कार्यवाही द्वारा अतिक्रमण के कितने मामले प्रकाश में आये हैं । इनमें से कितने प्रकरण लम्बित थे व कितने प्रकरण में अवैध कब्जे हटाये गये अथवा निरस्तारण किया गया । अद्यतन स्थिति की सूचना नहीं दी गयी ।

इस शिकायत के सम्बन्ध में सर्वेक्षण दल नियुक्त किया गया । लेखपाल द्वारा कराया गया कि अतिक्रमण के निरीक्षण के दौरान 552 मामले प्रकाश में आये, जिनमें से 383 मामले ऐसे पाये गये जिनमें अतिक्रमण कारियों द्वारा स्थल पर या तो बुनियादें डाल रखी थीं या तारबाड़ से घेराबन्दी कर रखी थी । इनके नाम व पता निरीक्षक दल को नहीं मिल सके, क्योंकि यह सभी अतिक्रमणकारी ग्राम सभा

के बाहरी व्यक्ति हैं । इनके नाम व पता आस-पास के व्यक्तियों को भी पता नहीं है । 169 मामलों में से 102 मामलों के विरुद्ध 115सी० के अन्तर्गत वाद दायर किये गये जो न्यायालय में विचाराधीन हैं । शेष के सम्बन्ध में निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण प्रारम्भ नहीं की जा सकी । निर्वाचन वाद बेदखली की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जायगी ।

(4) वर्ष 1994 के 447 पट्टेदारों के विरुद्ध की गयी अद्यतन कार्यवाही तथा इस सम्बन्ध में मा० सिविल न्यायालय के दिनांक 9-7-97 के स्थगन को निष्प्रभावी कराये जाने की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना नहीं दी है ।

जहां तक वर्ष 1994 के 447 पट्टेदारों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है उक्त प्रश्न संख्या–3 में पूर्ण जानकारी दी जा चुकी है वर्ष 1994 के 447 आवंटियों को आवंटी नहीं माना गया है और न ही इन आवंटियों को किसी विवरण में दर्शाया गया है, क्योंकि यह पत्रावली अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई । दिनांक 9-7-97 में श्रीमती आशा देवी तथा श्रीमती अम्बिका देवी द्वारा मा० सिविल न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था । इस सम्बन्ध में स्थगन आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ (अब महामायानगर) की तहसील सिकन्दराराऊ की ग्राम सभाओं में कृषि योग्य भूमि के आवंटन में अनियमितता

2–यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में ग्राम सभाओं की कितनी आवंटन योग्य जमीन रिक्त है ? इस आवंटन योग्य जमीन में से मार्च, 1996 से अब तक कितनी जमीन का आवंटन विधिवत् प्रक्रिया के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को किया गया है ? उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ द्वारा दिनांक 29-3-97 को एक ही दिन में कितने पट्टे स्वीकृत किये गये हैं ? क्या उप जिलाधिकारी ने यह नियम विरुद्ध कार्य किया है ? यदि हां, तो उप जिलाधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद अलीगढ़ (अब महामायानगर) की तहसील सिकन्दराराऊ की ग्राम सभाओं में 954.834 हेक्टेयर भूमि कृषि आवंटन योग्य रिक्त थी ।

कुल भूमि में से मार्च, 1996 से दिनांक 31-7-97 तक विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत 1611 व्यक्तियों को 703.219 हे० भूमि का आवंटन तत्कालीन उप जिलाधिकारियों द्वारा किया गया है ।

उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ द्वारा दिनांक 29-3-97 को कोई पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया । समस्त 1611 में से प्राप्त शिकायत के आधार पर 329 व्यक्तियों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198(4) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । चूंकि अनियमितता के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, इसलिये इस स्तर पर उप जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव आदि निवासी ग्राम बहरामपुर तहसील आलापुर (रामनगर) जिला अम्बेडकर नगर को मकान बनाने से रोकने का आरोप

3–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम चन्द्र श्रीवास्तव आदि पुत्रगण स्व० श्री महादेव प्रसाद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी निवासी ग्राम बहरामपुर तहसील आलापुर (रामनगर) जिला अम्बेडकर नगर का प्रार्थना-पत्र जोकि ग्राम प्रधान बहरामपुर एवं वर्तमान परगनाधिकारी अम्बेडकर नगर द्वारा उनके नाम खसरा खतौनी में दर्ज आबादी संख्या 120 बिन्दु (घ) पर मकान न बनने देने के संबंध में है,

जून-जुलाई, 97 में आयुक्त, फैजाबाद मण्डल और जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र की जांच करायी गयी, जिससे विदित हुआ कि श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव आदि को मकान बनाने से रोका नहीं गया । इसलिए प्रधान व वर्तमान परगनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं बनता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जिला पंचायत के विकास भवन में आग लगने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति

4–श्री भारत सिंह रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के जिला पंचायत के विकास भवन में आग लगने से कितनी क्षति हुई है ? इस क्षतिपूर्ति के लिए शासन क्या कोई व्यवस्था कर रहा है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति कब तक पूरी की जायेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विकास भवन में आग लगने से रु० 103.60 लाख (एक करोड़ तीन लाख साठ हजार रुपये) की क्षति अनुमानित है ।

सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 1662/33-3-2पी/97 दिनांक 31-3-97 द्वारा रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख) जिला पंचायत पौड़ी को जीर्णोद्धार हेतु आवंटित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में भूमि संरक्षण इकाइयों को स्वीकृत धनराशि एवं कराये गये कार्य की जानकारी

5–डा० वकार अहमद शाह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण योजनान्तर्गत जनपद बहाइच में कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं ? इन्हें वर्ष 95-96, 96-97 एवं 97-98 में कौन-कौन से मद में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक भूमि संरक्षण इकाई, नानपारा द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं और इसका सत्यापन कब-कब तथा किस श्रेणी के अधिकारी से कराया गया है ? क्या इस विभाग को कार्य देने के लिए कोई मापदण्ड है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

वर्तमान में जनपद–बहाइच में दो इकाईयां क्रमशः भूमि संरक्षण इकाई, बहराइच एवं भूमि संरक्षण इकाई, नानपारा कार्यरत हैं ।

उक्त उल्लिखित दोनों इकाईयों को वर्ष 95-96, 96-97 व 97-98 (दिसम्बर, 97 तक) आवंटित धनराशि का मदवार विवरण संलग्न–1 पर अवलोकनीय है ।

इस सम्बन्ध में बेसिक क्रिया-कलाप कृषि भूमि/अकृष्य भूमि का उपचार, गृह उत्पादन प्रणाली, गृह वाटिका/रसोई वाटिका, पशुपालन/चारा उत्पादन, समोच्य रेखीय बांध, अवरोध बांध, जलाशय निर्माण, जल संचय संबंधी आदि कार्य कराये गये हैं । इन कार्यों का सत्यापन श्रेणी एक एवं दो के अधिकारियों द्वारा किया गया, इसका विस्तृत विवरण मा० मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध है । मा० सदस्य जिसका किसी भी कार्य दिवस में अवलोकन कर सकते हैं ।

जी हां ।

जल समेट क्षेत्रों की प्राथमिकता एवं औचित्यतता तथा उपादेयता के आधार पर चयन कर जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति तथा भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त यथा स्थिति धन उपलब्ध होने पर भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम–1963 की धाराओं एवं उप धाराओं के अधीन परियोजनाओं में नियमित कार्य कराया जाना ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 136 पर)

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील–टाण्डा ग्राम व पोस्ट–तरौली मुबारकपुर में बंजर भूमि को भूमिहीनों में पट्टा करके कब्जा दिलाने की मांग

6–श्री श्याम प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट–तरौली मुबारकपुर, परगना–बिड़हर, तहसील–टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर में बंजर/बचत की कितनी भूमि है ? उक्त भूमि को किन-किन भूमिहीनों को जिलाधिकारी स्तर से पट्टा करके उस पर कब्जा दिला दिया गया है ? क्या शासनादेश संख्या–1102/1-2-97-रा–2, दिनांक 19-5-97 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

ग्राम व पोस्ट तरौली मुबारकपुर में बंजर की 4-11-0 व बचत की 0-0-16 भूमि शेष है ।

उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं है । अतः उसका आवंटन नहीं किया गया है ।

भूमि आवंटन योग्य न होने के कारण इसका आवंटन सम्भव नहीं है ।

तहसील टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर के ग्राम–तरौली मुबारकपुर के गाटा संख्या 338 के विवादित होने का आरोप एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

7–श्री श्याम प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट तरौली मुबारकपुर, थाना–हसवर, परगना बिड़हर, तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर की विवादित भूमि संख्या 338 के संबंध में मृतका श्रीमती इमिरता देवी के पुत्र जवाहर लाल का पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1997 गृह (पुलिस अनुभाग–14 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उप जिलाधिकारी, टाण्डा शासनादेश संख्या–1102/1-2-97-रा–2, दिनांक 19-5-97 तथा शासनादेश संख्या–1060/एक–1-12-10200/96 राजस्व–1, दिनांक 13-9-96 का अनुपालन न करने के संबंध में दोषी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां । उक्त पत्र शासन के गृह विभाग में प्राप्त हुआ था, जिसे गृह विभाग के पत्र संख्या–3395/छः–पु–14-97-60(4)/97 दिनांक 6-9-97 द्वारा जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को जांच हेतु भेज दिया गया था । जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर से प्राप्त हुई सूचनानुसार तहसील टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर के ग्राम तरौली मुबारकपुर के गाटा संख्या–330 में 0-2-9 क्षेत्रफल पर उ०प्र० जमीं० विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122 (बी) (4–एफ) के अन्तर्गत मृतका इमिरता देवी के पति श्री बिरजू पुत्र रधई, को उप जिलाधिकारी टाण्डा के आदेश दिनांक 17-6-1997 के द्वारा असंक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जा चुका है और प्रश्नगत भूमि संख्या 330 मिलजुमला/

0-2-8 पर मृतका श्रीमती इमिरना देवी के पति श्री बिरजू पुत्र रधई जो असंक्रमणीय भूमिधर घोषित हो चुके हैं का ही कब्जा होने के कारण शासनादेश संख्या-1102/1-2-97-रा०-2 दिनांक 19-5-97 या शासनादेश सं०-1060/एक-1-12-1(29)/96-राजस्व-1 दिनांक 13-9-96 के अधीन कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान बलीपुर खुदेवा द्वारा उप जिलाधिकारी गौरीगंज को दिये गये पत्र द्वारा अवैध कब्जा हटाने की मांग

8-श्री तेजभान सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्र० संख्या-20 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित गाटा संख्या सुरक्षित भूमि है ? यदि हां, तो क्या इस पर किसी ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध कब्जे को हटवाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)-

जी हां । उक्त गाटा मस्जिद हेतु सुरक्षित है ।

जी हां । श्री मोहम्मद पुत्र फूलबाज, निवासी ग्राम बलीपुर खुर्दवा, परगना-अमेठी, तहसील-गौरीगंज, सुल्तानपुर ने उक्त भूमि पर अवैध कब्जा किया था ।

जी हां ।

दिनांक 25-11-1997 को बेदखली आदेश पारित है ।

श्री छेदी लाल कहार, पुत्र श्री केदार जनपद हरदोई , तहसील सण्डीला द्वारा मत्स्य पालन हेतु तालाब के पट्टे के नवीनीकरण की मांग

9-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा श्री छेदी लाल कहार, पुत्र श्री केदार ग्रा०-बहुती खुर्द, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस शिकायती-पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि मत्स्य पालन हेतु तालाब के पट्टे के नवीनीकरण के संबंध में क्या परगनाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पट्टा का नवीनीकरण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)-

जी हां ।

प्रार्थना पत्र बलहीन पाया गया । प्रार्थी के पक्ष में कोई पट्टा या नीलामी वर्ष 1986-87 में नहीं पाई गई । जिसके कारण नवीनीकरण की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम कुम्भीखाल (सिगड्डी), कोटद्वार भावर जिला पौड़ी गढ़वाल में बसे भूमिहीन निवासियों को शासन द्वारा भूमि आवंटन की मांग

10-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-कुम्भीखाल (सिगड्डी), कोटद्वार भावर, जिला पौड़ी गढ़वाल में लगभग 100 वर्ष पूर्व से बसे भूमिहीन निवासियों को अभी तक शासन की नीति के अनुसार भूमि प्रदिष्ट नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त जनपद के ही ग्राम-झण्डी चौड़ हल्दूखाल तथा कोटद्वार भावर में 50 वर्ष पूर्व से बसे भूमिहीन निवासियों को शासन द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों किया गया है ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

ग्राम कुम्भीखाल (सिगड्डी) राजस्व ग्राम नहीं है । यह स्थान आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत है । यहां पर निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के पास जनपद गढ़वाल के ग्राम–जयदेवपुर, पनदेवपुर, दलीपपुर, लोक मणीपुर, भुवदेवपुर आदि ग्रामों में अपनी भूमिधरी भूमि है । यह लोग आवास स्थल विहीन/भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं । आरक्षित वन भूमि को आवंटन करने का कोई प्राविधान नहीं है । इसलिए इन्हें भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

जी हां ।

वर्ष 1965 से पूर्व ग्राम झडीचौड पूर्वी उत्तरी पश्चिमी खाम स्टेट के अन्तर्गत थी तत्कालीन खाम नियमों के अन्तर्गत कृषि आवंटन/आवास स्थल आवंटन हेतु खाम सुप्रेन्टेंडेंट को भूमि आवंटन के अधिकार प्रदत्त थे उनके द्वारा काबिज व्यक्तियों को नियमित कर भूमिधरी के अधिकार प्रदत्त किये गये । उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1965 लागू होने तथा वर्ष 1970 में कृषि/आवास स्थल आवंटन योजना लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है । इस प्रकार शासन द्वारा कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है ।

प्रदेश में संग्रह तहसीलदार को ज्येष्ठता देकर नियुक्ति संबंधी शासनादेश का अनुपालन करने एवं बिना प्रोन्नति प्राप्त सेवा निवृत कर्मचारियों के प्रति न्याय करने की मांग

11–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब संग्रह स्याहनवीस जो कलेक्ट्रेट कैडर का पद था, को कोषागार में सम्मिलित किया गया तो संग्रह तहसीलदार के पद को कोषागार में सम्मिलित न करने का औचित्य क्या है ? क्या यह सत्य है कि संग्रह तहसीलदार जो कलेक्ट्रेट कैडर का पद है के बाबत शासनादेश संख्या 45/2/79(147) राजस्व–6 दिनांक 26 मई, 1979 द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में ज्येष्ठता देकर नियुक्ति किये जाने के आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त शासनादेश जारी होने के बाद संग्रह तहसीलदार के पद से कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में बिना प्रोन्नति दिये कितने कर्मचारी एक ही ग्रेड में रहकर सेवा निवृत्त हुए ? सरकार इन कर्मचारियों के प्रति क्या न्याय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मटियरिया तहसील निचलौल, जिला महराजगंज में तालाब का पट्टा विषयक जानकारी

12–राजीव कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मटियरिया तहसील निचलौल महराजगंज में तालाब के पट्टे किसी बाहरी और अवांछित व्यक्ति को दिये जाने का विरोध प्रधान एवं ग्रामवासी काफी दिनों से कर रहे हैं ? क्या सरकार इस मामले में हो रही लापरवाही की जांच राजस्व परिषद् के अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी ग्राम सभा को हो रही क्षतिपूर्ति करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां ।

इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम सभा मटियरिया, तहसील–निचलौल, जनपद–महराजगंज में स्थित तालाब (गाटा संख्या–434च/13.62 एकड़ 446च/13.49 एकड़ 565ग/22.31 एकड़, 566ख/13.00 एकड़ जुमला 4 गाटा कुल क्षेत्रफल 62.42 एकड़) में मत्स्य पालन हेतु भूमि प्रबन्धक समिति, मटियरिया ने रु० 62,100.00 में श्री रजवन्त, पुत्र श्री गर्जन को पट्टा दिये जाने का प्रस्ताव किया था, जिसे तत्कालीन परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14-8-1991 द्वारा नीलामी धनराशि कम होने के कारण निरस्त कर दिया और भूलेख निरीक्षक की उपस्थिति में नीलामी हेतु दिनांक 23-8-1991 की तिथि नियत किया । उक्त तिथि को नीलामी की सर्वाधिक धनराशि की बोली श्री पृथ्वीनाथ पुत्र परमंस, निवासी–ग्राम–शेषपुर को रु० 80,100.00 (अस्सी हजार एक सौ रुपया मात्र) की हुई, जिसे तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 18-11-91 को स्वीकृत कर दिया गया । इससे क्षुब्ध होकर श्री रजवन्त ने उक्त कार्यवाही के विरुद्ध जिलाधिकारी महराजगंज के न्यायालय में धारा 198(4) उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भू० अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 1-11-1991 को निरस्त कर दिया गया इस पर पुनः श्री रजवन्त द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, गोरखपुर में पुनरीक्षणवाद योजित किया गया किन्तु वह भी दिनांक 3-2-93 को निरस्त कर दिया गया । इस पर श्री रजवन्त ने मुंसिफ न्यायालय में दीवानीवाद प्रस्तुत किया, जिसमें सुनवाई के उपरान्त दिनांक 15-4-1993 को न्यायालय द्वारा यह आदेश हुआ कि श्री पृथ्वीनाथ जिनके पक्ष में परगना अधिकारी द्वारा पट्टा स्वीकृत किया गया था, को मत्स्य पालन में कोई हस्तक्षेप न किया जाय । इस आदेश से क्षुब्ध होकर श्री रजवन्त द्वारा न्यायालय, अपर जिला जज, महराजगंज में अपील योजित की गई, जो दिनांक 18-9-1995 को निरस्त कर दी गई । तत्पश्चात श्री रजवन्त द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–33843/95 प्रस्तुत की गई जो मा० न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई ।

इस प्रकार यह प्रकरण याचिका प्रक्रिया से मा० न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम–बलीपुर खुर्दवा, में ग्राम समाज की जमीन पर किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाये जाने की मांग

13–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–बलीपुर खुर्दवा, परगना अमेठी, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर में स्थित गाटा सं०–90,91 व खाद गड्ढा 82 व 86, 88, 93 व 94 तथा 97 (चकरोड) ग्राम की जमीन के खाते के रूप में अंकित है ? क्या उक्त गाटों पर अनधिकृत कब्जा कर मकान तथा ट्यूबवेल बनाकर खेती आदि का काम किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को तत्काल हटवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 21-9-95 को स्थल निरीक्षण कर कब्जा हटवाने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक कब्जा न हटाने के क्या कारण है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा संख्या–98, (रकबा 0-9-0) नवीन परती (आवादी हेतु सुरक्षित) गाटा संख्या–91 (रकबा 0-0-15), खाद का गड्ढा, गाटा संख्या–82 (रकबा 0-5-0) नवीन परती, (मस्जिद हेतु सुरक्षित), गाटा संख्या–86 (रकबा 0-19-19) शीतलादीन पुत्र पांचू, निवासी–बलीपुर खुर्दवा के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में दर्ज है । इसी प्रकार गाटा संख्या–88 (रकबा 1-2-8) व गाटा संख्या–93, (रकबा 0-1-15) कृषि योग्य बंजर भूमि तथा गाटा [illegible] बा 0-1-10 नवीन परती व गाटा संख्या–99 (रकबा 0-5-0) ऊसर के रूप में अभि[illegible] संख्या–86 पर अभिलिखित खातेदार का कब्जा है । गाटा संख्या–91, 93, [illegible] पर रखकर, गाटा संख्या–88 पर

जी हां । गाटा संख्या–82 (मि०) के कुछ भाग (6 धूर) पर अवैध कब्जेदार मुहम्मद, पुत्र फूलबाज, निवासी, बलीपुर खुर्दवा के विरुद्ध बेदखली का वाद संख्या–270–"गांव सभा बनाम मोहम्मद" तहसील, गौरीगंज के न्यायालय में दायर हुआ जिसमें दिनांक 25-11-97 को बेदखली का आदेश पारित हुआ है । गाटा संख्या–88 व 90 के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद के अर्न्तगत स्थलीय निरीक्षण किया गया था । वाद तहसीलदार, गौरीगंज के न्यायालय में विचराधीन है ।

नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर एवं बलरामपुर में स्थित तहसील उतरौला डुमरियागंज में भूमि सीमा विवाद का निस्तारण किये जाने की मांग

14–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा बहराइच यूनिट के माध्यम से जनपद सिद्धार्थनगर, जनपद बस्ती, बलरामपुर की तहसील उतरौला, डुमरियागंज में भूमि सीमा विवाद का निस्तारण शासन के निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध किये गये विषयक पत्र संख्या एम–4/88-9/गोण्डा 197 दिनांक 27-9-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक शासन द्वारा जनहित में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या शासन ने सीमा विवाद निस्तारण का आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन जनपद स्तर पर किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी नहीं ।

जनपद गाजीपुर में जमानिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय गांवों का गंगा नदी द्वारा कटान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा व्यवस्था किये जाने की मांग

15–श्री कैलाश यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जमानिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत वर्ष में गंगा की कटान से बड़ेसर, कसेरा सरायमुहम्मद (सरैया) जनपद गाजीपुर में आधे से अधिक गांव गंगा नदी में विलीन हो गये हैं, जिसकी सूचना जिला प्रशासन द्वारा सरकार को भेजी जा चुकी है ? सरकार द्वारा क्या कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद गाजीपुर की तहसील जमानिया से सम्बोधित ग्राम बड़ेसर में गंगा नदी की कटान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रफल 12-272 हेक्टेयर है । इस कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा बल्ली व पत्थर की चट्टानों का बन्धा बनाकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है । कृषक विलीन हुए खातेदारों के नम्बरान भू–राजस्व से अवमुक्त हैं । इस ग्राम का कुल क्षेत्रफल 192 हेक्टे० हैं । कटान से प्रभावित क्षेत्रफल 12-272 हेक्टे० है, जो सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत है तथा आबादी का क्षेत्र कटान से प्रभावित नहीं है । तहसील गाजीपुर के दो गांव कसेरा और सराय मुहम्मद गंगा की कटान से प्रभावित हुए हैं, जिसमें ग्राम कसेरा गैर आबाद है तथा ग्राम सराय मुहम्मद का जो भाग गंगा की कटान से प्रभावित हुआ है, वह आबादी विहीन है । ग्राम सराय मुहम्मद का आबादीवाला भाग अभी कटान से प्रभावित नहीं है, वह सुरक्षित है ।

धारचूला, मुन्स्यारी डीडीहाट और बेरीनाग तहसीलों को मिलाकर डीडीहाट जिला बनाने की मांग

16–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धारचूला, मुन्स्यारी डीडीहाट और बेरीनाग तहसीलों को मिलाकर डीडीहाट जिला बनाने के बारे में शासन स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन है ? क्या शासन जिला बनाने हेतु कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक जिला बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण में राजस्व परिषद् स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति की आख्या/संस्तुति प्रतीक्षित है ।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत गौरीगंज में कार्यरत अध्यक्ष, संग्रह अमीन संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

17–श्री तेज भान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र, अध्यक्ष संग्रह अमीन संघ गौरीगंज सुल्तानपुर का ज्ञापन दिनांक 24-10-96 जो समान वेतन आदि कई विसंगतियों के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम मुकेरीपुर में बंजर भूमि खा० सं० 78 (ख) पूर्वी भाग 2/2 को पूर्ववत् यथा स्थान व यथा दिशा में बनाये रखने की मांग

18–डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम मुकेरीपुर की बंजर भूमि खा० सं०–78(ख) पूर्वी भाग 2/2 को पूर्ववत् यथा स्थान व यथा दिशा में बने रहने के लिए उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 6-5-94 को शीघ्र निरस्त करने के लिए मा० मुख्य मंत्री द्वारा मा० राजस्व मंत्री को और राजस्व मंत्री द्वारा सचिव, राजस्व को उप जिलाधिकारी, अकबरपुर के उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए स्पष्ट रूप से लिखित आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश का अनुपालन करते हुए क्या उप जिलाधिकारी, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर के आदेश दिनांक 6-5-94 को निरस्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को सम्बोधित शासन का अर्ध शासकीय पत्र संख्या–2225(1)/1-2-97–(18)/97, दिनांक 21-10-97 प्राप्त हुआ ।

यह प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत परगनाधिकारी, अकबरपुर के न्यायालय में वाद संख्या–37/41–वर्ष 1993-94, अन्तर्गत धारा–176 उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

जनपद बहराइच एवं लखीमपुर की विवादित भूमि पर सीमांकन कराकर पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के संबंध में कार्यवाही

19–श्री जटा शंकर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के पहले शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारा० प्र० सं०–4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया (रिकार्ड आपरेशन) का नोटीफिकेशन जारी किया गया ? क्या यह सही है कि रिकार्ड आपरेशन कार्यवाही पूरी होने तक डी० एम० बहराइच एवं लखीमपुर द्वारा विवादित भूमि का पट्टा बनाने एवं कब्जा दिलाने की समस्त कार्यवाहियां रोक दी गयी थीं ? यदि हां, तो क्या नोटीफिकेशन के उपरान्त

सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है ? यदि नही, तो क्या डी० एम० लखीमपुर खीरी द्वारा पट्टा देकर कब्जा दिलाने हेतु दिनांक 19, 21 व 26-6-97 को पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए कब्जे की कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

रिकार्ड आपरेशन हेतु लिए गये ग्रामों में भूमि के पट्टे बनाने एवं कब्जा दिलाने की कार्यवाहियां रिकार्ड आपरेशन समाप्त होने तक स्वतः रुक गयी थीं ।

सर्वेक्षण अभिलेख क्रिया में जनपद बहराइच के लिए गये 70 ग्रामों में से 69 ग्रामों के सीमा विवाद का निस्तारण कर सीमा निर्धारण का कार्य सहायक अभिलेख अधिकारी, बहराइच के स्तर से सन् 1996 तक पूर्ण कर लिया गया है । केवल एक ग्राम दौलतपुर परगना व तहसील नानपारा में अभी सीमा विवाद के निस्तारण की कार्यवाही चल रही है । इसी प्रकार जनपद खीरी के 13 ग्रामों में से 8 ग्रामों का सीमांकन कार्य समाप्त होने के उपरान्त डिनोटीफिकेशन हो गया है । 5 ग्रामों का भी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें समाप्त कर डिनोटीफिकेशन प्रस्ताव दिनांक 31-3-96 को राजस्व परिषद् को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह तथा वयोवृद्ध साम्यवादी नेता श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी का.....

*कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ ''मणी''–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जो निधन का निर्देश बोल रहे हैं । मेरा आग्रह यह है कि बंगाल और उड़ीसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गये हैं इस पर एक प्रस्ताव बनाकर.....

श्री अध्यक्ष–

जब यह हो जायेगा तो उसके बाद जो चक्रवात आया है और उससे कई लोगों की मृत्यु हुई है उस सम्बन्ध में छोटा सा प्रस्ताव करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 174 के अन्तर्गत आ सकता है । कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष–

सर्व सम्मति है । कोई कठिनाई नहीं है । पहले यह दो निधन के निर्देश हो जायें उसके बाद करेंगे ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी अपने बीच में नहीं रहे हैं। यह बहुत ही दुःखद प्रसंग है। उनका निधन 23 मार्च, 1998 को हो गया। उनका जन्म 27 अप्रैल, 1934 को हुआ था। श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी 1985 और 1989 में इस सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये। सदन में उनका भारी योगदान रहा। यह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र थे। यह किसान, गरीब और मजदूरों के हित की लड़ाई सदन में लड़ते रहे। उनके निधन से जौनपुर की जनता ने कुशल राजनीतिज्ञ, निश्छल समाजसेवी खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी और पूरे सदन की संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, देश के वयोवृद्ध साम्यवादी नेता माननीय ई० एम० एस० नम्बुदिरिपाद का निधन हो गया। इनका निधन 19 मार्च, 1998 को तिरुअन्तपुरम् में हुआ था। यह लगभग 89 वर्ष के थे। 89 वर्ष की आयु में यह इस दुनिया से उठ गये। इनका जन्म 14 जून, 1909 को दक्षिणी मालाबार (केरल) के वाल्लवानन्द तालकु के इलामकुलम गांव में हुआ था। सब जानते हैं इन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में खुलकर हिस्सा लिया कांग्रेस में कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। 1936 में कम्युनिस्ट आन्दोलन से जुड़े रहे। यह अपने विचारों और सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध थे। इन्होंने गरीबों की लड़ाई सदैव लड़ी। बेसहारों की लड़ाई सदैव लड़ी। किसानों और मजदूरों का हित इनके लिए सर्वोपरि था। वह केरल के दो बार मुख्य मंत्री रहे। 1941 में कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति में चुने गये। देश के वामपंथी आन्दोलन में उनकी बहुत अग्रणी भूमिका रही है। माननीय ई० एम० एस० नम्बुदिरिपाद के निधन से हमने एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक कुशल समाजसेवी तथा स्वतन्त्रता संग्राम के महान सेनानी को खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे। उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गहरे दुःख को सहन करने की क्षमता और धैर्य दे। उनके शोक-संतप्त पविार तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी हमसे हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गये। इस सम्बन्ध में हमारे नेता सदन ने जो भाव व्यक्त किये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए आगे यह कहना चाहता हूं कि वह एक समाजसेवी और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। सदन में वह दो बार निर्वाचित होकर आये और क्षेत्र, समाज और प्रदेश की समस्याओं को रखा। जनता से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाया, जनता को राहत पहुंचाने का काम उन्होंने किया और समाज को एक नई दिशा उन्होंने दी। उनका स्थान लेने के लिए बहुत से लोग आगे आये लेकिन यह भी सही है कि हर व्यक्ति इस धरा पर जो आता है वह एक अलग से प्रतिभा लेकर आता है और उस प्रतिभा की पूर्ति असम्भव हो जाया करती है। श्रीमन्, मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से और सदन की ओर से आप से निवेदन करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार तक शोक-संवेदना आप पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, इसी कड़ी में स्वतन्त्रता संग्राम के महारथी, समाजवादी और साम्यवाद के विचारक मा० ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद, जो लगभग 89 वर्ष के थे, वह हमसे 19-3-98 को विदा हो गये। उनकी सेवायें इस देश और केरल प्रदेश के लिए अभूतपूर्व रही हैं। दो बार वह केरल के मुख्य मंत्री पद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर रहते हुए केरल प्रदेश की तरक्की के लिए सतत् प्रयास किया और उनके समय में केरल शिक्षा और समृद्धि में आगे बढ़ा । इसलिए उनको हमेशा-हमेशा याद किया गया और अब उनके मरने के बाद और भी अधिक आदर की दृष्टि से केरलवासी ही नहीं, सम्पूर्ण देश के लोग उनको याद करेंगे । दुनिया में पोलित कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में उन्होंने जो सन्देश दिया और निर्णय लिया इससे वह दुनिया में जाने जाते रहेंगे । श्रीमन्, अब वह हमारे बीच में नहीं हैं किन्तु उनकी विचारधारा जो है उससे हम सभी लोग लाभान्वित होते रहेंगे और उनके प्रकाश से प्रकाशित होते रहेंगे । हम इतना ही कर सकते हैं कि हम उनके परिवार के दुःख में सम्मिलित हों और इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी और हमारे दल तथा सम्पूर्ण विपक्ष की एवं सदन की संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की आप कृपा करें ।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को नेता सदन एवं मा० नेता विरोधी दल से अपने को सम्बद्ध करते हुए श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जो जौनपुर के एक अच्छे सामाजिक और राजनीतिज्ञ नेता थे जो 1985 में लोकदल से चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में किसानों के आन्दोलन में हिस्सा लेते हुए इस सदन में पहुंचे थे और 1989 में पुनः जनता दल से चुनकर इस सदन में आये थे ।

(समय 12 बजकर 05 मिनट)

जौनपुर में उनकी सामाजिक और राजनैतिक सेवायें अविष्मरणीय हैं । लेकिन मृत्यु के क्रूर हाथों ने उनको हमारे बीच से उठा लिया । उनकी मृत्यु 23-3-98 को हुई । उनके निधन पर हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं एवं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । कृपया हमारी तरफ से एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त विधायकों की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार तक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें । इसी कड़ी में देश के एक क्रान्तिकारी, जुझारू नेता, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक आन्दोलन के जुझारू नायक श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद जी जो केरल के रहने वाले थे और केरल में दो बार मुख्य मंत्री रहे वह साथ ही साथ बहुत बड़े स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे उन्होंने अपनी राजनैतिक शुरुआत कांग्रेस से प्रारम्भ करके, कांग्रेस सोशलिस्ट और उसके बाद कम्युनिस्ट मूवमेंट को चलाने का काम किया । उन्होंने केरल में ही नहीं बल्कि समूचे भारत देश में जो कम्युनिस्ट आन्दोलन को चलाने का कार्य किया है । आज भी उनके महान कार्य अविष्मरणीय हैं । अब वह हमारे बीच में नहीं हैं । मैं इस महान नेता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी पार्टी के समस्त सम्मानित सदस्यों की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं । निवेदन है कि हमारी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, राय लक्ष्मी नारायण जी के संबंध में जो इस सदन के नेता ने, प्रतिपक्ष के नेता एवं अन्य नेताओं ने शोकोद्गार प्रकट किये हैं मैं और मेरा दल भी उनसे अपने को जोड़ता है । राय साहब मेरे साथ में विधायक रहे और जिस तरह से उनका नेतृत्व, उनका अनुभव, उनका त्याग हमें और हमारे साथियों को मिला उसे भुलाया नहीं जा सकता । वह एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के बेटे थे और महान राष्ट्र भक्त और देश भक्त थे । किसानों के प्रति, विशेषकर गन्ना किसानों के प्रति मजलूमों के प्रति उनका लगाव था एवं उनकी समस्याओं को यहां उजागर करते थे, उनके लिए आन्दोलन करते थे और उनका समाधान कराने का प्रयास करते थे । आज वह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन जो उनका रास्ता है, चौधरी चरण सिंह जी के जो अनुयायी उनको याद रखेंगे और उनके रास्ते पर चलते रहेंगे ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि मेरा और मेरे दल की संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

इसी कड़ी में स्वर्गीय ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद भारतीय राजनीति के ज्वालामुखी थे। अपनी आयु के 70 वर्ष तक वह भारत, विशेषकर केरल की राजनीति में छाये रहे। छात्र जीवन से ही वह आन्दोलन करते रहे। उन्होंने विद्याध्ययन छोड़कर, परिवार छोड़कर एक महान राष्ट्र भक्त की तरह, एक योद्धा की तरह संघर्ष करते रहे। केरल के दो बार मुख्य मंत्री रहे, जो वामपंथी आन्दोलन था उसको वह आगे बढ़ाते रहे। आज उनके चले जाने से विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भारी नुकसान हुआ है और वह आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया, संघर्ष व जुझारूपन का, हम उनके रास्ते पर चलते रहेंगे। सर्वहारा वर्ग के प्रति जो उनकी सहानुभूति थी, वह याद किया जाता रहेगा। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन जो उनका आदर्श है, वह हमको रास्ता दिखाता रहेगा। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि मेरा और मेरे दल की संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमर मणि)–

मान्यवर, जो शोक संवेदनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी एवं माननीय नेता जनतान्त्रिक बहुजन समाज पार्टी ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हमेशा अपने जनपद व क्षेत्र की आवाज को बुलन्द किया और क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ बनायी। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी ओर से तथा लोकतान्त्रिक कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

दूसरे ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद जी, जिनका एक लम्बा-चौड़ा राजनैतिक इतिहास रहा है। वह कम्युनिस्ट आन्दोलन के अग्रणी नेता रहे। ऐसे महान नेता जिन्होंने जब हिन्दुस्तान आजादी के दौर से गुजर रहा था, उस समय उन्होंने समाजवाद जो हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता आन्दोलन में बहुत मजबूती से अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहा था, उसको उन्होंने एक गति प्रदान की और हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र में सबसे पहले कम्युनिस्ट मुख्य मंत्री बने। उनका पूरा जीवन गरीबों, मजलूमों, कमजोर लोगों की आवाज को बुलन्द करने में लगा रहा। ऐसे युग पुरुष के प्रति मैं अपनी ओर से तथा अपने दल के सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें, उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, भूतपूर्व सदस्य श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह तथा कम्युनिस्ट नेता श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद जी के निधन के संबंध में जो शोकाद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मुझे वर्ष 1985 तथा 1989 में उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। उनकी आवाज जब भी उठी, मजदूरों के लिए उठी, गरीबों के लिए उठी और कमजोर तबकों के लिए उठी। आज वह आवाज सदा-सर्वदा के लिए बन्द हो गयी है। उन्होंने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद साम्यवादी आन्दोलन के प्रणेता थे, उन्होंने देश से गरीबी, भुखमरी और अन्याय को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था, उनके विचारों को प्रत्येक व्यक्ति मार्ग-निर्देशन की दृष्टि से देखता था । केवल केरल में ही नहीं, देश में ही नहीं अपितु विश्व में साम्यवाद का एक प्रखर वक्ता, एक प्रखर प्रणेता उनके निधन से खो दिया है मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, जो दोनों महानुभाव हमारे बीच नहीं रहे हैं, के प्रति शोकोद्गार व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी व मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी एक किसान नेता थे और श्री चौधरी चरण सिंह के आह्वान पर उन्होंने किसानों, मजदूरों की लड़ाई लड़ी । उनका दिनांक 23-3-98 को निधन हो गया । उनके निधन से प्रदेश ने एक महान समाज सेवी को खो दिया है । मैं चाहूंगा कि मेरी व मेरे दल की शोक संवेदना उनके परिवार को भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री ई०एम०एस० नंबुदिरिपाद एक कम्युनिस्ट नेता थे साथ ही एक महान आत्मा थे । वह दो बार केरल के चीफ मिनिस्टर भी रहे । उनके न रहने से देश ने एक महान स्वतंत्रता आन्दोलन के नेता को खो दिया है । मैं चाहूंगा कि मेरे व मेरे दल के विचार उनके परिवारजनों तक भेजने की कृपा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी जौनपुर के रहने वाले थे । उनका निधन विगत दिनांक 23-3-98 को हो गया । माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष व अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार उनके निधन के संबंध में व्यक्त किया हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुये यह कहना चाहता हूं कि श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य रहे । वर्ष 1985 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी द्वारा स्थापित लोकदल के टिकट पर और बाद में 1989 में जनता दल से वह पुनः इस सदन के सदस्य हुये । दो बार सदस्य के रूप में रहकर उन्होंने अपने क्षेत्र और प्रदेश के किसानों मजदूरों की समस्याओं को स्वर देने का काम किया, साथ ही समाज के सभी तबके के लोगों की समस्याओं को भी उठाया तथा अपनी पूरी ताकत से उनके समाधान की दिशा में प्रयास करने का काम किया, आज वह हमारे बीच में नहीं रहे । मेरी व मेरे दल की शोक संवेदना राय लक्ष्मी नारायण सिंह के शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री ई०एम०एस० नंबुदिरिपाद साहब के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष एवं अन्य माननीय नेताओं के द्वारा व्यक्त किये गये विचार से मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और निवेदन के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज यह सदन उस महान व्यक्ति की स्मृति और उनके व्यक्तित्व और शख्सियत के मामले में विचार कर रहा है जिसे न केवल यह मुल्क बल्कि पुरी दुनिया काफी दिनों तक याद करेगी । ई०एम०एस० नंबुदिरिपाद साहब प्रारम्भ में कांग्रेस समाजवदी दल से जुड़े और बाद में हिन्दुस्तान में साम्यवादी आन्दोलन के सूमधारों में थे । वह भारत के संदर्भों में मार्क्सवाद, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रर्वतक के रूप में प्रतिष्ठित हुए । 2 बार केरल की कम्युनिस्ट सरकार के वह मुख्यमंत्री रहे । इतिहास की एक अद्भुत घटना जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक याद की जायेगी कि केरल के उसी सर्वोच्च ब्राह्मण कुल में नम्बूदिरिपाद साहब पैदा हुए जिनके पुरखे आदि शंकराचार्य थे यह दार्शनिक क्षेत्र में परस्पर विरोधी ध्रुव बराबर याद किये जायेंगे । इतिहास की यह विडम्बना है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अद्भुत घटना है कि भारत वर्ष की धरती से वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म के समापन में और सनातन धर्म के पुनर्स्थापन में सबसे बड़ी भूमिका आदि शंकराचार्य जी की थी, जिनके वंशज नम्बुदिरिपाद साहब थे। सर्वहारा का राज और समतामूलक समाज का सपना संजोकर, सतत संघर्ष करते हुए दशकों तक नम्बूदिरिपाद ने इस देश में इसे साकार करने का काम किया है। आज नम्बुदिरिपाद साहब के निधन से न केवल केरल, न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण दुनिया में विशेष रूप से साम्यवादी आन्दोलन के क्षितिज से एक दीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए छिप गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से शोक संवेदना उनके शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री राम जग–

मान्यवर, हमारी इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जो जौनपुर के निवासी रहे हैं, हमारी इस माननीय विधान सभा में 2 बार सदस्य चुनकर आये थे। उनके बारे में पूर्वान्चल जानता है, हम सभी जानते रहे हैं। वह पहले लोकदल में थे बाद में जनता पार्टी में। उन्होंने पूरे जौनपुर और पूर्वान्चल के किसानों गरीबों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया। उनके निधन से न केवल जौनपुर, पूर्वान्चल और पूरे प्रदेश ने किसान नेता को खोया है बल्कि उनके निधन से पूरे देश में अपूर्णनीय क्षति भी हुई है। इससे मैं और मेरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विधायक, सभी दुखी हैं। मेरा अनुरोध है कि मेरी और मेरी पार्टी की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, ई०एम०एस० नम्बुदिरिपाद जो इस देश के ऐसे व्यक्ति रहे जिनको हम ही नहीं पूरा देश एक युग पुरूष और महान क्रान्तिकारी मानता रहा है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष किया और मार्क्सवादी लेनिनवाद की रक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में एक अग्रणी नेता के रूप में भूमिका अदा किया। वह कांग्रेस के अन्दर एक क्रान्तिकारी नेता के रूप में थे और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेताओं में थे। इसके बाद वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। उन्होंने केरल में ही नहीं पूरे देश में अध्यात्मवाद के खिलाफ पूंजीवादी भूमि व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने पूरे देश में वैज्ञानिक समाज की स्थापना के लिए किसानों मजदूरों को संगठित किया वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और बामपन्थी आन्दोलन के अग्रणी नेता थे। मान्यवर, उसका असर हमारे देश पर भी पड़ा। भारत की रक्षा के लिए एक राजनैतिक कर्मी के रूप में कांग्रेस नेता के रूप में वे आये उसके बाद वह जब मार्क्सवाद के सम्पर्क में आये तो उन्होंने केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मान्यवर, जब केरल में वाममोर्चा की सरकार बनी तो वह 1957 में हिन्दुस्तान की पहली वाममोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री बने। 1977 में वह केरल में दुबारा मुख्य मंत्री हुए। मान्यवर, 1977 से 1982 तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वह महासचिव भी रहे। इसके अलावा वे पोलितब्यूरों के भी सदस्य रहे। मान्यवर, उनका सपना था कि हम मुल्क की गरीबी हटायेंगे, मुल्क में प्रगति करके दिखायेंगे। मान्यवर, केरल में उन्होंने यह प्रयोग करके दिखाया भी। वहां भूमि सुधार लागू हुआ खेतिहर मजदूरों को सबसे ज्यादा मजदूरी केरल में ही मिलती है इसके अलावा शिक्षा जगत में उन्होंने बहुत कार्य किया जिसके कारण केरल हिन्दुस्तान में आज नम्बर एक का प्रदेश है जहां शिक्षा शुल्क भी माफ है उन्होंने यह करके दिखा दिया कि कैसे एक प्रदेश सरकार भूमि सुधार लागू कर सकती है भूमिहीनों के लिए कैसे भूमि की व्यवस्था कर सकती है गरीबों का कैसे घर दे सकती है केरल में वाममोर्चे की सरकार ने यह सब करके हिन्दुस्तान में एक मिसाल दी। वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रणी नेता थे उन्होंने भारत में ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी कम्युनिस्ट आन्दोलन में सक्रिय रह कर मार्क्सवादी लेनिन वादी सिद्धान्तों की रक्षा की। कहीं कोई भटकाव की बात आयी तो उन्होंने सही दिशा देने का काम किया। आज जो देश में गरीबी है, अशिक्षा है, बेकारी है और जो तमाम मुल्क की अव्यवस्था है उनका मानना था कि यह पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है। वे इसके खात्में के लिए सदैव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सक्रिय रहे । उन्होंने किसानों, गरीबों और मजदूरों के राज की बात कही वे हमारे बीच आज नहीं हैं उन्होंने पूरे मुल्क को, भारत को संदेश दिया, संघर्ष किया और मुल्क की दिक्कतों का मुकाबला हमेशा किया । मान्यवर, केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां साम्प्रदायिक भावनाऐं नहीं पनपती । मान्यवर, उनके निधन से जो हमारे देश को क्षति हुई है अन्तर्राष्ट्रीय जगत को क्षति हुई है वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती है । उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए मुल्क से गरीबी हटाने के लिए भुखमरी और बेकारी को मिटाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे के लिए हमें संकल्प विधान सभा में लेना चाहिए । इस महान नेता के निधन के लिए पूरा देश ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय जगत भी दुखी है उनके निधन से भारत में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो क्षति हुई है वह पूरी नहीं हो सकती । मान्यवर, मैं इस महान नेता के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त करते हुए आप से निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

(जनता दल राजाराम पाण्डे व समता पार्टी के नेताओं को पुकारे जाने पर–वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह का 64 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया वह 2 बार इस सम्मानित सदन के सदस्य थे किसान मजदूरों के हितो के लिए उन्होंने संघर्ष किया । राजनैतिक संघर्ष में उन्होंने जेल यात्रा की । हमारी विधान सभा की एक समिति से सम्बद्ध थे । उनका विधान सभा में योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा ।

देश के वायोवृद्ध साम्यवादी नेता श्री ई०एम०एस० नम्बुदिरिपाद जी का वर्ष 89 की आयु में देहान्त हो गया । वह केरल प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे । वास्तव में देखा जाय तो मुख्य मंत्री से कहीं ज्यादा कद उनका साम्यवादी नेता के रूप में था । इस देश में साम्यवादी विचारा धारा के प्रवर्तक के रूप में वह जाने जाते हैं और विदेशों में भी भारतीय साम्यवादी आन्दोलन के बारे में भी लोगों के मन में जिज्ञासा प्रकट की और उत्साह प्रकट किया भारतीय साम्यवाद को अन्तर राष्ट्रीय साम्यवाद के आन्दोलन के साथ जोड़ने का कार्य उन्होंने किया । आज हम सब यहां पर उनके प्रति शोकोद्गार प्रकट कर रहे हैं । माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के माननीय नेताओं ने अपने-अपने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और अपनी ओर से भी इन सभी दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारजनों तक अपनी संवेदनाओं को प्रेषित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं के परिवारजनों को, आत्मीयजनों को, राजनैतिक मित्रों को और अनुयायियों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । आप लोगों द्वारा जो संवेदनायें प्रकट की गयी हैं, उन्हें मैं उनके परिवारजनों तक पहुंचा दूंगा । अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में आये भयंकर चक्रवात और दैवी आपदा से मृत तथा पीड़ित परिवारजनों के प्रति शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से एक शोक संवेदना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं । हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक भयंकर चक्रवात आया जिसके कारण 200 से अधिक लोगों की जानें चली गई और लाखों लोग बेघरवार हो गये, तबाह हो गये तथा हजारों लोग घायल हो गये । यह एक बहुत ही हृदय-विदारक दुर्घटना हुई है । मैं आपके माध्यम से सदन की ओर से इन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति दे और जिन शोक-संतप्त परिवारों के साथ यह गम्भीर हादसा हुआ है, उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति क्षमता और धैर्य ईश्वर प्रदान करे । आपसे भी प्रार्थना है कि सदन की ओर से यह संवेदनायें उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रकृति का जो प्रकोप हुआ है, उससे 200 से अधिक लोगों की जानें चली गई और लाखों लोग बेघरवार हो गये तथा हजारों लोग आहत हुए। ईश्वर के विधान में हम कुछ संशोधन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना अवश्य है कि हम उनके दुःख में अपने को शरीक कर उनके परिवारजनों को संतोष दे सकते हैं। हम इन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं जो बेघरवार हो गये हैं, जो घायल हो गये हैं उन्हें अपनी बात से मरहम पट्टी लगा सकते हैं। मान्यवर, आज हम इस दैवी आपदा से बहुत दुखी हैं और हम और हमारा दल तथा सदन को एक भारी सदमा लगा है। जो दो प्रदेशों में दैवी आपदा ने कहर ढाया हम अपने-अपने दल की ओर से तथा समस्त सदन की ओर से ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस महान दुख को बड़े धैर्य से धारण करे और जो दिवंगत आत्माएं हमसे विलग हो गयी हैं उन्हें शास्वत शांति प्रदान करे, यहां हमारी भावनाएं हैं। आप कृपया उनके परिवारीजनों तक शोक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है और जिसका समर्थन माननीय नेता विरोधी दल ने किया है, उससे पूरा सदन सहमत हो गया। अतः यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाता है।

नियम 311 व नियम 56 की नियम 301 में परिवर्तित एवं नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26 मार्च, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु निबम 301 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनाएं प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त 21 सूचनाएं जो नियम–56/311 में शलाका में चयनित नहीं हुई, को भी नियम–301 में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार नियम–301 में कुल 79 सूचनाएं हुई। मैं उन सभी के नाम पढ़ दे रहा हूं। ये नाम हैं–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री राम विशुन आजाद, श्री गोमती यादव, श्री निर्भय पाल शर्मा, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री दद्दू प्रसाद, श्री संजय गर्ग, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री रामवीर सिंह, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री अब्दुल मन्नान, श्री हरदेव सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री प्रेम पाल सिंह यादव, श्री अफजाल अहमद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, श्री दीप लाल भारती, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री बाबू लाल कुरील, श्री ज्ञान चन्द्र, श्री कौकब हमीद, श्री विजय पाल सिंह, श्री राम ललित चौधरी, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री शरदवीर सिंह, श्री भारत सिंह रावत, श्री वीरेन्द्र सिंह सोंलंकी, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री आनन्द प्रकाश, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री महेन्द्र कुमार सीतापुर, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार पोइया, श्री रणधीर सिंह, श्री मुरलीधर, श्री बाबू खां, श्री रामजग, श्री बिन्दु लाल, श्री जगदीश नारायण मुन्ना, श्री लाखी राम जोशी, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री रामपाल, श्रीमती माया प्रसाद, श्री महेन्द्र पाल निषाद, श्री राम औतार शाक्य, श्री अम्बरीष कुमार, श्री तेजभान सिंह, श्री दिलीप कुमार वर्मा, डा० कौशल किशोर, श्री विश्वनाथ, श्री अरविन्द गिरि एवं श्री मोतीलाल, श्री रामेश्वर सिंह यादव, व श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना। चूंकि आज अन्तिम दिन है इसलिए नियम–56 व 311 की सूचनाओं को नियम–301 में परिवर्तित कर दिया गया है। और इस सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नियम 311 तथा 56 की वे सूचनायें जो नियम 301 में परिवर्तित की गयी है, उनके नाम हैं, श्री उदयराज यादव, श्री अवधेश प्रसाद, श्री रामवीर उपाध्याय, डा० अशोक बाजपेयी, श्री राजेन्द्र यादव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री राम नक्षत्र, श्री सतीश जतारिया व श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री श्याम किशोर यादव व श्री गौरीशंकर एडवोकेट, श्री राजाराम पाल व श्री भगवती प्रसाद सागर , श्री धनीराम वर्मा, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम अचल राजभर, लालजी वर्मा तथा श्री आर० के० चौधरी, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री लोकपति त्रिपाठी व डा० अम्मार रिजवी, श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश सिंह, एवं आर० पी० एन० सिंह, कुवर तथा श्री चेतराम श्री अशफाक अहमद, व डा० बकार अहमद शाह, श्री वसीम अहमद, व श्री आलमबदी तथा, श्री राम प्यारे, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री राम कृपाल, व श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सौलत अली, व श्री रिफाकत हुसैन, तथा श्री इकबाल महमूद ।

यह सारी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती है । कुछ माननीय सदस्यों के नामों की पुनरावृत्ति हो गयी थी, तो उनको हटा दिया गया है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में धन तुलसी डोगरपुर में गंगा नदी पर पीपापुल बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[मान्यवर, ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में धन तुलसी, डोगरपुर गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए शासन से कई बार मांग की गई । इस पुल के बनाने से जनपद संत रविदास नगर, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर की दूरी जो कि 150 से 200 किमी० का चक्कर लगाना पड़ता है सिमटकर 15 से 20 किमी० की दूरी में हो जायेगी इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने में यह पुल सहायक होगा हजारों लोग प्रतिदिन लम्बी दूरी का सफर तय करके मिर्जापुर इलाहाबाद और संत रविदास नगर की यात्रा करते हैं । अतः शासन से मांग की जाती है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए धन तुलसी डोगरपुर गंगा नदी के घाट पर पीपापुल बनवाने का कष्ट करें । अतः अनुरोध है कि सरकार उक्त पुल तुरन्त बनवाये ।]

जनपद महामायानगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा राऊ में भीषण ओलावृष्टि से हुई क्षति से प्रभावित किसानों को राहत देने के सम्बन्ध में नियम 301 केअन्तर्गत सूचना

* श्री यशपाल सिंह चौहान–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र सि० राऊ जनपद महामाया नगर की ओर ले जाना चाहता हूं भीषण ओला वृष्टि हुई जिसमें हमारे 88 ग्रामों की किसानों फसल पूर्णत : समाप्त हो गई मैं स्वयं परगनाधिकारी व तहसीलदार के साथ गावों में गया, पशु मरे पड़े थे, फसल तहस नहस पड़ी थी। शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए इन अधिकारियों से आग्रह किया लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र के किसानों को कोई राहत राशि मिली, न ही कोई राहत मिली है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं हमारे सम्पूर्ण क्षेत्र के 88 ग्रामों को जहां भीषण ओला वृष्टि हुई है उन्हें तुरन्त राहत दी जाय । पुनः क्षति हेतु जो राशि शासन द्वारा अनुबन्ध हो उपलब्ध कराई जाय तथा वहां के किसानों की हर तरह की राजस्व वसूली पर तुरन्त रोक लगा दी जाय । ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके ।]

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर मसकनवां के विकास खण्ड छपिया में राजकीय कन्या हाईस्कूल को इण्टरमीडिएट की मान्यता दिलाने तथा विद्यालय में चाहर दीवारी लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास खण्ड छपिया में राजकीय कन्या हाईस्कूल मसंकनवा में छात्राओं को हाईस्कूल तक की ही शिक्षा प्राप्त हो पाती है । हाईस्कूल उत्तीर्ण होने के बाद छात्राओं को इण्टर मीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाहर जाना पड़ता है, जिससे छात्राओं का भविष्य बाहर सुरक्षित नहीं रह जाता है, आये दिन अप्रिय घटनाएं होती रहतीं हैं जिससे अभिभावकों में व्यापक रूप से असंतोष है उक्त विद्यालय में चहार दीवारी न होने के कारण बाहर के लोग विद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जिससे विद्यालय परिसर बहुत ही असुरक्षित है इस संबंध में कई बार मेरे द्वारा उक्त विद्यालय को उच्चीकृत कराने हेतु और चहार दीवारी निर्माण कराने हेतु शासन प्रशासन को लिखा जा चुका है, परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई जिससे जनता में जनाक्रोश है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि राजकीय कन्या विद्यालय मसकनवा को इण्टरमीडिएट की मान्यता देने और चहार दीवारी निर्माण कराने हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करें ।]

श्री आर० एन० भाटिया ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा अनियमितता किये जाने की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोमती यादव–

[मान्यवर, श्री आर० एन० भाटिया, ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् का रु० एक करोड़ जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपाजिट कराया गया था, को वहां से हटाकर एक नान शेडयूल बैंक (सिटी कोआपरेटिव बैंक) में बिना वित्त नियंत्रक का मन्तव्य प्राप्त किये व बिना अध्यक्ष के अनुमोदन के व्यक्तिगत लाभ अर्जित करते हुए जमा कर दिया । इस प्रकार वित्तीय अनियमितता की गई ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए परिषद की सात-सात वाहनों का अकेले निजी कार्यों में प्रयोग किया जिससे वित्तीय अनियमितता हुई । इसके अतिरिक्त अन्य कई अनियमिततायें की गई हैं ।

इस संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे परन्तु अभी तक जांच के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुए है ।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि कृपया जांच के परिणामों से सदन को अवगत कराने का कष्ट करें । ।

लकानऊ के फूलबाग हुसैनगंज में नया ट्रान्सफारमर लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री निर्भय पाल शर्मा–

[मान्यवर, विधान सभा मार्ग (फूलबाग) हुसैनगंज में कुछ वर्षों पूर्व इसी क्षेत्र में नया ट्रान्सफारमर लगाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त ट्रान्सफारमर नहीं लग पाया और एक अरसे से उक्त मोहल्लावासी विद्युत की आपूर्ति सही न हो पाने के कारण बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । यह परेशानी लगभग दस वर्षों से बराबर चली आ रही है उक्त परेशानी हेतु कई बार शासन से आग्रह किये जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।

अतः उक्त क्षेत्र के निवासियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुये इस लोक महत्व के प्रकरण पर व्यवस्था कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें । ।

वाराणसी के 242 दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नियमित कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम देव राय चौधरी–

[मान्यवर, मेरे 242 दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र वाराणसी में विद्युत अनापूर्ति की समस्या अनेक दिनों से व्याप्त है, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :–(1) नगवा मोहल्ले से लेकर राजघाट तक गंगा किनारे के सभी पक्के मोहल्लों में लगे हुये बिजली के तार बहुत जर्जर हो चुके हैं । अधिकतर मोहल्लों में सिंगल फेस की लाइनें हैं, जिनके कारण लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई है । उक्त मोहल्लों की सर्वे कराकर सिंगल फेस के स्थान पर 2 फेस अथवा 3 फेस में परिवर्तित किया जाय और कम शक्ति के ट्रांसफारमरों के स्थान पर उच्च शक्ति के ट्रान्सफारमर लगाया जाय । संकुल धारा विद्युत उप केन्द्र के प्रायः सभी उपक्रम अत्यन्त पुराने होने से अक्सर विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाया करती है । वहां के लगे हुए ओ० सी० बी० के० एल० ए० जी० मेकानिजम खराब हो गये हैं और कालातीत हो गये हैं जिन्हें अविलम्ब बदलने की व्यवस्था की जाय । आपात स्थिति में गोदौलिया फीडर को बेनिया पार्क स्थित उप केन्द्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पांच एम०वी०ए० के ट्रान्सफारमर से अविलम्ब लाइन जोड़कर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय । दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु स्वीकृत पैकेजों के कार्य सम्पादित कराये जाने की व्यवस्था की जाय । जर्जर तारों को बदले जाने हेतु आवश्यक विभिन्न प्रकार के कण्डक्टरों की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय ताकि उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत प्राप्त हो सकें । ।

जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के ब्लाक मानिकपुर में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ददू प्रसाद–

[मान्यवर, ब्लाक मानिकपुर जिला छात्रपति साहू जी महाराज नगर में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । पठारी क्षेत्र होने के कारण स्थापित हैण्ड पम्पों का जल स्तर नीचे चला गया है । लगभग अस्सी प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं हैण्ड पम्प मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है । सन् 1972 में पाठा पेयजल योजना प्रारम्भ की गयी थी परन्तु पाठा क्षेत्र के लिए यह योजना फेल हो गयी है, पाइप लाइन जगह-जगह उखाड़ दी गयी है, जनता प्यास से त्राहि-त्राहि कर रही है । पेयजल के अभाव में जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से मैं मांग करता हं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया जाये ।]

प्रदेश में आरा मशीनों के प्रतिबन्ध से काष्ठ कला से सम्बन्धित दस्तकारों एवं शिल्पियों में भुखमरी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, प्रदेश को दस्तकारी एवं शिल्प से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कराने वाले काष्ठ कला से सम्बद्ध दस्तकार एवं शिल्पी जिनकी संख्या लाखों में है, उनके जीवन एवं जीविका को संरक्षित किया जाना लोक हित एवं राष्ट्रहित में अति आवश्यक है । इन काष्ठ दस्तकारों एवं शिल्पियों को काष्ठ दस्तकारी हेतु कच्चा माल छोटी बैण्डसा इकाइयों द्वारा प्राप्त होता है यह वैण्डसा इकाइयां लघु कुटीर उद्योग के तौर पर कार्य करती हैं एवं इनमें काष्ठ दस्तकारी हेतु कच्चा माल तैयार किया जाता है । विगत में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4 मार्च, 1997 के अनुसार गैर लाइसेन्सी आरा मशीनों को प्रतिबन्धित कर सील कर दिया गया था, किन्तु उक्त आदेश में वैण्डसा इकाइयों के बारे में कोई प्रतिबन्धित करने संबंधी उल्लेख नहीं किया गया था, परन्तु लोक प्रशासन एवं वन विभाग उक्त आदेश की आड़ लेकर वैण्डसा इकाइयों पर इसका नाजायज प्रयोग कर इन्हें उत्पीड़ित कर रहे हैं और इन्हें बन्द कराने की कोशिश कर रहे हैं । यदि उक्त इकाइयां बन्द करा दी गयी तो प्रदेश के लाखों काष्ठ दस्तकारों एवं शिल्पियों की जीविका एवं जीवन संकट ग्रस्त हो जायेगा और वह भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे ।

चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है अतः उक्त परिस्थितियों में माननीय सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराये जाने की व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें ।]

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को पक्के मार्ग से न जोड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, जनपद बदायूं की तहसील बिल्सी के विधान सभा क्षेत्र के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य 30 ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़े जाने हेतु घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा 16 मई, 1997 को की गयी थी और इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, बदायूं से आगणन मंगाया गया [illegible] औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् शासनादेश सं० 42(3)/[illegible] [illegible] 1997 द्वारा स्टेट सेक्टर से उक्त मार्गों के

[illegible] का पुनर्वीक्षण नहीं [illegible]

[illegible] [illegible] हुआ माना गया ।

निर्माण हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण (नियोजन) को निर्गत कर दिये गये थे । इसी परिपेक्ष्य में अक्टूबर, 1997 को वित्त विभाग ने भी उक्त कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी थी । फलतः अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बदायूं द्वारा 30 ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु टेण्डर भी आमंत्रित किये जा चुके थे । किन्तु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण अब तक मार्ग निर्माण कार्य अवरुद्ध रखा गया है, जिसके कारण अनुसूचित जाति के हितों पर कुठाराघात हो रहा है और यह लोग आन्दोलनरत हो रहे हैं। विधान सभा में इस प्रकरण को लाना इसलिये और भी अनिवार्य एवं अपरिहार्य हो गया है कि जनहित में इस मामले को दबाया जाना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण होगा तथा क्षेत्र में विकास कार्यों की अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है ।

अतः इस प्रकरण की लोक महत्व एवं अविलम्बनीय होने के कारण विधान सभा के समक्ष रख कर इसकी चर्चा की मांग करता हूं ।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में आये भीषण तूफान से हुई क्षति के कारण किसानों को सरकारी सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामवीर सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जसराना, जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 22 मार्च, 98 को अति भीषण तूफान में करोड़ों रुपये की खड़ी फसल नष्ट हो गयी तथा हजारों जानवर इस तूफान के शिकार हो गये । इस घटना से पूरे क्षेत्र के किसानों में हाहाकार मच गया है खेतों में खड़ी फसल गेहूं, अरहर, मसूर, सरसों, चना, मटर पूरी तरह से बरबाद हो गये किसान बरबाद हो गये किसानों के पेट पालने के लिये अन्न का दाना भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा । किसानों ने बीज खाद सिंचाई में पैसा व्यय करके फसल तैयार की थी इस भीषण तूफान से किसान की फसल नष्ट हो गयी किसानों ने जिलाधिकारी का घेराव करके इस क्षति से अवगत कराया लेकिन प्रशासन ने न कोई सर्वेक्षण कराया न और कोई आश्वासन दिया प्रशासन की इस लापरवाही से किसानों में क्षोभ है इस वर्ष किसान का पालन कैसे होगा ?

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि तत्काल सही उचित मात्रा में उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाई जाये । सिंचाई, बिजली, लगान को माफ कर दिया जाए एवं सरकारी देयों की वसूलियां भी एक वर्ष के लिये ब्याज मुक्त स्थगित की जाए । अगली फसल के लिये किसानों को निशुल्क फसल, बिजली पानी सिंचाई की व्यवस्था की जाए।]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र घिरोर में आये भीषण तूफान से किसानों की हुई क्षति के कारण सरकारी सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती उर्मिला यादव–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र घिरोर जनपद मैनपुरी में दिनांक 22-3-98 को अति भीषण तूफान में करोड़ों रुपये की खड़ी फसल नष्ट हो गयी तथा हजारों जानवर इस तूफान के शिकार हो गये इस घटना से पूरे क्षेत्र के किसानों में हाहाकार मचा है खेतों में खड़ी उनकी फसल गेहूं, अरहर, मसूर, सरसों, चना, मटर पूरी तरह से बरबाद हो गये । किसान बरबाद हो गये । किसानों के पेट पालने के लिये अन्न का दाना भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा । किसानों ने बीज खाद सिंचाई पैसा व्यय करके फसल तैयार की थी इस भीषण तूफान से किसान की फसल नष्ट हो गयी किसानों ने जिलाधिकारी का घेराव करके इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

क्षांत से अवगत कराया लेकिन प्रशासन ने न कोई सर्वेक्षण कराया न कोई आश्वासन दिया इस प्रशासन की लापरवाही से किसानों में क्षोभ है इस वर्ष किसान का पालन कैसे होगा ?

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर मांग करती हूं कि तत्काल सही उचित मात्रा में उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाई जाये । सिंचाई बिजली, लगान को माफ किया जाए एवं सरकारी देयों की वसूलियां भी एक वर्ष के लिये ब्याज मुक्त स्थगित की जाएं । अगली फसल के लिये किसानों को निःशुल्क फसल, बिजली, पानी सिंचाई की व्यवस्था की जाये ।]

बहराइच स्थित व्यापार कर कार्यालय को दूसरे भवन में स्थानान्तरित न किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अब्दुल मन्नान–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन काल में प्रस्ताव स्वीकृत बहराइच व्यापार कर कार्यालय को 135/- (एक सौ पैंतीस) प्रतिमाह के स्थान पर 12,000/- (बारह हजार) प्रतिमाह किराये पर अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है ।

इसका उद्देश्य मात्र व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना एवं सरकारी धन का दुरुपयोग करना है क्योंकि भू-स्वामी द्वारा जो नक्शा शासन में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया था उसके स्थान पर अन्य स्थान पर कार्यालय हेतु स्थान देने का क्या तात्पर्य है ?

उपर्युक्त भवन जो अभी पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं है तथा उसमें अधिकारियों/कर्मचारियों एवं कर दाताओं के बैठने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है साथ ही भवन शहर से काफी दूर है सौ गुनी ज्यादा कीमत पर भवन किराये पर लेने एवं असुविधाओं से परिपूर्ण स्थल पर व्यापार कर कार्यालय राजकीय हित में उपयुक्त नहीं है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त भवन व्यापार कर कार्यालय लायक उपयुक्त है या नहीं स्थानीय अधिकारियों को छोड़कर उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच करायी जाये और राष्ट्रपति शासन काल में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उसको तत्काल निरस्त करते हुए बहराइच व्यापार कर कार्यालय को यथा स्थान पर रहने हेतु आदेश निर्गत किया जाये ।]

प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में उच्चाधिकारियों द्वारा छोटे कर्मियों का जातिगत आधार पर उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरदेव सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आयुर्वेद यूनानी विभाग में तैनात उच्च अधिकारियों द्वारा किये जा रहे छोटे-छोटे कर्मियों का जातिगत आधार पर किये जा रहे शोषण के तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं आयुर्वेद यूनानी विभाग में बाहरी कर्मियों एवं चिकित्साधिकारियों का सम्बद्ध कर कार्य लिया जा रहा है जो कि स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । सहायक औषधि नियंत्रक मंगलदेव त्रिवेदी जो सुराकाण्ड का मेन अभियुक्त है और गाजियाबाद में सुराकाण्ड से कई जानें गई थीं परन्तु उनको बचाया गया है इनको पद से हटाकर इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ जातिगत आधार पर बचाया जा रहा है यहां तक कि इनकी योग्यता भी उक्त पद पर कार्य करने की नहीं है । अयोग्य व्यक्ति कैसे कार्यरत है इसकी जांच शासन से होनी चाहिए ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष 1986 के बाद नियुक्त कर्मियों की सेवा यह कह कर समाप्त की जा रही है कि ये नियुक्तियां चयन समिति से नहीं हुई हैं और बीच-बीच से दैनिक लिपिक, तदर्थ लिपिक, चपरासी आदि की सेवा समाप्त की जा रही है। जिसको मन चाहा निकाला गया जिसको मन चाहा बचा लिया जाता है और खुलेआम धन उगाही की जा रही है, धन न देने पर फाईल निकल जाती है और सेवा समाप्त की जाती है। वर्ष 1984 से बिना चयन समिति के ही दैनिक लिपिक, तदर्थ लिपिक, आदि की नियुक्ति की गयी है, परन्तु 1984 से सेवा नहीं समाप्त किया जा रहा है। अगर बिना चयन समिति की बात है तो वर्ष 1984 के नियुक्त समस्त कर्मियों लिपिकों की सेवा समाप्त होनी चाहिए जैसे ओ० पी० तिवारी श्री पाण्डेय व अन्य निदेशालय पर तैनात हैं और दैनिक वेतन से रिक्त पद पर समायोजित हुए हैं नहीं तो बिना चयन समिति के नियुक्त सभी लिपिकों की सेवा बहाल रखनी चाहिए। एक तरह एक मानक के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। परन्तु भेदभाव बरता जा रहा है और श्री ओम प्रकाश तिवारी जो दैनिक वेतन से वर्ष 1984-85 में रिक्त लिपिक पद पर गलत तरीके से समायोजित किये गये हैं, व श्री पाण्डेय व निदेशालय के अन्य कर्मियों की सेवा भी समाप्त की जाय। अन्यथा सभी को बहाल रखा जाय, भेदभाव न किया जाय कर्मियों में जनाक्रोष व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है और सरकार एक तरफ नियुक्ति करने की बात कर रही है दूसरी तरफ आयुर्वेद यूनानी में तैनात कर्मियों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं तथा निष्पक्ष जांच शासन के किसी उच्च अधिकारी से कराने एवं भेदभाव को रोकने एवं निकाले गये कर्मियों को पुनः सेवा में रखने नहीं, तो वर्ष 1984 से तैनात सभी की सेवा समाप्त करने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ स्थित कतिपय मुहल्लों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाते हुए यह सूचित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् के मुहल्लों में पानी की भारी किल्लत है लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिये तरसना पड़ रहा है कुछ मुहल्लों जैसे मुकेदीगंज, पाण्डेय बाजार, गुलाबीपुरा, जोधीपुरा, मडवा एलदल, हर्री की चुंगी व बाजबहादुर कोई सफदीनपुर, मूसेपुर, सिंघारी, बदरका, पहाड़पुर, नरौली, जालंधरी, सिविल लाइन आदि में बसने वाली आबादी के लिये पानी के लिये कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कुछ जगहों पर इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगे हैं, जो प्रायः खराब पड़े रहते हैं शहर में जो भी ट्यूबवेल लगे हैं वह बहुत ही पुराने हो चुके हैं, कभी पम्प का फाल्ट होता है तो कभी ट्रांसफार्मर एवं बिजली की वजह से प्रायः खराब हो जाता है जिससे जनता को पीने का पानी दूर-दूर से लाना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु प्रशासन के पास कोई योजना भी नहीं है जिससे समस्या से उबरने की कोई आशा हो।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में डी० आर० डी० ए० विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमपाल सिंह यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान डी० आर० डी० ए० अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू न करने की तरफ दिलाना चाहता हूं। सचिव, ग्राम्य विकास, उ० प्र० के पत्र संख्या 2350/38–1-94-4(पी० 92) दिनांक 17-3-94 के द्वारा मार्ग निर्देशों को अमल में न लाये जाने से कर्मचारी एवं अधिकारी परेशान हैं स्थिति विस्फोटक है उक्त मार्ग निर्देशिका के पृष्ठ संख्या–3 के प्रस्तर 9 में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां यथावत् रखने की डी० आर० डी० ए० के कर्मचारियों पर लागू नहीं की गयी हैं इससे इनमें रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है। कर्मी आन्दोलित हैं और इनका शोषण पूरे प्रदेश में हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कर तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

नगरपालिका परिषद् जौनपुर में नलकूप लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अफजाल अहमद–

[मान्यवर, आपके एवं माननीय सदन के संज्ञान में जनहित का मामला प्रस्तुत कर रहा हूं। नगर पालिका परिषद् जौनपुर में 5 नलकूप लगाने की स्वीकृति दी गयी थी उस समय 5 नलकूपों की लागत 47 लाख रुपये थी उनमें से केवल 3 नलकूप ही लगाये 2 नलकूप नहीं लग सके वर्तमान में एक नलकूप की लागत 21.83 लाख है। इस वित्तीय वर्ष 97-98 में 2 नलकूप लगाने की स्वीकृति और प्रदान की गयी है पुराने लगाये गये 3 नलकूप भी खराब हो गये हैं अब वर्तमान में 7 नलकूप लगाये जाने हैं इसलिये वर्तमान लागत के हिसाब से पैसा आवंटित किया जाय ताकि नलकूप लगाये जा सकें।

यह जनहित का मामला है अतः इसे प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने हेतु आप सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

प्रदेश में गन्ना विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सांख्यिक परियोजना कर्मचारियों को वेतन भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[मान्यवर, आपका ध्यान सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश में वर्ष 1975 से कार्यरत सांख्यिक परियोजना कर्मचारियों की दुर्दशा जन्य स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के वेतन आदि पर स्थापना व्यय गन्ना क्रय कर के 52 से 60 पैसे के बीच के 9 पैसे जिसे गन्ना बोर्ड कहा जाता है से होता रहा है परन्तु 21 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त गन्ना क्रय कर संशोधन अधिनियम के अनुसार गन्ना बोर्ड निधि को शासकीय निधि से रोककर विशेष निधि में समायोजित कर लिया गया जिसके उपरान्त नैसर्गिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार इन कर्मचारियों को राजकीय अथवा शक्कर विशेष निधि पोषित कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए था गन्ना बोर्ड निधि समाप्त हो जाने के बाद भी वित्तीय वर्ष 1995-96 में इन कर्मचारियों को इसी गन्ना बोर्ड निधि से ही धनराशि जारी की गयी थी परन्तु वर्ष 1996-97 हेतु वेतन आदि की धनराशि शासन से अवमुक्त नहीं की गयी जिससे पूरे प्रदेश के सुदूर अंचलों में कार्यरत कर्मचारी गण वेतन आदि भुगतान से वंचित होकर घोर नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इतना ही नहीं मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि गन्ना विभाग के लगभग सभी विभागाध्यक्षों सहित वर्तमान विभागाध्यक्ष ने भी कर्मचारियों के वेतन नियमित भुगतान करने हेतु इस योजना के राजकीयकरण किये जाने का प्रस्ताव अपने प्रबल संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि कर्मचारियों के वेतन अविलम्ब भुगतान करने हेतु 1996-97 एवं 1997-98 का धन शक्कर विशेष निधि से तत्काल अवमुक्त कराया जाय, तथा कर्मचारियों के राजकीयकरण संबंधित प्रकरण पर भी तत्काल निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किया जाय।]

जनपद मेरठ में सरकारी राशन की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में चावल आदि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरठ में राशन की दुकानों पर आम सामान्य उपभोक्ता हेतु पिछले 2 माह से चावल नाम मात्र की उपलब्ध है।

भारत सरकार की नीति के कारण गेहूं एक कार्ड पर केवल 10 किलोग्राम मिल रहा है जिसमें एक सामान्य परिवार की अन्न की पूर्ति एक माह की नहीं हो रही है।

मार्च माह में एक कार्ड पर 600 ग्राम चावल के हिसाब से दुकानदार को कोटा मिला है, तो उपभोक्ता तक कितना पहुंचा होगा यह आज की व्यवस्था में आसानी से कल्पना की जा सकती है।

जनहित एवं आम गरीब सामान्य उपभोक्ता से जुड़े अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन को मेरठ के लिये चावल का कोटा नियमानुसार प्रति कार्ड के हिसाब से करने का निर्देश दें, जिसमें गरीब मजदूर आदि रोटी खा सके।]

जनपद बुलन्दशहर के गांव चित्सौन में बालिकाओं की शिक्षा हेतु हाई स्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर)–

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव चित्सौन में बालिकाओं की शिक्षा की दुर्दशा को देखते हुए विगत चुनाव में जिसमें मेरा निर्वाचन हुआ था उसी समय वरिष्ठ राजनायिकों ने जनता की पुरजोर मांग पर गांव चित्सौन में बालिकाओं की हाई स्कूल/इण्टर की शिक्षा को महत्व देते हुए घोषणा की थी कि जिसमें राज्य सेक्टर के आधार पर पत्रावली की सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराकर उचित माध्यम से पत्रावली शासन में विचारोपरान्त माध्यमिक शिक्षा स्तर से पूर्ण हो गयी है ज्ञात हुआ है कि वित्त विभाग अनावश्यक रूप से अड़चन पैदा कर रहा है जिसके कारण विगत वर्ष बालिकाओं के कहीं प्रवेश नहीं हो पाये अभिभावकों में भारी आक्रोश व्याप्त है मेरे साथ-साथ माननीय विधायकों और सांसदों द्वारा उक्त गांव में विद्यालय तत्काल स्थापित करने हेतु पत्र लिखे हैं जो पत्रावली में उपलब्ध है नियोजन विभाग द्वारा भी सहमति हो चुकी है न जाने क्यों वित्त विभाग बालिकाओं की दुर्दशा की अनदेखी करते हुए पत्रावली को रोके हुए हैं ?

मेरा विशिष्ट अनुरोध है कि तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का आदेश पारित करने की महती कृपा करें, जिससे भारत सरकार राज्य सरकार की बालिकाओं की शिक्षा को महत्व देने की नीति को बढ़ावा मिले, और क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिये एक सुविधा भी प्राप्त हो।]

जनपद कुशीनगर के ग्राम बुलहवा में स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप लाल भारतीय–

[मान्यवर, आपके माध्यम से अति अविलम्बनीय लोकहित महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नव सृजित जनपद कुशीनगर में बढ़ी अण्डक नदी के किनारे दलित बाहुल्य क्षेत्र में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम बुलहवा (छितौनी) के राजकीय महिला चिकित्सालय में दो-तीन कमरों पर समाजवादी पार्टी के नेता का अवैधानिक तौर पर कब्जा है तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई लि० छितौनी के प्रधान प्रबन्धक की सह पर उक्त अवैधानिक अवैध कब्जाधारी को मुफ्त में बिजली पानी का कनेक्शन दिया गया है।

अवैध कब्जाधारी व्यक्ति के यहां प्रायः जंगलपार्टी के दस्यु आते जाते रहते हैं, जिसके कारण महिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को भय बना हुआ है तथा डर के कारण रात्रि में वहां कोई स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं रहते, जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं को प्रसव तथा अन्य चिकित्सा कराये जाने के लिये सैकड़ों किलोमीटर दूर गोरखपुर जाना पड़ता है इससे जच्चा बच्चा को खतरा होता है।

अराजक तत्वों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज है परन्तु आज तक अवैध कब्जा नहीं हटा, दोषी पाये जाने वालों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नहीं होने से जनहित प्रभावित है तथा सरकारी सम्पत्ति की क्षति हो रही है।

चूंकि यह अति लोक महत्व का मामला है, इसलिए सरकार के संज्ञान में लाकर उक्त राजकीय महिला चिकित्सालय से अवैध कब्जा हटाकर दोषी को कठोर दण्ड दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर नगरपालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत कतिपय नदियों के द्वारा किये जा रहे कटाव, क्षरण आदि की समस्या के निदान हेतु परियोजना स्वीकृत किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र में अलकनन्दा नदी एवं विभिन्न नालों गधेरों से भूमि का क्षरण व कटाव भयंकर रूप से हो रहा है अलकनन्दा नदी के किनारे श्रीनगर नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र में रेत, बजरी व पत्थर का अत्यधिक मात्रा से ढुलान होने व भूमि का स्तर तीव्रता से नीचा होने से सम्पूर्ण श्रीनगर को भयानक खतरा हो गया है। श्रीनगर में पुरातत्व व ऐतिहासिक मठ मंदिर केशवराय ठ बद्रीनाथ मंदिर शंकरमठ आदि भी क्षरण व भूमि कटाव के चपेट में आ गये हैं अनेक खेत उद्यान ॰ ता के मकानों का क्षरण व भूमि कटाव व भूमि स्तर नीचा होने से भयावह प्रभाव से ग्रस्त हो गया है इसके समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने परियोजना बनायी है परन्तु अभी तक उक्त परियोजनायें शासन के द्वारा स्वीकृत नहीं हुई जिससे श्रीनगर नगरपालिका परिषद् भूमि क्षरण भूमि कटाव भूस्तर नीचा होने व प्रदूषण की घोर समस्या से भयावह स्थिति से अनियमित होता जा रहा है उक्त समस्या के समाधान व निराकरण के लिये शासन उत्तरदायी परियोजनाओं को स्वीकृत करके कार्य को प्रारम्भ करें।]

लखनऊ कानपुर मार्ग में स्थित उन्नाव बाई पास स्थित टेनरीज फैक्टरियों द्वारा फैलाये गये प्रदूषण को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबूलाल कुरील–

मान्यवर, उन्नाव बाईपास स्थित टेनरीज फैक्टरियां (लगभग 40 फैक्ट्रियां होंगी) कई वर्षों से स्थापित हैं यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कि लखनऊ कानपुर के मुख्य मार्ग को जोड़ता है।

उन्नाव में स्थित लोन नदी में उक्त फैक्ट्रियों का पानी बहाया जा रहा है जिससे नदी पूर्ण रूप से भर चुकी है और वायुमण्डल भी प्रदूषित हो रहा है इस प्रदूषण के कारण स्थानीय व्यक्तियों/पशुओं में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तरह-तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इस प्रदूषण से महिलायें ऐसी स्थिति में आ गयी हैं कि वह विकलांग बच्चों को जन्म दे रही हैं अथवा स्वयं जीवन रक्षा भी नहीं कर पा रही हैं इसके अतिरिक्त निकट की ऐसी योग्य भूमि एवं उपज की दृष्टि से बेकार हो रही हैं, जिससे किसानों के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है वहीं पशुओं एवं पक्षियों के लिये भी खराब प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं जमीन में जहां पशुओं के खुर पैर पड़ते हैं उनके पैर विकलांग होने की स्थिति में आ गये हैं।

प्रदेश में लखनऊ कानपुर जाने वाले यात्रियों को प्रदूषण से होकर गुजरना पड़ रहा है और प्रतिवर्ष आबादी भी बढ़ गयी है और स्थानीय नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं इन फैक्टरियों से बुरी दुर्गन्ध आती है, जिससे प्रतिक्षण सांस लेना दुर्लभ हो जाता है।

प्रशासन की ओर से प्रदूषण नियंत्रण यन्त्र लगाया जाना आवश्यक हो गया है बगैर प्रदूषण यंत्र के फैक्ट्री चलाने की अनुमति अथवा लाइसेंस नहीं दिया जाता है। जब तक कि उक्त फैक्टरियां स्वतंत्र रूप से चल रही हैं इस पर रोक लगाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के उत्तरांचल में स्थित कतिपय जिलों में रेशम उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ज्ञानचन्द्र-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उत्तरांचल के रेशम उद्योग को बढ़ाने का संकल्प किया गया था, परन्तु पौड़ी जिले में बिलखेत, भाभर एवं उत्तरांचल के विभिन्न जिलों में रेशम की पौध को उगाने की उर्वरक भूमि है परन्तु विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रेशम का उद्योग भलीभांति विकसित नहीं हो सका है।

उत्तरांचल में विशेष तौर पर उत्तरकाशी, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जिलों में रेशम की पौधशालाओं व उद्योगों को गुणोत्तर रूप में विकसित करने का अभियान व परियोजना में उत्तर प्रदेश शासन को बनाना चाहिए।

यह अत्यधिक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इसलिये लोगों को रोजगार देने आत्मनिर्भरता देने के लिये रेशम के उत्पादन की व्यापक योजना बनाने के लिये कुछ शासन को निर्देशित करने की कृपा कीजिये।]

आगरा महानगर स्थित कतिपय मुहल्लों में बह रहे नालों की सफाई तथा जल निकासी की समस्या को दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय पाल सिंह-

[मान्यवर, आगरा महानगर की आबादी आज लगभग 17 लाख से ऊपर है सम्पूर्ण आबादी की जल निकासी अंग्रेजी हुकूमत के समय से 3 प्रमुख नाले द्वारा की जा रही है, जिनके द्वारा गन्दा पानी, मैला व बरसाती पानी आदि का उक्त नालों द्वारा यमुना नदी में छोड़ा जाता है एक मुख्य नाला लोहा मंडी सैयदपाडा विल्लोचपुरा आदि से शुरू होकर रेलवे सिटी स्टेशन होता हुआ जो कि भैरों नाला के नाम से यमुना में गिरता है यह नाला कभी-कभी तो इतना उफान पर होता है कि रेलवे लाइन को भी बाधित कर देता है तथा आवागमन में भी उक्त नाले अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं सीवेज पूरे शहर के फटे पड़े हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ढुलाववाली समुचित व्यवस्था न होने से मैला व कूड़ा के ढेर सड़कों पर अटे पड़े हैं, उक्त सड़कों पर आम आदमी का निकलना दूभर होता है। पम्प हाउस में पानी खींचने की क्षमता नहीं है। पहली बारिश में ही नाले व नालियां उफन कर सड़क व गलियों में बाढ़ का रूप ले लेती है। जिससे बच्चों बच्चियों का स्कूल पहुंचना दूभर हो जाता है माता पिता बच्चों के डूबने के भय से स्कूल के लिये दौड़ते हैं शहर के नाले 8 से 10 फिट तक सिल्ट से भरे हैं, नगर निगम साधनों का रोना रोकर नाले साफ नहीं कर रहा है जल भराव की भयानक स्थिति से जनता में भारी आक्रोश है। आये दिन जल भराव से सड़क जाम आन्दोलन होते रहते हैं। कार्यावान मुहल्ला विल्लोचपुरा तोताताल आदि पूरे शहर की सड़कों की हालत जर्जर है विद्युत सप्लाई पूरे शहर की नित्य रोज घंटों बन्द रहती है पूरा दिन आयी गयी में होता रहता है नाले में पानी जब तक टपकता है। उक्त शहर की भयानक स्थिति बन गयी है।

अस्तु जल निकासी हेतु नालों की सफाई न करने के दोषियों के विरुद्ध नये सीवेज का निर्माण तथा जर्जर सड़कों के नवनिर्माण कराये जाने की परम आवश्यकता है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।]

जमादारी लेन दारुलशफा, लखनऊ स्थित सर्वेन्ट क्वार्टर्स के अगल बगल अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों को हटाकर वहां पर अन्य सरकारी कमरे बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कौकब हमीद–

[मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं महोदय कोठी नं० 6 के अन्दर बने सर्वेन्ट क्वार्टर्स जमादारी लेन दारुलशफा, लखनऊ में सरकारी कमरों के अगल-बगल कई लोगों ने अवैध रूप से झोपड़ियां बना रखी हैं तथा कई प्रकार के जानवर भी पाल रखे हैं जिससे वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भीषण प्रदूषण का सामना करना पड़ता है जिससे बीमारी की सदैव भय बना रहता है। अनेक लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। जो सदैव मारपीट लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं जो कि थाना दारुलशफा में अनेक झगड़े की रिपोर्ट दर्ज है इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने पूर्व में भी माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है कि अवैध कब्जा करने वालों को वहां से हटाकर वहां पर सरकारी और कमरे बनाये जायें जिससे राज्य सरकार की राजस्व की आय भी हो सके तथा वहां पर रह रहे आवंटित कर्मचारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1993 में थी उस समय ये सभी अवैध कब्जे वाली झोपड़ियां हटा दी गयी थीं किन्तु फिर लोग रहने लगे। कुछ अधिकारी कुछ माह पूर्व उक्त कालोनी में आकर मौखिक रूप से अवैध कब्जा हटाने के लिये कह गये किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

अतः इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है तथा सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की क्षति को रोकते हुए अवैध कब्जा हटाकर सरकारी और कमरे बनाने के आदेश देने की कृपा करें यह माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं ताकि यह माननीय सदन उपरोक्त कार्य के आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टउवा गोपालपुर स्थित कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 90-91-92 में मण्डी निदेशालय द्वारा जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टउवा गोपालपुर के अन्तर्गत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बस्ती बांसी मार्ग पर दसिया से बहादुरपुर मार्ग 2.00 कि०मी० स्वीकृत था इसी प्रकार विकास खण्ड साऊं घाट में पडिया हनुमानगंज मार्ग पर परसालाल शाही में 1.5 कि०मी० देशवापुर चौराहे से पोखर मिट्टी 500 मीटर पैडी दानू कुइयां मार्ग पर ग्राम नगहरा तक 500 मीटर का मार्ग स्वीकृत था ।

इसी प्रकार विकास खण्ड सल्टउवा में आमा से नोनहा मार्ग का कार्य अभी अधूरा है । इसलिये लोक महत्व के उपरोक्त इन सभी मार्गों को अविलम्ब पूरा कराने के लिये मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।]

नगरपालिका हरदोई में पेयजल व्यवस्था सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि से अधूरी पड़ी योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, तत्कालीन राज्यपाल महोदय द्वारा नगरपालिका हरदोई की पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु हरदोई नगरपालिका द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार अधि० अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम निर्माण शाखा, हरदोई द्वारा बनाये गये प्राक्कलन के अनुसार 20 लाख रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत करते हुए घोषणा की गयी थी कि जिसके संबंध में श्री सी० वी० पालीवाल, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 245/रा०का०/9-5-96–46/राज्यपाल/93 दिनांक 15 मार्च, 96 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को अवगत कराते हुए धन का आवंटन जल निगम को किया गया, धन का आवंटन हुए दो वर्ष हो गये हैं परन्तु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, शाखा हरदोई द्वारा अब तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है जिससे जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला है, ग्रीष्म ऋतु आ गयी है इस कार्य के पूर्ण न होने पर जनता में रोष व्याप्त है तथा जिन स्थानों व गलियों में पाइप लाइनें पहले से बिछी हैं उन गलियों व मार्गों पर दोहरी पाइप लाइनें जल निगम द्वारा बिछाई जा रही हैं नगरपालिका परिषद् को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गयी है जिससे धन का दुरुपयोग हो रहा है तथा सरकार की योजना को ध्वस्त किया जा रहा है नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत वार्डों में जो हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का–2 जल निगम द्वारा लगाये गये उसमें से अधिकांश खराब पड़े हैं तथा उनके लगाने में भी खूब घोटाला किया गया है ।

यह लोक महत्व का प्रश्न है सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है, अतएव सदन का सारा कार्य रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद बलरामपुर स्थित ग्राम कटैयाभारी के निवासी श्री विजय प्रकाश मिश्र की फसल को अराजक तत्वों द्वारा काट लिये जाने एवं प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[मान्यवर, जनपद बलरामपुर के ग्राम कटैयाभारी थाना पचपेड़वा के निवासी श्री विजय प्रकाश मिश्र व श्री देवराज मिश्र, श्री दयाशंकर मिश्र की जमीन पर खड़ी फसल को दिनांक 14-3-98 को सुबह 7.00 बजे अराजक तत्वों द्वारा काट ली गयी जिसकी सूचना इन्होंने स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को दी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी इनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया परन्तु यह भाग कर किसी तरह से जान बचा सके यही नहीं आज तक इनकी एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी इनको इस घटना की धमकी एक दिन पूर्व ही मिली जिसकी सूचना लिखित रूप से इन्होंने दी थी उसके बावजूद भी प्रशासन पंगु रहा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं सदन का ध्यान इस गम्भीर घटना की ओर दिलाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों के बकाये का भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम ने जनपद सीतापुर के बुनकरों से माल क्रय कर लिया परन्तु एक वर्ष बीत गया उसका भुगतान नहीं किया है जिसके कारण बुनकरों के करघे बन्द हो गये, वे भुखमरी का शिकार हैं। भुगतान न होने से बुनकरों में रोष व्याप्त हो गया है बुनकर आन्दोलित हैं किसी समय विस्फोटक स्थिति हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगरपालिका परिषद् कासगंज, एटा में कार्यरत श्री विष्णु स्वरूप सक्सेना को लेखाकार पद का वेतन दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शरद वीर सिंह–

[मान्यवर, आपके माध्यम से जनहित में शासन का ध्यान श्री विष्णु स्वरूप सक्सेना, लेखाकार नगरपालिका परिषद्, कासगंज, एटा की तरफ आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि श्री सक्सेना को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष की संस्तुति सहित कई वर्षों से शासन पर लम्बित है जबकि श्री सक्सेना सन् 2000 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं परन्तु खेद के साथ अवगत कराना है कि अभी तक श्री सक्सेना को क्लर्क का ही वेतनमान दिया जा रहा है।

अतः आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप श्री विष्णु स्वरूप सक्सेना को लेखाकार का वेतन दिये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित कतिपय वनों में जंगली हाथियों द्वारा किसानों की फसल आदि की सुरक्षा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में विगत कई सालों से कारबेट नेशनल पार्क राजा जी पार्क एवं अन्य वनों के समीप जंगली हाथियों के द्वारा किसानों की फसल, बाग बगीचा एवं अन्य सम्पत्तियों को नष्ट किया गया है किसानों के बार-बार निवेदन करने पर भी किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है।

अतः मैं माननीय सदन के माध्यम से आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के उन किसानों की क्षतिपूर्ति उचित मुआवजा देकर की जाए वनों के समीप जो गांव हैं उन गांवों को हाथियों से बचने के लिये चारों तरफ खाई बनाई जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को प्रति वर्ष हाथियों के द्वारा किये गये नुकसान से बचाया जा सके।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद एटा के थाना बागवाला में तैनात पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ग्राम बागवाला के निवासियों को उत्पीड़ित किये जाने के फलस्वरूप दण्डित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[मान्यवर, दिनांक 8-2-98 को जनपद एटा के थाना बागवाला के ग्राम बागवाला में मार्ग दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु को लेकर शान्ति पूर्वक बन्द आयोजित कर रहे ग्रामीणों पर क्षेत्राधिकारी (एटा) के नेतृत्व में बागवाला ग्राम के ग्रामीणों पर घनघोर लाठियां बरसायी गयीं । क्षेत्राधिकारी मनोज को उससे भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस वालों को घर में घुसकर बच्चों तथा औरतों तक का घरों से निकालकर लहूलुहान कर दिया पूरा गांव ही इस आतंक को देखकर अपने घरों को छोड़कर खेतों में भाग कर शरण ली तो पुलिस वालों ने लाखों रुपये के छोटे बड़े सामान मिट्टी के तेल की बोतलें चूल्हे खिड़किया दरवाजे तक तोड़ डाले तथा नगदी एवं सोने चांदी के आभूषणों को लूट ले गये । इस अत्याचार का कुछ लोगों ने जब विरोध किया तो उन निरपराध लोगों को थाने में बन्द कर उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इस मामलों को शासन के संज्ञान में लाकर पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज झा तथा अन्य अपराधी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा 324, 325, 395, 397, 452 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर निर्दोष फंसाये गये लोगों के मुकदमा खत्म करने का कष्ट करें ।]

लखनऊ में निराला नगर स्थित वेस्टन इलेक्ट्रानिक एवं वेस्टन कम्पोनेन्ट्स में कार्यरत कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निरालानगर, लखनऊ नगर स्थित वेस्टन इलेक्ट्रानिक लि० एवं वेस्टन कम्पोनेन्ट्स लि० कम्पनियों में हो रही अनियमितता की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

उक्त कम्पनियां वहां पर कार्यरत पुराने कर्मचारियों को बिना किसी कारण के सेवाएं समाप्त कर रही है तथा अनियमित रूप से नयी भर्ती कर रही हैं । उक्त के अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उन्हें अभी तक वेतन, बोनस तथा अन्य देयों का भुगतान नहीं किया गया है ।

अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उक्त दोनों कम्पनियों की अनियमितताओं की जांच शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर कार्यवाही की जाय तथा हटाये गये कर्मचारियों के देयों का भुगतान कराने तथा पुनः सेवा में लिये जाने के निर्देश जारी करने की कृपा करें ।]

जनपद फैजाबाद के कस्बा कुमारगंज में निर्माणाधीन 132 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आनन्द प्रकाश–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद के कुमारगंज नामक स्थान (तहसील-मिल्कीपुर) पर वर्ष 1989 से 132 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन निर्माणाधीन है और उक्त पर लगभग रुपये एक करोड़ बीस लाख का व्यय भी हो चुका है परन्तु अधिकारियों की उदासीनता एवं सुचारु रूप से कार्य न पूर्ण करने के कारण उक्त सब स्टेशन अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे कि इतना धन व्यय होने के बाद भी पूरे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था दयनीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हालत में है उल्लेखनीय यह भी है कि उक्त सब स्टेशन के समीप ही नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यलय स्थित है जो कि विद्युत समस्या से ग्रस्त रहता है जिसके कारण जनता को काफी परेशानी है ।

अतः मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विद्युत सब स्टेशन को पूर्ण करने की अवधि निर्धारित करके उसे चालू कराने का कष्ट करें जिससे कि विश्वविद्यालय/जनता की विद्युत समस्या का समाधान हो सके ।]

जनपद प्रतापगढ़ के सदर एवं मान्धाता ब्लाक में स्थित कतिपय गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद के सदर ब्लाक एवं मान्धाता ब्लाक में आजादी के आज 50 वर्ष के उपरान्त भी लगभग 60 ग्राम सभा एवं 500 पुरवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है किन्तु क्षेत्रीय महत्व को देखते हुए निम्नलिखित ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं :––

1––मान्धाता ब्लाक–शिवरा धर्मपुर, छतौना, चांदपुर, बुजहा, पितईपुर, दारापुर, पुरैला वरिस्ता ।

2––सदर ब्लाक–बडुलाही, बनोवारकाछ, ढेरहना, पूरेराज, जमुवारी महुवार, राजापुर ।

उपरोक्त गांव में विद्युतीकरण हेतु अधिक धन की आवश्यकता भी नहीं है यदि मात्र 20 लाख रुपया विशेष परिस्थिति में विद्युत परिषद् धन आवंटन कर देता है तो उपरोक्त गांवों का अंधेरा दूर हो सकता है ।]

जनपद सीतापुर के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित संख्या में चिकित्सक/कर्मचारी तैनात करने एवं उपकरणों/दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार (सीतापुर)–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बेहटा के अन्तर्गत आने वाले सामु० स्वास्थ्य केन्द्र तम्बौर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेउसा, प्रा० स्वा० केन्द्र सेउता, प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र हलीमनगर, प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर मोइया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर (भदफर) में काफी अरसे से अस्पताल के लिये निर्धारित संख्या में चिकित्साधिकारी/कर्मचारी नहीं हैं । जिससे कि उक्त अस्पतालों का कार्य लचर अवस्था में है जिससे मरीजों का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है । इसके अतिरिक्त अस्पतालों में समुचित मात्रा में उपकरणों/दवाओं की भी व्यवस्था नहीं रहती है ।

अतः मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल उपरोक्त उल्लिखित अस्पतालों में निर्धारित संख्या में चिकित्सक/कर्मचारी तैनात करने के साथ आवश्यक उपकरणों/दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।]

जनपद बलिया की टाउन एरिया बिल्थरा रोड के वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा किये गये घोटालों की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुधाकर सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान नगर पंचायत (टाउन एरिया) बिल्थरा रोड, जिला बलिया के वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार के द्वारा किये जा रहे काले कारनामों की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त चेयरमैन ने खड़ंजा को उखाड़ कर उसी ईंट से नया निर्माण कराकर पेमेन्ट करा लिया है, यहां तक डाक बंगला रोड सड़क पर जो कार्य हुआ है वह मानक के अनुसार नहीं हुआ है इसकी टी० ए० सी० जांच होने पर पता चल जायेगा। फ्रेस रोड पर सड़क निर्माण में चोरी की गयी है मानक के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है ऐसे कई कारण हैं नालियों को उखाड़ कर फर्जी पेमेन्ट कर लिया गया है। गलत तरीके से नगर पंचायत की जमीन को पैसा लेकर अवैध रूप से आवंटन किया गया है उक्त चेयरमैन के विरुद्ध नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है परन्तु फर्जी प्रमाण प्रस्तुत कर उच्च अधिकारियों को मिला कर बचे हुए हैं। चेयरमैन द्वारा किये गये कई महत्वपूर्ण कार्यों की जांच जिला के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण द्वारा किया जा रहा है। परन्तु ये प्रभावित कर रहे हैं अधिशासी अभियन्ता भी सही तथ्य को छुपाने में लगे हुए हैं बजट का दुरुपयोग, प्रकाश व्यवस्था में धोखाधड़ी, सफाई के नाम से लाखों की क्षति मरम्मत के नाम पर घोटाला वर्तमान अध्यक्ष का कार्य हो गया है। अधिकारियों को पटा कर कमीशन बाजी के चलते फर्जी कार्य का पेमेन्ट कराना इनका कार्य है। जनता में रोष व्याप्त है ये जनहित का प्रकरण है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने एवं निष्पक्ष जांच कराने एवं चेयरमैन को पद से हटाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से करने एवं कतिपय अधिकारियों/ कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय कुमार पोइया–

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं––

गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की अनियमितता है कर्मचारी अधिकारियों द्वारा दोनों हाथों से खुलकर लूट की जा रही है ट्रान्सफार्मर के फुकने की स्थिति में संबंधित लाइन मैन, जे० ई०, ए० ई० द्वारा कोई सूचना अंकित नहीं करायी जाती है तथा स्वयं पीड़ित पक्ष आकर रिपोर्ट करता है उसके पश्चात् महीनों ट्रान्सफारमर की प्राप्ति के लिये चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा स्वयं लाना तथा ले जाना पड़ता है जिससे गम्भीर प्रभाव पड़ता है उदाहरण के लिये फरह खण्ड के लहारा जो कि अम्बेडकर ग्राम है लाइन मैन द्वारा तार चोरी को स्वयं अधिशासी अभियन्ता मथुरा को लिख कर रिपोर्ट की परन्तु अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी एक के बाद दूसरी घटना घटित हुई इसी प्रकार राधाकुंड की विद्युत लाइन कभी भी सप्लाई बन्द न किये जाने के पूर्व के आदेश हैं जो कि अभी तक स्टेन्ड किये है परन्तु अचानक विद्युत बंद कर दी जाती है। इसी प्रकार सोख अर्डीग ओल फरह बाद खामती, गोवर्धन जतीपुरा में अंधकार रहता है अधिकारी एवं कर्मचारी का पता तक नहीं रहता है लाइनमैन ओल विजेन्द्र की 15 वर्ष तथा गोवर्धन के जे० ई० अग्रवाल आदि 10 वर्षों से अधिक कार्यरत होने के कारण राजनीति में खुलकर भाग लेते हैं तथा अपार सम्पत्ति भी अर्जित कर रखी है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इन अधिकारी/कर्मचारियों को स्थानान्तरण कर के इनकी सम्पत्ति की जांच करके जेल भेजने के साथ विद्युत व्यवस्था समुचित करने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के कतिपय स्थानों पर अत्यधिक वर्षा से हुई फसल के नुकसान से प्रभावित किसानों को पूर्ण माफी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणधीर सिंह–

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा सदर तहसील के गोवर्धन, फरह मथुरा के किसानों की जमीन बरसात के पानी में डूब जाने के कारण फसल बोई नहीं जा सकी है तथा जहां बुवाई भी गयी तो वह बर्बाद भी हो गयी तथा ओला पड़ गये जिससे किसानों के भूखे मरने की स्थिति है इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार पोइया द्वारा भी आबपासी माफी के साथ राहत वितरण की मांग की गयी थी परन्तु अभी तक प्रशासन शासन द्वारा कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है जो कि गम्भीर प्रकरण है जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पूर्ण रूपेण माफी हेतु कदम उठायें जिससे किसानों को राहत मिल सके।]

जनपद फतेहपुर स्थित ग्राम टेसाही खुर्द से नरोत्तम पुल सम्पर्क मार्ग के जनहित में अतिशीघ्र बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुरलीधर–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर, जनपद फतेहपुर यमुना नदी के किनारे स्थित है जिसके कारण भूमि असमतल एवं ऊंची नीची है। आवागमन के लिये उचित डामर मार्ग नहीं है इसी संदर्भ में ग्राम टेसाही बुजुर्ग से ग्राम नरोत्तमपुर सम्पर्क मार्ग को निर्माणाधीन है, केवल ग्राम टेसाही खुर्द तक ही निर्मित कराने की स्वीकृति है जबकि उक्त मार्ग इस देहाती क्षेत्र का प्रमुख सम्पर्क मार्ग है वर्षा के समय छात्रों को इसी मार्ग से शिक्षण हेतु आना जाना पड़ता है यमुना नदी के किनारे से कस्बा के लिये यही एक मात्र सम्पर्क मार्ग है जिसका निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है इस मार्ग से तमाम ग्राम अति पिछड़े गरीब अनुसचित जाति एवं मुस्लिम वर्ग के लोग निवास करते हैं।

अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम टेसाही खुर्द से ग्राम नरोत्तमपुर सम्पर्क मार्ग ब्लाक विजयीपुर, जनपद फतेहपुर को आगणन बनाकर जनहित में निर्माण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।]

शाहजहांपुर स्थित ओसवाल फैक्ट्री द्वारा प्रदूषित जल गिरई नाले में छोड़े जाने के फलस्वरूप फैल रहे प्रदूषण को रोकने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू खां–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उक्त फैक्ट्री द्वारा गिरई नाले में गन्दे व जहरीले पानी के बहाने से जो कुप्रभाव पड़ रहा है की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मार्च, 1998 में भारी मात्रा में गन्दा पानी गिरई नाले में बहाया गया जिससे नाले के किनारे बसे तमाम गांव जैसे कुडी मुडरकमऊ, ललुआपुर, खाजगीपुर, रनधीरपुर, बाबरपुर, नरवा खेरिया टपुआ आदि गांव हमारे विधान सभा क्षेत्र 89 शाहाबाद, हरदोई में आते हैं उक्त गांव में पानी जाने से व जानवरों को पानी पीने से हजारों जानवर व मछलियां मर गये हैं तथा लाखों रुपये की क्षति ग्रामीणों को उठानी पड़ी है तथा जनमानस में प्रदूषण फैलने की सम्भावना प्रबल हो गयी है। यह प्रक्रिया पहले से भी चलती रही है।

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है अतः अविलम्ब उक्त फैक्ट्री द्वारा गन्दे पानी के बहाने के संबंध में जो क्षति हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है। मेरे इस लोक महत्व के प्रश्न के अन्तर्गत ओसवाल फैक्ट्री शाहजहांपुर पर कार्यवाही की जाय और पानी गिरई नाले में बहने से रोकने के कड़े आदेश जारी करने का कष्ट करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ में स्थित हरिश्चन्द्रपुर एवं जमुवा ताल की सफाई कराये जाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामजग–

[मान्यवर, मेंहनगर क्षेत्र में स्थित हरिश्चन्द्र एवं जमुवाआ ताल (ब्लाक ठेकमा, आजमगढ़) में सदैव जल जमाव रहता है जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि पानी में डूबी रहती है। फसलें नष्ट हो जाती हैं और आज तक इन दोनों तालों के पानी की निकासी नहीं हो पायी है। जिले के अधिकारियों की लापरवाही के कारण दोनों तालों के ड्रेनों की समुचित ढंग से खुदाई नहीं हो पाती है। जनहित में अत्यन्त महत्व का विषय है किसानों के हित में अविलम्ब दोनों तालों के ड्रेन की खुदाई किया जाना अति आवश्यक है।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के किसानों की वैध रूप से ले जा रही लकड़ी को नेपाल सीमा पर तैनात पुलिस द्वारा अनधिकृत रूप से रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बिन्दुलाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर में किसानों के खेती की लकड़ी जो कि वन विभाग के नियमानुसार परमिट द्वारा काटकर अभिवान पास उप अरण्यपाल महोदय गोण्डा द्वारा लेकर पचपेड़वा व गैसडी स्टेशनों पर बाहर भेजने के लिये लायी गयी थी इन लकड़ियों को नेपाल सीमा पर तैनात पुलिस द्वारा अनधिकृत रूप से लगभग 7-8 माह से रोक रखा गया है जिसकी वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की गयी और इन लकड़ियों को नियमानुसार वैध तरीके से लायी गयी है अपनी रिपोर्ट शासन को दी है कि यह लकड़ियां वैध तरीके से ही लायी गयी हैं उसके बाद भी शासन द्वारा इस पर कोई निर्णय इतने लम्बे समय तक नहीं लिया गया जिससे इस क्षेत्र के किसानों में काफी आक्रोश एवं क्षोभ है जिसके कारण किसानों को अपने पेड़ बेचने में बड़ी ही कठिनाई हो रही है।

मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के किसानों से जुड़े मामले को सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस लोक महत्व के मामले पर तुरन्त निर्णय लेकर अनधिकृत रूप से स्वार्थवश रोकी गयी वैध लकड़ी को रिलीज करने की कृपा करें।]

जनपद जौनपुर के निर्वाचन क्षेत्र बयालसी में स्थित मुर्तजाबाद सब स्टेशन को ठीक कराने एवं विद्युत व्यवस्था सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश नारायण मुन्ना

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बयालसी, जौनपुर अन्तर्गत मुर्तजाबाद सब स्टेशन 33 के० वी० के अन्तर्गत पड़ने वाले सरैया फीडर तथा उससे सम्बद्ध ग्रामों में विद्युत सप्लाई जर्जर एवं अति प्राचीन तार होने के कारण बाधित रहती है जिससे क्षेत्र में गम्भीर विद्युत संकट उत्पन्न हो गया है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर आप के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त समस्या को शीघ्र दूर करने सम्पूर्ण व्यवस्था के नवीनीकरण तथा आसपास कटौती समाप्त करने की मांग करता हूं।]

जनपद टिहरी गढ़वाल में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त योजनाओं को पूर्ण करने एवं किसानों की क्षतिपूर्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाखीराम जोशी–

[मान्यवर, जिला टिहरी गढ़वाल में बालगंगा, धर्मगंगा व भिलंगना नदियों में 2/3 अगस्त, 97 को आई भारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों, विद्युत लाइनों, पेयजल योजनाओं, पन चक्कियों, पैदल रास्तों, पुलों के पुनर्निर्माण हेतु जिला अधिकारी द्वारा राहत आयुक्त एवं सम्बन्धित विभागों सहित उत्तरांचल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास विभाग को क्षति की रिपोर्ट भेजी थी जिसमें योजनाओं के सुधार एवं पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की मांग की गयी थी परन्तु अभी तक बाढ़ से क्षतिग्रस्त योजनाओं के लिये शासन से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। परिणामस्वरूप जनता में हाहाकार मचा है और समस्त कृषि खेती बंजर हो गयी है। उक्त प्रभावित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप्प है। पेयजल सिंचाई आवागमन आदि सुविधाओं से जनता पूर्णतः वंचित है खाद्यान्न के अभाव में सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर हैं आटा पीसने वाली पनचक्कियों के बह जाने से आटा पीसने की समस्या भी गम्भीर है।

शासन, प्रशासन की उदासीनता से क्षेत्र की एक लाख से अधिक जनसंख्या को जीवन यापन का गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि तत्काल क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनः निर्माण हेतु आर्थिक सहायता न दी गयी तो गम्भीर संकट और गम्भीर हो जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस अत्यन्त महत्व के प्रश्न को स्वीकार कर बाढ़ से क्षतिग्रस्त योजनाओं के लिये वांछित धन उपलब्ध कराने के निर्देश करें।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पेयजल समस्या के समाधान हेतु हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

[मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट है। गर्मी के दिनों में प्यास के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पेयजल के गम्भीर संकट के बावजूद हैण्ड पम्प लगाने में पक्षपात पूर्ण रवैया लगातार अपनाया जा रहा है। मेरे सूची देने के बावजूद तथा कुछ हैण्ड पम्पों की स्वीकृति के बावजूद जल निगम अधिकारियों द्वारा आज तक हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये जिससे भयंकर संकट पैदा होने की आशंका है जिसका जनहित में निदान अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से तत्काल समस्या के निराकरण हेतु एवं अब तक के दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन, थाना कदौरा की पुलिस द्वारा अल्ताफ उर्फ मुन्ना को अकारण लाठियों से पीटने वाले पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, अल्ताफ उर्फ मुन्ना पुत्र ताल मुहम्मद की थाना कदौरा, जनपद जालौन की पुलिस ने दिनांक 18-3-98 को सरे आम कस्बे के लोगों के सामने अकारण ही लाठियों से मारपीट की तथा झूठे मुकदमें में फंसा दिया। थानाध्यक्ष श्याम सिंह यादव कदौरा ने बहुजन समाज पार्टी के नगर के सभी कार्यकर्ताओं को धमकी भी दी है यदि समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं ली तो एक-एक कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमा लगाकर बन्द किया जायेगा चूंकि अल्ताफ उर्फ मुन्ना की अकारण मारपीट से पूरे नगर के लोग भयभीत हैं तथा कभी भी किसी कार्यकर्ता व नागरिक को अकारण बन्द किया जा सकता है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी में विकास विभाग योजनाओं में आवंटित सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अति महत्वपूर्ण लोक महत्व की सूचना लाना चाहती हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी के विकास विभाग योजनाओं में भयंकर रूप से धांधली एवं मनमानी की जा रही है सामूहिक ऋण योजना में रमिया बेहड़ एवं निघासन ब्लाकों में लगभग 20-20 लाख की अनुदान राशि शासन द्वारा दी गयी थी जिसे पात्र लोगों को न देकर भारी घपले किये गये हैं ।

सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया आप सम्पूर्ण प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

जनपद बांदा में पैलानी–तसड़ा मार्ग पर सिन्धन कला के पास तर्रा नाले पर शीघ्र पुल निर्माण की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि वर्ष 1989 में तत्कालीन लोक निर्माण राज्य मंत्री जी ने जनपद बांदा में पैलानी–तसड़ा मार्ग पर सिन्धन कला के पास तर्रा नाले पर लगभग 90 मीटर लम्बे पुल का शिलान्यास किया था । दुर्भाग्य से आज तक उक्त पुल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ तक नहीं हुआ है इससे क्षेत्र की जनता अत्यन्त उद्वेलित है और किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

अतः अपेक्षा है कि उक्त पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाय ।]

जनपद मैनपुरी में आपराधिक व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराध के मुकदमें संबंधित थानों में दर्ज करने तथा पुराने दर्ज मुकदमों पर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, जनपद मैनपुरी में दिनांक 28-2-98 को जिलाधिकारी, मैनपुरी के निवास स्थित कार्यालय पर क्लर्कों कर्मचारियों की असामाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से पिटाई की गयी कर्मचारियों के संगठन ने पदाधिकारियों ने घटना में दोषी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही करने की मांग की परन्तु अभी तक अभियुक्तगणों के विरुद्ध न तो मुकदमा पंजीकृत किया गया और न ही कोई कार्यवाही हुई जिससे जनपद के सभी कर्मचारियों व जनता में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश व क्षोभ व्याप्त है तथा कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है । इसी तरह की जनपद मैनपुरी में असामाजिक व अपराधी तत्वों ने सरेआम कानून तोड़कर जंगल का राज कायम किया । उदाहरण के तौर पर अपराध संख्या 44-98 थाना बिछवां, अपराध संख्या 63/98 थाना कोतवाली भोगांव, अपराध संख्या 84/98 धारा 395 आई० पी० सी० थाना बेवर व अपराध संख्या 97-98 धारा 307 आई० पी० सी० थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी में घटना करने वालों के विरुद्ध न तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई और न अन्य कोई कार्यवाही जिससे कानून का राज खत्म हो गया, इन बातों को लेकर जनता आन्दोलित है तथा घटना में शामिल अपराधी सरेआम घूम रहे हैं ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने एवं पूर्व में उक्त पंजीकृत मुकदमों में गिरफ्तारी किये जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश की पालिकाओं में कार्यरत अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान सभी सुविधायें दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश पालिकाओं के अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को पेंशन तथा उपादान के भुगतान में भेदभाव पालिकाओं के अकेन्द्रीयत कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन तथा अन्य उपादानों में भारी असमानताएं हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर बढ़ती महंगाई में दृष्टिगत करते हुए राहत प्रदान की जाती है तथा राज्य कर्मचारियों को आजन्म पेंशन दी जाती है जबकि पालिकाओं के अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को मात्र 5 वर्ष (अवकाश प्राप्ति की तिथि से) तक ही पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है। दूसरे स्थानीय निकाय जिला पंचायतों की पेंशन शर्तें भी इनसे बहुत बेहतर हैं।

अतः इन असमानताओं को दूर करते हुए शासनादेश अविलम्ब जारी करने पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि एक ही श्रेणी के दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है।]

जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार आदि की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से फर्जी एग्रीमेंट, फर्जी मस्टर रोल, फर्जी खरीद से सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया गया है जिसके कारण क्षेत्र की नहरें खस्ताहाल हैं टेल तक पानी कौन कहे हेड़ों पर भी पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसल सूख गयी दूसरी तरफ फर्जी सिंचाई लिखकर ये अधिकारी किसानों पर दोहरी मार कर रहे हैं जिससे किसान बहुत ही त्रस्त हैं। इस खण्ड के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री पी० सी० श्रीवास्तव के विरुद्ध कुछ गम्भीर शिकायतें दिनांक 8-5-97 को माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को दी गयी थी जिसमें प्रमुख अभियन्ता को माननीय मंत्री के पत्रांक 41 ई/आई०/वी०आई०पी० द्वारा जांच किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

श्रीमान् जी पूरे एक वर्ष इस गम्भीर शिकायत की जांच करने में लगा दिये गये हैं परन्तु अभी तक कोई भी परिणाम नहीं सामने आया। श्रीमान् जी वर्तमान में जांच अधिकारी ने मेरे साथ एक बैठक कर जांच के जो बिन्दु जांच हेतु तय किये उन पर भी अभी तक कोई जांच नहीं किया। मिट्टी के कार्य तो कतई किसी एक भी माइनर पर न होना आश्चर्य है।

श्रीमान् उपरोक्त गम्भीर शिकायत की जांच न करने के भ्रष्ट अधिकारी का जहां मनोबल बढ़ता है वहीं नेक ईमानदार अधिकारी को हतोत्साहन होता है साथ ही नहरों की कार्य क्षमता बुरी तरह प्रभावित होने से उत्पादन पर भारी असर पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से पूरी जांच समयबद्ध करने दोषी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा गलत ढंग से निकाले गये धन की ऐसे अधिकारियों से वसूली की मांग करता हूं।]

प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दिलीप कुमार वर्मा–

[मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12-1-95 को प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिये कर दिये हैं इस संबंध में शासनादेश संख्या 735/36/6-15 (टी)-7, दिनांक 12 नवम्बर, 1979 में पारित किया है कि जब तक प्रशिक्षु उपलब्ध हैं तब तक यथा सम्भव सीधी भर्ती न की जाये किन्तु खेद है कि अब तक उक्त आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से प्रशिक्षु आन्दोलनरत हैं और विस्फोटक स्थिति पैदा होती जा रही है। इससे बचने के लिये आवश्यकता आ पड़ी है कि शासनादेश संख्या 735/36-6-15 (टी)70, दिनांक 12 नवम्बर, 1979 के अनुसार इसे परिषदादेश में परिणित करके प्रशिक्षुओं की नियुक्ति तुरन्त प्रारम्भ कर दी जाय।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर ध्यान दिया जाये और राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों को प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु आदेशित किया जावे।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर के थाना खीरी के ग्राम मुहम्मदाबाद के पास परिवहन निगम की बस को लूटने में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर के थाना खीरी के ग्राम मुहम्मदाबाद के पास विगत माह मार्च, 1998 की रात्रि में परिवहन निगम की बस असलहाधारी बदमाशों द्वारा लखीमपुर खीरी सीतापुर राजमार्ग पर पेड़ काटकर डाल देने से लूट ली गयी जिसमें तमाम यात्रा कर रहे यात्रियों का लाखों रुपया व कीमती सामान लूट लिया गया है यह पुलिस की निष्क्रियता का द्योतक है, इतना ही नहीं अभी तक घटना में शामिल कोई भी अपराधी पकड़ा भी नहीं गया है इससे कानून व्यवस्था पर एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लग गया है । जनता में भारी भय, क्षोभ व आक्रोश व्याप्त है । पुलिस प्रशासन द्वारा इसको बहुत हल्के तरीके से लिया जा रहा है । समय रहते कर्तव्य परायणता में दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कार्यवाही न की गयी और दोषी अपराधी पकड़े न गये तो जनता आन्दोलित हो जायेगी घटना अत्यन्त गम्भीर है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार किये जाने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ स्थित गोमतीनगर के विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या 4/21 भूस्वामी को आवंटित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्वनाथ–

[मान्यवर, वर्ष 1988 से ही श्री राज्यपाल, माननीय मुख्य मंत्री, मा० आवास मंत्री, मुख्य सचिव, आवास सचिव, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ का ध्यान भू-स्वामी व माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भूखण्ड सं० 4/21 विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को श्री राम किशोर व राम चन्द्र के पक्ष में आवंटन की ओर आकृष्ट किया जा रहा है ? अनेकों बार उच्चादेश भी हुए हैं, (माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ) खण्डपीठ ने भी आवंटित निर्देश दिया है कि श्री राम किशोर पुत्र श्री दुलारे द्वारा दिनांक 22-8-97 से 04-9-97 तक विधान भवन के समक्ष आमरण अनशन भी किया गया । लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रशासन द्वारा आवंटन हेतु आश्वस्त भी किया गया । उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी पूर्व में यह प्रकरण उठ चुका है कि श्री दुलारे श्री राम किशोर व श्री राम चन्दर द्वारा अपनी ही अधिग्रहीत भूमि के भूखण्ड को अपने हक में आवंटित किये जाने की मांग की जा रही है जिसका मुआवजा भी भूस्वामियों द्वारा नहीं लिया गया है । यह नीति भी अधिग्रहण के समय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी थी ? लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन के प्रश्न पर की जा रही हठ उपेक्षा व नकारात्मक प्रयास के चलते भूस्वामी सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं व बुद्धजीवियों में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है । भूखण्ड सं० 4/21 (उक्त) के आवंटन की मांग उचित, मानवीय नीति व नियम सम्मत है ।

अविलम्बनीय महत्व के इस मामले में आपकी अनुकम्पा से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भूखण्ड संख्या 4/21 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ को श्री राम किशोर व श्री राम चन्दर पुत्रगण श्री दुलारे निवासी ग्वारी गोमतीनगर लखनऊ के पक्ष में अविलम्ब आवंटन की मांग करता हूं ।]

जनपद लखीमपुर खीरी स्थित कस्बा गोला में पूर्व स्वीकृत अधूरे बने बाईपास को पूर्ण बनवायें जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अरविन्द गिरि एवं श्री मोती लाल–

[मान्यवर, छोटी काशी के नाम से विख्यात परम पावनी गीला नगरी प्रदेश और देश में अपना विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है इस नगर के सुन्दरीकरण के लिये विभिन्न योजनाएं तैयार की गयीं जिसमें गोला नगर का बाईपास सबसे प्रमुख कार्य था जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय भी किया जा चुका है इस बाईपास के लिये किसानों की उपजाऊ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका है इस बाईपास के लिये किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका है लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह कार्य अधर में लटका है जिसके अभाव में लाखों तीर्थ यात्रियों तथा हजारों नागिरकों को दैनिक कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है । क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने कई बार जिला प्रशासन से एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से स्वयं सम्पर्क करके अनुरोध किया कि लोक महत्व के इस बाई पास के निर्माण कार्य को शीघ्रतातिशीघ्र पूरा करा लिया जाय लेकिन विभागीय उदासीनता और सरकारी शिथिलता के कारण यह कार्य वर्षों से अधर में लटका है काफी बड़ी मात्रा में सरकारी पैसे का व्यय किया जा चुका है लेकिन निर्माण कार्य पूरा न होने से जनता को निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः लोक महत्व के इस विस्तृत एवं तात्कालिक विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सरकार से मांग करता हूं कि गोला बाईपास का निर्माण कार्य शीघ्रताशीघ्र पूरा करायें । ।

जनपद खीरी के कस्बा गोला को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर विकसित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामेश्वर सिंह यादव–

। मान्यवर, भूत भावन भगवान शंकर की नगरी गोला गोकरणनाथ से माननीय सदन का सदस्य होने के नाते मेरा परम कर्तव्य बनता है कि माननीय सदन को अवगत कराना है कि विगत 20-25 वर्षों से पवित्र नगरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग होती रही है । यही नहीं समय-समय पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्य मंत्री एवं अन्य राजनेता पवित्र भूमि पर आकर नगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का आश्वासन देते रहे हैं । माननीय सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि छोटी काशी के नाम से प्रख्यात यह शहर धार्मिक धरोहर ही नहीं वरन् हिन्दू मुसलमान सिख इसाई की गंगा जमुनी संस्कृति के लिये यह महत्वपूर्ण शहर है । एशिया का सबसे बड़ी चीनी मिल वहीं है पर्यटन क्षेत्र की महत्ता इसलिये भी बढ़ जाती है कि देश का प्रख्यात पार्क दुधवा नेशनल पार्क के लिए भी इसी नगर से जाना होता है और यह मात्र 50 कि०मी० दूरी पर है ।

अतः सदन का विश्वास लेते हुए आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित कर जनपद खीरी के प्रमुख पवित्र नगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर अविलम्ब नगर का जीर्णोद्धार कराने का कष्ट करें । ।

लालबाग आफीसर्स कालोनी लखनऊ स्थित इमारत की सभी लिफ्टों की मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

।मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का यह विषय लाना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों की 7 मंजिली लालबाग आफिसर्स कालोनी लालबाग लखनऊ में लगी चारों लिफ्टें अत्यन्त जीर्ण शीर्ण हालत में है । अब तो उनके चलने पर आवाजें भी बहुत आती है मगर उनके रखरखाव पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । ओटिस कम्पनी पर उक्त लिफ्टों के मेन्टेनेन्स का पैसा भी बकाया है ओ० सी० आर० कालोनी लखनऊ में पूर्व में एक लिफ्ट दुर्घटना हो चुकी है इससे पहले कि लालबाग आफिसर्स कालोनी में भी कोई दुर्घटना हो उक्त लिफ्टों को तत्काल ठीक कराने एवं उनके समुचित रखरखाव के आदेश शासन द्वारा जारी किये जाने अध्यासियों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है ।

कृपया उक्त विषय आज सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें । ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद उन्नाव के थाना मौरावां की पुलिस द्वारा अकारण लाठी चार्ज किए जाने के दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज यादव–

महोदय, मेरे विरुद्ध दिनांक 17-2-98 को थाना मौरावां जनपद उन्नाव में थानाध्यक्ष मौरावां द्वारा मनगढ़ंत रपट संगीन धाराओं में स्वयं लिखाई गई । रपट में मुझे तथा मेरे साथियों को फर्जी तरीके से फंसाया गया है । जबकि वास्तविकता यह है कि मैं कुछ मामलों को लेकर के थाना मौरावां गया था । मैंने थाना अध्यक्ष से वार्ता करनी चाही, तो थानाध्यक्ष द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, साथ ही उसने मुझसे बात करने से मना कर दिया । इसके विरोध में मैं धरने पर थाने में ही बैठ गया तथा मैंने पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी से भी वार्ता करने के लिए कहा परन्तु बात नहीं कराई गई । धरने की सूचना पाकर उस क्षेत्र के मौरावां के आस-पास के कुछ लोग एकत्रित हो गये लगभग दो घन्टे बाद क्षेत्राधिकारी पुरवा पुलिस बल लेकर के मौरावां थाने आए तथा बिना किसी वार्ता के सीधे मेरे तथा मेरे समर्थकों पर लाठी चार्ज कराया जिसमें तमाम साथी घायल हो गये पड़ोस के एक छप्पर में आग लगाकर फर्जी तरीके से मेरा तथा मेरे साथियों पर मुकदमा कायम करा दिया दूसरे दिन पुलिस बल ने मेरे तथा मेरे समर्थकों के गांव में जाकर घरों से पकड़कर फर्जी तरीके से बंद किया साथ ही गांव की महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया ।

इस प्रकार मेरे तथा मेरे साथियों के विरुद्ध कायम किए जमा मुकदमा मनगढ़न्त एवं फर्जी हैं ।

अतः यह अविलम्बनीय लोक महत्व एवं मा० सदन के सदस्यों की मर्यादा तथा सम्मान का प्रश्न बन गया है ।

अनुरोध है कि नियमों का निलम्बन कर तत्काल इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान की जाय । ।

जनपनद फैजाबाद में बदमाशों द्वारा सशस्त्र डकैतियां डाले जाने के कारण फैली अव्यवस्था को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अवधेश प्रसाद–

महोदय, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो चुका है । चोरी, डकैती, हत्या, राहजनी दिन दूना रात चौगुनी गति से बढ़ गई है ।

कल दिनांक 24/25 की रात को मेरे जनपद फैजाबाद स्थित मेरे विधान सभा क्षेत्र सोहावल के गांव जगनपुर, थाना रौनाही, फैजाबाद में बदमाशों ने अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर रात को गांव पर हमला बोल दिया जिसमें दर्जनों लोग यहां तक कि मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सबके गम्भीर चोटें आईं । तोहा खां नामक 45 वर्षीय व्यक्ति को डकैतों ने प्राण घातक हमला करके इतनी चोटें पहुचाई कि मेडिकल कालेज लखनऊ में उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है । ये चोंटें जानलेवा हैं और खुलकर बदमाशों ने फायर किया । उनकी पत्नी की हालत चिंताजनक है । मेडिकल कालेज में भर्ती है इसी प्रकार अभी हाल में बगल के गांव रसूलपुर में भी डकैतों ने दर्जनों घरों में डकैतियां कीं । एक व्यक्ति की हत्या कर दी । इसी दिन सुचितागंज बाजार में अवधेश सिंह नामक भूतपूर्व सैनिक को डकैतों ने

नोटः– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डकैती, करते समय जान से मार दिया सारा सामान लूट-पाट कर लिया । दर्जनों चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनायें हुई । जांव थाना रौनाही से लगे हुए हैं । आज तक स्थानीय पुलिस किसी मामले में न तो गिरफ्तार कर सकी है न कोई कार्यवाही कर सकी है । यहां तक कि लोगों को सुरक्षा के लिए लाइसेंस भी नहीं दिया गया है । समूचे क्षेत्र और जनपद का यही हाल है और प्रदेश के विभिन्न जनपदों का यही हाल है । प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है । जंगल का राज हो गया है । लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है विशेष तौर से अल्प संख्यक समुदाय के लोग तथा गरीब लोग अनु० जाति के लोग अपने को बेहद असुरक्षित पा रहे हैं ।

आपसे निवेदन है कि यह गम्भीर मामला है अविलम्बनीय लोक महत्व का है, सदन की समस्त कार्यवाही रोककर नियमों को शिथिल करते हुए इस गम्भीर मुद्दे पर चर्चा चलाई जाए ।]

श्री रामवीर उपाध्याय स०वि०स० की सुरक्षा व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामवीर उपाध्याय–

महोदय, वर्तमान सरकार ने राजनैतिक द्वेश की भावना से मेरे खिलाफ दिनांक 11-02-98 को मुकदमा अपराध संख्या 12/98 थाना हाथरस गेट में फर्जी दर्ज कराया । इसके उपरान्त मुझे रिट संख्या 23768/95 के अन्तरिम आदेश के द्वारा ही हुई संस्था को वापस कर दिया । पुलिस अधीक्षक महामाया नगर श्री पी० बी० रामाशास्त्री के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी हो चुका है । इसके बावजूद भी उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की है । भाजपा के पूर्व विधायक [x x x] मेरे ऊपर पहले दो बार हमला कर चुके हैं । जिसमें एक मेरा आदमी मारा गया और एक की बाजू अलग कट चुकी है । भाजपा के पेशेवर हत्यारे [x x x] पूर्व विधायक, भूपेन्द्र सिंह, बौबी आदि मेरी हत्या का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं । जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है, क्योंकि मेरे जीवन को अत्याधिक भय हो गया है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री रामेश्वर सिंह यादव स०वि०स० के कार्यकर्ता श्री राकेश कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० अशोक बाजपेयी–

[महोदय, माननीय सदस्य, श्री रामेश्वर सिंह यादव के विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत करने तथा इनके कार्यकर्ता की हत्या के मामलें में प्रशासन द्वारा गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में विधान सभा के मा० सदस्य श्री रामेश्वर सिंह को झूठे मुकदमें में अपराध संख्या 40/98 धारा 395/397 थाना जैथरा जनपद एटा में फंसाने का काम स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया तथा इनके कार्यकर्ता राकेश कुमार की हत्या कर दी गयी और उस मामलें में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । सत्ता और शासन के दबाव में हत्या जैसे गम्भीर मामलें में अभियुक्तों को बचाने और मुकदमें को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[x x x] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इन अपराधिक घटनाओं के बाद शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से मा० सदस्य, श्री रामेश्वर सिंह यादव का जीवन खतरे में पड़ गया है तथा झूठे मुकदमे[1] में फंसाकर उनके राजनैतिक जीवन को समाप्त करने का कार्य सत्तापक्ष द्वारा किया जा रहा है। इससे जनता में भय और आक्रोश व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा चाहता हूं।।

जनपद छत्रपति शाहू जी महराज नगर बरगढ़ में कान्टीनेन्टल फ्लोट् ग्लास फैक्ट्री लि० की स्थापना हेतु विदेशों से मंगाई गई मशीनों को सरकार द्वारा मुम्बई बन्दरगाह से अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र यादव–

।महोदय, जनपद छत्रपति साहू जी महराज नगर बरगढ़ में कान्टीनेन्टल फ्लोट् ग्लास फैक्ट्री लि० की स्थापना हेतु वर्ष 89 में तत्काली स्व० प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा शिलान्यास किया गया था और उक्त फैक्ट्री के निर्माण में अब तक करीब 300 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है। यह कागज उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा संयुक्त क्षेत्र में फ्लोट् ग्लास के उत्पादन हेतु स्थापित किया जा रहा था, जिसमें कुछ विदेशी कम्पनियां भी शामिल हो रही थीं। कारखाने में लगाने हेतु रु० 100 करोड़ की धनराशि अदा करके वर्ष 91 में पानी के जहाजों से मुम्बई बन्दरगाह में मशीनें लगायी गयी थीं। किन्तु उ० प्र० खनिज राज्य विकास निगम द्वारा बदरगाह का ड्यमेज तथा सीमा शुल्क आदि की धनराशि न अदा करने के कारण उक्त बंदरगाह में पड़ी हुयी सभी मशीनों को केवल 5 करोड़ रुपये की धनराशि में 6 मार्च 1998 ई० को बी० डी० ओ० कांन के पक्ष में नीलाम कर दिया गया है और यदि नीलामी को रद्द करके मशीनों को उ० प्र० सरकार द्वारा अवमुक्त न कराया गया तो नीलामी का पुष्टिकरण करके बी० डी० ओ० कांन के पक्ष में मशीनें दे दी जाएंगी। ऐसा होने से कम्पनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और दस्यु प्रभावित उद्योग शून्य बुन्देलखण्ड के हजारों बेरोजगारों को रोजगार से वंचित हो जाना पड़ेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने हेतु सदन की कार्यवाही स्थगित करने की कृपा करें।।

जनपद झांसी के ग्राम कोछाभांवर के निवासी श्री लाल सिंह को पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

।महोदय, दिनांक 2 मार्च को झांसी नगर के नवावाद थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कोछाभावंर के दलित परिवार का अपनी विधवा मां का इकलौता बेटा लाल सिंह पुत्र स्व० अतर सिंह जब शहर से मजदूरी करके वापस आ रहा था रास्ते म लगभग 8 बजे उसे नशे में धुत पुलिस के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और नईम नामक कुख्यात बदमाश बताकर उसका एनकाउन्टर कर दिया गया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लाल सिंह चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा था कि मैं कोछाभावंर का लाल सिंह हूं लेकिन एक नहीं सुनी और गोली मारकर हत्या कर दी गई प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देने पर ग्राम वासियों द्वारा न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पर उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया और पूरे क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया है। एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा इस घटना को उजागर करने पर उनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[1] । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

साथ बदसलूकी की गई उन्हें धमकी दी गई जिससे जनपद के पूरे पत्रकारिता क्षेत्र में भय एवं असन्तोष व्याप्त है । अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के ग्राम खरूगांव में अम्बेडकर प्रतिमा के पास होलिका दहन के विवाद को लेकर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग एवं गिरफ्तारी की जांच हेतु सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नक्षत्र–

[महोदय, ग्राम खरूगांव तहसील रसड़ा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में विगत दिनांक 13-3-98 को अम्बेडकर प्रतिमा के पास होलिका दहन के विवाद को लेकर सुबह लगभग 10 बजे से 12 बजे तक के बीच पुलिस प्रशासन एंव पी० ए० सी० द्वारा गोलीबारी की गयी । जिसमें दलित समुदाय के दो लोगों को गोली लगी तथा दो व्यक्तियों के हाथ पैर टूट गया । लाठी चार्ज के दौरान बहुत से लोगों को चोटे आयीं । दलित समुदाय के 27 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम किया गया । अभी भी पुलिस उत्पीड़न के कारण दलित बस्ती के अधिकांश लोग घर से पलायन कर चुके हैं । इसी घटना में श्री घूराराम पूर्व मंत्री को रासुका में फर्जी तरीके से बन्द किया गया है । कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की कृपा करें ।]

जनपद झांसी की विश्व विद्यालय चौकी पर कार्यरत पुलिसजनों द्वारा श्री लाल सिंह की फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने के दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सतीश जतारिया एवं श्री इन्द्रजीत सरोज–

[महोदय, दिनांक 2-3-98 को विश्वविद्यालय चौकी थाना नाबाबाद जनपद झांसी की पुलिस द्वारा श्री लाल सिंह उर्फ लाली का इनकाउन्टर कर दिया गया तथा उसे नईम बताया गया था । उक्त फर्जी इनकाउन्टर के उपरान्त स्थानीय जनता जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी श्री तिलकचन्द अहिवार एवं मैं स्वयं जब घटना स्थल पर पहुंचा तथा पुलिस के फर्जी इनकाउन्टर को पर्दाफाश किया गया तथा जांच करने की मांग करने लगे तो उक्त अवसर पर श्री अशोक त्रिपाठी सी० ओ० पुलिस बल के साथ स्थानीय जनता एवं मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया गया और पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा गया । उक्त घटना से जनता में आक्रोश व्याप्त है स्थिति आज भी विस्फोटक बनी हुई है । अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद लखनऊ के कस्बा काकोरी में होलिका दहन के दिन सगे भाइयों की अमीरुद्दीन व जियाउद्दीन की की गई हत्या के दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम किशोर यादव एवं श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

महोदय, हम विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम–311 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सदन को एक लोक महत्व की सूचना दे रहे हैं . प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नाक के नीचे विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत कस्बा काकोरी में दिनांक 12.3.98 को होलिकादहन के अवसर पर दो सगे मुसलमान भाईयों, अमीरुद्दीन व जियाउद्दीन पुत्र स्व० श्री नूर मुहम्मद की हत्या पोल्ट्री फार्म पर पूर्व नियोजित योजना के तहत कर दी गई, जिसके कारण कस्बे में तनाव व्याप्त हो गया है और इस कारण सुलगता हुआ ज्वालामुखी कभी भी फूट सकता है और दो सम्प्रदायों के बीच अभी तक बना हुआ

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सौहार्दपूर्ण रिश्ता टूटकर एक भयंकर स्थिति पैदा कर सकता है। उपरोक्त दोनों भाई अपने पोल्ट्री फार्म की रखवाली कर रहे थे। इसके पूर्व उनका एक छप्पर उठाकर ले गये थे और होली में डाल दिया था। इतने पर भी उपरोक्त दूषित मानसिकता वाले इन असामाजिक तत्वों ने पोल्ट्री फार्म के छप्पर को भी जलाने की नीयत से पोल्ट्री फार्म पर हमला किया और जब उपरोक्त दोनों भाईयों ने अपनी उस सम्पत्ति को बचाने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी और निर्दयता से दोनों भाईयों की निर्मम हत्या कर दी। होली के दिन इन तत्वों ने साम्प्रदायिकता की आग से कस्बा काकोरी को जलाने का भरसक प्रयास किया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जब पोल्ट्री फार्म पर लुटे हुए उपरोक्त दोनों ही भाईयों से इन अराजक तत्वों का झगड़ा हो रहा था और उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था इसकी सूचना मृतक के बड़े भाई ने लगभग 100 मीटर दूरी पर स्थित पुलिस चौकी काकोरी को दी और पुलिस चौकी पर कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा बड़े भाई को चौकी पर बिठाये रखा गया और इसी बीच उसके दोनों भाईयों की निमर्म हत्या कर दी गई यदि पुलिस कर्मी सूचना पाने पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंच जाते तो यह हत्याकांड न होता। ऐसी स्थिति में यह कस्बा अभी भी साम्प्रदायिकता की आग की कगार पर है और कभी भी कोई लोमहर्षक घटना घट सकती है जिसके कारण लोग दहशत में जी रहे हैं और उनकी सुरक्षा का किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध न होने के कारण हम अत्यन्त चिन्तित हैं। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त नियम-311 के अन्तर्गत इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें ताकि सारे तथ्य सदन की संज्ञान में आ सकें और प्रभावी कार्यवाही हेतु आप शासन को निर्देशित कर सकें।।

जनपद कानपुर नगर के ग्राम महिपालपुर तहसील-बिल्हौर में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाए जाने तथा दोषियों को गिफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजाराम पाल एवं श्री भगवती प्रसाद सागर–

। महोदय, ग्राम-महिपालपुर तहसील–बिल्हौर जनपद-कानपुर नगर के साथ अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को दिनांक 8 मार्च, 1998 को उ० प्र० सरकार के एक मंत्री [x x x] की मौजूदगी में उक्त मंत्री के पुत्र एवं असामाजिक तत्वों द्वारा लूटा गया तथा उन लोगों को मारा पीटा गया तथा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उक्त घटना के उपरान्त पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश एवं भय व्याप्त है। किसी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अस्तु इस अति महत्व के प्रकरण पर सदन की समस्त कार्यवाही निलम्बित कर चर्चा कराई जाय।।

प्रदेश में राजनैतिक कार्यकलापों का उत्पीड़न एवं निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनीराम वर्मा एवं श्री शिव पाल सिंह यादव–

। महोदय,प्रदेश की सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था स्थापित करने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह हट गई है और राजनैतिक विरोधियों को फासिस्ट तरीके से निपटाने में लगी हुई है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हत्या, उनके घरों व प्रतिष्ठानों पर डकैती व उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने का सिलसिला चल रहा है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न व निर्दोषजनों की हत्या में लिप्त सरकारी मशीनरी के कुकृत्य से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस क्रम में जनपद कानपुर के

---

* वक्ता ने भाषा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट : [x x x] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

महिपालपुर काण्ड, लखनऊ जनपद के काकोरी उमराऊ खेड़ा, तुलसी खेड़ा, जनपद गोरखपुर के चौरीचौरा, जनपद बलिया के खरूगांव व चितबड़ागांव, जनपद मऊ के परसिया-आजमगढ़ में हुए बर्बर उत्पीड़न आदि का उदाहरण रखते हुए आपसे आग्रह है कि सदन के समस्त नियमों को निलम्बित करते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें ।]

श्री राम अचल राजभर स०वि०स० को दी जा रही धमकियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम अचल राजभर, श्री लालजी वर्मा तथा श्री आर० के० चौधरी–

[महोदय, बारहवीं लोक सभा के चुनाव से ही आये दिन मेरे पास तरह-तरह की धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे समाज के चिन्ताराम एवं कृष्णा राम राजभर को मौत के घाट उतार दिया गया उसी तरह तुम्हारी भी हत्या हो जायेगी । तुम्हे कोई नहीं बचा पायेगा । इस तरह मेरे ऊपर जीवन का गम्भीर खतरा हो गया है किसी भी समय गम्भीर घटना हो सकती है ।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि नियम–311 के अन्तर्गत नियमों को निलम्बित कर इस प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की अनुमति दी जाये ।]

बरेली नगर में चल रहे अवैध शराब के धन्धे को जनहित में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री छोटे लाल गंगवार–

[महोदय, जनपद बस्ती बरेली में अवैध शराब का धन्धा सरकारी ठेकेदारों के समानान्तर चल रहा है । इस अवैध धन्धें में पुलिस-प्रशासन व आबकारी विभाग की मिली जुली सांठ-गांठ है । इस अवैध शराब से सैकड़ों व्यक्तियों की मौत हो चुकी है । 26 मौतों की पुष्टि तो जिला प्रशासन ने अब तक की है तहसील बरेली के ग्राम हरूनगला में 11, ग्राम भरवौल में 8 बरेली महानगर के मो० ऐजज नगर में इस्माइल मो० जोगी नबादा में ओम गिरी ग्राम सिसैया में राजकुमार तथा तहसील नवाबगंज के ग्राम उदरनपुर में बनवारी लाल गंगवार पूर्व प्रधान, पूरन लाल मौर्य ग्राम चकुआ में बंशीधर मौर्य तथा कोठ मक्खन में बांकेलाल गंगवार पूर्व प्रधान की अवैध जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गयी और तमाम लोग अस्पतालों में भर्ती हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन की आज की नियमित कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में राजनैतिक विरोधियों का उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकपति त्रिपाठी एवं डा० अम्मार रिजवी–

[महोदय, प्रदेश की मौजूदा सरकार द्वारा राजनैतिक विरोधियों के साथ बदले की भावना से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है । सत्तारूढ़ दल के लोग विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमें में फंसा रहे हैं । यहां तक कि पूर्व मुख्य मंत्री जगदम्बिका पाल के परिवारजनों के ऊपर बस्ती के लालगंज थाने में दरोगा से फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है । एफ०आई०आर० में पहले कुछ धारायें लिखी गयीं बाद में सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने उत्पीड़न की नीयत से 7 क्रिमनल अमेन्डमेन्ट एक्ट भी लगा दिया गया । श्री पाल के लखनऊ स्थित 11 अशोक मार्ग के घर पर भी विगत 23 फरवरी, को भाजपा के द्वारा प्रदेश बन्द के आह्वान पर असामाजिक तत्वों द्वारा उनके घर पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] 1 अंक प्रदत्त हुआ माना गया ।

तोड़फोड़ की गयी तथा परिवार पर हमला किया गया । इसी तरह का प्रयास बस्ती के घर पर भी हुआ । इसके बावजूद शासन के आदेश पर उनकी सभी सुरक्षा व्यवस्था वापस कर ली गयी है । आज सत्ता में बैठे लोग अपने विरोधियों को प्रशासन का दुरुपयोग करके प्रताड़ित कर रहे हैं । आये दिन विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की सुनियोजित ढंग से हत्यायें हो रही हैं । वर्तमान सरकार में विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार हो रहा है । देवरिया जनपद के पथरदेवा काण्ड को अभी जनता भूल भी नहीं पायी है पुनः आबकारी मंत्री के इशारे पर उनके समर्थकों एवं आबकारी विभाग के सिपाही एवं ठेकेदारों के गुण्डों ने कसया विधान सभा के भैंसहा गांव में गरीबों पर जुल्म ढाया तथा एक महिला ओमवती के साथ बलात्कार किया गया । फिर भी प्रशासन दोषी लोगों को बचाने में लगा हुआ है । इसी तरह कानपुर के महिपालपुर गांव में प्रदेश की मंत्री [x x x] के परिवारजनों द्वारा दलितों को उजाड़ करके उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया । इसी तरह सहारनपुर के गंगोहा थाना क्षेत्र में रगेल गांव में आतंकवादियों द्वारा कामरेड हरभजन सिंह एवं उनके पुत्र एवं भतीजी की हत्या कर दी गयी । प्रदेश की राजधानी के पड़ोसी जिले सीतापुर की अदालत में पेशी पर लाये गये अभियुक्तों के ऊपर बमों व गोलियों की बौछार मौजूदा शासन की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के दावे की धज्जियां उड़ा रही है । पूरे प्रदेश के लोगों में असुरक्षा व्याप्त हैं । स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गयी है ।

अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन के नियमों को निलम्बित करके सदन में तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में विरोधी दल के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किए जाने तथा हत्याओं आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद कुमार व श्री अखिलेश कुमार सिंह एवं श्री आर० पी० एन० सिंह तथा श्री चेतराम–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत लोक सभा चुनाव में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली कराई और सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया । लोक सभा के चुनाव में अपने राजनैतिक दल के लिए सरकार मशीनरी का दुरुपयोग करके परिणाम को प्रभावित किया । चुनाव की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में गैर भा०ज०पा० कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्पीड़न किया जा रहा है तथा उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और उनसे संबंधित सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है सत्ता और असामाजिक तत्व मिलकर हिंसा कराके कार्यकर्ताओं की हत्याएं करा रहे हैं या उन्हें संघातिक चोटें पहुंचा रहे हैं ये सभी कार्य सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं जिससे पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर नियमों को निलम्बित करके चर्चा कराई जाए ।]

जनपद बरेली के गांव उदयपुर जसरथपुर में रोल खंड कैनाल के पटरी के किनारे लगे शीशम के मूल्यवान पेड़ों को अवैध रूप से काटने के दोषी पुलिस एवं प्रभावी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशफाक अहमद एवं डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, मेरे जनपद बरेली में थाना विथ्री चैनपुर है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र 51 बरेली कैन्ट में आता है । इसी क्षेत्र के गांव उदयपुर जशरथपुर जो थाना उपरोक्त में रोल खण्ड कैनाल के पटरी के किनारे शीशम के बहुत पुराने मूल्यवान पेड़ थे, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी इन पेड़ों को पुलिस की सांठ-गांठ से प्रभावी लोगों ने कटवा लिया और इस तरह से सरकारी सम्पत्ति पर खुल्लमखुल्ला डकैती की है और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने रिपोर्ट की जिनकी निशानदेही पर चोरी से काटी हुई लकड़ी बरामद हुई है लेकिन आज तक उसके परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही नहीं हुई । श्रीमन् यह घटना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी मार्च, के 15-16 की है और इससे पूरे क्षेत्र में आन्दोलन शुरू हो गया है। पुलिस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है।

दोषी लोगों को सत्ता पक्ष का पूरा-पूरा संरक्षण प्राप्त है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इस घटना के अभियुक्तों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही नहीं होगी तो पूरे जनपद में आन्दोलन छिड़ने की सम्भावना है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

जनपद आजमगढ़ में बढ़ रही लूट,अपहरण, डकैती, हत्या आदि की जघन्य वारदातों की रोकथाम की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वसीम अहमद व श्री आलमबदी तथा श्री राम प्यारे–

[मान्यवर, भयमुक्त का खोखला नारा देने वाली जब से यह सरकार आई है तब से सम्पूर्ण प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है विशेष कर जनपद आजमगढ़ में प्रशासन के निकम्मेपन के कारण प्रत्येक दिन लूट, डकैती, हत्या, अपहरण साम्प्रदायिक उन्माद के चलते हत्याएं हो रही हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राज किशोर राजभर की हत्या एवं होली के दिन अशरफ पुर ग्राम के एक वर्ग के लोगों को उकसाकर हत्याएं की गई। यहां यह कहना उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को 8 वर्षीय छात्र राहुल की दिन के दो बजे अपहरण एवं हत्या से आजमगढ़ का सम्पूर्ण जनमानस हिल गया है। इस लोकहर्ष घटना से जनजीवन में रोष व्याप्त है पिछले 3 दिनों से व्यापारिक प्रतिष्ठान स्कूल कचहरी बन्द है। सम्पूर्ण जनमानस आन्दोलित है। प्रशासन घटनाओं का मूकदर्शक बना हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हसवा के ग्राम कौण्डार में भाजपाइयों द्वारा पुलिस की उपस्थिति में की गई लूट एवं मारपीट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हसवा में ललौली थाना क्षेत्र के ग्राम कौण्डार में पहलाद का डेरा (विन्दा का डेरा) व डण्डवन डेरा में कौण्डार के कल्लू सिंह पुत्र सभाजीत सिंह, लक्ष्मी सिंह व कृपा सिंह सहित गांव के लगभग 200 भाजपाई हथियार बन्द होकर दोनों डेरों में धावा बोलकर पिछड़ी जाति की महिलाओं, बच्चें व बूढ़ों को बुरी तरह मारा पीटा तथा घरों के दरवाजे तोड़कर सामान लूट लिया। मौके पर ललौली थानाध्यक्ष तमाशा देखते रहे तथा उच्च अधिकारियों को वायरलेस पर गुमराह किए रहें। सैकड़ों परिवार गांव छोड़कर भाग रहे हैं। जिनके कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम टकरई निवासी, श्री राम जतन कोल की हत्या के दोषी पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कृपाल एवं श्री आर० के० सिंह पटेल–

[मान्यवर, दिनांक 21-11-97 को ग्राम टकरई थाना शंकरगढ़ जिला इलाहाबाद में अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली के पति श्री राम जतन कोल को श्री वी० एन० सिंह थानाध्यक्ष मानिकपुर जिला छत्रपति शाहू जी महराज नगर में दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। थाना शंकरगढ़ में

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मु०अ०सं० 227ए/97 धारा 302/307/147/148/149 के तहत दर्ज किया गया है । इस घटना को लेकर जनता में बड़े पैमाने पर आक्रोश व्याप्त है । कभी-भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है क्यों कि अभी तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ।]

इण्डियन्स नर्सिंग काउन्सिल दिल्ली की वर्ष 1998 के लिए जारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों की सूची में मान्यता रहित घोषित संस्थानों को भी शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सौलत अली, श्री रिफाकत हुसैन तथा श्री इकबाल महमूद–

[मान्यवर, इण्डियन्स नर्सिंग काउन्सिल, दिल्ली की वर्ष 1998 के लिये जारी असाधारण गजट अधिसूचना के पृष्ठ सं० 82, 88, 89 में उत्तर प्रदेश के उन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची दर्शायी गयी है जिन्हें काउन्सिल ने नर्सिंग प्रशिक्षण के लिये अधिकृत संस्थान घोषित किया है और साथ ही साथ उन संस्थानों की भी सूची दी है जिनकी मान्यता काउन्सिल ने नर्सिंग प्रशिक्षण के लिये समाप्त कर दी है । जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित बी०डी० पाण्डेय हास्पिटल स्कूल आप नर्सिंग, नैनीताल, जिला अस्पताल, बरेली, गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (के०जी०एम०सी०) अलीगढ़ स्वरूप रानी नेहरू हास्पिटल, इलाहाबाद सर सुन्दर लाल मेमोरियल हास्पिटल, वाराणसी और उर्सिला हास्पिटल, कानपुर तथा मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान क्रिश्चियन हास्पिटल आजमगढ़ और क्रिश्चियन हास्पिटल कासगंज एटा भी है । परन्तु हाल में सम्पन्न हुए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्वास्थ्य महानिदेशालय चयनित अभ्यर्थियों को इन्हीं मान्यता समाप्त अनुपयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजने की तैयारी कर रहा है । यदि इन संस्थानों में नर्सिंग प्रशिक्षण दिया जाता है तो काउन्सिल उन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन अपने यहां नहीं करेगी और उनको दिया गया प्रमाण-पत्र भी मान्य नहीं होगा जिससे प्रशिक्षण के उपरान्त भी उन्हें नौकरी मिलने की कोई सम्भावना नहीं बनती और इससे बेरोजगारी बढ़ जायेगी ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम–56 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था एवं ब०स०पा० के समर्थकों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[मान्यवर, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदत्तर हो गयी है पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है बहुजन समाज का अत्याधिक उत्पीड़न हो रहा है । विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं, मेतिमपुर भैंसाठ जनपद-कुशीनगर, खरूआंव जनपद-बलिया, टपरा जनपद-आगरा, नादिखेड़ा जनपद हरदोई आदि में बहुजन समाज का सामूहिक उत्पीड़न किया गया है । झांसी में विधायक श्री सतीश जतारिया पर लाठी चार्ज किया गया एवं अम्बेडकर नगर के विधायक श्री राम अचल राजभर को अपराधियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी है।

गिरती हुई कानून व्यवस्था के कारण आम जनता का जीवन सुरक्षित नहीं है । उ० प्र० सरकार के मंत्री भी बहुजन समाज के उत्पीड़न में लिप्त हैं, कानपुर के महिपालपुर की घटना इसका उदाहरण है । गिरती हुई कानून व्यवस्था के कारण आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर नियमों को निलम्बित कर चर्चा करायी जाय ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं।

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, भयंकर ओलावृष्टि हुई है....

श्री अध्यक्ष–

इस पर एक सूचना आयी है और वह नियम 56 में चयनित भी हो गयी है।

श्री बाबूराम यादव–

इस पर कम से कम चर्चा करा दें और सरकार का भी पक्ष आ जाये। आप सरकार को निदेश दे दें।

श्री अध्यक्ष–

जब ग्राह्यता पर विचार होगा, तब शासन का पक्ष आ जायेगा। तब देखें क्या होता है ? नियम 56 में यह आयेगा।

*श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, 11 लोगों को...

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि जो सूचनायें नियम 311 में दी गयी थीं, उनको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है और जो सूचनायें नियम 56 में चयनित नहीं हुई हैं, उनको नियम 301 में स्वीकार कर पढ़ी हुई मान लिया गया है और शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अब इससे अधिक नहीं हो पायेगा। आज अंतिम दिन है।

*श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो नियम 301 की सूचनायें दी जाती हैं, उनकी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उसका उत्तर प्राप्त होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की सूचना इसी विषय पर है।

द्वितीय सत्र, 1997 में नियम 301 की सूचनाओं के विवरण में से लगभग 100 सूचनाओं के बारे में "सूचना अप्राप्त" अंकित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपके संज्ञान में यह प्रकरण लाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश सं० 14 (3) में यह व्यवस्था है कि "प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी,

---

* यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी नियम 301 की सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो''

मान्यवर, पिछले द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत 295 सूचनायें ली गयी थीं, जिसके सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के विवरण की सूची माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विगत 29 जनवरी, 98 को सदन में रखने का काम किया ।

उक्त सूचनाओं के संबंध में सदन में शासन द्वारा प्रस्तुत विवरण न केवल विलम्बित है बल्कि 295 सूचनाओं में से लगभग 100 सूचनाओं के कार्यवाही में सूचना में प्राप्त अंकित है । मान्यवर, उक्त निर्देश सं० 14 (3) में स्पष्ट व्यवस्था है कि 1 महीने के अंदर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना सम्मानित सदस्य तक पहुंचनी चाहिये लेकिन 5-6 महीने बाद भी शासन द्वारा जो कार्यवाही की सूची प्रस्तुत की गयी वह निलम्बित की है तथा अपूर्ण है । अतः आपसे निवेदन है कि आप इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें । मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देश 14(3) का यह स्पष्ट उल्लंघन है । इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें ।

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा प्रयास यही है कि जो माननीय अध्यक्ष के निर्देश हों उनका अक्षरशः पालन किया जाय लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां अवश्य आयीं । जो सूचनायें आयी और उन पर जो उत्तर मिले उसमें बहुत से ऐसे थे जिनसे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं । मैंने स्वयं उत्तर देखें और मैं बराबर मानीटरिंग करता हूं बैठकर । मेरा प्रयास होगा कि जो माननीय सुभाष चन्द्र जी ने अवगत कराया है भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो ।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में आप संबंधित अधिकारियों को सचेत कर दें कि विधान सभा की कार्यवाही को गम्भीरता से लिया करें । विधान सभा में जो सूचनायें दी जाती हैं वह विशेष उद्देश्य से दी जाती हैं । जब प्रकरण लम्बित रहते हैं और कोई कार्यवाही नहीं होती तो हताश होकर जनता विधायक के पास आती है । विधायकगणों को उत्तर मिलने में विलम्ब होता है इसकी पुनरावृत्ति न हो । प्रत्येक सरकार में यह प्रश्न बार बार उठता है और बार-बार निर्देश दिया जाता है । यह सुनिश्चित करें कि इसमें विलम्ब न हो, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

गीडा किसानों पर की गयी फायरिंग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, उनका प्रयास है कि समुचित उत्तर दिया जाय । श्रीमन्, इस संबंध में मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो भी सम्मानित सदन के सदस्य हैं वह अपने क्षेत्र की जनता के संसदीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं और वह जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं । समय-समय पर इस सदन में जिन मुद्दों को स्वीकार किया जाता है और सरकार की तरफ से आश्वासन आता है किसी जांच का, किसी कार्यवाही का लेकिन उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को नहीं मिल पाती है । 21-7-97 को नियम 311 में गोरखपुर के गीडा किसानें पर फायरिंग के बारे में सरकार ने कहा कि बोर्ड आफ रेवेन्यू से जांच करायी जायगी । 8 महीने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो गये हैं राजस्व परिषद् के अध्यक्ष ने जांच करके अपने निष्कर्षों को शासन को सन्दर्भित कर दिया लेकिन आज तक वह रिपोर्ट सदन के टेबुल पर नहीं रखी गयी । मान्यवर, सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश मिलने के पश्चात् भी कार्यवाही नहीं की गयी । इससे तो अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल और बढ़ता है । वहां के किसान प्रतिशोध में हैं । किसानों के नेता को पुलिस पकड़कर ले गई और उनकी हत्या का भी षड़यंत्र रखा गया लेकिन प्रशासन के और हमारे हस्तक्षेप के बाद वह छोड़े गये । मान्यवर, समय-समय पर यहां पर औचित्य के प्रश्न उठाये जाते हैं और सरकार की तरफ से कार्यवाही करने का आश्वासन मिलता है और कार्यवाही किये जाने के आदेश हो जाते हैं उसके बाद भी कार्यवाही नहीं की जाती है । जब बोर्ड आफ रेवेन्यू की जांच आख्या आ गई तो वह रिपोर्ट अभी तक सदन के टेबुल पर क्यों नहीं रखी गयी ? मैं औचित्य के रूप में इसे स्वीकार किये जाने की मांग करता हूं ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस संबंध में अभी तक जो कार्यवाही हो गई है मैं उसे आपकी अनुमति से बताना चाहता हूं कि जांच अधिकारी ने कुछ अधिकारियों को दोषी पाया । उसमें क्षेत्रीय अधिकारी श्री श्रीप्रकाश जैन और थानाध्यक्ष रघुनाथ सिंह के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिये गये । श्री सत्य नारायण सिंह जिनकी गोली कांड में हत्या हो गई थी, की सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जा रही है । यह जरूर है कि जांच आख्या अगस्त, 1997 में प्राप्त हो गयी थी लेकिन घटना चक्र ऐसा चला जिससे पूरा परीक्षण संभव नहीं हो पाया । अभी इसमें परीक्षण कराया जा रहा है कुछ कमी रह गई है । वह कार्यवाही की जायेगी और माननीय सदन को भी अवगत कराया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी जिस क्षेत्रीय अधिकारी और थानाध्यक्ष की बात कर रहे हैं । उसमें वह थानाध्यक्ष दूसरी जगह पर....

श्री अध्यक्ष–

नहीं यह 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ ''मणी''–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में यह मामला सदन में उठा था और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सदन के आखिरी दिन जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर देंगे । मान्यवर, यह तो मालूम होना चाहिए कि क्या आख्या है ? मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है जांच अधिकारी ने डी० एम० और एस० पी० के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी है । मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आई है वह सदन के पटल पर रखी जाय ताकि हमको भी जानकारी हो सके । अगर माननीय मंत्री जी को आपत्ति न हो तो यह जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे जहां तक स्मरण है जब यह प्रकरण पिछली बार आया था तो वैसे मैं इसे अभिलेखों से देखकर सुनिश्चित कर लूंगा कि वास्तव में क्या हुआ था ? परन्तु मुझे कुछ इतना स्मरण है कि रिपोर्ट के सारांश से अवगत करा दिया जायेगा, ऐसी बात थी । मैं इसका परीक्षण करा लूंगा । जगदम्बिका पाल, कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ ''मणी'' जी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसे अग्राह्य किया जाता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूर्वांचल विकास निधि का धन विधान सभा के सदस्यों की सहमति से स्वीकृत किए जाने विषयक शासन के आश्वासन के विरुद्ध कार्य किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री लाल जी वर्मा की है।

* श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समय-समय पर माननीय विधायकों की ग्रामीण विकास योजनाओं में भागीदारी से संबंधित सवाल उठाये जाते हैं इसके संबंध में पिछले द्वितीय सत्र में इस संबंध में यहां पर 311 के माध्यम से उठाया गया था कि जिन योजनाओं में माननीय विधायकों का सहयोग लेना आवश्यक है उसमें उनके सुझाव लेकर कार्य किया जाय। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने का निर्देश दिया था।

मान्यवर, आपके निर्देश के बाद भी सरकार द्वारा आपके निर्देश को माना नहीं जा रहा है, उस बात को पूरा नहीं किया जा रहा है। पूर्वांचल विकास निधि का पूरा पैसा पड़ा है। मा० विधायकों की सहमति से स्वीकृति नहीं होती है विधायकों की उपेक्षा करके जिलाधिकारी योजनायें स्वीकृत कर रहे हैं। यह पूरे प्रदेश के विकास से संबंधित प्रश्न है। आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है इसलिए मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है। मेरा निवेदन है इसको ग्राह्य करते हुए सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

इसी तरह की अम्बिका चौधरी जी की सूचना है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरी सूचना भिन्न है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

सबको जानकारी है जिला स्तर का पैसा जो होता है सभी सम्मानित सदस्य उसके सदस्य हैं। दूसरी बात डी० आर० डी० ए० में सांसद और विधायकगण उसके सदस्य हैं इसमें उनकी भागीदारी आज से नहीं बोर्ड का गठन जब से किया गया है तब से उनकी भागीदारी निश्चित है अगर कहीं किसी विशिष्ट स्थान पर ऐसा नहीं हो रहा है तो लालजी वर्मा जी वरिष्ठ सदस्य हैं यह जानकारी देंगे तो उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी को निर्देश देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और लालजी वर्मा जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसको अग्राह्य किया जाता है।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

मान्यवर, मैं कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भारत के संविधान के तहत विधान सभा का गठन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 178 में यह स्पष्ट प्रतिबन्ध है कि इस सदन का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर चयनित होगा । विधान सभा अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकती है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 9 (1) (ख) के अनुसार विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्राविधान है उसमें है कि–"यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के, जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत हो" । मान्यवर, उपाध्यक्ष के पद पर कोई चुनाव नहीं हो रहा है इसके कारण बहुत सी ऐसी समितियां हैं जिनके सभापति माननीय उपाध्यक्ष होते हैं, उन समितियों में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, बैठकें नहीं हो पा रही है और जिसके कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें आप अपने निर्देश देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं । नियमों के अनुसार सदन की कई समितियों के सभापति माननीय उपाध्यक्ष होते हैं । वैकल्पिक परिस्थितियों में आमतौर से मुख्य मंत्री जी नेता विपक्ष और दूसरे माननीय सदस्यों की बैठक में सहमति हो जाती है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया जाए ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित हैं, माननीय नेता विरोधी दल सदन के अगले सत्र में बैठक की कोई तिथि निर्धारित कर लें । ताकि उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाए और सदन की समितियां सुचारु रूप से कार्य करने लगे । यह नियम 300 में नहीं आता है । मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

विधान सभा में कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट होने के बाद श्री कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल द्वारा पुनः शपथ ग्रहण न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद, श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश सिंह, श्री आर० पी० एन० सिंह, श्री चेतराम, डा० अम्मार रिजवी एवं श्री राम औतार शाक्य की है । इसी से संबंधित माननीय बालचन्द्र मिश्र जी की सूचना है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, नियम–300 के तहत मेरी भी सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

तो माननीय जगदम्बिका पाल से संबंधित सूचना पर डाक्टर अम्मार रिजवी आप बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कहें ।

* डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दिया है उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय । इसके अतिरिक्त मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश और खासतौर पर विधान सभा में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जो पहले नहीं थी । इस प्रदेश में दो मुख्यमंत्री मौजूद हैं । मैं आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 (2) की तरफ आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद में राज्यपाल का जहां विवेक है वही पर किसी प्रकार की चुनौती नहीं है । मान्यवर, जिस समय यह संविधान पेश किया जा रहा था । उस समय संविधान के अनुच्छेद 143 में जो राय जाहिर की गयी है उसमें डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि वह डिबेट ठीक है और अनुच्छेद 143 (1) और (2) में स्पष्ट लिखा हुआ है जिसे आप जानते हैं। कोर्ट के फैसले के संबंध में आप स्वयं जानते हैं कि चाहे जितना कमजोर पक्ष हो कोर्ट में उसे वकील मजबूत बना देते हैं। इसलिए जितने कोर्ट के फैसले हुए हैं उसमें जो विवेक है उसको रखा गया है। श्रीमन् 21 तारीख को महामहिम राज्यपाल ने श्री जगदम्बिका पाल को मुख्य मंत्री बना दिया और उस समय की सरकार को डिस्मिस कर दिया बाद में कोर्ट में फैसला पूर्व सरकार श्री कल्याण सिंह के पक्ष में हुआ है, लेकिन जो औपचारिकताएं हैं वह न पूरी की जायें तो उचित नहीं होगा। जब एक प्रकरण हो गया है और श्री पाल को नामित किया गया एवं श्री कल्याण सिंह की सरकार को डिस्मिस किया तो महामहिम राज्यपाल ने संविधान की धारा 163 (2) में लिखित शक्तियों का प्रयोग किया और उसके बाद एक चैप्टर बन्द हो गया। फिर उसको शुरू करना है तो सारी औपचारिकताएं आप को पूरी करना होगा। मान्यवर, जैसे शादी होती है तो पहले फेरे लेना होता है लेकिन यहां सारी चीजें पहले हो गयी हैं किन्तु फेरे अभी तक नहीं हुए हैं। जो चीज शादी के बाद होनी चाहिए वह पहले हो गयी है। मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल को राज्यपाल जी ने मुख्य मंत्री नामित कर दिया किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसके अन्तर्गत श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस कुर्सी के ऊपर एक तरफ श्री पाल जी और एक तरफ श्री कल्याण सिंह जी तथा बीच में आप थे, उसके बाद कल्याण सिंह को बहुमत प्राप्त हुआ और मुख्यमंत्री बने। आज वह नेता सदन हैं लेकिन नेता सदन पूरे सदन का नेता होता है। उसके बाद माननीय पाल जी विपक्ष में आये।

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। जो गलत काम हो उसको सही तरह से करने का काम स्पीकर का होता है। इस समय एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। विडम्बना यह है कि अभी पाल साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। पाल साहब को एक पत्र मिला था। आप देखिए जब श्री अटल बिहारी बाजपेयी को लोक सभा में बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। पाल साहब ने इस्तीफा नहीं दिया तथा श्री कल्याण सिंह जी ने शपथ नहीं ली है यह भी मुख्यमंत्री हैं, वह भी मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पाल साहब को निर्देशित करें कि वह इस्तीफा दें और अगर वह त्याग-पत्र नहीं देते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दें या श्री कल्याण सिंह जी से निवेदन करिए कि अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत जो औपचारिकताएं होती हैं वह फारमेलटीज वह पूरी करें। उनको केवल ओथ लेनी है। साथ ही साथ अब तक जो कार्यवाही हुई है जो बजट पेश किया गया है यह गैर संवैधानिक है। यह वैसे भी नहीं पेश होना चाहिए था श्री हुकुम सिंह जी हमारे मिश्र हैं वह वैसे ही सही काम करते रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इलाहाबाद का निर्णय वैसे ही ऐतिहासिक है।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास उसकी एक कापी हो तो उसको पढ़ दें नहीं तो मुझे दे दें।

श्री प्रमोद कुमार–

जब आपके पास नहीं है तो हमारे पास कहां से होगा ? मेरे पास तो वह भी नहीं है जो आपने आदेश जारी किया। मान्यवर, जो मैंने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है उसके अन्दर जो उल्लेख किया गया है मैं समझता हूं कि यह आपके पास होगी। कृपया आप उसे देखें तो बड़ा स्पष्ट है। किसी प्रदेश में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद् का गठन होता है। उसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसमें दो राय नहीं कि उसका गठन हुआ और श्री कल्याण सिंह जी उसके मुखिया नियुक्त हुए। इसी के आगे अनुच्छेद 164 (2) देखें कि मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से

उत्तरदायी होगा । यह भी सही है कि नया कोई मुख्य मंत्री होगा वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा । मुझे जो कहना है कि वह आप देखें अनुच्छेद 164 (3) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गये प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी । यहां पर राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती है उसकी मैं चर्चा भी नहीं कर रहा हूं । कुछ मंत्री जी आज मौजूद भी हैं वह राज्यपाल महोदय के समक्ष जाते हैं और श्री जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं । महामहिम राज्यपाल महोदय पाल साहब के पास बहुमत महसूस करते हए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उनको शपथ दिला देते हैं । यहां मुख्यमंत्री के रूप में पाल साहब तो मौजूद नहीं हैं लेकिन उनके मंत्रि-मंडल के 16 मंत्री यहां मौजूद हैं ।

मान्यवर, माननीय डा० अम्मार रिजवी साहब ने चिन्ता व्यक्त की है श्री जगदम्बिका पाल जी के बारे में, मेरी चिन्ता उप मुख्यमंत्री के बारे में,उन कैबिनेट मंत्रियों के बारे में है जिन्होंने खेल नहीं खेला, विधिवत राज्यपाल जी ने शपथ ग्रहण करा दिया । तभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया डिसमिसल के लिए । सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व निर्णय देते हुए कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट की बात कही । कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट हो गयी, नेता सदन के रूप में माननीय कल्याण सिंह जी में विश्वास व्यक्त किया गया । दो प्रश्न संविधान के अनुसार मुझे व्यथित कर रहे हैं, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी सही को सही कर ही देते हैं, आपकी योग्यता और विवेक को चुनौती दी ही नहीं जा सकती है । मुझे तो सिर्फ यह कहना है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया तथा मंत्री के रूप में शपथ लिया है ऐसे लोगों की संख्या 17 है । कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट में नेता का चयन तो हो गया लेकिन जगदम्बिका पाल जी ने मुख्य मंत्री पद से त्याग पत्र नहीं दिया है न ही उनकी मंत्रिमण्डल ने । कल्याण सिंह जी कोई सरकारी कर्मचारी तो हैं नहीं कि गर्वनर ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और उच्च न्यायालय ने उन्हें बहाल कर दिया । वह एक निर्वाचित शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री बने थे । अगर माननीय न्यायालय ने उन्हें बहाल भी किया है तो 164 (3) के अनुसार संविधान के बाहर वह भी नहीं जा सकते हैं, संविधान के बाहर आप भी नहीं जा सकते हैं, अगर कल्याण सिंह जी को दोबारा काम करना है, दोबारा उन्हें बहाल करना है तो उनका शपथ ग्रहण होना चाहिए । बिना शपथ ग्रहण किये हुये उनका हर कार्य अवैधानिक है, इस कार्यवाही का एक-एक पल अवैधानिक है । अगर शपथ ग्रहण में करते हैं तो यह माना जायेगा कि कल्याण सिंह एक सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने कुछ अवैधानिक कार्य किया था और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, फिर वह बहाल हो गये । यहां शपथग्रहण के रूप में दो-दो मंत्रिमण्डल मौजूद हैं–उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया और इन्होंने शपथग्रहण नहीं किया । मान्यवर, शादी जायज है या नहीं, मैं तो तलाक की बात कर रहा हूं । त्याग-पत्र के रूप में अगर तलाक नहीं हुआ है तो उप मुख्य मंत्री और 16 मंत्रियों की स्थिति क्या है ? मान्यवर, मैं होर्स ट्रेडिंग या खरीद-फरोख्त की बात नहीं करता । आपने एक तिहाई स्पिल्ड करते हुये स्वीकार कर लिया, आपने जो किया है, शिरोधार्य है । मेरी चिन्ता तो इतनी है कि उप मुख्यमंत्री और 16 अन्य मंत्री थे उनका क्या हुआ ? जब इनको बहाल कर दिया तो 164 (3) की लगातार उल्लंघन करते हुये बिना शपथ ग्रहण किये हुये माननीय मुख्यमंत्री जी का आचरण एक बर्खास्त शुदा कर्मचारी से ज्यादा कुछ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार जी आपकी बात आ गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो पता नहीं क्यों आप बोलने नहीं देते हैं ? मान्यवर, बोलने देने या न देने का फैसला तो आपको ही करना है मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं । मान्यवर, हमारा सौभाग्य है कि आप उस आसन पर विराजमान हैं । मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि सरकार का एक-एक कार्य अवैधानिक है, संविधान विरुद्ध है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हमारी भी इसी बिन्दु पर सूचना है, केवल दो मिनट सुन लें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन में यह कहना चाहता हूं कि अभी अम्मार रिजवी और श्री प्रमोद कुमार जी ने संवैधानिकता के बारे में अपने विचार रखे, मैं इससे थोड़ा अलग हटकर कुछ कहना चाहता हूं। जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया कि कल्याण सिंह की पूर्ववर्ती सरकार बहाल रहेगी, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट होगा, तब आपके एक तरफ माननीय कल्याण सिंह जी बैठे, दूसरी तरफ माननीय जगदम्बिका पाल जी बैठे। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस वक्त जो मंत्रिमंडल है, उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वह, जिसे कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में शपथ दिलाई गई थी और दूसरा वह जिसे जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में शपथ दिलाई गई थी। जिन लोगों को जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में शपथ दिलाई गई, उसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तथा कुछ कैबिनेट मंत्री बने मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भले ही कल्याण सिंह के नेतृत्व में शपथ लेने वाले मंत्रियों को दुबारा शपथ न दिलायी जाये, लेकिन माननीय जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में जिन लोगों ने शपथ ली थी, उन लोगों को दुबारा अवश्य शपथ दिलाई जानी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि जगदम्बिका पाल जी नेता सदन होते तो उनके नेतृत्व वाली कैबिनेट बहाल मानी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जबकि माननीय कल्याण सिंह जी वाला मंत्रिमण्डल है तो ऐसे मंत्रियों द्वारा कार्य करना, कार्य संचालन नियमावली के तहत यहां कोई जवाब देना, कार्यवाही में भाग लेना अवैधानिक है, संविधान की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है, कृपया आप इस पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी माननीय अम्मार रिजवी जी, माननीय प्रमोद कुमार जी तथा शाक्य जी ने कुछ विचार व्यक्त किये हैं, मुझे एक बात इसके संबंध में कहना है। श्रीमन् जिस दिन यहां कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट हुआ, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों लोगों को समान माना। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह हो जाता कि माननीय कल्याण सिंह जी वैधानिक तरीके से मुख्य मंत्री हैं तो उन्हें दुबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं माना और अपना निर्णय दिया कि इस समय दोनों लोग एक समान हैं और जो फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें कल्याण सिंह को बहुमत प्राप्त हुआ, ऐसी हालत में अब स्थिति बदल गई और कल्याण सिंह जी दुबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्हें शपथ लेना आवश्यक हो गया था और यही संवैधानिक था, यही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप भी होता। लेकिन यह सब नहीं हुआ। मेरी भी राय यही है कि उनको शपथ लेनी चाहिये, जब आप इसका निर्णय दें तो मेरी बात को भी जोड़ते हुये अपना निर्णय दीजियेगा।

* श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी ने बड़े विस्तार से नियमों का हवाला दिया है। माननीय नेता विपक्ष ने भी कहा है। श्रीमन्, जब माननीय कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल ने विधिवत शपथ ग्रहण करके विधिवत कार्य करना शुरू किया तब एक स्टेज ऐसी आयी जब कोई जब कुछ लोगों ने साजिशन उस सरकार को अपदस्थ करने के लिए एक योजना बनाई।

(शोर)

श्रीमन्, उसी साजिश के तहत एक निराधार पिक्चर क्रिएट की गयी और महामहिम राज्यपाल के सामने उन्हें उपस्थित किया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्रीमन्, बिना संविधान का ध्यान रखे महामहिम राज्यपाल ने रात्रि में 10 बजे शपथ दिला दी। उसके इस अवैध आदेश के विरुद्ध मा० मंत्रिपरिषद् के सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह गौड़ ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका लगायी।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

मान्यवर, इस सदन में महामहिम राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप नहीं किया जा सकता है। महामहिम राज्यपाल के कार्यों पर यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती है। महामहिम राज्यपाल के कार्यों पर यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती है। यहां महामहिम राज्यपाल के ऊपर आक्षेप लगाया गया है जिस तरह से आपके कार्यों पर यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती है उसी तरह से महामहिम पर भी चाहे उनका कार्य संविधान सम्मत हो या न हो कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उनके ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

बाल चन्द्र मिश्रा जी, बिना किसी आक्षेप के अपनी बात कहें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, 2 माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया उस निर्णय के आर्डर का आपरेटिव पार्ट मैं पढ़कर सुना रहा हूं। विपक्ष को उस आर्डर से स्थिति साफ हो जायेगी। इसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं –

> 'फार दि रीजन्स वी हैव टू एसाइन टुडे, दि डिसीजन डेटेड 21-2-1998 डिसमिसिंग दि काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई श्री कल्याण सिंह, शैल रिमेन स्टेड एण्ड स्टैटस क्याऐज इक्जास्टिंग इमोडिएटली प्रीसीडिंग दि सेड डिसीजन शैल, कान्टीन्यू डयूरिंग दि पेन्डेन्सी आफ दि रिट पिटीशन '

महामहिम राज्यपाल द्वारा जो सरकार को बर्खास्त किया गया, उसके बदा जो दूसरी प्रक्रिया हुई, उसको पूरी तरह से माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी एक जनपद का प्रभारी अधिकारी किसी को एक प्रोटोकाल की सुविधा दे रहा है तो उससे इस सदन की कार्यवाही कैसे प्रभावित होती है, इस प्रश्न का उत्तर आप दे दें मिश्रा जी।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यहां माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ आया है, एक कठिनाई यह है कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि महामहिम राज्यपाल के आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती उसी तरह माननीय उच्च न्यायालय के बारे में कोई टिप्पणी करने की स्थिति में हम नहीं है। एक फैसले का उद्धरण इस ढंग से दिया जायेगा हम उस पर चर्चा करेंगे। मान्यवर, इसी तरह से उद्धरण आयेंगे चर्चा आयेगी तो प्रकारान्तर से कोई टिप्पणी भी आयेगी। उचित यही होगा कि इस तरह के उद्धरण माननीय सदन में न दिये जायें अन्यथा दूसरी स्थिति आयेगी।

श्री अध्यक्ष–

मिश्रा जी पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तब आगे कहें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो सदस्य आपकी व्यवस्था को नहीं सुन सकते उनकी बात सदन भी नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस तरह अवज्ञा पर हमें घोर आपत्ति है । आप की व्यवस्था को माननीय सदस्य नहीं सुन रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मिश्रा जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं आप की बात कार्यवाही में नहीं लिखी जा रही है ।

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री–(श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अम्मार रिजवी जी अभी अपने विद्वतापूर्ण भाषण में बोल रहे थे कि सब कुछ हो गया, वे भूल गये की 21 सितम्बर को स्टेडियम में विधिवत फेरे हुए हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर कल्याण सिंह जी दूल्हा हैं तो क्या यह दुल्हन हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार जी आप फेरे कहां दिलवा पाये ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह पार्लियामेन्ट्री किटपिट कुछ हैं । दुल्हनों का एक्सपीरियेन्स प्रमोद जी आप को है, मैं क्या बताऊं ?

सारी विधिवत् प्रक्रिया द्वारा 21 तारीख को शपथ दिलाई गई कल्याण सिंह जी को सारे प्रदेश के सामने दिलाई गई । मान्यवर, संविधान में विधायिका के कार्य है, कार्यपालिका के कार्य हैं, वहां न्यायपालिका भी है न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो शपथ कराई गयी थी, मंत्रिमण्डल को गलत ढंग से भंग किया गया, पूर्व की स्थिति बहाल रखी जायेगी, बनी रहेगी ।

मान्यवर, मेरे पास आदेश है जो अंग्रेजी में है । श्री प्रमोद कुमार जी हमारे विद्वान वकील रहे हैं । लेकिन फिर भी मैं उस आदेश की दो पंक्तियां पढ़ देता हूं । "दि डेसीजन डेटेड 21-2-1998, डिसमिसिंग दि काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स हेडेड बाइ श्री कल्याण सिंह, सेल रिमेन स्टेटेड स्टेटस क्वो एज क्विस्टिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग दि सेड डिसीजन सेल कन्टेन्य डयूरिंग दि पेन्डेन्सी आफ दि रिट पिटीसन । न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि बीच में जो डेवलपमेंट हुए, उनको नौन-इकजीटेन्ट मान लिया गया । इसके बाद इस आदेश को चुनौती दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में । उसका भी आदेश हुआ । उसकी भी दो लाईन मैं पढ़कर सुनाता हूं– "इम्पयूड इन्टेरिम आर्डर आफ दि हाईकोर्ट इन पुटिंग श्री कल्याण सिंह इन पोजीसन ऐज चीफ मिनस्टर सुड बी एण्ड इज, हेयरबाइ, मेड एब्सोलूट

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सब्जेक्टेड, आफ कोर्स, टु डेमोक्रेटिक प्रोसेस ।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को उचित करार दिया । हमारे विद्वान सदस्य श्री अम्मार रिजवी जी ने कहा कि दो मुख्य मंत्री हैं । मुख्य मंत्री का एक आसन नियत है इस सदन में और उस पर लिखा हुआ है माननीय श्री कल्याण सिंह, मुख्य मंत्री और नेता सदन । नेता सदन का जो कार्य है और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन वह सदन और सदन के बाहर दोनों जगह पर समान रूप से कर रहे हैं । यदि कोई भूल किसी कारण वश हो गई हो, मैं पाल साहेब से क्षमा चाहूंगा, तो इसे फिर से उपहास का कारण नहीं बनाना चाहिये । पाल साहेब जहां बैठे हैं, वह उनका स्थान है । वह वहां बैठे रहें । मैं तो पाल साहेब को बधाई दूंगा जब कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट हो गया और श्री कल्याण सिंह जी को बहुमत प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपने आचरण के मुताबिक श्री कल्याण सिंह जी को बधाई दी और कहा कि जो विधिवत प्रक्रिया के तहत हुआ है, वह ठीक हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है । अब डाइवोर्स शब्द का इस्तेमाल किया हमारे माननीय सदस्य ने यहां पर डाइवोर्स की बात नहीं है । यहां पर विधिवत निकाह हुआ और कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हुए । उन्हें इस सदन का बहुमत प्राप्त है और वह नेता सदन हैं । जब तक उन्हें सदन का बहुमत प्राप्त रहेगा वह नेता सदन बने रहेंगे । माननीय विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि बजाय व्यक्तिगत बातों में समय बरबाद करने के हम प्रदेश और देश के विकास के संबंध में बात करें । यही मेरा आग्रह भी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री अम्मार साहेब, कोई उत्तर और प्रति उत्तर तो नहीं रहा है । फिर भी आप अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसके बाद तो आप मुझे समय देंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मजबूरी है देना पड़ेगा ।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यहां पर कहा कि माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी है तो उसे मानने से मुझे इन्कार नहीं है । मैंने कोई बात टीका टिप्पणी के लिये नहीं कही । मैं सिर्फ आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 163(2) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दोनों को उम्मीदवार माना जाना चाहिये । उन्होंने पाल जी के प्रकरण को गलत नहीं कहा । इसी वजह से आपने जगदम्बिका पाल जी को अपनी बायीं ओर और कल्याण सिंह जी को अपनी दायीं ओर बैठाया था । आपको शायद यह याद भी होगा । मैं सिर्फ विनम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूं कि 163(2) के अन्तर्गत कोई गुंजाइश है कि महामहिम राज्यपाल जी के निर्णय को इन्कार करने की या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 164(3) की तरफ दिलाना चाहता हूं उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा । मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री नहीं हैं । विश्वास मत प्राप्त करने के बाद वह मुख्य मंत्री हो गये हैं ।.....

(व्यवधान)

* ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

उससे पहले भी थे । आप दूसरों के घर में झांकने की आदत को बन्द कर दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर यह कहता हूं कि मैंने कभी भी इनके घर में नहीं झांका है ।

(हंसी)

मान्यवर, यह हाईकोर्ट का फाइनल आर्डर नहीं है यह अन्तरिम आर्डर है । हाई कोर्ट का फाइनल आर्डर हो सकता है । इस संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री नहीं रहे और पाल जी मुख्य मंत्री हो गये । 164(3) की बात है । अगर दोबारा सरकारी कर्मचारी मानते हैं या मुख्य मंत्री मानते हैं, अगर सरकारी कर्मचारी के प्रति अविश्वास हो जायें तो उसे पुनः नौकरी में रखा जा सकता है लेकिन मुख्य मंत्री या मंत्रिपरिषद् को तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि वह गोपनीता की शपथ न ले ले । मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री है उसने तो यह कहा कि कम्पोजिट टेस्ट करा लें । उसने आपसे भी अपेक्षा की थी कि बड़े ही ट्रुथफुल्ली और ओनेस्टली. मेरी बात आप समझ रहे हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जितना आप समझ रहे हैं उतना मैं भी समझ रहा हूं .....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मेरी बात सुन लें,मैं यह कह रहा हूं कि मेरी चिन्ता यह नहीं है, आप मेरी बात को बरदास्त करें । मेरी चिन्ता यह नहीं है कि पाल जी मुख्य मंत्री हो या कल्याण सिंह मुख्य मंत्री हों,

(व्यवधान)

मुझे बहुत दुख होगा, जिस दिन आप भूतपूर्व होंगे, बहुत दुख होगा, आप हमसे सीनियर हैं । मुझे उन उप-मुख्यमंत्री और 16 मंत्रियों की चिन्ता है, जो कल कैबिनेट मंत्री थे, उनको राज्य मंत्री बना दिया गया है । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । आप हैसियत से ज्यादा कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

जनता ने फैसला कर दिया है और यह शून्य पर पहुंच गये हैं और कल्याण सिंह की पार्टी को अपना फैसला सुना दिया बड़े शर्म की बात है, यह यहां पर बैठे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, मैं मंत्री होता और रंगनाथ मिश्र की तरह अपमान किया गया होता, तो यहां पर बैठा न होता, त्यागपत्र देकर जनता के बीच चला गया होता। नरेश चन्द्र अग्रवाल रहें, यह रंग नाथ मिश्र रहें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक बात कही गयी कि हाई कोर्ट का फैसला है और न जाने क्या क्या कहा गया है। हाई कोर्ट में रिट थी, उसका डिसपोजल पहले ही कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद कुमार जी ने नहीं पढ़ा है, उसको।

श्री हुकुम सिंह–

36 आये थे और कितने रह गये हैं। लोक सभा का चुनाव हो गया और जीरो गये और फिर यहां पर इस तरह से बात कह रहे हैं, यह कहां पहुंच जायेंगे, यह उनकी कार्य शैली बता देगी।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

हंसी मजाक की एक सीमा होती है। इस गम्भीर विषय को यहां उठाया गया लेकिन जो चर्चा हुई उससे विषय की गम्भीरता को समाप्त कर दिया गया। एक सीमा तक व्यंग बर्दास्त किया जाता है उससे ज्यादा नहीं।

माननीय डा० अम्मार रिजवी, माननीय श्री प्रमोद कुमार, माननीय श्री राम औतार शाक्य, माननीय श्री बाल चन्द्र मिश्र, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त किये। यह विषय गम्भीर भी है और महत्वपूर्ण भी है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय मुख्य मंत्री को नियुक्त करते हैं। महामहिम राज्यपाल के आचरण पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन उनका किसी भी व्यक्ति को मुख्य मंत्री नियुक्त करने का जो आदेश है उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। दिनांक 21 फरवरी, 1998 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने दो आदेश दिये। पहला आदेश दिया जिससे श्री कल्याण सिंह जी की मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त किया और उसके पश्चात् दूसरा आदेश देकर श्री जगदम्बिका पाल जी को प्रदेश का नया मुख्य मंत्री नियुक्त कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में महामहिम राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी गयी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 फरवरी, 1998 को आदेश दिया उसके अनुसार उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल का 21 फरवरी का वह आदेश जिसमें उन्होंने श्री कल्याण सिंह जी की मंत्रि परिषद् को भंग किया था, बर्खास्त किया था, वह स्थगित किया जाता है और साथ ही उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

महामहिम राज्यपाल के द्वारा माननीय कल्याण सिंह की मंत्रि परिषद् को बर्खास्त करने के तुरन्त पूर्व की जो स्थिति थी वह पूर्व स्थिति को बहाल किया और साथ में यह भी कहा कि वह स्थिति जब तक रिट याचिका उच्च न्यायालय में लम्बित है, चलती रहेगी । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहुत एक्सपर्ट थे । उन्होंने कल्याण सिंह मंत्रि परिषद की बर्खास्तगी के आदेश को स्थगित कर दिया और उसके पूर्व की स्थिति बहाल कर दिया, अर्थात् बर्खास्तगी का आदेश शून्य हो गया और जब यह आदेश शून्य हो गया तो उसके पूर्व की स्थिति स्वतः लागू हो गयी । उसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की गयी । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुख्य मंत्री पद के दो दावेदार हैं । मैंने उच्चतम न्यायालय के पूरे आदेश को कार्यवाही का भाग बनाया था 26 फरवरी, 98 को । उच्चतम न्यायालय ने मुख्य मंत्री पद के दो दावेदारों के बीच फ्लोर टेस्ट को कहा । सुप्रीम कोर्ट ने अन्तिम आदेश जो दिया वह मंशा को स्पष्ट करता है । सुप्रीम कोर्ट के अन्तिम आदेश के अनुसार जो स्थिति है वह इस प्रकार से है । सुप्रीम कोर्ट ने सारी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए यह कहा कि उच्च न्यायालय ने जो अंतरिम आदेश पारित किया है उस अंतरिम आदेश को हम पुख्ता करते हैं । यह आदेश अंग्रेजी में है, मैं इसकी हिन्दी कर दूंगा ।

"इन व्यू आफ दीज डवलपमेन्ट्स इम्प्यून्ड इंटरिम आर्डर आफ दि हाई कोर्ट इन पुटिंग श्री कल्याण सिंह इन पोजीशन एज चीफ मिनिस्टर शुड बी एन्ड इज हेयरबाई मेड एबसोल्यूट सब्जेक्ट आफ कोर्स टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस"

तो उच्चतम न्यायालय ने यह किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके द्वारा उन्होंने कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर के पद पर आसीन कर दिया वह पुख्ता होना चाहिए और हम उसको पुख्ता कर रहे हैं तो उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील सुनते समय कोई अंतरिम स्थगन आदेश नहीं दिया था बल्कि कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट के लिये कहा था । इस बीच माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी जितने समय तक मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे उन्होंने कुछ आदेश किये तो इस स्थिति की भी सुप्रीम कोर्ट ने चिन्ता की । "द स्पेशल लीव पिटीशन,. एज आलसो द रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट, वुड स्टैन्ड डिस्पोज्ड आफ" । इस प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका थी वह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो रिट याचिका चल रही थी उसका निस्तारण हो गया । तो माननीय प्रमोद जी ने जो आशंका व्यक्त की है कि उच्च न्यायालय में रिट में अभी भी कोई आदेश हो सकता है वह आशंका निराधार है । चूंकि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय में लम्बित रिट को उसी आदेश से समाप्त कर दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 23 फरवरी के अंतरिम आदेश को स्वीकार कर लिया उसके बाद एक वाक्य और कहा गया है "आल आर्डरर्स प्रीसिडेन्ट देयरटू एन्ड कनेक्टेड देयरविथ बी एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्ज्यूक्यूटिव आर जूडिशियल उड स्टैण्ड सब मर्जड अन्डर द प्रजेन्ट आर्डर ।" उन्होंने कहा कि इसके पहले जो भी आदेश हुए हैं । चाहे प्रशासनिक हो चाहे कार्यपालिका से संबंधित हो, चाहे न्यायिक हो वह सब उच्चतम न्यायालय के इस आदेश में समाहित समझे जायेंगे । इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया । एक दूसरी बात और कही थी "आन हिज डिसमिसल हिज राइवल आन बीइंग इन एज द चीफ मिनिस्टर वाज रिक्वायर्ड टू अन्डर गो द फ्लोर टेस्ट इन टाइम फ्रेम । वी हैव फैसिलिटेटेड बोथ इन वन गो ।" चूंकि राज्यपाल महोदय ने कहा था कि श्री जगदम्बिका पाल जी को एक निर्धारित समय के अन्दर सदन में फ्लोर टेस्ट में बहुमत सिद्ध करना है इसलिये हमने अपने आदेश के द्वारा कह दिया कि एक साथ दोनों कन्टेस्टेंट के लिये फ्लोर टेस्ट होगा । इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो आशय था वह पूरा हो गया और और इससे सारे विवाद का निस्तारण कर दिया गया । इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को पहले की स्थिति में बहाल करने के आदेश दिये । जिस क्षण कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हुई थी उस समय तो कल्याण सिंह जी और उनके मंत्रि परिषद् के सभी साथी बकायदा

संविधान के अनुसार संसदीय कार्य कर रहे थे और स्टेटस को एन्टी की स्थिति बनाने पर भंग होने के पूर्व की स्थिति को बहाल कर दिया गया । इस प्रकार से पूरे का पूरा विवाद समाप्त हो गया और मैं समझता हूं कि किसी भी मंत्रि परिषद् के किसी भी सदस्य को दोबारा शपथ लेने की आवश्यकता बाद में नहीं थी और न उसके पूर्व त्यागपत्र देने की आवश्यकता थी ।

श्री इकबाल महमूद–

जगदम्बिका पाल जी को पूर्व मुख्य मंत्री की सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यही प्रश्न माननीय बाजपेयी जी ने अपनी सूचना के दौरान कहा है । उन्होंने कहा है कि कानपुर के प्रभारी अधिकारी के द्वारा श्री जगदम्बिका पाल जी को पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में जो आदेश दिया गया है इस पर श्री बाल चन्द्र मिश्र जी ने आपत्ति कर दी है । मैं एक चीज इस संबंध में जरूर कहना चाहता हूं बहुत से प्रकरण ऐसे आते हैं जिनमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक मत का हो, एक राय का हो और दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी राय रखे जो संवेदनशील प्रश्न होते हैं इसमें एक चीज है जिसको कहते हैं हृदय की विशालता, मुझे विश्वास है यह जो प्रश्न था इसमें श्री बाल चन्द्र मिश्र जी अपने हृदय की विशालता दिखायेंगे और अपनी सूचना को वापस लेंगे । सरकार यथोचित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

अगर पार्लियामेंट, लोक सभा का संदर्भ लें तो 13 दिन के लिये माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे । वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाये । उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया, अपने आप त्याग-पत्र दे दिया । तब भी उनको भूतपूर्व प्रधान मंत्री की सुविधायें मिल रही हैं । अगर लोक सभा में ऐसा हुआ है तो जगदम्बिका पाल जी के बारे में अपने निर्देश देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण जी, जिन सूचनाओं पर आपने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से 9 में पहले माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था और यद्यपि वह लोक सभा में विश्वास का मत प्राप्त नहीं कर सके थे फिर भी उन्हें पूर्व प्रधान मंत्री के रूप में माना जाता था उसी प्रकार से श्री जगदम्बिका पाल जी को प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । उस प्रकरण में और वर्तमान प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण अन्तर है । महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के मामले में किसी न्यायालय का आदेश नहीं था और न ही किसी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया था । वर्तमान प्रकरण में न्यायालय ने हस्तक्षेप करके कल्याण सिंह जी की मंत्रि-परिषद् को बर्खास्त किये जाने से पूर्व स्थिति को पूर्व बहाल कर दिया इसीलिए राज्यपाल द्वारा उसके बाद का किया गया कार्य वैधानिक नहीं माना जाना चाहिए । इसी के साथ मैं इन सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

दो दिन मुख्य मंत्री रहे लेकिन मुख्य मंत्री की सुविधा नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुरोध किया कि इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप था उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं था इसलिये मैंने अनुरोध किया था कि इस प्रश्न को न उठायें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

* श्री बाबू राम यादव–

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने अपन हृदय की विशालता का परिचय दिया है कि जो मा० सदस्य इधर से उठकर उधर चले गये उन्हें दल की मान्यता देकर बरकरार रखा । मैं श्री पाल के बारे में अथवा किसी के व्यक्तिगत मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । किन्तु सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 18 या 30–45 लोग इधर से उधर चले गये और सत्ता पक्ष में सम्मिलित हो गये । बाद में उधर से इधर चले आये और इधर समाहित हो गये । फिर इधर से उधर चले गये और उन्हें संख्या बल के आधार पर उधर समाहित किया है तो यह हृदय की विशालता से किया है या संख्या बल पर समाहित किया है ?

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

हृदय की विशालता की बात है तो आपने जो कहा था वह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा ।

प्रदेश में पं० दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत सड़कों का उद्घाटन भाजपा सांसद/विधायक और उनके नेताओं द्वारा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संविधान का अध्याय 3 राज्य के विधान मण्डलों से संबंधित है । जिसमें प्राविधान है जिनको आप देखेंगे और उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के प्राविधानों को देखें एवं इस सदन में जो परम्परायें चल रही हैं तथा तमाम विद्वान सदस्यों से सीखने के बाद यह पता चला कि सदस्य और सदस्य के बीच में भेद की कोई मंशा संविधान की और न विधान सभा की ही है । अधिक से अधिक यह अन्तर है कि जब मैंने परिभाषाओं में जानने का प्रयास किया तो यह अन्तर मिला कि असरकारी सदस्य लिखा गया है । मैं इस भ्रम में रहा कि असरकारी सदस्य का मतलब ऐसा नहीं है कि जो सदस्य सत्तापक्ष का समर्थन न कर रहे हों तो असरकारी सदस्य मान लिया जाय । मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में स्पष्ट है कि असरकारी सदस्य का तात्पर्य वह जो सदस्य मंत्री न हो सदस्य होगा । श्रीमन्, इस प्रदेश के मंत्रियों का आचरण किस तरह का हो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के लिये मंत्री जी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और इसके समर्थक गांव सभा के सदस्यों की राय से इस योजना में उनकी सिफारिश से परियोजनाओं को स्वीकृत किया जायेगा । उन क्षेत्रों में जहां की जनता ने इनको खारिज कर दिया और उनके विधायक जो विपक्ष में बैठे हैं उनके संबंध में आप से अनुरोध है और मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यदि सरकार की मंशा है कि किसी परियोजना को स्वीकार करने के लिये उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सिफारिश से ही योजना पर काम होगा यह उचित नहीं है और न इस तरह का संविधान में और न ही प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में ही कोई प्राविधान है । इसलिए इस औचित्य के प्रश्न को उपस्थित करते हुए आप से प्रार्थना है कि जिस विधायक के क्षेत्र में इस योजना या दूसरी योजना के अन्तर्गत जो कार्य होने हैं और सुझाव लिया जाना है वह सुझाव उस क्षेत्र के विधायकों से लिये जायं । यदि वहां का विधायक भाजपा का नहीं तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

अपने सीने का दर्द बर्दास्त करे और जो अधिकार हैं उसका सम्मान करें इस संदंध में आप का निर्णय चाहता हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, संविधान के तहत जिस प्रकार से विधान सभा का गठन हुआ है उसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत सभी सदस्यों को बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसके मंत्रीगण जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं कि इनके जो सहयोगी दल के विधायक सदस्य या इनकी पार्टी के सदस्य हैं, उनके काम तो हो रहे हैं लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग हैं उनको अपमानित कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के बीच में। इस तरह से विपक्ष में बैठे हुए तमाम माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है उनको अपमान सहन करना पड़ रहा है। यह जो दीन दयाल उपाध्याय योजना है इसके नाम पर एक वरिष्ठ लोक निर्माण मंत्री अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या उसकी सहयोगी पार्टी के विधायक हैं उनके जो प्रस्ताव हों उनको मान लिया जाए, दूसरों के प्रस्ताव को न माना जाए। इन्हीं के लोग शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं इन्हीं की बात मानी जाती है इस तरह से विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं तथा नियम 300 के अन्तर्गत इस पर चर्चा की मांग करता हूं। इसके बारे में स्पष्ट व्यवस्था आनी चाहिए इस सरकार यह यदि आप अंकुश नहीं लगायेंगे तो कौन लगायेगा आप कृपया सरकार के ऊपर अंकुश लगाएं कि वह दो तरह का व्यवहार न करे।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि इस सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से जो प्रस्ताव जाएं वही माने जाएं। दीन दयाल उपाध्याय योजना में यही हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों तथा कार्यकर्ताओं का प्रस्ताव माना जाय और इन्हीं लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन भी कराया जाय। इससे बड़ी बेइन्साफी की बात और क्या हो सकती है। यह विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बेईमानी है। इसलिये मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं। व्यवस्था चाहता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

यह निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। डी० आर० डी० ए० की बैठक होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता है उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है निर्वाचित विरोधी दलों के प्रतिनिधियों को नहीं सुना जाता है। डी० आर० डी० ए० की बैठकों में भारतीय जनता पार्टी का सड़ियल सा कार्यकर्ता पहुंच जायेगा उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। यह भेदभाव किया जा रहा है। हम इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों की सुरक्षा आपसे नहीं होगी तो किससे होगी ?

(समय 2 बजकर 5 मिनट)

मान्यवर, इसलिये आपका संरक्षण चाहते हैं और इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से चाहता हूं कि जिला योजना, डी० आर० डी० ए० और पं० दीन दयाल योजना में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

(श्री राम प्यारे जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री राम प्यारे जी, सूचना पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं। आपने हस्ताक्षर किया था लेकिन उसे आपने काट दिया। इस पर कई माननीय सदस्यों की बात आ गयी है, अब आप बैठ जायं।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, इस विषय पर माननीय मंत्री जी से खुद मेरी बात हुई है, इसलिये मुझे सुन लें। किसी भी मुल्क में कोई विधायक या बड़ा नेता जो एक मार्गदर्शक रहा है और उसके नाम पर जब कोई कार्य हो तो उसको एक पार्टी से सम्बद्ध कर दिया जाये तो आप जैसे विद्वान अध्यक्ष के होते हुए यह कहना चाहता हूं कि इससे गलत बात और परम्परा कोई नहीं हो सकती है। कल जब मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने इसी हाउस में कहा कि "हां मैंने इस तरह कह दिया है।" मैं इस औचित्य के सवाल पर यह कहना चाहता हूं कि इस पर व्यापक चर्चा करा कर इस बात को तय करा दें कि किसी भी माननीय सदस्य के हक और सम्मान में किसी तरह का व्यवधान न पैदा हो और इस सदन में जो चुनकर आये हैं वह समान सदस्य के रूप में हैं इसलिये मान सम्मान सब का होना चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न पर दख देते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से यह समस्या कभी भी नहीं पैदा हुई कि सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक में भेदभाव किया जाय। हमेशा चाहे वह डी० आर० डी० ए० का बजट हो या विकास का कोई कार्य हो, उसमें जिस क्षेत्र का विधायक जहां पर है उससे पूछकर ही यह कार्य प्रारम्भ किया जाता रहा है और श्रीमन् इस तरह की व्यवस्था हो जायेगी तो फिर एक चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान होगा, तिरस्कार होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस तरह की भेदभाव न करे और आप निर्देशित करें कि जिस क्षेत्र में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बननी हैं या अन्य निर्माण कार्य होने हैं, उसमें उस क्षेत्र के विधायक की राय मांगी जाये और उसी के द्वारा सम्पन्न करायी जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, यह कहीं न कहीं से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। मैं माननीय सदस्यगण को और सम्मानित नेता विरोधी दल को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भेदभाव का प्रश्न नहीं है। पं० दीन दयाल उपाध्याय विकास योजना के अन्तर्गत जो निर्धारित मानक हैं उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। आपकी किससे क्या बात हुई है, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता ? लेकिन कोई इस प्रकार के आदेश नहीं दिये गये हैं, मैंने इसको सुनिश्चित कर लिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के सुझाव लिये जायेंगे औरों के नहीं लिये जायेंगे, यह बात नहीं है। सबको जानकारी है कि एक हजार की आबादी के जितने गांव हैं, दो किलोमीटर तक उनको सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की योजना है। एक हजार आबादी के ऐसे गांव चाहे कहीं भी आते हों। मान्यवर, मैं दोबारा आश्वस्त करना चाहता हूं और सम्मानित नेता विरोधी दल से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि भेदभाव का प्रश्न नहीं है, यह हमारा कमिटमेंट है। पहले से जो विधायकों का मान-सम्मान है उसको कायम रखकर काम किया जायेगा। इस प्रदेश का जो खजाना है, उसको हम सभी लोग तय करने वाले हैं। यह आप जानते हैं कि किस प्रकार से इस प्रदेश के खजाने को लूटा गया ?

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि सदन में विरोध पक्ष के सदस्यों ने जो बात उठायी है, उसके संबंध में आप कृपया यह आश्वासन दें कि चाहे जो योजना हो, चाहे दीन दयाल उपाध्याय योजना हो या कोई भी अन्य योजना हो, बिना स्थानीय विधायक की सहमति के कोई काम नहीं किया जायेगा, चाहे वह सत्ता पक्ष के विधायक हों अथवा विपक्ष के, सबको बराबर का दर्जा मिलेगा, बराबर का हिस्सा मिलेगा।

सदन ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आश्वस्त करता हूं कि कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर स्पष्ट निर्देश की अपेक्षा की है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गोलमोल जवाब देने में माहिर हैं । हम चाहते हैं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जितने भी सदस्य हैं, बिना उनकी सहमति के कोई भी विकास का कार्य नहीं किया जायेगा, इस बात को आप सुनिश्चित करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी की सूचना पर माननीय नेता विपक्ष तथा माननीय अन्य नेताओं व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चलने वाली योजनाओं में किसी भी विधायक के साथ दलीय आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठायें कि जनपद की सभी योजनाओं में सभी विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित हो और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न किया जाय ।

दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 को सदन में हुई मारपीट की जांच सदन की किसी समिति से न कराकर अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना मा० कुंवर रेवती रमण जी की है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन में यह सवाल औचित्य के माध्यम से उठाना चाहता हूं । मान्यवर, यह सदन स्वयं में सर्वशक्तिमान है । जो अधिकार संविधान के द्वारा इस सदन को प्रदत्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत उस अधिकार को, धीरे-धीरे यह देखने में आया है कि उसका ह्रास होता गया है जाने या अनजाने में । इस सदन की एक गरिमा थी एक मर्यादा थी लेकिन उसका ह्रास जिस तरह से हुआ है उसके लिये सभी जिम्मेदार हैं चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष । सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, मान्यवर, आपकी भी जिम्मेदारी होती है । मान्यवर, जब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं आप जैसा भिज्ञ और जिम्मेदार आदमी के रहते ऐसी बातें हो जायं जो इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाये उचित नहीं है । मान्यवर, इस सदन में उस पीठ से दिये हुए जो आदेश हैं लोकसभा में भी उन आदेशों का उद्धरण दिया गया और तमाम विधान सभाओं में उन आदेशों का उद्धरण दिया गया । लेकिन धीरे-धीरे हम अपनी शक्ति को भूलते गये, हमारे अधिकार निहित थे उनका प्रयोग करना ही हमने छोड़ दिया । कभी हम न्यायपालिका और कभी हम और जांच एजेन्सियों पर अपने अधिकारों को सौंपते गये और जो अधिकार हमें उपयोग करना चाहिए था उसका उपयोग करना ही हमने बन्द कर दिया । उसी को मैं कृपा पूर्वक कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, 21 अक्टूबर को जो घटना घटी वह शर्मनाक थी लेकिन मान्यवर, पीठ पर बैठा हुआ आप जैसा व्यक्ति इस सदन की एक कमेटी बना देता और उसके द्वारा जांच करा लेता जिसमें उधर के भी सदस्य होते और इधर के भी सदस्य होते तो मुझे कोई आपत्ति न होती लेकिन पता नहीं कैसे आप क्षोभ में थे या क्या था, आपने एक आयोग गठित कर दिया उससे इस सदन की गरिमा घटी है । मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि जो परम्परा इस सदन की रही है उसका धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है ; इस

सदन में अब कमेटी नहीं बनाई जाती । अब हम अधिकारियों के ऊपर या न्यायपालिका के ऊपर या जांच एजेन्सियों के ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन हम माननीय सदस्यों के प्रति वह विश्वास नहीं करते जो करना चाहिए । आपने जो किया उस पर तो मैं कुछ भी कहना चाहता लेकिन भविष्य में इस बात की आवश्यकता पड़े तो माननीय सदस्यों की समिति बनाई जानी चाहिए । मान्यवर, इसी विधान सभा में न्यायपालिका के दो जजों को यहां पर तलब किया गया है, न्यायालय के रूप में यहां सुनवाई हुई थी और समय-समय पर अन्य तमाम बड़े-बड़े अधिकारियों को यहां लाया गया । मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति कम से कम जब तक आप उस पीठ पर हैं नहीं होनी चाहिए और भविष्य में अगर कोई जांच करानी हो तो माननीय सदन की समिति बनाकर उसके द्वारा ही जांच होनी चाहिए यह मैं अपेक्षा करता हूं ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने औचित्य के प्रश्न के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत किया । मान्यवर, आपके निदेशों पर भी कोई सदस्य मन में भी कोई विचार लाने की अपेक्षा नहीं करता है और न कभी हम लोग जो संसदीय परम्पराओं में विश्वास रखते हैं, न मन में ऐसा विचार ही आता है । मान्यवर, "हाउस इज दि मास्टर आफ हिज ओन बिजनेस" इस परम्परा को लेकर ही संसदीय परम्पराओं का निर्माण हुआ ।

मान्यवर, 21 अक्टूबर को जो घटना घटी वह संसदीय इतिहास में एक शर्मनाक घटना थी । हम सब लोग जो इस सदन के सदस्य हैं उस घटना से आहत थे । मान्यवर, पीठ का भी आहत होना स्वाभाविक है । जहां प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्था के अन्दर जो आचरण हुआ उसकी जितनी निन्दा की जाय कम है लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उस घटना के बाद कुछ प्रयास होता कि हम उससे शिक्षा लेते कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, कभी सदन में दुबारा ऐसा वातावरण न आये, ऐसा क्षण न आये, ऐसे क्षणों को कैसे टाला जाय इस दिशा में कोई ठोस प्रयास किया गया होता या एक नई दिशा जगाने का प्रयास किया गया होता तो हम सबको एक ज्ञान मिलता । मान्यवर, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य मस्तिष्क से नहीं आवेश में आ जाता है तो ऐसी घटना हो जाती है । मान्यवर, आपकी विद्वता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है आपसे बहुत कुछ हम लोगों को सीखना पड़ता है । मान्यवर, लेकिन जिन परिस्थितियों में इस पीठ से ऐसा निर्णय हुआ । जबकि मान्यवर, यह पीठ आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति से सुशोभित है । मान्यवर, समय-समय पर इस पीठ ने ऐसी व्यवस्थायें दी हैं जो संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई हैं । उनका अनुकरण भारत की लोक सभा और विभिन्न विधान सभाओं ने किया है । लेकिन यह अभूतपूर्व घटना ऐसी हुई है, 50 वर्ष के संसदीय इतिहास में संसद से लेकर विधान सभा में उत्तेजना के क्षण आये, मुझे स्मरण नहीं आता, कि कहीं किसी पीठ से या किसी सदन से ऐसा निर्णय हुआ हो कि विधान सभा के सदस्यों के आचरण की जांच एक किसी दूसरे आयोग द्वारा न्यायिक आयोग द्वारा करायी जाय । अच्छा होता कि इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों की सभी पक्षों की एक सम्मिलित समिति बनाकर गम्भीरता से उसमें चर्चा हो जाती जांच हो जाती और जो लोग दोषी होते उनकी सदन में बैठकर निन्दा कर ली जाती । लेकिन मान्यवर, इस सदन के सदस्यों के आचरण की जांच एक बाहर का व्यक्ति करे, जो वीडियो फिल्म बनायी गयी उनको बार-बार दिखाकर सदन की गरिमा को भंग करने का काम हुआ । इस घटना के बाद तो उत्तर प्रदेश विधान सभा बहुत अपमानित हुई है, बहुत गरिमा गिरी है । विशेषकर इलेक्ट्रानिक्स मीडिया द्वारा घटना की विभिन्न तस्वीरें दिखायी गयी, उस दिन शर्म से सबका सिर झुक गया । यहां की तमाम समाचार अजेन्सियों ने यहां की उन तस्वीरों को दिखाने का काम किया । उसको भुलाने की आवश्यकता थी उस स्थिति को सुधारने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आवश्यकता थी । आयोग ने उन दृश्यों को अलग-अलग ढंग से देखा भारत की लोक सभा में मान्यवर, पार्लियामेन्ट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऐक्ट बना हुआ है, जब तक मान्यवर, आप अनुमति नहीं देते हैं कोई कार्यवाही प्रकाशित नहीं की जा सकती, मीडिया में प्रकाशित नहीं की जा सकती, आपके आदेशों के अधीन सब व्यवस्था रहती है और आप हमेशा अपना मार्गदर्शन करते रहते हैं ।

मान्यवर, एक रिटायर्ड जुडिशियल आफीसर से यहां के सदस्यों के आचरण की जांच करायी गयी वह घटना भुलायी नहीं जा पा रही है । अगर ऐसी आवश्यकता थी ही तो हमारे यहां न्यायिक सदस्य हैं एडवोकेट जनरल सदस्य हैं, न्यायिक जांच की आवश्यकता थी तो वह जांच उनसे करायी जा सकती थी। बेहतर होता आप स्वयं या वरिष्ठ नेताओं से इसकी जांच कराते तो एक नयी परम्परा की शुरुआत होती कि वातावरण को कैसे सहज बनाया जाय सामान्य कैसे बनाया जाय ?

मान्यवर, हम लोग जब सदन के अन्दर आते हैं तो दलीय कटुता से ऊपर उठकर बैठने का हमारा प्रयास होना चाहिए । यह लगे कि दलों में भिन्नता है, दृष्टिकोण अलग-अलग हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारी आपस में निकटता होनी चाहिए । ढाई लाख जनता का प्रतिनिधित्व सदस्य करता है ।

मान्यवर, अभी जब मैं आ रहा था विधान सभा प्रारम्भ हो रही थी तो मेरी 8 साल की लड़की ने मुझसे कहा कि सदन में आप जा रहे हैं हेलमेट लेते जाइये । यह दुखद घटनायें हैं, जिन्हें न होने की आवश्यकता है । मान्यवर, सार्वजनिक जीवन में हमारी विधान सभा के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, आज भी हैं, आपकी पीठ से इस दिशा में कोई पहल हो, नेताओं से वार्ता करके, जो विधान सभा चले, एक सहज पूर्ण वातावरण में चले, ज्यादा बहस हो लोगों को लगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में सार्थक बहस होती है प्रतिनिधियों में भिन्नता होने के बावजूद प्रदेश के सर्वांगीण विकास, प्रदेश के हित में एक सम्यक् चिन्तन किया जाता है । मान्यवर, इस अपेक्षा के साथ हम लोग यहां पर आते हैं । 21 अक्टूबर, 1997 को जो घटना घटी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उससे हम सभी व्यथित हैं । जिन परिस्थितियों में यहां पर आयोग का गठन किया गया, उसे मेरा अर्न्तमन स्वीकार नहीं करता । आपका जो निर्देश होगा, वह सर्वथा स्वीकार्य होगा । कभी-कभी उत्तेजना में ऐसे क्षण आ जाते हैं परन्तु हम ऐसी परम्परा संसदीय इतिहास में न डालकर जायं जो इसके लिये अच्छी न हो । मान्यवर, हम हमेशा तो यहां पर रहेंगे नहीं परन्तु हम ऐसे काम अवश्य करें जिससे लोग सीखकर जायें । मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर बल नहीं दे रहा हूं बल्कि यह कह रहा हूं कि अब तक जो हमारे विधान सभा की कार्य पद्धति रही है उससे हटकर कार्य नहीं होना चाहिए । आपने मेरे विचारों को सुना । इसके लिये आपको धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

जो व्यथा माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने और डा० अशोक बाजपेयी जी ने 21 अक्टूबर, 1997 की घटना के संबंध में व्यक्त की हैं, शायद उस व्यथा को सारा सदन महसूस कर रहा है । विधायिका की गरिमा पिछले कुछ वर्षों में देश भर में गिरी है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु विभिन्न प्रदेशों की विधायिकाओं के बारे में जो समाचार मिलते हैं, वह लोकतंत्र समर्थकों के दिल को कहीं न कहीं झकझोर देती हैं और मन में संसदीय लोकतंत्र के भविष्य के प्रति बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लग जाता है । शायद हमारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आचरण भी कहीं न कहीं इसके लिये उत्तरदायी है । कल मैं जब इस सदन में आया था और दो मिनट बाद सदन को स्थगित करके चला गया । परसों रात को "स्टार न्यूज" के अन्तर्गत एक घण्टे-घण्टे में जो समाचारों का प्रसारण किया गया उसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा को कहीं नटोरियस, शरारती आदि इसी प्रकार के मिलते-जुलते शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया । इससे मुझे केवल बड़ी पीड़ा ही नहीं हुई अपितु कल पूरे दिन उसने व्यथित रखा । कल जो माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आये थे, उन्हें भी पीड़ा का एहसास हुआ और जब हम सब इतनी मात्रा में इतने ज्यादा दुखी होते हैं तो कुछ आत्मविवेचन भी करते हैं । अपने आत्मविवेचन के लिये कुछ क्षण उपलब्ध कराने के लिये मैं कल उसके बाद सदन में नहीं आया था । हो सकता है कि कुछ लोगों के

ऊपर उस घटना का प्रभाव न पड़ा हो । लेकिन सारे देश में ही नहीं विश्व के दूसरे देशों में हमारी विधान सभा की जो छवि बनी है उसको सुधारने का हमारा सामूहिक दायित्व है । मैं किसी प्रकार की विवेचना में नहीं जाना चाहता । लेकिन मुझे लगता है कि हमने तीसरी धारा में अपने आप को जोड़ा है और .ह इतनी प्रबल थी कि मुझे लगा कि तर्क के लिये उसमें स्थान बहुत कम हो गया था । उन प्रबल भावनाओं के कारण संघर्ष की स्थिति उपस्थित हो गयी थी और उस स्थिति से बचने के लिये एक तीसरी धारा और जोड़ दी । यह बात सही है कि लोक सभा और विधान परिषद् और विधान सभा के अन्दर किये गये कार्य की कोई बाहरी एजेन्सी के माध्यम से जांच नहीं करायी जानी चाहिए । मैंने विधान सभा की सार्वभौमिकता के साथ आयोग की नियुक्तिके समय भी कोई समझौता नहीं किया । मैंने यह कहा कि आप अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे और वह रिपोर्ट आप मुझे देंगे और उसका परीक्षण करने के उपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो उसे सदन के पटल पर रखा जायेगा । यदि वह एक बार सदन की सम्पत्ति हो जायेगी तो जनता को जानने का अधिकार है और यदि वह सदन की सम्पत्ति नहीं होती है तो वह रिपोर्ट यहां पर रखी रहेगी । इस बीच मेरे पास लगभग सभी दलों के माननीय विधायक आये और उन्होंने उस घटना पर दुख व्यक्त किया । मैंने अनौपचारिक रूप से यह निवेदन भी किया था कि आप अपने दल के माननीय नेताओं को मेरी भावना से अवगत करा दें कि यदि सभी लोग एकत्र हो जायें तो इस आयोग को समाप्त करके इस सदन में चर्चा हो जाये और हम बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेहि को चरित्रार्थ करके एक बार फिर अपनी छवि सुधारने के अभियान पर निकल पड़े और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की पुरानी गरिमा लौट पड़े । लेकिन मुझे दुख है कि कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला । वह रिपोर्ट अब भी मैंने खोली नहीं है और वह सीलबन्द रखी है । जिस प्रकार का वातावरण 21 अक्टूबर को था, जो आरोप प्रत्यारोप थे, जो बातें विशेषकर नेताओं के प्रति कही गयी थीं तो मैंने सोचा कि सबको समाप्त करने के लिये एक उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जांच करा लें लेकिन मैंने उनको यह अधिकार नहीं दिया कि वह किसी माननीय सदस्य को अपने यहां बुलायेगे, वहां आना माननीय सदस्य की स्वेच्छा पर था । मैंने माननीय सदस्य की गरिमा के साथ समझौता नहीं किया । जो उत्तर देना चाहते थे वह आयें और जो नहीं देना चाहते हैं वह न आये । मेरे मन में यह इच्छा थी कि यह सदन अपने कार्य के बारे में, अपने दायित्व के बारे में, अपना पूरा सर्वाधिकार सुरक्षित रखे । उच्चतम न्यायालय ने एक कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट के लिये जो आदेश दिया था, विशेष परिस्थितियों में उसका अनुसरण किया गया । लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है । न्यायालय विधायिका के क्षेत्र में किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है ? क्या किसी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी विधान सभा को यह निर्देश दे कि आप बैठक अमुक दिन ही कीजिये, समय से कीजिये केवल अमुक कार्य ही कीजिये और दूसरे कार्य न किये जायें ? मैंने कहा कि यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और यह संवैधानिक प्रश्न भी है जिसमें न्यायालय में अथवा सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए । इसलिये विधायिका अपने सभी अधिकारों को सुरक्षित रखती है । और जिस प्रकार से न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिये दण्डित करने का अधिकार है, उसी प्रकार से विधायिका के सर्वाधिकार सुरक्षित होते हैं विधायिका के सर्वाधिकार के प्रयोगों के बारे में कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप न करे और अगर उसके अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है, तो उसको सदन की अवमानना के लिये, या विशेषाधिकार भंग करने पर दण्डित किया जाता है । मुझे आशा है कि हम सब इस दिशा में प्रयास करेंगे, कई माननीय सदस्य मेरे पास आये थे कि जिस प्रकार से लोक सभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया था यहां भी बुलाया जाय अगर माननीय सदस्य सहमत होंगे, तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

यहां भी बुलाया जाये और उसमें चर्चा हो ।

श्री अध्यक्ष–

तो इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है और हम लोग यहां पर चर्चा करें, अपने व्यवहार को किस प्रकार से सदन में संयत रखें, इस पर भी चर्चा करें ?

एक सदस्य–

एक कमेटी बना दी जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कमेटियां बहुत बन चुकी हैं सदन में हिंसा हुई, उस पर सदन की समितियां बनायी गयीं, लेकिन उनसे निष्कर्ष नहीं निकला और अगर निष्कर्ष निकला भी तो उसके अनुसार हम सब ने आचरण नहीं किया । मैं इस भावना को व्यक्त करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इस दृष्टि से नहीं आती है कि यह तात्कालिक है अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं । परन्तु इस विषय पर गम्भीर मंथन की आवश्यकता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मेरा प्रस्ताव है कि 7 दिन का सदन अनौपचारिक रूप से इसके लिये बुला लें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

हमारे नेता की मीडिया में बड़ी आलोचना हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो कहा । आप सबसे परामर्श कर लूंगा । उस तिथि की घोषणा आप सबकी परामर्श से करूंगा ।

प्रथम सत्र 1998 (दिनांक 27 जनवरी, 1998 से दिनांक 29 जनवरी, 1998 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन् मैं आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निर्देश (ग्यारहवां संस्करण) के निदेश 14(3) के अनुसार विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 (दिनांक 27 जनवरी, 1998 से दिनांक 29 जनवरी, 1998 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1998 को पारित किया

गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 24 मार्च, 1998 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 मार्च, 1998 को वापस प्राप्त हो गया।

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं को सुने जाने की मांग (जारी)

(मद संख्या 9 पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मान्यवर, हमने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दे रखा है।

श्री अधिष्ठाता–

वह अध्यक्ष जी के संज्ञान में है। उसका परीक्षण हो रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मान्यवर, अध्यक्ष जी के संज्ञान में है लेकिन उस पर निर्णय देने के पहले हमें सुन लिया जाय।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह पूरे सदन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

उसका परीक्षण हो रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

हम कहां कह रहे हैं कि निर्णय आज ही दे दें। हमें पहले सुन लें।

डा० अशोक बाजपेयी–

आप हमें सुन लें आपको सुविधा हो जायेगी।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 मार्च, 1998 की बैठक में सदन के दिनांक 26 मार्च, 1998 के उपवेशन के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :—

मार्च, 1998

---

26 गुरुवार (1) निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त)

(2) संगत नियमों को निलम्बित करते हुए, किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न था।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(मद सं० 11 पुकारे जाने पर)

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विशेषाधिकार की जो सूचना माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह व माननीय अशोक बाजपेयी ने दी है वह आपके सम्मुख है। चूंकि कक्ष में हुयी बातों की यहां पर कहने की परम्परा नहीं है न आवश्यकता है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप उसका परीक्षण करिये और निर्णय दें हम उसको मना नहीं करते हैं लेकिन जो उससे जुड़े प्रश्न हैं उनको अगर सुनेंगे नहीं तो उचित नहीं होगा। सदस्यों की भावनायें पहले आ जायें, आप सुन लें और उनकी बातों को परीक्षण में शामिल कर लें और तब निर्णय दें। 2 मिनट सुन लें। आज दूसरे बहुत मुद्दे नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये उनका कोई एजेंडा नहीं है कोई सरकारी काम पिछड़ रहा हो ऐसा भी नहीं है इसलिये आप माननीय सदस्यों को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरा निवेदन सुन लें। मैंने मद सं०–11 बुला लिया है। कार्य स्थगन पर चर्चा हो जाने दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, मद–11 के पहले मद सं०–8 है उसको ले लें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मेरी सूचना का संबंध सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना से है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप इस पर पहले सुन लीजिये। कार्य स्थगन तो फिर आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप चिन्ता न करें उसको हम सुन लेंगे। कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर पहले चर्चा हो जाय क्योंकि मैं इसे बुला चुका हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह अध्यक्ष पीठ है इस पर अध्यक्ष बैठें या अधिष्ठाता बैठें हों इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है लेकिन आप जैसा भी चाहें इसकी व्यवस्था देख लीजिये। विशेषाधिकार के प्रश्न को सुन लीजिए यह किसी एक सदस्य का मामला नहीं है, यह किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसको पहले सुन लीजिये। पूरे सदन की अवमानना का प्रश्न है।

(श्री बाल चन्द्र मिश्र के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

बाल चन्द्र जी आपको क्या कहना है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

आप कहते हैं कि क्रम से और यहां तब उल्टा हो रहा है । ऐसे कैसे होगा ?

(इस समय 2 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

हम लोगों ने विशेषाधिकार हनन का मामला दिया है । उसमें आग्रह यह है कि उसका परीक्षण करवा लीजिये उसके बाद कोई निर्णय दीजिये । दो मिनट हमको और दो मिनट डा० अशोक बाजपेयी जी को सुन लीजिये परीक्षण करने के बाद जब अगली तिथि होगी तब निर्णय लीजियेगा ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना अलग है । जो सूचना है उसका परीक्षण करवा लिया जायेगा । मैंने उसका संज्ञान ले लिया है मैंने अशोक बाजपेयी जी को सुना और 21 अक्टूबर और जांच आयोग के संदर्भ में मैंने अपनी बात कह दी । मैं सचिव को यह निर्देश दे रहा हूं कि 24 तारीख की रात को स्टार टी० वी० पर उत्तर प्रदेश विधान सभा को ''नोटोरियस'' और कुछ इसी प्रकार के शब्दों से सम्बोधित किया गया था । उनसे इस विषय में जवाब तलब कर लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मान्यवर, यह आ जाय सदन के संज्ञान में कि कैसा उन्होंने कब और किस तारीख को कहा ?

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

तो कोई एक सदस्य । मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि यह सदन से जुड़ा सवाल है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मान्यवर, आपकी बात पर हम बल देते हैं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, 25 मार्च को लखनऊ से प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स .....

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात सुन ली जायेगी । वह अलग विषय है पहले अभी कुंवर साहब को बुलाया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने पूर्व में स्वयं यह कहा था कि जो स्टार टी० वी० में 24 तारीख को प्रसारण हुआ मान्यवर, एक बात नहीं अनेकों बार यह कहा गया कि ''उत्तर प्रदेश विधान सभा इज ए नोटोरियस विधान सभा'' । बहुत खतरनाक विधान सभा है ।

इससे पूरे सदन का अपमान हुआ है । यह सदन की बात नहीं है यह आजकल परम्परा बन गई है जैसा मैंने कहा विधान सभा की और विधान सभा के सदस्यों की अवमानना हर तरफ हो रही है । चाहे जुडीशियली हो, चाहे न्यायपालिका हो ? चाहे इलेक्ट्रानिक मीडिया हो एक फैशन सा बन गया है विधान सभा के सम्मानित सदस्यों के लिये कोई भी लोग चाहे जिस शब्द का प्रयोग करें । नोटोरियस विधान सभा कहें, इससे ज्यादा शर्म की बात और विधान सभा की अवमानना क्या होगी ? इससे गम्भीर प्रश्न और क्या हो सकता है । मान्यवर, यह विधान सभा अपने आप में स्वयं सक्षम है न्यायपालिका के रूप में

भी यह अपने को बदल सकती है । इस तरह की चीजों पर रोक लगनी चाहिये । मान्यवर, जो 24 तारीख की तिथि आपने निश्चित की है उसमें न्यायपालिका की हैसियत से विधान सभा बैठे और उसमें यह मामला प्रस्तुत किया जाए और उसमें पूरी न्यायपालिका की तरह कार्यवाही की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

क्या विधान सभा न्यायपालिका के रूप में कार्य करेगी इसका निर्धारण उनसे पहले उत्तर मंगा लें तब करेंगे ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न प्रस्तुत किया गया है उसको आपने बड़ी गम्भीरता और संवेदनशीलता से लिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । प्रश्न 24 तारीख के निर्धारण का नहीं है प्रश्न यह है कि यह परम्परा बनती जा रही है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया अपने ढंग से नमक-मिर्चा लगाकर प्रसारण करती है मनमाने ढंग से कटाक्ष विधान सभा पर करती है । यह विधान सभा प्रदेश की गरिमा और स्वाभिमान का परिचायक है । इसमें मनमाने ढंग से टिप्पणी करने का अधिकार किसी न्यूज एजेन्सी किसी प्रसारण विभाग को नहीं है । मान्यवर सदन में यदि आप कहते हैं कि "नहीं लिखा जायेगा, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा" तो उसे कोई छाप नहीं सकता है । इसके अलावा जिस शब्दावली में कार्यवाही का संचालन होता है उसी तरह से कार्यवाही का प्रकाशन होता है । मान्यवर, 21 तारीख की घटना को जिस फूहड़ ढंग से सारी दुनिया में दिखाने काम न्यूज एजेन्सी ने किया क्या यह शर्मनाक काम नहीं था ? विधान सभा की गरिमा को गिराने का काम नहीं था ? मान्यवर, स्टार टी० वी० और जी० टी० वी० ने विधान सभा के बारे में जिस तरह से प्रसारण किया वह शर्मनाक है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी चाहूंगा कि विधान सभा की कार्यवाही की जो वीडियो रिकार्डिंग होती है, यह आपके निर्देश पर हो रही है, यह विधान सभा की सम्पत्ति है इसकी दुबारा रिकार्डिंग करके यह दूसरी एजेन्सियों के पास न चली जाए, जो वीडियो रिकार्डिंग के कैसेट हैं इनको सील कर दिया जाय ताकि इसका प्रसारण न्यूज एजेंसियों द्वारा न किया जा सके । मान्यवर, स्टार टी० वी० ने जो विधान सभा के बारे में कहा है उसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम है । यह अक्षम्य अपराध है । यह प्रदेश का सर्वोच्च सदन है उस पर इस तरह की टिप्पणी करना शर्मनाक है । स्टार टी० वी० के प्रबन्धक को विधान सभा के सामने बुलाया जाना चाहिये और न्यायपालिका की प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये । यह बहुत गम्भीर प्रश्न है इसको गम्भीरता से लेने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

नोटिस देकर पहले उत्तर प्राप्त करते हैं फिर इसमें सदन को अवगत करायेंगे कि क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब यह प्रकरण समाप्त हो गया है । आप लिखित सूचना दें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैंने लिखकर दिया इसलिये आप मुझे कृपया सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने कल जो सूचना दी है उसका मैं परीक्षण करा रहा हूं, इसलिये मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मिश्र जी आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन को और पीठ को अपमानित किया गया है। (व्यवधान) आपके विरोध में बातें कहीं गई हैं जिसकी हम लोगों को चिन्ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(व्यवधान) विरोध में हो या पक्ष में हो उसकी मुझे चिन्ता नहीं है। कुंवर रेवती रमण सिंह की सूचना को मैंने संज्ञान में लिया इसलिये मैंने कहा है। जो आपने लिखित सूचना दी है उसका मैं परीक्षण करा रहा हूं और जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन किया जायेगा इसलिये आप बैठ जायं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने कहा कि मुझे चिन्ता नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं, इसलिये व्यक्तिगत रूप से आपके लिये तो नहीं कहा है। अध्यक्ष पीठ के लिये कहा है, इस लिये हम सबकी चिन्ता होना स्वाभाविक है।

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार की जो सूचनायें आती हैं वह कहीं न कहीं सदन से संबंधित रहतीं हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

कुछ माननीय सदस्यों को आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रयास करूंगा कि नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर इस संबंध में विचार कर लूंगा। (व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

जांच के लिये हाईकोर्ट का जज नियुक्ति कर दिया जो जांच करेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें चूंकि वह प्रकरण समाप्त हो गया है। मद संख्या। पुकारने पर।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रकरण समाप्त हो गया है, जो आयोग गठित किया था वह समाप्त हो गया है ?

श्री अध्यक्ष–

आप कार्यवाही निकाल कर पढ़ ले तो आपको मालूम हो जायेगा कि क्या समाप्त हो गया है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मैं केवल व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर उत्तेजना फैला रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

हम बोलते हैं उससे पहले आप नाराज हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इतने पारदर्शी हैं कि आप जब बोलते हैं उसके पहले ही मालूम हो जाता है कि क्या बोलने जा रहे हैं।

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह प्रकरण समाप्त हो गया।

श्री प्रमोद कुमार–

कौन सा प्रकरण समाप्त हो गया ? आयोग समाप्त हो गया या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप उत्तेजना पैदा कर रहे हैं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26-3-1998 को नियम 56 एवं नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। शेष सूचनाएं नियम 301 के अन्तर्गत परिवर्तित की गयीं। निम्नलिखित प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री बाबू राम यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री राम वीर सिंह यादव, कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी की तथा नियम 311 में इसी विषय में श्री कौकब हमीद की सूचना है। यह सूचना प्रदेश में कई जिलों में ओलावृष्टि एवं चक्रवात के कारण लाखों किसानों की फसलों के समूल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि एवं चक्रवात से लाखों किसानों के फसलों की बर्बादी एवं तबाही होने विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अध्यक्ष महोदय, पिछली 24 फरवरी, 1998 की रात में और 25 फरवरी, 1998 के प्रातःकाल 9.00 बजे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों में एक अति गतिशील तूफान ने तबाही मचा दी। पूर्वांचल के समूचे जनपदों में बिजली के खम्भों टेलीफोन के खम्भों के ध्वस्त होने की वजह से जहां एक तरफ विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गयी वहीं दूसरी तरफ चक्रवात ओलावृष्टि और तूफान के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, पडरौना, गोरखपुर, महराजगंज आदि जनपदों में इस तूफान चक्रवात और ओलावृष्टि के चलते बड़े पैमाने पर किसानों की खड़ी फसलें खेतों में नष्ट हो गयीं। जहां इतने बड़े पैमाने पर किसानों को तबाही का सामना करना पड़ा, उनकी हालत दयनीय हो गयी वहीं आधा दर्जन से ऊपर लोगों की मृत्यु इस तूफान और ओलावृष्टि के कारण हो गयी। ओलावृष्टि तथा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के प्रति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो (इस समय 3 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए) उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है उससे उसकी संवेदनहीनता झलकती है। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों को तत्काल राहत की आवश्यकता थी किन्तु भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की नीयत गांव में बसने वाले किसानों और मजदूरों के खिलाफ है, क्योंकि उसने अब तक प्रभावित लोगों को कोई राहत नहीं दी। (समय 3 बजकर 5 मिनट) और राहत व सहायता की जगह सरकार समूचे सरकारी देयों की वसूली सख्ती से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभावित जनपदों में रहने वाले लोगों से करा रही है। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी प्रश्नोत्तर काल के दौरान माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना-कितना राहत इन पूर्वी क्षेत्रों को दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में 24 व 25 फरवरी में अनेक लोगों की जानें गयी, केवल 25 हजार रुपया जिला

प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से 25 हजार रु० दो-तीन मृतक परिवारों को देने के सिवाय कोई भी राहत बर्बादी के शिकार किसानों और मजदूरों को नहीं दिया, जिनकी खड़ी फसलों को इस प्राकृतिक आपदा ने पूर्णतः नष्ट कर दिया । माननीय अधिष्ठाता जी, इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा के महीनों बीतने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल संबंधित जिलाधिकारियों के जरिये क्षति का आंकलन भर करवाया है । यह अपनी संवेदनहीनता का परिचय उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है कि क्षति का आंकलन मंगाने के बाद भी क्षतिपूर्ति की घोषणा तक नहीं की । प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि इसके लिये केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता की अपेक्षा की गयी है तथा पुनः अनुस्मारक और स्मृति पत्र भेजे जायेंगे । इस प्रश्न पर सदन की समूची कार्यवाहियों को स्थगित करके आप चर्चा कराये और सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, पडरौना, गोरखपुर, महराजगंज और अलग-अलग के जो इलाके प्रभावित हैं उन्हें राहत प्रदान कराने की कृपा करें । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन प्रभावित जनपदों में जहां तक मेरी जानकारी है, पड़रौना और देवरिया जनपद के ग्रामीण इलाकों में बिजली व टेलीफोन के खम्भे गिरने से अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों में बिजली की आपूर्ति ठप्प हो गयी है लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जानकारी प्राप्त करने का भी काम नहीं किया, उन अस्पतालों में बिजली न होने से इलाज कैसे हो रहा है, एक्सरे कैसे हो रहा है ? यह सरकार संवेदनहीन बनकर बैठी हुई है । इसलिये सदन की समस्त कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें । धन्यवाद ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, 22 तारीख की रात की एक ऐसा चक्रवात आया जिससे हमारे जिले के करहल विधान सभा क्षेत्र का पूरा-पूरा क्षेत्र, ओला व भारी वर्षा और तेज हवा से प्रभावित हुआ, हालांकि ओले का आकार बहुत छोटा था लेकिन फसलें गिर गयी, मान्यवर, तेज बारिस थी, शाम के समय भयंकर ओलावृष्टि हुई जिसमें मैनपुरी का करहल विधानसभा क्षेत्र और कुछ किशनी का क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया । मैनपुरी का घिरौर क्षेत्र ओला से प्रभावित हुआ, फिरोजाबाद का जसराना विधान सभा क्षेत्र, इटावा जनपद का जसवन्तनगर, भर्थना, विधूना पूरी तरह से प्रभावित हुआ । मान्यवर, मैं इसके साथ करहल के लोगों की व्यथा सुनाना चाहता हूं । पिछले अक्टूबर और दिसम्बर में रात में जो वर्षा हुई उससे किसानों का धान भीग गया और जो भीगा और बाजार में आया तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों की सांठ-गांठ से उसको खरीदना बन्द कर दिया । मान्यवर, हमने पिछले समय भी यह बात कही थी कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने धान की फसल का, वर्षा से हुई क्षति का मुआवजा दिया था, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार को धान का मुआवजा देना चाहिये था, लेकिन इस सरकार की संवेदनहीन होने के कारण किसानों की तरफ निगाह नहीं है । वैसे तो हमारे जितने साथी बैठे हैं, सभी किसान हैं, उधर भी 60-70 फीसदी किसान हैं लेकिन सरकार में आकर किसानों को भूल गये हैं । पिछली वर्षा का मुआवजा नहीं दिया गया, उसके बाद फिर एक हादसा हुआ । चाहे खाद्य विभाग के लोगों ने, चाहे वह फूड सेक्रेट्री हों, चाहे मंत्री हों, दोनों ने मिलकर मैनपुरी जिले की 100 राइस मिलों को बन्द करवा दिया और उन्हें बन्द करके पंजाब के व्यापारियों से सांठ-गांठ करके 8 लाख क्विंटल धान पंजाब भेज दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सूचना की ग्राह्यता पर अपने को सीमित रखें । मैं यह चाहता हूं कि इस सूचना पर जितने माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वह सभी के विचार सुन लिये जायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य घटना के बारे में बतायेंगे नहीं तो सरकार जवाब क्या देगी ?

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मेरा कहना यही है कि पंजाब के व्यापारियों से सांठ-गांठ करके 14 करोड़ की हेराफेरी हुई है, सरकार ने इस बिन्दु पर अभी तक कोई जांच नहीं कराई है, इस मामले में खाद्य सचिव शामिल हैं, या खाद्य मंत्री शामिल हैं अथवा मुख्यमंत्री शामिल हैं, इसका पता लगना चाहिये । यह भी बताना चाहता हूं कि पहले 22 तारीख को छोटा ओला पड़ा, उसके बाद 23 तारीख को एक-एक किलो वजन के ओले वहां पड़े, जिससे एक पौधा भी नहीं बचा, आज तक सरकार ने किसी प्रकार की राहत वहां नहीं दी है । निर्वाचन क्षेत्र करहल, धिरौर, जसराना, जसवन्त नगर, भर्थना, विधूना आदि क्षेत्रों में किसान तबाह हो गये हैं, उनके पास खाने को दाना नहीं और मवेशी के लिये चारे के रूप में एक भी पौधा नहीं बचा है । इनके साथ ही जायद की फसल भी वहां नष्ट हो गयी । मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त एक सप्ताह के अन्दर किसानों को खाने के लिये तथा मवेशियों के चारे की व्यवस्था की जाय तथा 14 करोड़ की जो हेराफेरी की गई है, उसकी जांच होनी चाहिये । सरकार सदन में यह आश्वासन दे कि वह इस मामले की जांच कराकर बतायेगी कि किन लोगों ने लूट की है । मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि ओलापीड़ित क्षेत्रों में तबाह हुये लोगों के लिये 7 दिन के अन्दर मुआवजा तथा राहत सरकार दे तथा सरकारी देयों को समाप्त किया जाय । अन्त में मैं समूचे प्रकरण पर बल देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप तुरन्त कार्यवाही के लिये सरकार को निर्देशित करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय बाबू राम जी ने जो ओलावृष्टि के संबंध में किसानों की क्षति के बारे में विचार व्यक्त किये हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं ।

मान्यवर, सुबह के टाइम पर जब तारांकित प्रश्न के बारे में चर्चा हो रही थी तो एक प्रश्न यह आया था कि जन धन और जानवरों वगैरा की अगर वह खत्म हो जाते हैं, जनहानि हो जाती है तो उसका मुआवज़ा कितना दिया जाय यह एक नीति निर्देशक मामला प्रकाश में आया परन्तु उस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया गया यह सही है कि आज ओलावृष्टि के कारण इस प्रदेश के किसानों का सबसे बड़ा नुकसान होता है चाहे अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो या तूफान हो इससे किसान ही प्रभावित होता है और 80 प्रतिशत इस देश में किसान रहता है तो कोई भी सरकार हो उसकी अर्थव्यवस्था का नियोजन इस तरह से होना चाहिये कि 80 प्रतिशत किसान जो गांव में रहता है उनकी परचेसिंग केपैसिटी अधिक बढ़े । जब उनकी परचेसिंग कैपासिटी कम होगी तो गरीबी बढ़ेगी और गरीबी से बेरोजगारी बढ़ेगी । यह ऐसी समस्या है कि इसके लिये कल्याणकारी सरकार जो हुआ करती है वह उसके लिये उपाय सोचती है, योजना सोचती है । वैसे किसी के लिये मुख्य रूप से तीन आवश्यकतायें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जो सरकार इसका इन्तजाम नहीं कर सकती वह किसानों को फायदा नहीं कर सकती । हमारे गांवों में किसान रहते हैं और जब इन परिस्थितियों में किसान आहत हो जाय तो उसका क्या होगा । उसकी बीबी लगी रहती है, बेटा लगा रहता है, मां लगी रहती है, पिता लगा रहता है । सारा का सारा परिवार खेतों में लगा रहता है और दैवी आपदा में उसकी सारी फसल चौपट हो जाती है तो हमारे प्रदेश का किसान भूखों मरने की स्थिति में आ जाता है । ऐसे भी उदाहरण है कि किसान भूख से मर गये हैं जब ऐसा होगा तो सारी दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे ।

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं कि ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई कि एक-एक किलो के ओले पड़े । फसल ही नहीं पेड़ पौधे जानवर और तमाम लोग मर गये । तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं एक बहुत ही नीति विषयक मामले पर । वह नियम पुराना हो गया है ।माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो नियम है कानून है उसके अनुसार दिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो नियम हितकारी नहीं रह जाता है आउट आफ डेट हो जाता है उस नियम को बदल दिया जाता है । मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठें हैं । इस नियम को

यह सरकार बदल सकती है । मैं मांग करता हूं कि जानवर मरे तो अगर वह 10 हजार का है तो उसमें कम से कम 8 हजार रुपया मिलना चाहिये । किसान की फसल को उसके अनुपात में दिया जाना चाहिए । उसका 50,000 का नुकसान होता है तो उसे 500 रुपया दिया जाता है, छप्पर जल जाता है, मकान गिर जाता है तो उसे 500 रुपया दिया जाता है यह नीति विषयक मामला है । मैं मांग करता हूं कि सरकार घोषणा करें कि इन मामलों में अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति की जाय, किसान की क्षति का सर्वे कराया जाय और सारी स्थिति को बाबू राम जी ने कह दिया और अन्य सदस्यों ने कह दिया, यह किसानों की पीड़ा है । इस नीतिगत मामले में संशोधन करने की घोषणा करें और अधिक से अधिक सहायता दिलवायें । जब किसान भूखों मरने लगे तो सिंचाई और सरकारी देनदारियों की अदायगी कहां से करें कहां से यात्रा करें कहां से बेटियों की शादी । मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कोई सुनिश्चित कार्य योजना सदन में घोषित करने का कष्ट करें ।

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, 25 फरवरी को गोरखपुर जिले के मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौड़ी राम में जो चक्रवात आया उसमें कम से कम दर्जनों लोग मर गये, दर्जनों लोग घायल हो गये, जो घायल हैं वह मौत से जूझ रहे हैं एक पैसे की कोई सहायता नहीं मिली । बिजली के सैकड़ों खम्भे गिरे पड़े हैं, दूरसंचार व्यवस्था ठप्प है, बिजली के अभाव में सैकड़ों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं । जो घायल हैं वह किसी तरह से अपनी ओर से व्यवस्था कर इलाज करवा रहे हैं, कोई सहायता नहीं मिली है । तमाम दलितों के झोपड़े उजड़ गये चक्रवात में हवा इतनी तेज थी कि सैकड़ों मकान ढह गये । लोग आसमान के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है । आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 25 हजार राज्य सरकार और 25 हजार केन्द्र सरकार की सहायता दी गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि एक पैसे की कोई सहायता नहीं मिली है । मैं वहां के डी० एम० साहब से मिली थी उनसे आग्रह किया था कि कोई सहायता दें लेकिन उन्होंने कहा कि जो शासन के आदेश हैं उसमें जो मरे हैं उनके परिवार को तो सहायता दी जा सकती है लेकिन जो घायल हैं उनके लिये एक पैसा भी देने का शासन का आदेश नहीं है । जिनके घर गिर गये हैं खुले आसमान के नीचे हैं उनको गृह अनुदान आज तक नहीं दिया गया उनके मकान की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । वहां दूर संचार व्यवस्था ठप्प है, बिजली के खम्भे उजड़े पड़े हैं गांव के गांव के अंधेरे में डूबे हुए हैं बिजली के खम्भों को अभी तक ठीक नहीं कराया गया है । वहां कम से कम 80 फीसदी किसानों की फसल को नुकसान हुआ है आज हमारे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि दर्जनों लोग जो मरे हैं उनको अधिक से अधिक सहायता दी जाय जो घायल हैं उनको सहायता दी जाय जिससे वह सुचारु दवा इलाज करवा सकें जो बिजली के खम्भे गिर पड़े हैं उनको ठीक कराया जाय, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाय, जो बेघर हैं, उनको सहायता दी जाय और उनके मकान की व्यवस्था की जाय ।

*श्री राम वीर सिंह–

मान्यवर, मेरे जसराना विधान सभा क्षेत्र (फिरोजाबाद) में 22/23 के दिन भयंकर तूफान आया जिसके कारण किसानों की सारी फसल नष्ट हो गयी । सारे पेड़-पौधे, मवेशी आदि चौपट हो गये । इसके पहले भी किसानों की सारी फसल नष्ट हो गई थी परन्तु किसी ने भी किसानों के दर्द को नहीं समझा । पहली फसल का ही उनको मुआवजा नहीं मिल पाया । वहां पर जिलाधिकारी का किसानों ने घेराव किया परन्तु आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई । श्री बाबू राम जी व श्री राम औतार शाक्य जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए मांग करना चाहता हूं कि जसराना विधान सभा क्षेत्र तथा उससे जुड़े हुये दो अन्य विधान सभा क्षेत्रों में, जहां पर सारी फसल किसानों की चौपट हो गई है वहां पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसानों को सात दिन के अन्दर मुआवजा देने के लिये सरकार कार्यवाही सुनिश्चित करे और साथ ही पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था भी करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मान्यवर, सबसे पहले तो आप माननीय मंत्री जी से यह कह दें कि जो माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, उसे वह नोट कर लें। अधिकारियों ने जो सूचना दी है, उसी आधार पर वह जवाब देने का कष्ट नहीं करें। श्रीमन्, चक्रवात दो बार आया। इस चक्रवात से दर्जन भर जिले ही नहीं अपितु 30-35 जिले प्रभावित हुए हैं। राजस्व मंत्री जी ने तोते की तरह रटी हुई बात कह दी। श्री हुकुम सिंह व श्री कल्याण सिंह जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए यह कहा कि हमने जो सहायता देनी थी, वह दे दी है। श्रीमन्, फसल नष्ट हो गई। उधर धान की फसल बरबाद हो गई और इधर गेहूं कि फसल बरबाद हो गई। आपने दिये 200 रुपये। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सेन्ट्रल टीम आयी थी और उसने सर्वेक्षण किया। हमने सेन्ट्रल से 242 करोड़ रुपया मांगा है। श्रीमन् यह तो बहुत ही कम पैसा है। कम से कम 5 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। खरीफ के बाद रबी की फसल भी बरबाद हो गई। दर्जनों आदमी मर गये, सैकड़ों घायल हो गये और हजारो की तादाद में मवेशी मर गये। अब आप न तो राजस्व की माफी करेंगे और न ही सिंचाई माफ करेंगे और न ही आप सहायता का वितरण करेंगे। तो फिर आप करेंगे क्या। क्या आप किसानों को गिरफ्तार करके हवालात में भेजने का काम करेंगे। यह तो आपकी संवेदनशीलता है। अफसोस तो इस बात का है कि माननीय मंत्री जी के पास अभी तक इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि कहां पर कितनी क्षति हुई है। आपने आंकलन किया नहीं और राहत का काम आपने शुरू नहीं किया तो आप क्या करेंगे। श्री हुकुम सिंह जी आप तो किसान के बेटे हैं और स्वयं भी किसान हैं। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। आप कहते हैं कि हमने अनुदान दे दिया। दिया कितना केवल 200 रुपये। अब दो सौ रुपये में क्या होता है। आप पहले नुकसान का तो आंकलन करें तब केन्द्र सरकार से मांगें। कुछ दिन पहले आन्ध्र प्रदेश में तूफान आया था। मैं मानता हूं कि वह तूफान बड़ा था, वहां पर 1200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मिली थी। आप 242 करोड़ रुपये मांग कर संतुष्ट हो गये और आपने समझ लिया कि खानापूरी हो गई।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप में संवेदनशीलता बची हो तो सदन में इस बात की घोषणा करें कि जहां-जहां जिलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां के राजस्व की माफी, सिंचाई की माफी, विद्यार्थियों के फीस की माफी हो। आप को जो अधिकारियों ने लिखकर दिया है वही जवाब दे देते हो। तो यह न करें। आप इस सदन में मंत्री की हैसियत से बैठे हैं और जनता की आपसे कुछ अपेक्षायें हैं। जो माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी व्यथाएं कहीं हैं यह इनकी व्यथा नहीं है बल्कि जनता की व्यथा है। जो आपके पास राहत कोष है उससे आप कार्य करें और इस प्रत्यासा में कि आपको केन्द्र से 250 करोड़ रुपया लेना है, केन्द्र में आपकी सरकार भी है। अगर आप यह कार्यवाही नहीं करेंगे तो आज आप लोग सरकार में बैठे हैं लेकिन जब आप जनता के बीच में जायेंगे तो इसका नतीजा आपको पता चलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि अगर राजस्व मंत्री जी सही जवाब नहीं दे सकते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसका सही जवाब देंगे।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, चाहे सदन के इस पक्ष के सदस्य हो या उस पक्ष के सदस्य हो, इस दैवी आपदा से प्रदेश का किसान आज पूरी तरह से मर्माहत है इससे सभी भिज्ञ हैं। वे अपने-अपने विधान सभा में किसानों की इस तरह की दयनीय दशा को देखकर यह झूठा आश्वासन देते हैं कि वे सरकार पर दबाव डालेंगे और अधिक से अधिक क्षति पूर्ति दिलायेंगे। मान्यवर, आज ओलावृष्टि और चक्रवात से 25, 30 जिले पूरी तरह से तबाह हो गये हैं उनकी फसल चौपट हो गयी है, हजारों मवेशी मर गये हैं

और बड़ी ही गम्भीर स्थिति बनी हुई है खरीफ और रबी की फसल चौपट हो गयी है और स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है कि पूरे साल भर की जीविका कैसे चलेगी ? जो मानक बनाये गये हैं वह दयनीय हैं क्या जो क्षतिपूर्ति के मानक बनाये गये हैं एक एकड़ के सापेक्ष 400 रुपये निर्धारित है उससे आज के युग में क्षतिपूर्ति हो जायेगी । उससे किसानों का भला हो जायेगा । ऐसा सापेक्ष होना चाहिये जिससे किसानों को राहत मिल सके । वह किसानों की हमदर्द सरकार बनती है लेकिन यह किसानों का भला नहीं करती है । हम आपकी पीठ से यह अपेक्षा करते हैं कि आप इस सरकार को निर्देशित करें मान्यवर, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो अपेक्षा की है कि जहां पर किसानों की फसल नष्ट हो गयी है वहां पर लगान को माफ किया जाय, राजस्व वसूली रोकी जाय, सिंचाई माफ की जाय, और विद्यार्थियों की फीस को माफ किया जाय क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं रह गया है । आज वह बीज नहीं खरीद पा रहा है । जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिये यदि नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी करें । आप ही हमारे अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं । कल से यह विधान सभा का सत्र समाप्त हो रहा है और हम भी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में चले जायेंगे तो आप इस सरकार को निर्देशित करें । मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि हमने केन्द्र से 242 करोड़ की मांग की जब वह पैसा आयेगा तब हम क्षतिपूर्ति करेंगे । मान्यवर, एक बार सूखा पड़ा था पहले काम के बदले उन तमाम मजदूरों को काम के बदले अनाज देकर रोटी मुहैया करायी थी । उसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की जीविका के लिये उसी प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाये, जिससे उनको रोटी मुहैया हो सके । मान्यवर, जब तक आप इस सरकार को निर्देश नहीं देंगे, यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वह इस मसले को बड़े हल्के ढंग से ले रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में सारे निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं । मान्यवर बागपत में जो ओलावृष्टि हुई और जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में न तो वहां के जिलाधिकारी को मालूम है और न किसी को मालूम है, वहां पर यह जानने के लिये कि कितना नुकसान हुआ है, कोई सर्वे नहीं कराया गया है । मैं समझता हूं कि बागपत की हालत माननीय मंत्री जी जानते होंगे, जनपद के विकास में माननीय मंत्री जी बहुत आगे रहे हैं, वहां पर वह पहुंच गये होते या उनके अधिकारी पहुंच गये होते, वह तो माननीय मंत्री जी का देखा हुआ इलाका है, चारा नहीं रह गया है, गेहूं नहीं रह गया है, सरसों समाप्त हो गयी है वहां पर जानवर मर गये हैं । लोगों को यह एहसास होने लगा है कि उनका काम आने वाले दिनों में कैसे चलेगा । कोई भी सहायता वहां पर नहीं पहुंच रही हैं, पिछली बार जो आपने घोषणा की थी, वह भी वहां तक नहीं पहुंची है और जो आपने अब घोषणा की है, उसकी इत्तिला भी नहीं है । मैं यह कहना चाहूंगा कि बागपत में जिन इलाकों का जिक्र किया है, उनसे माननीय मंत्री जी अवगत है । मेरा कहना है कि वहां की सारी वसूलयाबी को बन्द करें और फीस माफी होनी चाहिये । मैं गुजारिश करूंगा कि आज ही इस बात की घोषणा करें कि एक सप्ताह में सारा कार्यक्रम हो जायेगा और किसानों को लगे कि सरकार कुछ कर रही है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, केवल यह कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ जितना प्रभावित रहा है, उतना और कोई क्षेत्र प्रभावित नहीं रहा है, मैं केवल जानकारी देना चाहता हूं ।

मान्यवर, आप हम लोगों को सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह ऐसा प्रकरण है जिस पर सदन का प्रत्येक सदस्य चाहे प्रतिपक्ष में बैठा हो चाहे इधर बैठा हो सभी सदस्य इससे संबंधित हैं । जितने माननीय सदस्यों के इस सूचना पर हस्ताक्षर थे मैंने उनको सुन लिया । सारी बातें कमोवेश आ गयीं । इसलिए माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी–

जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको एक-एक मिनट का समय दे दें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, ओला और तूफान से बहुत से जनपद तबाह हुए हैं इससे पूरा सदन अवगत है । खरीफ में धान और आलू की फसल चौपट हो गयी । लाही की फसल चौपट हो गयीं । रबी की गेहूं की फसल ओला से चौपट हो गयी । अब किसान की क्षमता इसको बर्दास्त करने की नहीं रह गयी है । किसान पूरी तरह से भुखमरी के कगार पर है । उसके बच्चों के पास यदि कपड़ा नहीं है तो वह अगले साल बनवा लेगा, बच्चों को नंगा रखेगा । बच्चों की शादी अगले साल करेगा लेकिन वह अपने बच्चों को भूखा देखना पसन्द नहीं करेगा । उसमें इतना बर्दास्त करने की क्षमता नहीं रह गयी है । सरकार कोई भी हो उसकी जिम्मेदारी है कि तबाही से जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करें और इतनी मदद करें कि उनको खाने की व्यवस्था हो जाय । एक बात और आप करें कि कम से कम उसका पूरा लगान माफ कर दें, आबपाशी माफ कर दें । जितने ऋण हैं उनकी वसूली स्थगित कर दी जाय और खाद बीज की वसूली स्थगित की जाय । एक साल का ब्याज माफ कर दिया जाय । हमारी सरकार ने 10 हजार के कर्जे माफ कर दिये थे । आप हृदयहीनता न दिखाइये जो मैंने कहा है केवल उतना कर दीजिये ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

कर्जे माफ नहीं हुए थे ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप क्यों [x x x] बोल रहे हैं । आप शर्त लगा लीजिये कर्जे माफ किये गये थे । आप किसान विरोधी हैं आपको जनता माफ नहीं करेगी । यह जो भानुमती का कुनवा जोड़कर सरकार बना दी है इसका पर्दाफास हो जायेगा ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

कर्जे माफ नहीं हुए हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

कर्जे माफ हुए हैं, आप शर्त लगा लीजिये ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, यह लोग बात नहीं सुनना चाहते हैं । इनके नेता बोल लेते हैं । हम बोल रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं । न इनके संसदीय कार्य-मंत्री ही इनको मना कर रहे हैं । मैं बोल रहा हूं और यह लोग इस तरह की बात कर रहे हैं । इनके नेता बोलना चाहेंगे तो हम उनको एक मिनट भी नहीं बोलने देंगे । यह

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[x x x] की बात करते हैं और हंस रहे हैं । [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहें । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पीठ को बीच में छोड़ कर आपस में वाद-विवाद करने लगते हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने नहीं शुरू किया है । यह लोग बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको नहीं कह रहा हूं । सभी के लिये कह रहा हूं । यह पीठ एक माध्यम है आपके आपस में चर्चा करने के लिये । इस पीठ के माध्यम से कहें । यह मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि इस बात का जरूर ध्यान रखें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूं । मैं कह रहा हूं और यह लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं । श्रीमन्, अंग्रेजों का जमाना था आपको याद होगा न हो तो अपने बुजुर्गों से पूछ लें । जब फसल नष्ट होती थी तो मिनाही के पर्चे बंटते थे लगान नहीं देते थे लेकिन यह सरकार इतनी निरंकुश है कि किसान तबाही के कगार पर पहुंच गये हैं और यह सिर्फ उत्तर देती है कि हमने सहायता दे दी । केन्द्र को लिख दिया । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि जो जिले तबाही के कगार पर आ गये हैं जहां के कास्तकार तबाह हो गये हैं उनके जानवर मर गये हैं फसल का नुकसान हो गया है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए । अभी तक इन्होंने उन्हें मुआवजा नहीं दिया है । एक चौथाई दीजिये, एक तिहाई दीजिये । ताकि वे जानवर खरीद कर बैल खरीद कर अपने खेत जोत सकें । फसल पैदा कर सकें खुद खांय और देश को खिलायें । कम से कम इसमें तो सहयोग करिये । श्रीमन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को इतनी राहत पहुंचायी जाय कि जिससे वह पुनः अपनी गाड़ी ढर्रे पर ला सकें, बैल खरीद सकें, अपने बच्चों को ठीक तरह से पालन पोषण कर सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* राजस्व मंत्री (श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब इस संवेदनशील मसले पर बहस होती है तो उसे इतने हल्के तरीके से लिया जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है । अभी बहिन गौरी देवी ने एक बात उठायी और कहकर चली गयीं । मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो दैवी आपदा से मर गया हो तो उसके परिवार को मुआवजा न मिला हो ऐसा नहीं हुआ है । मुआवजा दिया गया है । आपकी जानकारी में कोई हो तो बता दें । हम उसको मुआवजा दे देंगे । लेकिन आप बात कह कर चले जायेंगे तो कैसे होगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

बात तो पूरी कर लेने दीजिये ।

(व्यवधान)

बात पूरी करने दें ।

नोटः–[x x x] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक सदस्य–

आजमगढ़ में किसी को पैसा नहीं दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

आजमगढ़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पैसा नहीं दिया गया हो ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमारे लिए यह कठिनाई है मंत्री जी की गति इतनी तीव्र है यह इतनी तीव्र रफ्तार से बोलते हैं, यह अपनी गति थोड़ी धीमी कर दें ताकि हम इनकी बात समझ सकें इसमें आप निर्देशित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है । हमारे सीनियर, जिनका मैं सम्मान करता हूं कुंवर रेवती रमण सिंह जी, जो सत्तापक्ष में भी रहे हैं उनको जानकारी है इनके समय में कही ओलावृष्टि हो तो कितना पैसा दिया जाता है आगजनी हो तो कितना पैसा दिया जाता है । सिर्फ विरोध करने के लिए यह विरोध करें, राजनीतिक मुद्दे से विरोध करें यह अच्छा नहीं लगता है । सबको जानकारी है भारत सरकार से पैसा मिलता है । जहां ओलावृष्टि हुई है जहां चक्रवात आया है, इस तरह का नुकसान हुआ है तो हमने प्रयास किया है कि तत्काल सहायता दी जाए । एक अभी हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे आजमगढ़ में सहायता नहीं दी गई है ।

(व्यवधान)

मुझे पूरे प्रदेश की जानकारी है मेरे पास आप मेरे कक्ष में मिल लें । मैं हर माननीय सदस्य को सारी जानकारी दे दूंगा । किसके पशु मरे तो कितना पैसा मिला है, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणी"–

अभी कितना नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ है यह बता दें ।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

आप पहले पूरी बात तो आ जाने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी पीठ को संबोधित करें । सीधे बात न करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता जी भी कह रहे हैं कि सीधी बात करें टेढ़ी बात न करें।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा मतलब यह था कि पीठ को संबोधित करके बात करें। आपस में बात न करें।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जैसा मैंने कहा था जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है, चक्रवात आया है किसी प्रकार का नुकसान हुआ है उसकी जानकारी हम करवा रहे हैं काफी जानकारी आ गई हैं।

(व्यवधान)

रायबरेली में भी सुबह जानकारी के लिए भेजा है। जहां-जहां सूचना मिली है पैसा भेज रहे हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है उनके आधार पर हम भी जानकारी कर रहे हैं जगह-जगह लगान माफ किया गया है।

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, यदि किसी विशेष जिले में कोई भी सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मेरे कार्यालय में आ जायें, तो मैं उनको जानकारी दे दूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ 'मणी'–

कार्यालय मे आ जायें तो यह कौन सी बात है ?

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है इस एक सूचना के लिए सदस्य इनके कार्यालय में जायें, तो यह कौन सी बात है। सदन के प्रति इनके जो भाव हैं वह पता चल रहा है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, राजस्व मंत्री यह नहीं बता पा रहे हैं कि प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है तो यह क्या बता पायेंगे। यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है और किसान विरोधी सरकार है। किसानों के राहत के लिए यह सरकार कोई सहायता नहीं दे रही है, इसलिए किसान विरोधी सरकार के रवैये से मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी से जानकारी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कितने लाख, करोड़ और अरबों का नुकसान हुआ है ? यह बता दें लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रामजग–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मेरी पूरी बात माननीय सदस्यों ने नही सुनी है । जहां तक वह जो जानकारी चाहते हैं वह उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी । जहां-जहां से सूचना आ रही है वह मैं बता रहा हूं । लेकिन यदि किसी सदस्य को किसी विशेष जिले के बारे में जानकारी चाहिए और यदि वहां सहायता नहीं मिली है तो सहायता वहां उपलब्ध करवा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर मैंने माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर सुना और राजस्व मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल जी की है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैंने दो सूचनाएं दी हैं किस विषय की सूचना नियम 311 में रखी गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न किए जाने से किसानों को हो रही कठिनाई के संबंध में है । इसे नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने जिस विषय की ग्राह्यता के लिए मुझे अनुमति दी है यह अत्यन्त लोकमहत्व का विषय है और यह पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ है । यह प्रश्न केवल कुछ जनपदों का नहीं या किसी क्षेत्र विशेष का प्रश्न नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की 117 चीनी मिलों से जुड़े हुए परिवारों से जुड़ा है । चाहे सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हों या विपक्ष के सभी अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं । उनकी जवाबदेही है । कदाचित इतना महत्वपूर्ण विषय पहली बार इस उपवेशन के दौरान उठाया गया है । मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इसकी ग्राह्यता से इन्कार न करें । क्योंकि यह लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय प्रश्न है । आज आप पीठ से निर्देश दे देंगे तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 20 मार्च, 1998 तक 608 करोड़ 76 लाख रुपये बकाया है जिसमे प्रदेश के निगम की जो सरकारी मिलें हैं उसमें 120 करोड़ 63 लाख 42 हजार रुपये, सहकारी चीनी मिलें हैं उनके ऊपर 130 करोड़ 4 लाख 34 हजार निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 343 करोड़ 23 लाख 68 हजार, केन्द्रीय मिलों पर 14 करोड़ 85 लाख 12 हजार रुपये बकाया है । एक तरफ चक्रवात जैसा विषय यहां पर उठाया गया है लगातार मांग हो रही है कि इसके कारण इतना बड़ा नुकसान किसानों का उठाना पड़ा । इसलिए उनकी वसूली माफ की जाए उनके राजस्व को माफ किया जाए दूसरी तरफ किसानों का जो पैसा मिलों पर बकाया है उसका भुगतान नहीं हो रहा है तथा किसानों को तहसीलों के लाक अप में बन्द किया जा रहा है । उसके घर में कोई काम काज है फिर भी रिकवरी सर्टीफिकेट जारी की जा रही है । यह सरकार किसानों की हमदर्द है तो गन्ना किसानों का पैसा जो 15 दिन से अधिक का है उसकी ब्याज समेत भुगतान कराया जाय । आप चीनी मिलों के खिलाफ आर० सी० क्यों नहीं जारी कर रहे हैं ?

(समय 4 बजकर 5 मिनट)

इस सरकार की संवेदनशीलता इसी से मालूम होती है कि प्रदेश के गन्ना किसानों का मूल्य बाकी है और आज किसी भी चीनी मिल मालिक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है जबकि प्रदेश के भोले-भाले किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके गन्ने के पैसे की भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इन किसानों का जो आज 30 मार्च तक गन्ना मूल्य बाकी है इसके संबंध में मेरा अनुरोध है कि कृपापूर्वक ग्राह्य कर इसको सुन लें, सभी माननीय सदस्यों के विचार आ जायं और भुगतान के संबंध में व्यवस्था हो सके। माननीय सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा जी के क्षेत्र के गन्नों किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। वह भी इस बात को चाहते हैं लेकिन मंत्री होने की वजह से कह नहीं सकते। गन्ना किसानों के भुगतान के संबंध में माननीय गन्ना मंत्री जी ने यह कहा था कि अगर 15 दिन से अधिक का समय भुगतान में लगेगा तो उसका भुगतान ब्याज के साथ किया जायेगा। माननीय गन्ना मंत्री जी यहां आ गये हैं इसलिये कम से कम स्पष्ट नीति आ जाये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, राम ललित चौधरी जी ने भी इसी संबंध में नियम–51 में सूचना दी है। कृपया दो मिनट इनको भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर केवल श्री जगदम्बिका पाल जी के हस्ताक्षर हैं। माननीय चौधरी जी ने नियम–51 में सूचना दी है जब वह मद आयेगी तब वह अपनी बात कहेंगे। इस समय कृपया बैठ जायं।

* सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं और माननीय जगदम्बिका पाल जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने गन्ना विभाग की वर्तमान स्थिति के सदन के सामने रखने का एक अवसर दिया। मान्यवर, हम सब और यह पूरा सदन, सदैव किसानों के हितों के प्रति जागरूक रहा है और चिन्तित भी रहा है। यह बड़ी अच्छी बात होगी यदि पूरा सदन मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से, सद्भावना और सहयोग से किसानों के हितों की बात, जो वास्तविक परिस्थिति है, जो हर सरकार की सामान्य कठिनाई होती है, उसको ध्यान में रखते हुये प्रयास करें और निश्चित रूप से इस प्रदेश के किसानों का जिसका बहुत अहित हो चुका है, हित हो जायेगा। लेकिन अगर केवल विरोध की दृष्टि से और आलोचना की दृष्टि से विषय रखेंगे तो वह सौहार्द और सहयोग, किसानों के हित के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, वह नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, 25 मार्च तक की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में समस्त मिलों द्वारा 2,579.66 करोड़ रुपये का गन्ना पेरा गया। 1,968.68 करोड़ रुपये के गन्ने का भुगतान हो गया अर्थात् 76.31 प्रतिशत गन्ने का भुगतान हो गया और मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, जिसकी स्मृति, जितनी पीछे जा सके, कोई उठकर बतला दे कि इतना अच्छा गन्ने के मूल्य का भुगतान कभी हुआ है। आज की परिस्थिति में 60 प्रतिशत से ज्यादा कभी भुगतान नहीं हुआ था। इसके बाद कहा जा रहा है कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। यह भी कह रहे हैं कि हमने वायदा किया था कि पिछले गन्ने का भुगतान कर देंगे और 1996-97 के सत्र तक 3,331 करोड़ रुपया बाकी था जिसमें से 4 मिलों को छोड़कर शेष समस्त मिलों के समस्त बकाये का 31 दिसम्बर, 1997 तक भुगतान कर दिया गया, जिसमें से सहकारी और निगम की मिलों पर एक पैसा भी बकाया नहीं है। 4 मिलों पर 17 करोड़ रुपया बाकी है, जिसमें से पड़रौना और कटकुईयां भी हैं। अब हमारी सरकार आयी है और हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं कि इसका भुगतान हो।

---

* [illegible] भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

18 करोड़ एक मिल पर बाकी है, उनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही भी हुई है, लेकिन उन्होंने बी० आई० एफ० आर० में होने के कारण सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। हम नहीं चाहते थे कि वह मिल चले लेकिन उस क्षेत्र के गन्ना समितियों के अध्यक्षों ने मिल के साथ एक लिखित एग्रीमेन्ट करके यह कहा कि आप हमें 3 इन्स्टालमेन्ट में 18 करोड़ का बकाया दे दीजियेगा और आप मिल चलाइये अब हो सकता है कि वह 3 इन्स्टालमेन्ट में पैसा दे दें। इसी तरह खलीलाबाद मिल है, वहां डेढ़ करोड़ बाकी है, उनके ऊपर भी आर० सी० है, स्टे ले रखा है। इस प्रकार इन परिस्थितियों में केवल इन 4 मिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्दर कोई भी मिल ऐसी नहीं है जिसका वर्ष 96-97 का एक भी पैसा बकाया हो। मैंने पिछले 10-15 वर्षों के रिकार्ड मंगाकर देखें, कभी भी 15-20 मार्च तक 60 प्रतिशत से अधिक का भुगतान नहीं होता था। इस प्रकार कोआपरेटिव ने 75.73 प्रतिशत, कारपोरेशन ने 67.34 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर ने 79.14 प्रतिशत, भुगतान कर दिया है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की कुछ मिलों ने भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार हम गन्ना किसानों के हितों के संरक्षक हैं, यह सरकार गन्ना किसानों के एक-एक पैसे के लिये उनका संरक्षण करेगी। अगौता चीनी मिल में घटतौली का एक मामला पकड़ा गया था, इस बात को पश्चिम के सब लोग जानते हैं, इसके चलते वहां का जी० एम० एक सप्ताह तक जेल में बन्द भी रहा, बाद में वह हाईकोर्ट से जमानत करा कर बाहर आया है। जहां तक आर० सी० की बात है, अब आर० सी० तथा जेल भेजने का काम एक साथ होगा, हम किसी को स्टे लेने का मौका नहीं देंगे। मिलें चल रही हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि हम बेच-बेच कर भुगतान करेंगे और पिछले वर्षों की तुलना में कई मिलों ने अच्छा भुगतान किया है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मिल बन्द होने के 15 दिन के अन्दर गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान हो जाना चाहिए। हम समझते हैं कि अगला सत्र जब आयेगा, तब गन्ना किसानों को पूरा संरक्षण मिलेगा। गन्ना किसानों का संरक्षण हुआ है और गन्ना किसानों ने भी सरकार की गन्ना नीतियों का भरपूर समर्थन किया है, इसका उदाहरण है कि उन्होंने चलाये गये आन्दोलन का समर्थन नहीं किया। अखबारों ने भी लिखा है कि गन्ना बेल्ट के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया और इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की भी विजय हुई है, यह गन्ना किसानों के समर्थन का ही परिणाम है कि आज हमारे चेहरों पर खुशी है और उधर उदासी छायी हुई है, यह किसानों के समर्थन का प्रमाण है।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें।

श्री समर पाल सिंह–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा, कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय श्री जगदम्बिका पाल और माननीय गन्ना मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन में एक अति लोकमहत्व का अविलम्बनीय विषय ले रहा हूं। मान्यवर, हमारे समक्ष स्मृति है कि जब 1945 में नागाशाकी हिरोशिमा का बमबार्टमेन्ट हुआ तो वहां की आज तक की पीढ़ियां अपंग पैदा हो रही है वह विकलांग हैं और आज उत्तर प्रदेश में बीमारियां लेकर वह पीढ़िया पैदा न हों यह प्रयास होना चाहिए। हम आज यहां लखनऊ में बैठे हैं और बराबर चर्चा करते हैं जब भी समय मिलता है। इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सभी प्रदेशों के लोग होते हैं हिन्दुस्तान भर के लोग लखनऊ आते हैं। यहां पर जो तिपहिया वाहन, निजी मोटर वाहन और गाड़ियां हैं उनके धुएं से निकलने वाला कार्बन मोनो आक्साइड और लेड तथा सल्फर का कुप्रभाव सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए गंभीर बीमारी का कारण बन गया है। आज राजधानी के अस्पतालों में आने वाले 10 में से 8 व्यक्ति प्रदूषण का शिकार होकर भर्ती हो रहे हैं। इसके साथ ही एक ऐसी विषम बीमारी अनियंत्रित बीमारी भी प्रकाश में आई है जिसके कारण व्यक्ति अस्थिरचित्त हो जाने के कारण अपनी प्राकृतिक मनः स्थिति में नहीं रह पा रहा है। आज स्कूल जाने वाले बच्चों की स्थिति यह है कि जरा सी सर्दी जुकाम की शिकायत होने पर ब्रोंकाइटिस का शिकार होने के कारण उन्हें अस्पतालों में भर्ती करना पड़ रहा है और मान्यवर, यही नहीं 60 वर्ष से ऊपर के लोग अस्थिर मनः स्थिति एवं भयंकर शोर के कारण हुए रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं तथा इससे संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। गर्भस्थ शिशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में हमें चिन्तन करना होगा। पर्यावरण विभाग को इस ओर बिल्कुल भी चिन्ता नहीं है।

अभी कुछ दिन पहले हमारे यहां हसनगंज क्षेत्र में कुछ लोगों में आपस में झगड़ा हुआ और इस बात को लेकर उस आदमी के 3 बागान जड़ से काट दिये गये। मान्यवर, यह पर्यावरण से जुड़ी हुई बात थी इसलिए मैंने इसको कही। मेरा क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में आज तिपहियां वाहन की भरमार हो गयी है। आप यदि साइकिल से चले या पैदल चले या किसी से चले आपका सफेद कपड़ा काला हो जायेगा। यहां की जनता को इससे कैसे राहत दिलाई जाय जिससे आने वाली 21वीं सदी की पीढ़ी स्वस्थ पैदा हो सके। मान्यवर, इसके लिए शासन ने कोई कंट्रोल नहीं किया है। प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे संयंत्र लगाये गये हैं जिनका हाल यह है जिसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ये संयंत्र पैसा लेकर सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अब वह सर्टिफिकेट गाड़ी में लगाइये और गाड़ी चलाइये।

आखिर कोई इसका अन्त होगा। यह आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं वे याद तो कर सकें कि हम लोगों ने उनके बारे में चिन्तन किया था। इस पर गंभीरता से चर्चा हो। संसदीय कार्य मंत्री जी तो आल इन वन हैं लेकिन यह विषय तो परिवहन विभाग से और अन्य विभागों से भी जुड़ा हुआ है हमें तो आशा थी कि मुख्यमंत्री जी इस विषय की नोटिस लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी तो जो घिसी पिटी बाते हैं कहेंगे वह उनकी मजबूरी है कोई इस विभाग से संबंधित मंत्री हो जो हम लोगों को संतुष्ट कर सके। हमारा मद दुखी है, उद्वेलित हो रहा है। विषय बहुत ही गंभीर है बूढ़े लोग हाइपर टेंशन के मरीज हो रहे हैं किसी की आंखें जा रही हैं किसी की और पीड़ा हो रही है। आप शासन को निर्देशित करें कि इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो।

(श्री सुधाकर सिंह को पुकारे जाने पर) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सुधाकर जी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस विषय की ओर माननीय गौरी शंकर जी ने ध्यान आकृष्ट किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जनजीवन से जुड़ा हुआ है और इस बारे में हम सभी को इसके बारे में चिन्ता करना स्वाभाविक है । इस विषय पर हम सब सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर अभियान चलायें, जब-जब यह कार्यवाही शासन की ओर से होगी उसमें हम सब सहयोग करें । जितने वाहन होने चाहिये थे उनसे कई गुना संख्या बढ़ गयी है, जो मानक होने चाहिये थे, उन पर ध्यान नहीं दिया गया जो आयु से अधिक के तिपहिया चल रहे हैं वह धुंआ निकालकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं । इसमें परिवहन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि बार-बार चेकिंग करें हर चौराहे पर जाकर चेकिंग करें हर सप्ताह वहां पर प्रदूषण की मात्रा को देखें कि कितनी बढ़ रही है और शासन को उसकी जानकारी देते रहें । जिन तिपहियों की आयु समाप्त हो गयी है उनके कागजों की चेकिंग कर यह सुनिश्चित करें कि उनका सड़कों पर चलना बन्द हो जाय । आपकी जो जानकारी है उसको आधार मानकर मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रभावी कदम उठाये जायेंगे आपकी भावना से अपनी भावनाओं को जोड़ रहा हूं यह विषय वास्तव में गम्भीर है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री रामजग–

मान्यवर, जो विषय मैं उठा रहा हूं वह अविलम्बनीय लोक महत्व का है । माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी यहां पर बैठे हैं । यह उनके क्षेत्र का मामला है । नगरपालिका के प्रांगण में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के एक आठ वर्षीय छात्र राहुल जो कक्षा तीन में पढ़ता था, उसका अपहरण कर लिया गया । 21 तारीख को यह घटना हुई और उसकी लाश चन्दोर थाने के पास एक अरहर के खेत में मिली । इस घटना के कारण आज पूरा आजमगढ़ जनपद दहल गया है । आज तीन दिन से वहां पर बाजार, कचहरी व स्कूल बन्द हैं । आज वहां पर छोटे-छोटे बच्चों का इस प्रकार से अपहरण कर हत्यायें कर दी जा रही हैं । जबसे यह बी० जे० पी० की सरकार आयी है, अनुसूचित जाति के लोगों की महिलाओं की आये दिन हत्यायें हो रही हैं । चोरी और डकैती तो आम बात ही है । आज आजमगढ़ में भय का वातावरण बना हुआ है । इस सरकार में कानून-व्यवस्था चौपट हो गई है इसी प्रकार पूरे प्रदेश में घटनायें हो रही हैं । सहारनपुर में भी इसी प्रकार की घटनायें हुई हैं । इसलिये मान्यवर, आप इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायें ।

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, आजमगढ़ शहर का यह बच्चा जो 8 वर्ष का था, स्कूल पढ़ने गया था और वहां से गायब हो गया । 21 तारीख की यह घटना है । 22 तारीख को उसकी लाश चन्दोर थाने के अन्तर्गत एक अरहर के खेत में मिली । आज आजमगढ़ में दिन दहाड़े हत्यायें हो रही हैं । 8 वर्ष के छात्र की जिस प्रकार हत्या की गई इस प्रकार की घटना वहां पहले कभी नहीं हुई । उसी शाम को 7.00 बजे आजमगढ़ शहर की कई दुकानें लूट ली गईं परन्तु पुलिस प्रशासन चुप-चाप बैठा रहा । थाना तहवरपुर में दो महिलाओं के सिर काट दिये गये, इसी प्रकार से कई अन्य घटनायें हुई हैं । समाजवादी पार्टी के श्री राज किशोर सिंह राजभर जी की हत्या हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मूल विषय पर अपनी बात कहिये । उसके अलावा आप जो कहेंगे, वह नहीं लिखा जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मेरा कहना यह है कि 8 वर्षीय बच्चे का जिस प्रकार अपहरण कर उसकी हत्या की गई, इसकी जांच करायी जाय और दोषियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक अबोध और मासूम बालक की नृशंस और निर्मम हत्या हुई यह बहुत ही दुख की बात है । सबके मन में वेदना होना स्वाभाविक है । मान्यवर, जैसे ही यह सूचना मिली हमने निर्देश दे दिये और इस बात पर रुचि लेकर प्रयास किया जायेगा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनकी गिरफ्तारी की जाय और कार्यवाही की जाय । लेकिन एक घटना को लेकर यह कहना कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गयी है तो यह उचित नहीं है । यह हमारी सरकार का संकल्प है कि हम इस प्रदेश को भयमुक्त बनायेंगे । मान्यवर, वैसे भी यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है । मान्यवर, भाजपा की सरकार अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना चाहती है और कर भी रही है जिसकी जनता ने भी पुष्टि की है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री रामजग और श्री दुर्गा प्रसाद यादव को सुनने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । पांचवीं सूचना श्री अम्बरीष कुमार जी की है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व की सूचना की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का अवसर दिया और यह भी इस सदन में कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यदि इस समस्या के तत्काल निराकरण की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमारे समूचे प्रदेश में कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो जायेगी जिससे निपटने के लिए सरकार को मुश्किल होगी । मान्यवर, आप जानते हैं कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य कर्मचारियों के लिए लागू की जा चुकी हैं और पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के लिए, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए और शिक्षकों के लिए जो केन्द्र सरकार के समक्ष पद हैं उनकी समतुल्यता के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ था जिसे बजाज कमेटी कहा गया लेकिन उस बजाज कमेटी की पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर, 1998 को एक पत्र प्रमुख सचिव, वित्त ने स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ को लिखा था उसमें यह कहा था कि समतुल्यता के लिए इक्वेवेलेन्ट कमेटी शीघ्र गठित की जायेगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले आश्वासन मिला था इक्वेवेलेन्ट कमेटी का अब यह बजाज कमेटी हो गयी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि 1986 में एक बार ऐसा अवसर आया था जब कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा था और 16 दिन की हड़ताल चली थी और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गयी थी । पूरे प्रदेश में सफाई, पानी, बिजली की भयावह स्थिति पैदा हो गई थी और प्रदेश के करोड़ों नागरिक अपने को असहाय महसूस कर रहे थे और जिससे कर्मचारियों और नागरिकों में संघर्ष भी हुआ था और पूरा प्रदेश पैरालाइज्ड हो गया था ।

आप देख रहे हैं कि विधान सभा के बाहर शिक्षकों का धरना चल रहा है, स्थानीय निकायों के कर्मचारी धरना दे रहे हैं और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी धरना दे रहे हैं, वह पंचम आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर पंचम आयोग की

सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, तो यह प्रदेश इस आन्दोलन में झुलस जायेगा और सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पायेगी । मान्यवर, कहावत है कि ज़स्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड । अगर आपको पंचम आयोग की सिफारिशें लागू करनी हैं तो उनको तुरन्त लागू करें । इसकी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी चर्चा हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसमें देरी हुई और उसके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी, नागरिकों और कर्मचारियों का संघर्ष हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी । मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, अगर इसको समझा नहीं गया तो बहुत भयानक इसके परिणाम हो सकते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी । मान्यवर, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है । इसलिये मेरा आप से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करा दें ।

* श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वूपर्ण विषय पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जिस ज्वलन्त समस्या को लेकर माननीय सदस्य अम्बरीष कुमार जी ने विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज विधान सभा के बाहर लोकल बाडीज के कर्मचारियों, पब्लिक अंडर टेकिंग्स के कर्मचारियों और शिक्षक बन्धु बड़े पैमान पर धरना दे रहे हैं । श्रीमन्, एक आम बात है कि एक जैसा काम तो एक जैसा वेतन उनको मिलना चाहिये, और अगर एक जैसा गुनाह किया गया है तो एक जैसी सजा मिलनी चाहिए । इसे नैसर्गिक सिद्धान्त कहते हैं और अंग्रेजी में प्रिंसिपल आफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं । आज पूरे प्रदेश के अन्दर सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को केन्द्र के समान पंचम आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है और उनको मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा है, मान्यवर, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है । मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, कि अगर नाले की सफाई नहीं होती है, बिजली की सप्लाई नहीं होती है, तो यह किसकी जिम्मेदारी है, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सरकार संवेदनशील शून्य क्यों हो गयी है कि कर्मचारियों को इस हालत में पहुंचा दिया है कि वह अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ गये हैं । उनकी मांग है कि केन्द्र के वेतन के समतुल्य उनको भी वेतन दिया जाये । एक जैसे कार्य के लिये एक जैसा वेतन दिया जाना चाहिये, यह सप्ता समिति में सिफारिश की जा चुकी है । मान्यवर, इसी सदन में अध्यादेश प्रख्यापित हुआ, बिल के रूप में पास हुआ और सदन में चर्चा भी हुई, नकल विरोधी अध्यादेश पास हुआ और सरकार कहती है कि हम गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं ।

एक तरफ सरकार कहती है कि हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना चाहते हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे । लेकिन हो उसका उल्टा रहा है । आज शिक्षा में डिटीरियोरेशन हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता तक सीमित रहें, भाषण न दें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं भाषण नहीं दे रहा हूं मैं उन सभी पहलुओं की तरफ इंगित कर रहा हूं जिनसे आप, हम सभी संबंधित हैं । आज प्रदेश में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट और तमाम अन्य परीक्षायें हो रही हैं लेकिन जिस तरह से शिक्षक पीड़ित हैं आन्दोलित हैं वेतन भत्तों के लिये यदि समय चलते ध्यान न दिया गया तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थिति बिगड़ सकती है । पुलिस के बल पर, कारागार के बल पर, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं है । शिक्षा व्यवस्था जब सुधरेगी जब अध्यापक को न्यायोचित वेतन और भत्ते दिये जायेंगे तभी उनमें गुणात्मक सुधार आयेगा । ऐसे लोगों को अध्यापक बनाया जाय जिनमें टैलेन्ट हो, क्षमता हो प्रतिभा हो । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का निर्देश दिया जाय कि वह स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों, शिक्षकों को जो अपने वेतन भत्तों के लिये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको केन्द्र के समान वेतन दिया जाय और उनकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाय । इसके साथ ही आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपसे मांग करता हूं कि इस महत्वपूपर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर ।)

श्री प्रमोद कुमार–

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बुद्धिमान, विद्वान हैं वरिष्ठ सदस्य हैं कौन सी अव्यवस्था हो गयी है ?

श्री प्रमोद कुमार–

आपको यदि मेरी वरिष्ठता का ध्यान है तो मेरी व्यवस्था को सुन लें । इशारों में मैं आपको बता नहीं सकता ।

मान्यवर, एक लोक कल्याणकारी सरकार की कल्पना भारतीय संविधान में है । संविधान के अन्तर्गत सरकार कांटीनुअस प्रासेस में होती है । एक सरकार जाती है दूसरे दल की सरकार आती है । माननीय हुकुम सिंह जी माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार में मंत्री थे । उस सरकार ने निर्णय लिया था कि केन्द्र के समान पदों पर समान वेतन दिया जायगा और हुकुम सिंह जी उसके गवाह हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अध्यापकों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को उसी प्रकार का वेतन दिया जाय जिस प्रकार केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिया जाता है । यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरा प्रदेश आग में जल जायेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी । इसके साथ ही सचिवालय के कर्मचारियों, विधान सभा के कर्मचारियों, शिक्षकों को वही वेतन व सुविधायें दी जायं जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद कुमार जी ने व्यवस्था के प्रश्न पर जो कुछ कहा है वह कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उन्होंने शिक्षकों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की बात कही है, कोई वैसी बात नहीं कही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपने अधिकार क्षेत्र को खूब समझता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं मंत्री जी को बुला चुका हूं। आपकी व्यवस्था उसके बाद सुन लेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें चाहें उसे कार्यवाही का अंश बनाये या न बनायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम जग–

अध्यापकों के वेतनमान का मामला है...

श्री अधिष्ठाता–

रामजग जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जब कैबिनेट का डिसीजन है तो उसको कैसे बदल सकते हैं। उसका विरोध करते हैं तो कह दें कि हमारी क्षमता नहीं है यह कहना तो सम्भव है। परन्तु डिसीजन तो कैबिनेट का है कैबिनेट में ही इसको बदलने का निर्णय होता है। आपने कह दिया कि प्रमोद कुमार जी ने जो कहा वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री हुकुम सिंह–

बिना अनुमति के बोलने से।

नोट :–[x x x] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद कुमार जी कृपा करके बैठ जायं । आप जानबूझ कर व्यवस्था के प्रश्न की आड़ लेकर सारी बातें कहना चाहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने बोलने से विरत किया उसके पश्चात् भी आप बोलते रहे तो मैंने कहा कि इसको कार्यवाही से निकलवा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मगर आप व्यवस्था की आड़ लेकर विस्तृत रूप से अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मेरे बार-बार मना करने पर भी आप बोले जा रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

नोट :–[x x x] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

सूचना पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं । व्यवस्था के प्रश्न पर भाषण देना, इस तरह सदन को चलाने में कठिनाई होगी यदि वरिष्ठ सदस्य ऐसा करेंगे तो नये सदस्यों के लिए यह खराब कार्य होगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

ऐसा है आप इस भ्रम में न रहें कि हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो किसी की बात सुनी जायेगी । अगर हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो किसी की बात नहीं सुनी जायेगी ।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं मैं विधान सभा में पहले भी सदस्य था इस विधान सभा में भी सदस्य हूं । स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत ही नहीं लगभग 99 प्रतिशत से अधिक व्यवस्था के प्रश्न अस्वीकार किए जाते हैं तो क्या कार्यवाही से व्यवस्था के प्रश्न निकाल दिये गये । । आपकी अनुमति से चाहे कई बार आग्रह पर अनुमति दें, चाहे एक बार में अनुमति दें चाहे पांच बार आग्रह करने पर अनुमति दें आपकी आज्ञा से कई बात माननीय सदस्य कहते हैं आप इस पर व्यवस्था अस्वीकार कर दें, कह दें कि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं । मेरा आग्रह है कि अगर कोई बात असंसदीय न हो तो ऐसी स्थिति में उसे कार्यवाही से नहीं निकाला जाना चाहिए । अभी आपने कहा कार्यवाही से निकाल दिया जायगा तो इस पर आप पुनर्विचार कर लें अगर विपक्ष के सदस्यों को यह अधिकार नहीं रह जाएगा तो विधान सभा कैसे चलेगी । इस पर आप पुनर्विचार करें ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

परम्परा यह हो गई है कि माननीय सदस्य ने व्यवस्था की बात कही तो उसको आप अस्वीकार कर सकते हैं । अगर असंसदीय न होने के बाद भी व्यवस्था के प्रश्न को कार्यवाही का भाग नहीं बनने दिया गया तो यह नयी परम्परा होगी । इस पर आप पुनर्विचार कर लें इसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी कि असंसदीय हो । शिक्षक, कर्मचारियों का सवाल उन्होंने उठाया ऐसी बात नहीं कही की राजनीति का सवाल हो ऐसा कोई विषय नहीं था कि आक्षेप का विषय हो, तो इस पर आप पुनर्विचार कर लें ।

श्री रामनरेश यादव–

जिस विषय को माननीय प्रमोद कुमार जी ने उठाया, आपकी अनुमति से उन्होंने अपनी बात कही । व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है आप अस्वीकार कर दें या स्वीकार लेकिन ऐसे प्रश्न पर, व्यवस्था के प्रश्न पर, सार्वजनिक विषय पर एक बात उठाई जा रही है आप उसको माने या न मानें यह अलग बात है लेकिन एक बात आ जाए उसको ध्यान में रखते हुए उसको कार्यवाही का अंग होना चाहिए । इन्होंने अपने लिए कोई बात नहीं कही है । सार्वजनिक रूप से जो वेतन आयोग की रिपोर्ट थी उसके बारे में कहा । आप भी सहमत होंगे कैबिनेट के बगैर इसमें कुछ दूसरा निर्णय लिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप पुनः एक बार विचार कर लें और जो प्रमोद कुमार जी ने कहा है जिस पर आपने व्यवस्था दिया है कि कार्यवाही का अंग नहीं होगा तो इस पर विचार करके पुनः व्यवस्था दे दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सदन आपके संरक्षण में चलता है। आपकी अनुमति से हम लोग अपनी बात यहां रखते हैं। नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर आप माननीय सदस्यों को सुन सकते हैं। कहीं ऐसा नियम नहीं है कि जो सदस्य नोटिस दे रहे हैं उन्हें आप सुनेंगे। दूसरे माननीय सदस्यों को भी आप सुन सकते हैं। व्यवस्था के प्रश्न पर आपने श्री प्रमोद कुमार को अनुमति दे दिया। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उसमें आपको व्यवस्था देना चाहिए था, कि व्यवस्था लायक प्रश्न है कि नहीं ? उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, जो कार्यवाही चल रही है इसमें इस तरह के प्रकरण अनेक बार आये हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत बार उठाये गये हैं, ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि आप आपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। श्री प्रमोद कुमार आपकी अनुमति से बोले थे इसलिए आप उसको कार्यवाही का अंग बनाएं यह मेरा आप से निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राम नरेश यादव, श्री लालजी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने सुना। व्यवस्था उठाने और पीठ से व्यवस्था पर क्या निर्णय हुआ है यह प्राप्त करना प्रत्येक माननीय सदस्य का अधिकार है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

नियम 56 पर ग्राह्यता पर सुना जा रहा था। सामान्य तौर पर जिन सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर होते हैं उन्हें बोलने का अवसर दिया जाता है। हमने प्रत्येक सूचना में एक-एक में 3–6 लोग थे उसके बावजूद सभी को अवसर दिया है कि वे ग्राह्यता पर उसकी बात कहें। मैं श्री प्रमोद कुमार जी का सम्मान करता हूं, वह विद्वान और वरिष्ठ सदस्य हैं तथा उनकी संसदीय वाकपटुता बहुत अच्छी है इसलिए व्यवस्था के प्रश्न पर उन्हें अपनी बात कहने का हम अवसर देते हैं। लेकिन जब व्यवस्था के प्रश्न की आड़ लेकर और सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा हो और लम्बे भाषण हों, तो बड़ी परेशानी होती है। नये सदस्य भी इसकी आड़ लेकर बोलने की इच्छा प्रकट करते हैं और इससे सदन की व्यवस्थायें गड़बड़ा जाती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं पर आपको नियन्त्रण करना होगा।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

जहां से मैंने अनुमति नहीं दिया है, वहां से आपने जो कहा है,* वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री मुन्ना चौहान–

जब आपने मुझे बोलने की अनुमति दी और मैंने विशेष रूप से इस बात उल्लेख किया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने समता समिति का गठन करके इस बात को सैद्धान्तिक रूप से मान लिया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन तो क्या इस संबंध में पहले कोई कैबिनेट डिसीजन हुआ था कि नहीं यदि हुआ था तो क्या उससे अन्य किसी कैबिनेट डिसीजन के द्वारा उसको बदला गया है कि नहीं ?

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य कर्मचारियों पर लागू कर दी गई हैं। यह भ्रम की स्थिति है कि अमुक कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया क्या नहीं ? कुछ श्रेणियां बचती हैं वह श्रेणी इसलिए बची हैं उनके समक्ष कोई कर्मचारी या अधिकारी केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यरत नहीं है। केवल प्रश्न यह उठता है कि जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के समकक्ष केन्द्र सरकार में कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत नहीं है उनके लिए क्या किया जाए ? इसके लिए बजाज समिति का गठन किया गया है। वह समिति देखेगी कि इन श्रेणियों के कर्मचारियों पर कौन सा वेतन मानक होने चाहिये। जब बाकी कर्मचारियों अधिकारियों को पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वैतनमान दे सकते हैं तो इनको वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए हमारा कमिटमेंट भी है। जब बजाज समिति की रिपोर्ट आएगी तो उस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

बजाज समिति की रिपोर्ट आ गई है।

श्री हुकुम सिंह–

उसका परीक्षण करने के उपरान्त निर्णय लिया जाएगा। पूरे देश में, पूरे भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया ? इसको श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने लागू किया। आपकी दूसरे प्रदेशों में सरकार है किसी एक जगह लागू करके देख लेते।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, अन्य सदस्यों व संसदीय कार्य मंत्री जी को इस सूचना पर सुना। उनको सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं।

श्री धनीराम वर्मा–

अभी पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में मैं माननीय सदस्यों व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहा था। इसमें मुख्य बात टीचर्स, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के चाहे जूनियर हाई स्कूल के या डिग्री कालेज के अध्यापक हों, इसी तरह से निगमों के कर्मचारी आदि आते हैं। तो क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे टीचर्स, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, निगमों, विधान सभा सचिवालय में यह रिपोर्ट लागू कर दी गई है ?

(समय 5 बजकर 5 मिनट)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें देखें कि स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम एवं जो एडेड स्कूल हैं केवल उनका परीक्षण हो रहा है, बाकी लागू कर दी गयी है। आप सहमत होंगे कि स्थानीय निकाय के समकक्ष केन्द्र में कोई पद नहीं है इसी तरह से एडेड स्कूल्स हैं उनके भी पद केन्द्र सरकार में नहीं हैं। जो बचे हैं उनके लिए वह परीक्षण हो रहा है कि कौन सा वेतनमान मानकर दिया जाय। परीक्षण होने के उपरान्त तुरन्त निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, सरकार की नियत कर्मचारियों के खिलाफ है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री प्रमोद कुमार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस सरकार की मंशा पंचम वेतन आयोग को लागू करने की नहीं है एवं शिक्षकों व निकाय कर्मचारियों की विरोधी है। इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार स्थानीय निकाय एवं शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान नहीं देना चाहती है, उसकी मंशा साफ नहीं हैं अतः मैं और मेरा दल सदन का वाक आऊट करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्थानीय निकाय कर्मियों के बारे में बताया, श्रीमन्, इनकी मंशा पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की नहीं है । इसलिए मैं और मेरा दल सदन का वाक आऊट करता है ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री कौकब हमीद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार स्थानीय निकाय कर्मियों, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मियों एवं शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में हीलाहवाली कर रही है, इनकी मंशा साफ नहीं है । अतः मैं और मेरा दल सदन से वाक आऊट करता है ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के माननीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

छठीं सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री जगदीश नारायण, श्री लालजी वर्मा, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री चन्द्र पाल सिंह, डा० वकार अहमद शाह एवं श्री राम प्यारे की प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उद्योगों, किसानों एवं विद्यार्थियों को हो रही भयंकर असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

सातवीं सूचना श्री श्रीराम पाल एवं श्री जगदम्बिका पाल की जनपद जालौन, बस्ती तथा सीतापुर में नेत्र चिकित्सकों द्वारा मोतियाबिन्द के आपरेशनों में व्यक्तियों को अन्धा बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

आठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में आतंकवादी द्वारा 22 मार्च, 1998 को तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

विधान सभा की वर्ष 1998–99 की विभिन्न समितियों में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1998–99 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये संबंधित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1998-99 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के

लिये यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी प्राधिकृत करता है यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1998-99 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए संबंधित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1998-99 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशित कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मेरी कार्य-स्थगन के रूप में एक सूचना थी ।...

मान्यवर, मेरी भी एक कार्य-स्थगन की सूचना थी ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–11 समाप्त हो गई है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 (क्रमागत)

पंजीयन एवं मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं पर सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपसे और आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी गई थीं, उनको नियम 56 में परिवर्तित करने का काम किया गया था, उस समय यह बात कही गई थी कि सभी को मौका दिया जायेगा, आप चाहें मेरी बात पुछवा लें, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी स्वीकृति दी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

शलाका में 5 सूचनायें आई थीं, मैंने ग्राह्यता पर सुन लिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह शलाका के बाद की बात है ।

आप मेरी बात का परीक्षण करा लें। अगर माननीय अध्यक्ष ने ऐसी बात न कही हो तो हमको यह बात नहीं कहनी है।

श्री अधिष्ठाता–

यह मद निपट जाने के बाद मैं ले लूंगा।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, 11 लोग अंधे हो गये, इससे महत्वपूर्ण कोई मामला नहीं हो सकता, इस पर आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं बार-बार कह रहा हूं कि इस मद के हो जाने के बाद मैं सुन लूंगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

मान्यवर, मैं इस विधान सभा का सम्मानित सदस्य हूं, मेरी बात को भी इस सदन में सुना जाय। मेरे साथ अत्याचार हो रहा है।

(इस समय 5 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष–

यह जो मद हो रही है, मैं माननीय नेता विपक्ष को अवसर दूंगा। कुछ माननीय विधायकों को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना है, उनको भी 2-2 मिनट सुन लूंगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कभी-कभी आपने अनुमति दी है कार्य-स्थगन की जो सूचनाएं आती हैं उसमें छठवीं, सातवीं या आठवीं पर भी आपने ग्राह्यता पर सुना है।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ गया हूं मैं सुन लूंगा। आप चाहते हैं कि आपको मौका मिल जाये तो आज तो समय की कमी नहीं है।

किंग जार्ज मेडिकल और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 (क्रमागत)

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है उसमें संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। यह औपचारिक विधेयक है उस समय के लिए जब लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज को तत्कालीन सरकार ने अपने स्वार्थ में ले लिया था और 81 में एक अध्यादेश जारी किया तत्पश्चात् उस अध्यादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में गये और माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये उस अध्यादेश को असंवैधानिक मानते हुए समाप्त कर दिया था और समाप्त करने के बाद प्रदेश सरकार उसमें सर्वोच्च न्यायालय में गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया। इस प्रकार एक स्थिति ऐसा पैदा हो गयी कि 1981 से लेकर 1991 तक जो भी निर्णय लिये गये, बहुत सी नियुक्तियां की गयीं उनकी वैधता पर प्रश्नचिन्ह लग गया। 81 में सरकार ने निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में है उसको वापिस ले लिया जाय तो जो अध्यादेश, 1981 में लाये वह निष्प्रभावी हो गया तो इस बीच में जो निर्णय लिये गये वह शून्य समझे जायेंगे और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उस समय नियुक्त किये गये तमाम कर्मचारियों अधिकारियों पर पड़ेगा।

इस कारण से आज यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको वैध कर दिया जाय । 1981 से लेकर 1992 तक इस अध्यादेश के माध्यम से जो किया गया था उसको वैध कर दिया जाय । केवल इतना विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य विचार रखना चाहें ।

कोई माननीय सदस्य अपने विचार नहीं रख रहा है इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल(ग्रहण करना), अधिनियम, 1983 का निरसन करने और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में पारिणामिक संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–यह अधिनियम किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) अधिनियम, 1998 कहा जाएगा । संक्षिप्त नाम

अध्याय–दो

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अधिनियम, 1983 का निरसन

2–(1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अधिनियम, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1983 का निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी निरसित अधिनियमित के अधीन राज्य सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा की गई प्रत्येक नियुक्ति, जारी किया गया आदेश, सृजित किया गया पद, कृत कोई कार्य या कार्यवाही या किये जाने, जारी किये जाने, सृजित किये जाने, की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित ऐसे मामले से संव्यवहार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा या अधीन सशक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा क्रमशः की गई नियुक्ति, जारी किया गया आदेश, की गयी कार्यवाही या किया गया कार्य समझा जायगा ।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 में नई धारा 31–ग का बढ़ाया जाना

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31–ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"31–ग–इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई सहायक आचार्य, सह तदर्थ नियुक्तियों का आचार्य या आचार्य को जो, किंग जार्ज मेडिकल विनियमितीकरण कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ के तदर्थ आधार पर 18 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् किन्तु 10 अगस्त, 1992 तक सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया था और किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को इस रूप में सेवा में सेवारत हो और ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हतायें रखता था, ऐसे तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम में निर्दिष्ट शब्द 'प्राध्यापक' और 'उपाचार्य' का तात्पर्य क्रमशः 'सहायक आचार्य' और 'सह आचार्य' से होगा।'

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पंजीयन एवं मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद कानपुर देहात के महिपालपुर में कई लोगों के घर उजाड़ने, तोड़फोड़ करने तथा इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों को उखाड़ने संबंधी वर्तमान सरकार के एक मंत्री पर कथित आरोप की सी० बी० आई० से जांच कराने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जब पदारूढ़ हुई थी । बहुत बुलन्दी के साथ यह नारा लगाया गया था और आज भी सदन के भीतर और बाहर लगाया जा रहा है कि अब भयमुक्त समाज होगा । लेकिन श्रीमन् बड़े दुख की बात है कि भले आदमी लोग भयग्रस्त हो गये हैं और चोर, उच्चके डकैत भयमुक्त हो गये हैं । इस सरकार के द्वारा हरिजनों का, भाजपा की जितनी विरोधी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं का खुलकर उत्पीड़न उनकी हत्यायें और उनकी जमीनों का अपहरण या उनका नाना प्रकार से शोषण प्रारम्भ कर दिया गया है पुलिस के बल पर जो तांडव नृत्य जगह-जगह किया जा रहा है वह अपने में अभूतपूर्व है । श्रीमन्, कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा पिछले 8 मार्च को महिपालपुर में हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हुआ है उसकी शायद कहीं मिसाल मिलेगी जो दलित वर्ग के लोग थे । 20-25 लोगों के घर उजाड़ दिये गये, वहां इन्दिरा आवास थे वह तोड़ दिये गये इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप तीन उखाड़ दिये गये वहां सारे के सारे घर ध्वस्त कर दिये गये आग लगा दी गयी । श्रीमन्, किसने किया, आपकी भाजपा सरकार के एक मंत्री श्रीमती प्रेमलता कटियार जी इनके बच्चे और उनके साथियों ने पुलिस को ले जाकर तांडव नृत्य किया । हमने स्वयं वहां जाकर देखा महिलायें विलख रही थी बच्चे रो रहे थे खाने को नहीं था खुले आकाश में लोग बैठे हुए थे । श्रीमन् इतना ही नहीं श्रीमन् जब महिलायें और बच्चे विलख रहे थे पुलिस के सी० ओ० स्थानीय सी० ओ० जाते हैं नशे में धुत होकर महिलाओं को पीटते हैं, जो बचे खुचे घर हैं उनमें आग लगा दी गयी, वह अपने में अभूतपूर्व है । श्रीमन् जमीन किसकी है किसकी नहीं वह अलग चीज है लेकिन जब 20-25 साल से मकान बने हुए थे और जब एक एक्ट पास हो गया कि जहां दलित वर्ग के लोगों के मकान बने होंगे वह उन्हीं के माने जायेंगे । एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप कह रहे हैं कि जमीन किसी की है या नहीं, यह क्या मामला है ?

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह महिपालपुर का मामला है लोग दलित वर्ग के थे ।

विधान सभा हमारा है तो क्या हम इसे ध्वस्त कर देंगे ? मकान बने हुए हैं और जो इन्दिरा आवास आवंटित है, उन्हें तोड़ दिया गया । यह जमीन जो चकबन्दी में छोड़ी गई थी शमशान के लिये, खाद के गड्ढे के लिए, खलिहान के लिये वहां पर मकान बना रखे थे । यदि मंत्री जी की जमीन होती तो उन्हें चकबन्दी में दरख्वास्त देनी चाहिए थी और वहां से अपने नाम पर करवा लेती तो तब कोई प्रश्न ही नहीं उठता । अब मंत्री जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई और यदि मंत्री जी के खिलाफ वहां का थानेदार व इन्सपेक्टर जांच करेगा तो वह कैसे जांच कर पायेगा । इससे तो आप भी भली-भांति वाकिफ हैं । नियमानुसार जब मंत्री जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाय तो उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए । वह शासन के इशारे पर ही हुई होगी । यदि ऐसा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो उसे बरखास्त कर देना चाहिये । इसलिये मैं मांग करता हूं कि उन हरिजनों के और दलित वर्ग के लोगों के घरों को जो उजाड़ा गया है, उनको पुनः वहां पर बसाया जाय और साथ ही साथ सी० बी० आई० से इसकी जांच करायी जाय ताकि दोषियों को सजा मिल सके ।

अभी मान्यवर, आपसे भी बात हुई थी । हमारे विधायक श्री उदय राज जी थाने जाते हैं । यह जानने के लिए, कि दो भाईयों को हरिजन एक्ट में थानेदार ने बन्द कर दिया, कि इन्हें क्यों बन्द किया

गया ? इस पर थाने के लोग उनसे ऊटपटांग बात करने लगे और कहने लगे कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी ही बात करते हैं । वह वहां पर धरने पर बैठ गये यह कहते हुए कि जब तक डी० एम० व एस० पी० नहीं आ जाते वह धरने पर बैठे रहेंगे । इसमें अब उन्होंने क्या अपराध कर लिया था । धरने पर लोग बढ़ते गये । उसके बाद पुलिस ने जो ताण्डव किया, कई लोगों को गाड़ियों से दबा दिया, लोगों की साईकिलें व गाड़ियां तोड़ दी गई, लोग घायल हो गये । 45 लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कर दिये गये और हजारों लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है । आज श्री उदय राज जी को भी गिरफ्तार करने का कूचक्र रचा जा रहा है । इसलिए अगर आप इस मामले की जांच सी० बी० आई० से करवा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं तो दूसरे जिले के एस० आई० एस० से इसकी जांच करवा लें जिससे दूध का दूध व पानी का पानी हो जायेगा । उस जिले की पुलिस से आप इसकी जांच न करायें ।

एस०आई०एस० से जांच करा दी जाय । तुलसीखेड़ा में भी लोगों को मारा पीटा गया । 90 साल के लोगों को मारा । 23, 24 घरों का सामान 7 कुंओं में डाल दिया । वहां पर लोगों के पास खाने को नहीं है, सब सामान सड़ रहा है, मवेशी भूखों मर रहे हैं । तो यह कार्य सरकार कर रही है । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी जांच सी०बी०आई० से करायी जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय । इसी तरह से जनपद कुशीनगर में आबकारी इंस्पेक्टर कुछ गुंडों को लेकर घरों में घुस गये और लोगों की बेरहमी से पिटाई की, बलात्कार किया और पुलिस को कोई सूचना नहीं दी । बिना पुलिस को सूचना दिये वह स्वयं धावा बोल देते हैं और लाठियों से पीटते हैं, क्योंकि आबकारी मंत्री वहां के हैं तो जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का । उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसकी आशा भी नहीं की जा सकती है तो इसकी जांच सी०बी०आई० से करायी जाय । हमारी विधायिका विजमा यादव की भी सुरक्षा व्यवस्था की जाय [× × ×] इसी तरह से एटा के श्री राजेन्द्र सिंह को भी फर्जी मुकदमा लगाकर फंसाया गया है उसको वापस ले लिया जाय और भी हमारे विधायकों के ऊपर जो फर्जी मुकदमें लगे हैं उनको वापस लिया जाय । दलितों के ऊपर जो झूठे मुकदमे कायम किये गये हैं उसे वापस लिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय नेता विरोधी दल को सुनने के लिये कहा था । मैंने उनके पद को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुना और उन्होंने अपने विधायकों के बारे में भी कहा ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, यह विधायकों का मामला है । हमारे कई विधायक हैं श्रीमती विजमा यादव जी, उदय राज जी, रामेश्वर प्रसाद जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी यह सब अपनी बात कहना चाह रहे हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपया उनको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने नेता विरोधी दल के पद की मर्यादा को देखते हुए विशेष रूप से उनको सुन लिया है ।

नोटः–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, आप हमारे संरक्षक हैं। अगर विधायकों की स्थिति इस परिसर के बाहर इतनी दयनीय हो जायेगी और उसे कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो वह कहां जायेंगे। आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा ?

श्री अध्यक्ष–

जब मैं अनुमति दूंगा, तब सुनूंगा। नेता विपक्ष ने अपनी बात में उल्लेख किया है, श्रीमती प्रेमलता कटियार का, वह प्रदेश की मंत्री हैं और वह घटना उनसे सम्बन्धित है, वह अपनी बात कहने के लिये खड़ी हुई हैं। मैं उनको अवसर दे रहा हूं।

महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, जिस महिपालपुर की चर्चा की गयी है, वह मेरे पैत्रिक गांव का माजरा है। वहां पर 90 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है और 10 प्रतिशत अन्य समाज के लोग रहते हैं। जिस जमीन की चर्चा आयी है, वह मेरी पुश्तैनी आबादी की जमीन है। मेरे परिवार के लोगों को भी नहीं पता है कि कब से उस पर हम लोग पजेशन में हैं, वहां पर नील बनाने का काम हमारे पूर्वज करते थे और फिर आबादी में दर्ज रही। 1950 में पारिवारिक लोगों के बीच आपसी बटवारे को लेकर मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से हम 2/3 हिस्से पर काबिज हैं और 1/3 हिस्से पर हमारे परिवार के दो लोग काबिज हैं। यह जमीन न सिर्फ मिल्कियत से जुड़ी है, बल्कि भावनाओं से जुड़ी है। जब हमारे परिवार में कोई मेल मेम्बर नहीं था, केवल इकलौता बेटा था और उस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, लोगों ने उस पर जानवर बांधने शुरू किये, लेकिन हमने किसी को रोका नहीं और जब बड़ा हुआ तो 6 साल पहले एस०डी०एम० और कमिश्नर के यहां से गलत इन्दराज को हटवा कर उस पर अपना कब्जा कर लिया और तब से वहां पर केवल 10 लोग बचे थे, जिनमें से 3 लोगों के जानवर बंधते थे, 7 लोगों के अपने पैतृक निवास थे, लेकिन अतिरिक्त कब्जा करने की नियत से वह प्रेरित थे, और चार लोगों ने अवैध का क्रय हमारी जमीन से खाली कर दिया और निजी जमीन खरीद कर घर बनवा लिया और केवल तीन लोग बचे थे और वह भी 3 मार्च, 1998 को अपनी मर्जी से अपना सामान लेकर अपनी जमीन पर चले गये, केवल दो लोग बचे हैं, जिस पर शिकायत की जा रही है और वह 8 तारीख को 9 तारीख को और 10 तारीख को धीरे-धीरे अपने कब्जे का सामान हटाकर अपने पैत्रक आवासों में चले गये हैं। जिन इंडिया मार्क हैंड पम्पों का जिक्र किया गया है, तो मैं कहना चाहती हूं कि जो घरों में हैण्ड पम्प लगाते हैं, छोटी किस्म के हैण्ड पम्प लगे थे, उनको उखाड़ कर वह ले गये हैं और आज भी वह उनके घरों में हैं। मान्यवर, वे एक-एक चीज, एक-एक लकड़ी और एक-एक सामान ले गये हैं और किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन राजनैतिक विकृति के कारण एफ०आई०आर० लिखाई गयी, और उनसे कहा गया कि दो-दो लाख रुपया मिलेगा, यह दुर्भाग्य की बात है, ऐसी बात हुई, जहां पर चुनाव होना है, यह एम०पी० के चुनाव में हार गये हैं। मान्यवर, आधा किलोमीटर की दूरी पर थाना है, सभी लोग सामान्य रूप से रहते हैं, मेरी जमीन है, हमारे बटाईदार हैं, दलित भाई हैं, और आज की विकृत राजनीति के कारण यह बात आई है। सन् 68 से 72 के बीच वहां पर चकबन्दी हुई , तीन गांवों की दलितों के नाम हो गयी थी, उन्होंने अपने हलफनामे देकर हमारी जमीन वापस की है। मैं कहना चाहती हूं कि उन लोगों ने हलफनामा लगाया है। 164 का बयान अदालत में दिया है। अगर मेरे मन दलितों के खिलाफ भावना होता तो कानपुर नगर के जिस मकान में मैं रह रही हूं। मेरा साथ 10 किरायेदार पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं। 15 वर्षों से मैं उनसे किराया नहीं लेती। मैंने उनसे कभी खाली करने के लिये नहीं कहा कोई शिकायत मुझे उनसे नहीं है। मेरे द्वारा भी कोई ज्यादती उनके साथ नहीं हुई। कभी मैंने पावर इस्तेमाल नहीं किया। कचेहरी से खाली कराने की बात लाने का मन में साहस नहीं होता। मुझे अगर पावर का इस्तेमाल करना होता, ज्यादती की

भावना होती तो बीसियों लाख की जमीन कानपुर में है उन्हें निकालने के लिये कार्यवाही की होती। मेरी कभी किसी के साथ अन्याय करने की मंशा नहीं रही। मुझे पहला स्थान मिला है जहां पर अपनी बात कर पा रही हूं। मंत्री के नाते कोई बात नहीं कर सकती मंत्री पद के दायित्व से बंधी हूं। जहां तक एफ०आई०आर० की बात कही गयी कि एफ०आई०आर० हो गयी है मुझे इस्तीफा दे देना चाहिये इस पर मैं कहना चाहती हूं कि माननीय कल्याण सिंह की सरकार ऐसी कल्याणकारी सरकार है कि किसी बड़े से बड़े के खिलाफ एफ०आई०आर० करायी जा सकती है। यह जमीन सन् 50 से हमारी है और वहां के रहने वाले हमारे साथ हैं लेकिन वहां उप चुनाव होने के नाते, गंदी राजनीति के नाते, विकृत राजनीति के नाते और कुछ लोगों को जो मरोड़ हो रही है उसके नाते यह घृणित काम किया गया। मुझे बड़ी पीड़ा है। हमारे सामने बैठे हुये लोगों में एक माननीय वर्तमान सदस्य हैं। उन्होंने हमारे घर का रखरखाव करने वाले एक आदमी पर हमला किया वह 16 दिन से अस्पताल में है। उसकी भी चिन्ता माननीय नेता विपक्ष कर लेते, उसका भी जिक्र कर लेते तो उचित होता क्योंकि वह भी इंसान है। जिस तरह से घसीट-घसीट कर माननीय सदस्य ने मारा है, केवल मंत्री होने के नाते मैं कुछ नहीं कह पायी। मेरे दिल में पीड़ा है मैं आपकी बात का जवाब दे नहीं रही हूं। इस जमीन के बारे में कोई कानूनी कार्यवाही, कोई जांच, कोई अभिलेख या कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है तो यह कहे कि मेरी यह जमीन नहीं है। वहां का कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं है सब अपने घरों में हैं। उनका सारा सामान उनके पास है। अगर एक भी व्यक्ति सड़क पर हो तो मैं दावा करती हूं कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाये गये हैं उनको मानने के लिये तैयार हूं। (मेजों की थपथपाहट।)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(शोर)

श्री अजय भट्ट–

यह सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है।

श्री धनीराम वर्मा–

यह सारा बयान [xxx] है। (शोर)

श्री रंगनाथ मिश्र–

सरकार को बदनाम करने के लिये [xxx] मुकदमे दर्ज कराये गये हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

एक स्पष्टीकरण कर लेने दें। (शोर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर अब अनुमति नहीं।

श्री धनीराम वर्मा–

सब गलत बात कही जा रही हैं। एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आपने बिना सूचना के इस पर बात कही और मंत्री जी नें इस पर उत्तर दे दिया। अब कुछ नहीं।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[पक्ष और प्रतिपक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जिसके कारण व्यवधान बना रहा]

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 6 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात श्री अध्यक्ष ने 5 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी 6 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है 6 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, अभी महिपालपुर प्रकरण पर बात चल रही थी। मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखी थी निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप सरकार से अवश्य कार्यवाही करवाये जाने की कृपा करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस सूचना पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपका निर्देश शिरोधार्य है।

नियम 311 की नियम 56 में परिकल्पित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत कुछ सूचनाएं शेष रह गयी थी चूंकि आज अन्तिम दिन है, इसलिए आपस में बात समझ ली गयी थी कि नियम 56 पर दो-दो मिनट ग्राह्यता पर माननीय सदस्य अपनी बात कह लेंगे। इसके बात अगली मद ली जायेगी।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बिजली की आपूर्ति बिल्कुल ठप्प सी हो गयी है। हमारे अम्बेडर नगर में 50–60 हजार पावर–लूम हैं और वह बिना बिजली के ठप्प हो गये हैं जिससे बुनकर और किसान के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय 5–6 घण्टे लगातार बिजली नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में रबी की फसल सिंचाई के बिना सूख रही है। पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या है। सरकार ने 10 घंटे बिजली आपूर्ति की घोषणा किया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 4–5 घंटे बिजली ई आ रही है। किसान बिजली के अभाव में काफी परेशान है। दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र में बुनकरों का मामला है लेकिन बिजली के अभाव में बुनकरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है और वे भुखमरी के कगार पर हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिये हैं जिनसे बिजली के कनेक्शन में जिन किसानों पर और बुनकरों पर 5000/- रु० बकाया है और उसमें 4 हजार रु० जमा कर रहा है तो भी उनका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इसलिए बिजली की समस्या जो बुनकरों और किसानों से जुड़ी है, मैं चाहता हूं कि बकाये का भुगतान पहले 60 प्रतिशत की किश्त में और बाद में 20-20 प्रतिशत की किश्त में लिया जाए। गरीब किसानों और बुनकरों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ उनके सामने बिजली की समस्या है। इसलिये सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए। मैं संसदीय कार्य मंत्री से चूंकि ऊर्जा मंत्री जी इस समय नहीं हैं, अनुरोध करता हूं कि किसानों और बुनकरों को 10 घंटे के बजाए 18 घंटे बिजली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की आपूर्ति की जाए। इसके साथ ही उनके बकाये का भुगतान जो किश्तों में लेना बन्द कर दिया है उसे जारी किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं।*

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री लाखीराम जोशी–

जिस समय इनको बोलना होता है उस समय यह समय ले लेते हैं। हमारी बात यह सुनते नहीं हैं। अभी नियम 51 पर सूचनाएं बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसके पश्चात मैं नियम 51 ले रहा हूं।

श्री लाखीराम जोशी–

यह मेरी बात नहीं सुनते मैं इनकी बात क्यों सुनूं ?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं बहुत ही गम्भीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह पूरा प्रदेश किसानों का है और किसानों के बाद सबसे बड़ी तादात बुनकरों की है। बुनकरों की जो समस्याएं हैं वह इस सरकार की देन है। आज चार हजार के हैण्ड लूम और तीन हजार पावर लूम के कारखाने बन्द हो गए हैं।

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, हमें भी बोलने का अवसर दें। यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आज बुनकरों की जो हालत है वह यह है कि वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उसका कारण सूत (यार्न) की महंगाई है दूसरी तरफ उनका सामान 40 प्रतिशत मंहगा हो गया है एक तरफ तो सरकार कर्जा माफ करती है दूसरी तरफ उनको जेलों में बन्द किया जा रहा है। जाने कितने बुनकर आज जेलों में बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सब सूचना से अलग बात है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

विद्युत सप्लाई के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज बिजली की हालत दयनीय है। बुनकरों को भी पूरी बिजली नहीं मिलती हथकरघा निगम ने जिन गरीब बुनकरों से माल खरीदा है उनको करीब एक-एक साल से अधिक हो गया है लेकिन उनके पैसे का भुगतान नहीं किया है। एक तरफ तो गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है। दूसरी तरफ बुनकरों का पैसा–एक–एक, डेढ़-डेढ़ साल से उनको नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात हो गई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

यह बुनकरों की समस्या है इसलिए सरकार न इसको सुनना चाहती है और न समझना चाहती है। इनके एक राज्य मंत्री स्वास्थ्य तहसील हवालात में बन्द लोगों को जाकर ताला खुलवाकर भगवा देते हैं। यह सरकार का रूप है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

बिजली की एक इम्पार्टेन्ट बात है।

श्री अध्यक्ष–

बिजली के बारे में वर्मा जी ने सारी बातें कह दीं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, विद्युत आज मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। सरकार चाहे दावा कुछ भी करे लेकिन आज सारे प्रदेश में अंधेरा व्याप्त है। विद्युत की आपूर्ति एकदम ठप्प हो गयी है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन बिजली नदारत है आप शाम को किसी जनपद में जाएं आपको बिजली नहीं मिलेगी। जिस दिन से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 19 तारीख को उसी दिन से विद्युत की आपूर्ति अस्त व्यस्त है।

मान्यवर, एक छोटी सी गल्ती से प्रतापगढ़ में विद्युत आपूर्ति सुल्तानपुर से होती है, एक लाईन खराब होने से 15 दिनों से विद्युत की आपूर्ति प्रतापगढ़ में नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। आपकी बात आ गयी है।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप एक मिनट सुन लें। मान्यवर, एक लाईन खराब हो जाने के कारण सुल्तानपुर से विद्युत की आपूर्ति बन्द हो गयी है। पहले सुल्तानपुर से झूसी जाती है फिर झूसी से प्रतापगढ़ लाईन आती है। मान्यवर, शहरी क्षेत्र में 5-5 दिन तक विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस लापरवाही की वजह से एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। देहाती क्षेत्र में पृथ्वीगंज में कई महीनों से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें। मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। नियम 56 में दो सूचनायें और हैं, एक सूचना श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री श्रीराम पाल की है एवं दूसरी श्री संजय गर्ग की हैं, पहले इनको सुन लेता हूं उसके बाद नियम 51 ले लेंगे। श्री श्रीराम पाल जी अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोलें।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जनपद जालौन में जो सुनिश्चित रोजगार योजना और त्वरित रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को धन आवंटित किया जाता है, इस वित्तीय वर्ष में डी०आर०डी०ए० जालौन में इतनी उठा-पटक मची हुई है कि न तो जनप्रतिनिधियों के कोई प्रस्ताव लिये जाते हैं न क्षेत्र समिति के प्रस्ताव लिये जाते हैं और ऐसे कार्य जो साल दो साल पहले कराये जा चुके हैं, चाहे वह कच्चे मार्ग या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे काम हो, उन पर दोबारा धनराशि आवंटित कर दी गयी है, मान्यवर, मैं सम्पर्क मार्गों की एक सूची लगायी हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना किस बारे में है ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरी सूचना 311 में थी , 56 में परिवर्तित कर दी गयी । मान्यवर, नियम 51 में भी मेरी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में जो सूचना आपने दी थी वह जनपद जालौन में आंख के आपरेशन से सम्बन्धित थी और इसी तरह से श्री जगदम्बिका पाल जी की जनपद बस्ती में आंख के आपरेशन से संबंधित थी । इसलिये आप इसी पर अपनी बात रखें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, 5 मार्च को रामपुरा कस्बा, जनपद–जालौन में सेवा निवृत्ति कर्मचारी एवं अधिकारियों की एक समिति ने समर सिंह इण्टर कालेज में आंख के आपरेशन किये ।

इसमें जिला अस्पताल के डाक्टर, आई सर्जन ए० के० जैन की देखरेख में आपरेशन हुए । आपरेशन जहां हुए, वहां रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, न जनरेटर था, न पेट्रोमेक्स था, टार्च की रोशनी में सारे आपरेशन किये गये, नतीजा यह हुआ कि 22 दिन बाद जब आंख की पट्टी खोली गई तो 11 आदमी अंधे हो गये, 7 आदमी ऐसे हैं, जिन्हें बहुत कम दिखाई दे रहा है । इसके बाद जिस समिति ने आपरेशन कैम्प लगवाया था, वह भाग गये हैं । आज इस तरह की लापरवाही इन्सानों के साथ की जा रही है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो आदमी अंधे हो गये हैं, उनके परिवारजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाय और जिनकी ऐसी परिस्थिति है,जिनको न तो ठीक से दिखाई दे रहा है, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाय साथ ही जिन डाक्टर्स ने यह आपरेशन किये हैं, जिन्होंने कैम्प लगवाया, उन सभी के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायकों की जो व्यक्तिगत समस्यायें हैं,उन पर मैं दो-दो मिनट सुन लूंगा । एक संजय गर्ग की सूचना है, एक माननीय पाल जी की सूचना है, उनकी एक सूचना नियम–56 में पहले आ चुकी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक बार भागलपुर जेल में कुछ कैदियों की आंखें फोड़ दी गई थी, इस घटना ने पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया था । इसी तरह बस्ती मुख्यालय पर 24 लोगों की आंख के आपरेशन हुये, जिन्हें अपनी आंख की रोशनी से हाथ धोना पड़ गया है । यहां सरकार को अपनी तरफ से स्वयं एक स्टेटमेंट लेकर आना चाहिये कि जो अंधे हो गये हैं, उसके लिये जो जिम्मेदारी हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यह भी जानकारी आनी चाहिये थी कि जो व्यक्ति अंधे हो गये हैं, उनके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है ? स्थानीय प्रशासन इस सारे मामले को रफादफा करने में लगा है । मुख्य चिकित्साधिकारी का वक्तव्य आया है कि 24 लोग अंधे नहीं हुये हैं, थोड़े लोग हैं । मान्यवर, मैं समझता हूं कि जिलाधिकारी ने जिन्हें

जांच में नियुक्त किया है,उन्होंने भी प्राग्दर्शन में यह स्वीकारोक्ति की है कि लापरवाही हुई है, मरीजों की संख्या में कदाचित भिन्नता हो सकती है । आजादी के बाद इस तरह की घटनायें हो रही हैं । इसी तरह सीतापुर के नेत्र चिकित्सालय में एक डाक्टर प्राइवेट तरीके से पैसा लेकर, बिना भर्ती किये आपरेशन करने का काम किया है, अभी तक किसी प्रकार की इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इन लोगों के परिवारों में एक अजीबोगरीब स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, लोगों में अत्यन्त क्षोभ हैं । मैं इसमें चाहता हूं कि आप उचित निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन का ध्यान इस पर आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही संवेदनशील विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, 22 मार्च, 1998 को सहारनपुर जिले में रात्रि 8 बजे थाना गंगो के ग्राम रंगेल में सी० पी० एम० के नेता कामरेड हरभजन सिंह और उनका पुत्र काला तथा उनकी भतीजी की आतंकवादियों के द्वारा हथियारों से लैस होकर हमला करके हत्या कर दी गयी । मृतक हरभजन सिंह के भाई राज सिंह की सूचना पर गंगो थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह असवाल के नेतृत्व में पुलिस पार्टी बुलेट प्रूफ गाड़ी से घटना स्थल की ओर चली । पुलिस पार्टी को भी आतंकवादियों ने रंगेल गांव के निकट बारूदी सुरंग से उड़ा दिया । उपरोक्त हृदय विदारक घटना से पूरा जिला एवं आसपास के इलाके में आतंक व्याप्त हो गया है । सहारनपुर जिले को पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है । मान्यवर, 13 जुलाई, 1995 को सहारनपुर के दिल्ली बस स्टैण्ड में चण्डीगढ़ जाने वाली बस में आतंकवादियों द्वारा इसी तरह से बम विस्फोट कराया गया था जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गयी थी । इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में इसी तरह की कई आतंकवादी घटनायें हो चुकी हैं । मान्यवर, थाना गंगो के थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह असवाल सिपाही अजीत सिंह एवं सिपाही अनिल तथा मृतक के भाई राज सिंह उपरोक्त घटना में पूरी तरह से घायल हो गये थे उन्हें उपचार हेतु आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली भेज दिया गया है । बड़े अफसोस की बात है कि अगले दिन सुबह भी पुलिस हर भजन सिंह और उनके परिवारजनों के शव को घटनास्थल से हटाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पायी थी । मान्यवर, विगत कई वर्षों से कुख्यात सतराना गिरोह सहित कई आतंकवादियों की शरणस्थली बना गंगो थाना क्षेत्र में मृतक कामरेड हरभजन सिंह ने बहादुरी से आतंकवादियों के विरुद्ध स्थानीय सिखों को लामबन्द कर उनका मुकाबल किया था । उनके परिवार पर पूर्व में भी कई बार आतंकवादियों ने हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी हर भजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा का खतरा समझते हुए जिले में पूर्व तैनात पुलिस अधिकारियों ने उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की थी तथा ग्राम रंगेल में भी पी० ए० सी० की एक टुकड़ी तैनात की थी । बड़े अफसोस की बात है कि कुछ दिन पूर्व उनसे यह सुरक्षा वापिस ले ली गयी थी जिस कारण आतंकवादियों के हौसले बुलन्द हुए तथा यह हृदय विदारक घटना घटित हुई ।

मान्यवर, यह घटना इसलिये भी और ज्यादा गम्भीर है क्योंकि इस शताब्दी का आखिरी महाकुम्भ होने जा रहा है जबकि आतंकवादियों ने महाकुम्भ के दौरान आतंकवादी गतिविधियां करने की चेतावनी भी पूर्व में दी थी । पूरे पुलिस प्रशासन को इस संबंध में रेड एलर्ट भी किया गया था । ऐसे में यह गम्भीर आतंकवाद की घटना होना पुलिस प्रशासन की पोल खोलता है तथा जनता का उससे विश्वास उठता है । इस गम्भीर घटना से पूरा प्रदेश स्तब्ध है । चूंकि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिये मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही पर रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

*श्री राधेश्याम जायसवाल–

मान्यवर, मेरे ऊपर दिनांक 30-12-97 को सीतापुर में जानलेवा हमला किया गया जिसकी एफ० आई० आर० 307 के तहत थाना कोतवाली में दर्ज कराई गयी ।

मान्यवर, तब से बार-बार हमको हमारे परिवार को बराबर धमकियां दी जा रही है जिसमें सीतापुर के चार माफिया गुण्डे शामिल हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, आलोक कुमार श्रीवास्तव, हसीन अहमद, मुजीब अहमद यह लोग बराबर फोन पर धमकियां दे रहे हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गयी है एस० पी० साहब का कहना है कि 25 प्रतिशत अतिरिक्त जमा करायें जो अतिरिक्त सुरक्षा दी गयी है उसके लिये मान्यवर, हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा की जाय।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि [x x x] यह जो गुण्डे हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष–

जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उतना अंश काट दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने [x x x] का नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही कह दिया जो यहां उपस्थित नहीं हैं, जो सदन के सदस्य नहीं हैं, जो उल्लेख हुआ है निकाल देंगे।

श्री हुकुम सिंह–

आपने कृपापूर्वक अनुमति दी है, इसे राजनीति का फोरम न बनाया जाय।

*श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, उन्नाव जनपद के थाना मौरावां में 17 मार्च को जो घटना हुई उसके बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, 17 मार्च से पहले 15 तारीख को रामू रावत को कुछ लोगों ने मारा पीटा, जब वे थाने में गये तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, उल्टे थाने में बन्द करके स्थानीय पुलिस ने दूसरे पक्ष की मदद करके उनको जेल भेजने का काम किया। इमरान अहमद और उसके भाईयों को गुण्डों ने मारा पीटा, एफ० आई० आर० न लिखकर उल्टे जेल भेजने का काम किया गया। मौरावां कस्बे के पास, थाना वहां से 300-400 मीटर दूर है, एक हफ्ते से लाश पड़ी हुई थी, थाना पास होने के बाद तथा अखबारों में खबर निकलने के बाद भी पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम कराने की जरुरत नहीं समझी। इन मामलों को लेकर मैं 17 तारीख को जब मैं मौरावां थाने गया और जब वहां थानाध्यक्ष से इन तमाम सवालों के बारे में बात करनी चाही तो थानाध्यक्ष ने मुझसे गलत तरीके से बात करने का प्रयास किया मुझे लगा कि इसकी नीयत ठीक है नहीं, यह मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है तो मैंने कहा कि मैं धरने पर बैठने जा रहा हूं।

आप जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को बुलवायें। इन तमाम सवालों पर मैं जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान से बात करूंगा। उसने डी० एम० व पुलिस कप्तान को बुलाने के बजाय पी० ए० सी० व अतिरिक्त पुलिस को मंगवाया। मेरे धरने की सूचना पाकर मेरे क्षेत्र के समीपवर्ती इलाके के लोग धरना क्षेत्र पर आ गये। जब धरने पर लोग आने लगे तो मैं थाना परिसर से बाहर आ गया। क्षेत्राधिकारी वहां पर आते हैं अपने पुलिस बल के साथ और लोगों पर बरबर लाठीचार्ज करते हैं। वहीं पर पास में एक चाय की दुकान है उसमें स्वयं पुलिस विभाग के लोग आग लगाने का काम करते हैं। हमारे 51 साथियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की जाती है और हजारों लोगों के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

दर्ज की जाती हैं । 18 तारीख की सुबह जो नंगा नाच उस क्षेत्र में पुलिस ने किया, गाड़ियों को तोड़ा गया लोगों को जेलों में ठूंसा गया और उनके खिलाफ संगीन अपराध दर्ज किये गये । यहां तक कि जो 80-80 साल के लोग हैं, उन्हें भी जेलों में ठूंसा गया है । इससे पहले भी मैंने 28 मार्च, 1997 को जब मेरे ऊपर हमला हुआ था तो मैंने थानाध्यक्ष व सी० ओ० के खिलाफ लिखा था कि ये लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं परन्तु वह थानाध्यक्ष आज भी वहीं पर मौजूद है । जिसके कारण वह मेरे खिलाफ व मेरे साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस मामले की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराई जाय और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले लें । माननीय सदस्य ने जो आवेदन-पत्र दिया था, उसे मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

* श्रीमती विजमा यादव–

श्रीमन्, एक साल पहले मेरे पति की हत्या हुई थी । उस समय से हमारे दरवाजे पर पुलिस की गारद लगी हुई है और हमारे साथ तथा हमारे जेठ के साथ सुरक्षा गार्ड लगे हुये हैं । इस समय दो दिन पहले जब मैं हास्पिटल में थी तो हमारी सुरक्षा को हटाने जा रहे हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारे दरवाजे पर जो गारद लगी है और हमारे साथ व मेरे जेठ के साथ जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, उन्हें हमारे साथ ही रहने दिया जाय ताकि हमारे बच्चों का व हमारे परिवार के लोगों की सुरक्षा हो सके ।

*श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

मान्यवर, अध्यक्ष जी जब दिनांक 24 तारीख को मैं सदन में आया था तो मैंने अपने निवास पर टेलीफोन किया । टेलीफोन पर मुझे सूचना मिली कि तीन थानेदार व कुछ सिपाही हमारे भट्टे पर गये थे और वहां लोगों से पूछा कि यह किसका भट्ठा है तो लोगों ने बताया कि श्री ओम प्रकाश गुप्ता, विधायक जी का भट्ठा है । वहां से जाते वक्त उन्होंने चौकीदार की टार्च छीन ली । उक्त सूचना को जब मैंने पुलिस अधीक्षक से जानना चाहा तो टेलीफोन पर वह मिले नहीं । मैंने एडीशनल एस० पी० से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी जानकारी कर रहा हूं । मैंने थाने पर टेलीफोन किया तो कहा गया कि हमें मालूम नहीं । दूसरे अन्य थानों पर जब मैंने टेलीफोन किया तो यही बताया कि हमारे यहां से कोई नहीं गया । यह सब जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस कह रही है कि ओम प्रकाश गुप्ता पर वार करो तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी । अपनी सुरक्षा के लिये आप ओम प्रकाश गुप्ता, माफिया का नाम लिखकर दें, हम आपको सुरक्षा प्रदान कर देंगे । दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े भाई श्री राम औतार अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की करतूतों के विरुद्ध माननीय लोक निर्माण मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री व अन्य मंत्रियों से शासन स्तर पर शिकायत की तो यह अधिशासी अभियन्ता मेरे भाई के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दिया ताकि उनके खिलाफ की जांचे चल रही हैं, वह नहीं होने पायें । हमारे भाई को जिस तरीके से एस० पी० ने फर्जी मुकदमें में बन्दी बनाया मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकरण की जांच करायी जाय और भ्रष्ट अधिशासी अभियन्ता को जो सीतापुर में मौजूद है उसका स्थानान्तरण करके उसकी जांच करायी जाय ।

श्री राम अचल राजभर–

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान एक गुमनाम पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें यह लिखा है कि आप अकबरपुर की राजनीति से दूर हो जाइये और आपको न तो मायावती और न कांसीराम की सुरक्षा ही बचा पायेगी । आपको यह लास्ट वार्निंग दी जा रही है । अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप अकबरपुर की राजनीति से दूर नहीं होगें तो जैसा हश्र आपके रिश्तेदार चिन्ताराम और किशन का हुआ है वैसा ही हश्र आपका भी होगा । आपका मर्डर करा दिया जायेगा । हमारे ड्राइवर को जो हमारी गाड़ी चलाता है एक दिन उसके घर पहुंच गये और यह घटना 16-3-1998 की है । उस समय रात्रि के तीन बजे थे । उस समय वह वहां पर नहीं था उसके पिता को जगाया और पूछा कि वह कहां पर है हमें उससे बात करनी है । उसके पिता ने बताया कि ड्राइवर उनके साथ गया है और वह यहां पर नहीं हैं तो उन्होंने उसके पिता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी पर बैठने के लिये मजबूर किया परन्तु वह इन लोगों के साथ नहीं गये । इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए मेरी एवं मेरे ड्राइवर की जानमाल की सुरक्षा की जाए । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय और हमारी सुरक्षा के लिये एक गनर और बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दिया है ।

* श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, आज यह सरकार सदन में भयमुक्त समाज का नारा देती है लेकिन ऐसा है नहीं । मान्यवर, 11 जनवरी को विधान परिषद् का चुनाव था उस चुनाव के दौरान दो गुटों में संघर्ष हुआ । उस टकराहट को पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी के माध्यम से निपटा दिया गया था । जब हम थाने से घर गये तो रात तीन बजे हमें गिरफ्तार करने के लिये पुलिस आ गयी । जिस प्रकार से डकैत को गिरफ्तार किया जाता है उसी प्रकार से वह गिरफ्तार करने आ गये, तीन-तीन सी० ओ० वहां पर पहुंच गये । जबकि हम मामले को थाने में निपटा आये थे और हमने यह कहा था कि यदि हमारी जरुरत पड़े तो हमें बुला लीजियेगा लेकिन सिर्फ बेइज्जती के कारण यह काम किया गया है । मुकदमा जो कायम हुआ है, वह चल रहा है । यही नहीं 24 तारीख को हेमराज निवासी कुंवरपुर को तहसीलदार ने जेल में डाल दिया, जबकि उस पर किसी प्रकार का बकाया नहीं था । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जसवन्त सिंह के ऊपर कोई विवाद नहीं था, केवल 17 एकड़ का मुकदमा एस० ओ० सी० के यहां चल रहा था, उसको जेल भेज दिया गया है और उस पर एन० एस० ए० लगाने का प्रयास किया जा रहा है । इस प्रकार से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है । कम से कम 50 लोग ऐसे हैं, जिनको बिना किसी कारण से सताया जा रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करायें और हमको न्याय दिलायें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों की जो व्यक्तिगत समस्यायें हैं,उन पर मैंने सुना है, क्या आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, बहुत सी ऐसी बातें रोज आती हैं, जहां पर उत्पीड़न होता है और उनको लिखकर जिले स्तर पर देना होता है और शासन स्तर पर देना होता है और इस कारण लोग जनप्रतिनिधियों से नाराज होते हैं और उन पर हमला होना स्वाभाविक है, ऐसी दशा में अगर कोई अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करता है, तो उससे 25 प्रतिशत वेतन जमा कराया जाता है । अगर किसी सदस्य की सुरक्षा के लिये अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है,तो उससे यह 25 प्रतिशत वेतन न जमा कराया जाये, उसको निःशुल्क दिया जाना चाहिये । वह अपनी जान की कीमत 25 प्रतिशत देकर करता है, जो लोग पैसा जमा करने में समर्थ हैं, वह जमा कर देते हैं, लेकिन जो पैसा जमा करने में समर्थ नहीं हैं और अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उनके लिये निःशुल्क अतिरिक्त सुरक्षा देने की व्यवस्था की जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी वर्मा–

श्री राम अचल राजभर की जान का खतरा है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने तो अपनी बात कह दी है, सदन में उनकी बात आ गई है।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर कह तो दें।

श्री अध्यक्ष–

उनका पत्र मैंने अपने हाथ से माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दिया है, आपकी बात सदन में आ गई है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप श्री राम अचल राजभर जी के अनुरोध पर गम्भीरता से विचार कर लें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से निम्नलिखित 33 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	मेरठ–बदायूं मार्ग पर शहरी भाग बेगमपुर रोड पर स्थिति दुकानों को गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2–श्री चन्द्रनाथ सिंह	जनपद प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी द्वारा आयोजित वृद्धा/किसान एवं सामाजिक सहायता तथा विकलांग एवं विधवा पेंशन हेतु आयोजित कैम्पों के लाभार्थियों को पेंशन अभी तक प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3–श्री लालजी वर्मा	जनपद अम्बेडकर नगर में, टांडा में मुसिंफ-मजिस्ट्रेट न्यायालय का स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में।
4–श्री लाखीराम जोशी	लोक निर्माण विभाग में आरक्षित अनुसूचित जाति/जनजाति के सहायक अभियन्ता (सिविल) (विशेष भर्ती के अतर्गत चयनित) को शीघ्र विनियमित किए जाने के संबंध में।
5–श्री कृपा शंकर सिंह	जनपद उन्नाव के थाना-अचलगंज में जीप एवं ट्रक की भीषण दुर्घटना के मृतकों के आश्रितों को प्रधान मंत्री पारिवारिक लाभ योजना का लाभ तत्काल दिलाये जाने के संबंध में।
6–श्री रामजग	आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अम्बेडकर गांवों तथा गांधी गांवों के विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में।
7–श्री अब्दुल मन्नान	श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम पो०–उसनीधा, जिला-मैनपुरी के शिक्षकों का वर्ष 1982 से रुके हुए वेतन भुगतान के संबंध में।

8–श्री बाबू लाल कुरील — लखनऊ प्राणि उद्यान के निदेशक द्वारा बिना टेंडर द्वारा निर्माण कार्य कराकर कथित रूप से लाखों रुपये का गोल-माल किए जाने के संबंध में।

9–श्रीमती माया प्रसाद — जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर-रुपईडीहा रोड पर खमरिया के पास शारदा नदी में हो रहे कटान को रोके जाने के संबंध में।

10–श्री चेत राम — महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं को सुचारुरूप से क्रियान्वित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11–श्री श्रीराम पाल — जनपद जालौन के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली भयंकर व जान लेवा बीमारी के कारण हजारों भैंसों की मृत्यु हो जाने के संबंध में।

12–श्री राम औतार शाक्य — जनपद मैनपुरी में बेवर ब्रांच नहर पर ग्राम-नगला शिम्भू व तिलयानी के मध्य छोटा पुल न बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया — बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के अधीन कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ तथा लखनऊ के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

14–श्री राम ललित चौधरी — जनपद बस्ती में वर्ष 1991-92 में किसानों के गन्ना मूल्य से काटे गए कलेक्शन चार्ज को किसानों को वापस दिलाये जाने के संबंध में।

15–डा० धर्मज्ञ मिश्र — जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दैवी आपदा में मृतक लोगों के आश्रितों को अहेतुक सहायता दिलाये जाने के संबंध में।

16–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी" — स्वामी ओंकारानन्द सरस्वती महाविद्यालय देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल को शासकीय वित्तीय अनुदान स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

17–श्री दद्दू प्रसाद — जनपद बांदा में लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के अनुरूप क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।

18–डा० राम बाबू "हरित" — प्रदेश के चिकित्सालयों को उपयुक्त मात्रा में ऐन्टी-रैबीज वैक्सीन तत्काल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

19–श्री अजय कुमार पोइया — मथुरा जनपद के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

20–श्री अजय भट्ट — भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत के रेंज चौखुटिया के गोदाम में मजदूरों को बांटने हेतु कीड़े युक्त सड़ा गेहूं एवं अनाज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21–श्री राम कृपाल तथा श्री आर० के० सिंह पटेल	जनपद इलाहाबाद के थाना-शंकरगढ़ के ग्राम-टकरई में श्री रामजतन कोल की हत्या तथा हत्याभियुक्त को गिरफ्तार न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
22–श्री ओंकार सिंह यादव	जनपद-बदायूं के विकास खंड दहगवां एवं जुनावई में अनुसूचित जाति के आवासों के निर्माण में की गई शासकीय नियमों की अवहेलना तथा भ्रष्टाचार के संबंध में।
23 श्री संजय गर्ग	सहारनपुर नगर में यमुना ऐक्शन प्लान के तहत सीवर लाइन डालने के कार्य को मानक के अनुरूप न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
24–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	जनपद बांदा के जसपुरा विकास खण्ड में सिंचाई की समुचित सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
25–श्री दीप लाल भारतीय	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की बसों को छितौनी से गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, निचलौल तथा सोनौली तक संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।
26–श्री विजय पाल सिंह	जनपद आगरा के फतेहाबाद तथा समसाबाद विकास खण्डों के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण निर्धारित मानक के अनुरूप न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
27–श्रीमती सुमन लता सिंह	वर्ष 1966 में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मौरावां जनपद उन्नाव हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर पर देय ब्याज की धनराशि का भुगतान शासनादेश के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में।
28–श्री यशपाल सिंह चौहान	नव सृजित जनपद महामायानगर में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भवनों की व्यवस्था के संबंध में।
29–श्री रामदेव आचार्य	जनपद बाराबंकी में रूदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मड़हा ड्रेन के जल जमाव के कारण किसानों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
30–डा० कौशल किशोर	जनपद लखीमपुर के थाना फूलबेहड़ के ग्राम तेतारपुर निवासी हीरालाल के ऊपर हमला किये जाने तथा उनकी पत्नी को जबरन उठा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
31–श्री सौलत अली, श्री इकबाल महमूद तथा श्री रिफाकत हुसैन।	इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु गैर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु निदेशित किये जाने के संबंध में।
32–श्री रणधीर सिंह	जनपद लखीमपुर खीरी स्थित वक्फ नं० 11 की सम्पत्ति की रक्षा न होने के साथ वर्तमान मुतवल्ली के स्थान पर दूसरे पक्ष को मुतवल्ली बनाये जाने के संबंध में।

33–श्री राम विशुन आजाद,
श्री उबैदुर्रहमान,
श्री रामपाल सिंह,
श्री विनोद सिंह
उर्फ 'पंडित सिंह'।

प्रदेश में कोटेदारों व अधिकारियों की मिलीभगत से चीनी व मिट्टी का तेल की कालाबाजारी के संबंध में।

शेष सूचना अग्राह्य की गयी।

आजमगढ़ जनपद में 132 के०वी०ए० के विद्युत उपकेन्द्रों फूलपुर एवं बूढ़नपुर में रुके निर्माणाधीन कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

पंचायत, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, श्री राम नरेश यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया.....

श्री अध्यक्ष–

सदन की अनुमति हो तो पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री हुकुम सिंह–

[तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अधीन दी गई सूचना के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ के फूलपुर में एवं कोयलसा (बूढ़नपुर) में 132 के०वी० उपकेन्द्र बनाने का कार्य महामहिम श्री राज्यपाल महोदय की घोषणा के अन्तर्गत शुरू करा दिया गया था परन्तु परिषद् की विषम वित्तीय परिस्थितियों के कारण इसमें वांछित प्रगति नहीं हो सकी। दोनों उपकेन्द्रों को पूर्ण करने हेतु वर्तमान मूल्यों पर लगभग 13.5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

इन उपकेन्द्रों की प्रगति की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

(1) जिला आजमगढ़, फूलपुर पर 132 के०वी० उपकेन्द्र निर्माणाधीन है, जहां पर 20 एम०वी०ए० के दो ट्रांसफार्मर प्रस्तावित हैं। इस उपकेन्द्र पर सिविल कार्य आरम्भ हो चुका है किन्तु धनाभाव के कारण प्रगति नहीं हो पा रही है। इस उपकेन्द्र को बनाने के लिये लगभग 5 करोड़ रु० की आवश्यकता है। उक्त उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति 400 के०वी० उपकेन्द्र आजमगढ़ से 132 के०वी० लाइन बनाकर दी जानी है। इस लाइन का फाउन्डेशन कार्य पूरा हो चुका है तथा टावर इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। इस लाइन को पूरा करने के लिये दो करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। प्रश्नगत उपकेन्द्र एवं लाइन के लिए 5+2=7 करोड़ रु० की आवश्यकता है एवं धनाभाव के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है।

(2) 132 के०वी० उपकेन्द्र बूढ़नपुर (कोयलसा) का सिविल कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। संबंधित लाइन पर फाउंडेशन व टावर लगाने का कार्य प्रगति पर है किन्तु धनाभाव के कारण कार्य रुका है। इन कार्यों को पूरा करने के लिये लगभग 6.50 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, दोनों स्थानों के बारे में जो मैंने उपकेन्द्र बनाने के संबंध में सूचना दी है उसके बारे में पहले कहा गया था कि मार्च, 97 में बन जायगा फिर कहा गया कि दिसम्बर, 97 में बन जायेगा लेकिन अभी तक यह उपकेन्द्र बने नहीं हैं। वक्तव्य को पढ़ने से पता चलता है कि मेरी सूचना को ठीक से पढ़ा नहीं गया है नहीं तो सूचना के आधार पर वक्तव्य दिया गया होता। एक तरफ तो कहते हैं कि कार्य प्रगति पर है और दूसरी तरफ कहते हैं कि धनाभाव के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने समय में इन दोनों कार्यों को पूरा करा देंगे ? आप सदन को आश्वासन दें कि इन कार्यों के लिये धन की कमी आड़े नहीं आयेगी और यह बता दें कि कितने समय में यह कार्य पूरा करा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

क्या-क्या प्रगति दोनों कार्यों में हुई है इसकी जानकारी उत्तर में दी गई है। आपने पूछा कि कितने समय में पूरा करा देंगे तो धन का अभाव न हुआ होता तो यह काम हो गये होते। जो विद्युत परिषद् की स्थिति है वह आपके सामने है। जैसे ही धन पूरा हो जायगा वैसे ही यह काम पूरा करा देंगे।

श्री राम नरेश यादव–

धन कब तक उपलब्ध हो जायगा और यह काम कब पूरे करा देंगे कोई निश्चित अवधि बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

कोई समयावधि तो नहीं बता सकता लेकिन शीघ्रतिशीघ्र पूरा करा दिया जायगा।

सहारनपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में बुड कार्विंग उद्योग एवं वैण्डसा इकाइयों पर लोक प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना एवं केवल वक्तव्य

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, प्रदेश को दस्तकारी एवं शिल्प से ....

श्री अध्यक्ष–

सदन की अनुमति हो तो वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले काष्ठ कला से सम्बद्ध दस्तकार एवं शिल्पी जिनकी संख्या लाखों में है, उनके जीवन एवं जीविका को संरक्षित किया जाना लोकहित एवं राष्ट्रहित में अतिआवश्यक है, इन काष्ठ दस्तकारों एवं शिल्पियों को काष्ठ दस्तकारी हेतु कच्चा माल छोटी वैण्ड सा इकाइयों के द्वारा प्राप्त होता है। यह वैण्ड सा इकाइयां लघु कुटीर उद्योग के तौर पर कार्य करती है एवं इनमें काष्ठ दस्तकारी हेतु कच्चा माल तैयार किया जाता है, विगत में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4 मार्च, 1997 के अनुसार गैर लाइसेंसी आरा मशीनों को प्रतिबन्धित कर सील कर दिया गया था किन्तु उक्त आदेश में वैण्ड सा इकाइयों के बारे में कोई प्रतिबन्धित करने संबंधी उल्लेख नहीं किया

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया था, परन्तु लोक प्रशासन एवं वन विभाग उक्त आदेश की आड़ लेकर वैण्ड सा इकाइयों पर इसका नाजायज प्रयोग कर इन्हें उत्पीड़ित कर रहे हैं और इन्हें बन्द कराने की कोशिश कर रहे हैं, यदि उक्त इकाइयां बन्द करा दी गई तो प्रदेश में लाखों काष्ठ दस्तकारों एवं शिल्पियों की जीविका एवं जीवन संकटग्रस्त हो जायेगा और वह भुखमरी की कगार पर पहुंच जायेंगे ।

चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । अतः माननीय वन मंत्री जी यह वक्तव्य देने का निर्देश देने की कृपा करेंगे कि सरकार उक्त काष्ठ दस्तकारों एवं शिल्पियों की जीविका एवं उनसे सम्बद्ध वैण्ड सा इकाइयों के संरक्षण हेतु क्या सोच रही है तथा उक्त लोक महत्व के संदर्भ पर क्या निर्णय ले रही है ?

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित रिट याचिका संख्या 202/1995–टी०एन० गोडावर्मन थिरुमल्कवाद बनाम भारत सरकार व अन्य में दिनांक 4–3–1977 को यह आदेश पारित किये गये कि प्रदेश में चल रही समस्त गैर लाइसेंस शुदा आरामिलों को तत्काल बन्द करा दिया जाये । इसके साथ ही यह भी आदेश पारित किये गये कि राज्य सरकार ऐसी आरा मिलों को चलाने हेतु कोई अन्य अनुमति या लाइसेंस देने की शर्तों को न तो हटवायेगी और न ही शिथिल करेगी । उक्त आदेश के अनुपालन में प्रदेश में गैर लाइसेंस शुदा आरा मिलों को बन्द करवाया गया है ।

2–उत्तर प्रदेश में आरामिलों की स्थापना एवं उनके विनियमन हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा 51(ए) के अधीन "उत्तर प्रदेश आरा मिलों की स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978 लागू है ।" इस नियमावली के अन्तर्गत आरा मिलों का तात्पर्य इमारती लकड़ी और अन्य लकड़ी काटने, चीरने या उसे टुकड़ों में परिवर्तित करने या तत्सदृष्य कार्यों के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति, ईंधन शक्ति या जन शक्ति से चलने वाले किसी यांत्रिक साधन से है और इसमें उपर्युक्त भी सम्मिलित हैं । इस प्रकार वुड कार्विंग उद्योगों के दस्तकारों को कच्चा माल आपूर्ति हेतु जो वैण्ड सा या अन्य आरा मशीनों को लकड़ी को काटने या टुकड़े करने हेतु लगाया जाता है उनके वे संयंत्र आरा मिलों की परिभाषा में आ जाते हैं । उक्त नियमावली के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से बिना लाइसेंस प्राप्त किये या लाइसेंस अवधि की समाप्ति के पूर्व बिना नवीनीकरण का आदेश प्राप्त किये आरा मिल चलाया जाना प्रतिबन्धित है और गैर लाइसेंसशुदा की परिभाषा में आ जाते हैं । अतः ऐसे गैर लाइसेंसशुदा आरा मिलों को मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश द्वारा बन्द कराया गया है ।

3–मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष निवेदन भी समय-समय पर किया गया है, किन्तु अभी तक मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आरा मिलों की पुर्नस्थापना के अतिरिक्त अन्य कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं ।

4–आरा मिलों के संबंध में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिये मा० मन्त्रि परिषद् के द्वारा 3 हार्सपावर तक की आरा मिलों को आरामिल की परिभाषा से बाहर करने हेतु नियमावली में संशोधन किये जाने के लिये निर्णय लिया जा चुका है । तद्नुसार नियमावली में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही की जा रही है परन्तु मा० उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4–3–1977 के आदेश के द्वारा आरा मिलों को लाइसेंस देने के संबंध में या चलाने हेतु अनुमति देने तथा उनकी शर्तों को शिथिल करने या हटाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । अतः बिना मा० उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त किये उक्त संशोधन को लागू नहीं किया जा सकता है । मा० मंत्रि परिषद् के आदेशानुसार उक्त संशोधन को लागू किये जाने के संबंध में आदेश प्राप्त करने के लिये मा० उच्चतम न्यायालय से निवेदन करने हेतु एडवोकेट आन रिकार्ड को निर्देश दिये जा चुके हैं । मा० उच्चतम न्यायालय में इस प्रकरण में शीघ्र निर्णय होने की सम्भावना है, जिसके उपरान्त समस्याओं का निराकरण सम्भव हो सकेगा ।]

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

पहले राष्ट्रगान होगा उसके बाद सदन स्थगित होगा ।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

सभी सदस्य खड़े होकर राष्ट्रगान गाये ।

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन सांयकाल 7 बजकर 05 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
26 मार्च, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता०प्र०सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

संलग्नक–1

भूमि संरक्षण इकाई नानपारा एवं बहराइच के वर्ष 95–96, 96–97 एवं 97–98 (दिसम्बर, 97 तक) में आवंटित धनराशि का योजना मदवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	योजना	वर्ष 95–96		वर्ष 96–97		वर्ष 97–98 (दिस०, 97 तक)	
		बहराइच	नानपारा	बहराइच	नानपारा	बहराइच	नानपारा
1	राष्ट्रीय जलागम योजना मद	53–150	108–337	63–901	144–661	10–860	26–274
2	डी०पी०ए०पी० योजना मद	31–626	30–063	9–553	19–271	—	7–136
3	दस लाख कूप मद	24–429	32–150	20–936	12–962	14–184	8–499
4	सुनि० रोज० योजना मद	14–106	25–550	26–086	30–905	45–386	48–484
5	आई०जे०आर०वाई योजना मद	23–954	—	13–525	—	0–151	—
6	जल संसाधन योजना मद	4–683	—	2–067	—	—	—
	योग : 151–948	196–100	136–068	207–799	70–589	90–393	

पी० एस० यू० पी०–एल० 73 विधान सभा (102)–1998–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा